रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2009/ज्येष्ठ 14, 1931

No. 327] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2009/JYAISTHA 14, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

सा.का.नि. 385(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में, नियम 32 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन नहीं हो जाता तब तक आवेदन इस उप-नियम के अधीन कंपनी विधि बोर्ड को किया जा सकेगा ।"

[फा. सं. 1/1/2009-सी.एल.-V]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 229(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित किये गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2009

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009, after sub-rule (2) of rule 32, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the application under this sub-rule may be made to the Company Law Board."

[F. No. 1/1/2009-Cl.-V]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 229(E), dated the 1st April, 2009.

2098 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2009/ज्येष्ठ 14, 1931
No. 328] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2009/JYAISTHA 14, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

सा.का.नि. 386(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् :—

(1) दूसरी अनुसूची में, पैरा 6 के उप-पैरा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक इस उप-पैरा के अधीन अपील कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष की जा सकेगी";

(2) तीसरी अनुसूची में, पैरा 5 के उप-पैरा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक इस उप-पैरा के अधीन अपील कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष की जा सकेगी";

(3) चौथी अनुसूची में, पैरा 6 के उप-पैरा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक इस उप-पैरा के अधीन अपील कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष की जा सकेगी";

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/1/2009-सी.एल.-V]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2009

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 78 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following alterations in the Second Schedule, the Third Schedule and the Fourth Schedule to the said Act, namely :—

(1) In the Second Schedule, in sub-paragraph (1) of paragraph 6, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the appeal under this sub-paragraph may be made before the Company Law Board";

(2) In the Third Schedule, in sub-paragraph (1) of paragraph 5, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the appeal under this sub-paragraph may be made before the Company Law Board";

(3) In the Fourth Schedule, in sub-paragraph (1) of paragraph 6, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the appeal under this sub-paragraph may be made before the Company Law Board";

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F No. 1/1/2009-CL-V]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 152] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 266(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन और विघटन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) अभिप्रेत है;

(ii) "उपाबंध" से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;

(iii) "न्यायपीठ" से अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रधान न्यायपीठ भी सम्मिलित है;

(iv) किसी दस्तावेज की प्रति के संबंध में "प्रमाणित" से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 में यथाउपबंधित प्रमाणित अभिप्रेत है;

(v) "संहिता" से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अभिप्रेत है;

(vi) "फाइल किया गया" से अधिकरण या न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल किया गया अभिप्रेत है;

(vii) "एलएलपी" से सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है;

(viii) "एलएलपीआईएन" से सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में निर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या अभिप्रेत है;

1157 GI/10—1A

(vix) "सीमित दायित्व भागीदारी समापक" से सीमित दायित्व भागीदारी के स्वैच्छिक परिसमापन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा रखे गए व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंटों, अधिवक्ताओं, व्यवसायरत कंपनी सचिवों, व्यवसायरत लागत और संकर्म लेखापालों या चार्टर्ड अकाउन्टेंटों, अधिवक्ताओं, कंपनी सचिवों, लागत और संकर्म लेखापालों और ऐसे अन्य वृत्तिकों के, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, नाम वाले पेनल से नियुक्त किया गया समापक अभिप्रेत है ;

(x) "सदस्य" से न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है ;

(xi) "अधिकारी" के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार, भागीदार, कर्मचारी और ऐसा व्यक्ति भी है, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार कार्य करने के लिए अभ्यस्त हैं ;

(xii) "अधिकरण के अधिकारी" से इन नियमों के अधीन नियुक्त परिसमापक सम्मिलित हैं ;

(xiii) "शासकीय समापक" से ऐसा समापक अभिप्रेत है जिसे अधिकरण द्वारा परिसमापन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत संयुक्त, उप या सहायक शासकीय समापक भी है ;

(xiv) "कार्यवाहियों" से इन नियमों के भाग 6 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं और इसमें अधिनियम या नियमों के अधीन अन्य कार्यवाहियां या प्रक्रियाएं भी हैं ;

(xv) "अधिकरण के रजिस्ट्रार" से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिकरण या इसकी अन्य न्यायपीठ का अपर रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार और ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जिसे अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम और इन नियमों के अधीन अधिकरण के रजिस्ट्रार को समनुदेशित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ;

(xvi) "धारा" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा अभिप्रेत हैं ;

(xvii) "समन" से अधिकरण के किसी सदस्य के समक्ष वापस करने योग्य समन अभिप्रेत हैं ;

(xviii) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) में यथापरिभाषित अधिकरण अभिप्रेत है :

परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय और जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में अंतर्विष्ट शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में हैं ।

3. **प्ररूप**--इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों का उन सभी मामलों में, जिनसे प्ररूप संबंधित हैं, ऐसे परिवर्तनों के साथ उपयोग किया जाएगा, जो आवश्यक हों ।

भाग 2

परिसमापन के ढंग

4. **परिसमापन के ढंग**--सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या तो स्वैच्छया से अथवा अधिकरण द्वारा हो सकेगा ।

भाग 3

स्वैच्छया परिसमापन

5. **वे परिस्थितियां, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन किया जा सकेगा**--(1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन किया जा सकेगा, यदि सीमित दायित्व भागीदारी अपने भागीदारों की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई के अनुमोदन से सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन करने का संकल्प पारित करती है :

परंतु यदि सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार हैं, चाहे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत, तो ऐसा परिसमापन तभी हो सकेगा, जब नियम 7 के अनुसरण में ऐसे लेनदारों का अनुमोदन हो जाता है ।

(2) संकल्प की एक प्रति ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के तीस दिन के भीतर **प्ररूप सं0 1** में रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

6. **स्वैच्छया परिसमापन का प्रारंभ और कार्यों के विवरण का फाइल किया जाना**-- (1) किसी स्वैच्छया परिसमापन को नियम 5 के अधीन स्वैच्छया परिसमापन के लिए संकल्प के पारित किए जाने की तारीख को आरंभ हुआ समझा जाएगा ।

IndiaCode

(2) नियम 28 के उपनियम (3) के उपबंध जहां तक हो सके, स्वैच्छया परिसमापन को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अधिकरण द्वारा परिसमापन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाए इसके प्रति निर्देश के कि,—

(क) अधिकरण का लोप किया जाएगा ;

(ख) समापक या अंतरिम समापक के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह सीमित दायित्व भागीदारी समापक के प्रति निर्देश है ; और

(ग) "सुसंगत तारीख" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह स्वैच्छया परिसमापन के प्रारंभ की तारीख के प्रति निर्देश है ।

7. स्वैच्छया परिसमापन के प्रस्ताव की दशा में शोधन क्षमता की घोषणा--(1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन करने का प्रस्ताव किया जाता है, वहां उसके अभिहित भागीदारों का बहुमत (जो दो से कम नहीं है) **प्ररूप सं0 2** में इस आशय के शपथपत्र द्वारा सत्यापित घोषणा करेंगे कि सीमित दायित्व भागीदारी पर कोई ऋण नहीं है और परिसमापन के प्रारंभ से एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने ऋणों को पूर्णरूप से संदाय करने में समर्थ होंगे ।

(2) उपनियम (1) के अधीन की गई किसी घोषणा का अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कोई प्रभाव तभी होगा, जब,--

(क) यह सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए संकल्प पारित करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पन्द्रह दिन के भीतर की गई है और उसे **प्ररूप सं0 3** में रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास परिदत्त कर दिया गया है ;

(ख) इसमें यह घोषणा करते हुए कथन अंतर्विष्ट है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से कपट-वंचित करने के लिए नहीं किया जा रहा है ;

(ग) उसके साथ उस तारीख से, जिस तक अंतिम लेखे तैयार किए गए थे, प्रारंभ होने वाली और घोषणा करने से ठीक पूर्व नवीनतम व्यवहार्य तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए **प्ररूप सं0 4** में तैयार किया गया कम से कम दो अभिहित भागीदारों द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित आस्तियों और दायित्वों का विवरण है ;

IndiaCode

(घ) जहां सीमित दायित्व भागीदारी की कोई आस्तियां हैं, वहां उसके साथ किसी मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट है ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी और उसके अभिहित भागीदार, उपनियम (1) के अधीन अभिहित भागीदारों द्वारा कोई घोषणा किए जाने से पूर्व लेनदारों के किन्हीं देयों का प्रतिसंदाय या लेनदारों के दावों का किसी रीति में समाधान कर सकेंगे ।

8. लेनदारों की बैठक--(1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार, प्रतिभूत या अन्यथा हैं तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की कोई कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे लेनदारों का भी अनुमोदन लेगी और रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक अथवा सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में परिभाषित किसी अन्य पद्धति द्वारा उन्हें, नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन घोषणा की एक प्रति, प्रत्येक लेनदार को देय दावों की प्राक्कलित रकम और ऐसे दावों को स्वीकार करने के लिए लेनदारों को प्रस्थापना भेजेगी ।

(2) लेनदारों को सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छया परिसमापन के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी को अपनी राय और उपनियम (1) के अधीन की गई प्रस्थापना की स्वीकृति नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन घोषणा की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों के मूल्य में दो-तिहाई सदस्य इस बात की सहमति दे देते हैं कि,--

(क) यह सभी पक्षकारों और लेनदारों के हित में है कि सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदारों द्वारा स्वैच्छया से परिसमापन कर दिया जाए तो सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदारों द्वारा स्वैच्छया से परिसमापन कर दिया जाएगा ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी स्वैच्छया परिसमापन में विक्रय की जाने वाली आस्तियों के आगमों से पूर्णतया अपने ऋणों का संदाय करने के लिए समर्थ नहीं होगी और यह प्रस्ताव करेगी कि सीमित दायित्व भागीदारी का लेनदारों द्वारा स्वैच्छया से परिसमापन किया जाए तो सीमित दायित्व भागीदारी का लेनदारों द्वारा स्वैच्छया परिसमापन कर दिया जाएगा ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी, स्वैच्छया परिसमापन में विक्रय की जाने वाली आस्तियों के आगमों से पूर्णतया अपने ऋणों का संदाय करने के लिए समर्थ नहीं होगी और यह प्रस्ताव करती है कि यदि सीमित दायित्व

भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी उसके पश्चात् चौदह दिन के भीतर परिसमापन के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी लेनदारों के बकायों का उनके समाधान पर संदाय कर देती है वहां, यथास्थिति, खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(4) इस नियम के अनुसरण में लेनदारों के किसी विनिश्चय की सूचना उपनियम (3) में निर्दिष्ट लेनदारों की सहमति की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा **प्ररूप सं0 5** में रजिस्ट्रार को दी जाएगी ।

9. स्वैच्छया परिसमापन के लिए संकल्प का प्रकाशन--जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प किया है और नियम 8 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन लेनदारों की सहमति प्राप्त हो गई है तो वह लेनदारों की सहमति की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर उस जिले में, जहां सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है, परिचालित किए जाने के लिए समाचारपत्र में विज्ञापन द्वारा संकल्प की सूचना देगी ।

10. सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापक की नियुक्ति और उसे हटाया जाना--(1) सीमित दायित्व भागीदारी,—

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के कोई लेनदार नहीं है तो नियम 5 के अधीन स्वेच्छया परिसमापन का संकल्प पारित करने, या

(ख) यदि उसके लेनदार है तो नियम 8 के उपनियम (4) के अनुसरण में परिसमापन के विनिश्चय सूचित करने वाली सूचना फाइल करने,

के तीस दिन के भीतर संकल्प द्वारा भागीदारों के बहुमत की सहमति से उसके कार्यों का परिसमापन करने के प्रयोजन के लिए पेनल से सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में किसी स्वैच्छिक परिसमापक की नियुक्ति कर सकेगी और सीमित दायित्व भागीदारी समापक किए जाने वाले पारिश्रमिक की सिफारिश करेगी ।

(2) जहां नियम 8 के उपनियम (3) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन लेनदारों ने सहमति दे दी है वहां इस नियम के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति सीमित दायित्व भागीदारी के दो-तिहाई लेनदारों के मूल्य द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगी :

परंतु जहां ऐसे लेनदार सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा नियुक्त सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति को अनुमोदित नहीं करते हैं वहां लेनदार, सीमित दायित्व भागीदारी के मूल्य में दो तिहाई लेनदारों के साथ किसी दूसरे सीमित दायित्व भागीदारी समापक को नियुक्त करेंगे और सीमित दायित्व भागीदारी समापक को संदाय किए जाने वाले पारिश्रमिक को नियत करेंगे ।

(3) यदि लेनदार और सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार भिन्न-भिन्न सीमित दायित्व भागीदारी समापक नियुक्त करते हैं तो लेनदारों द्वारा नामनिर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी समापक होगा । यदि लेनदार न तो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों समापक को अनुमोदित करते हैं, न ही किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी समापक को नामनिर्दिष्ट करते हैं तो सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी समापक होगा ।

(4) यदि किसी कारण से, कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक कार्य नहीं कर रहा है तो अधिकरण किसी व्यक्ति को ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उसके द्वारा अवधारित किया जाए, सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में नियुक्त कर संकेगा ।

(5) अधिकरण कारण दर्शित करने पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को हटा सकेगा और किसी अन्य व्यक्ति को, सीमित दायित्व भागीदारी समापक के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

(6) अधिकरण, इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आवेदन पर भी किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को नियुक्त या हटा सकेगा :

(7) अधिकरण, हटाए जा रहे समापक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगा ।

(8) सीमित दायित्व भागीदारी समापक अपनी नियुक्ति के पश्चात् अपनी नियुक्ति के संबंध में, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी और लेनदारों के साथ हित के विरोध या स्वतंत्रता की कमी को प्रकट करते हुए, यदि कोई हो, **प्ररूप सं0 6** में एक घोषणा फाइल करेगा और ऐसी बाध्यता उसकी नियुक्ति की संपूर्ण अवधि में बनी रहेगी ।

IndiaCode

(9) सीमित दायित्व भागीदारी समापक को, जहां उसकी नियुक्ति सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा की गई है वहां सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा और जहां नियुक्ति लेनदारों द्वारा अनुमोदित की गई है या की गई है, वहां ऐसे लेनदारों द्वारा हटाया जा सकेगा ।

(10) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को, उपनियम 9 के अधीन हटाए जाने की वांछा की गई है, वहां उसे, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या लेनदारों द्वारा अपने पद से हटाए जाने के आधारों को बताते हुए लिखित में एक सूचना दी जाएगी ।

(11) जहां, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के तीन-चौथाई भागीदार या तीन-चौथाई लेनदार अपनी बैठक में सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा फाइल किए गए जवाब पर, विचार करने के पश्चात् यदि कोई है, विनिश्चय करते हैं, सीमित दायित्व भागीदार, सीमित दायित्वभागीदारी समापक को हटा सकेंगे और वहां वह अपना पद रिक्त कर देगा ।

11. सीमित दायित्व भागीदारी समापक के पद में रिक्ति का भरा जाना--यदि नियम 10 के अधीन नियुक्त किए गए किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक (अधिकरण द्वारा या उसके निदेश द्वारा नियुक्त समापक से भिन्न) को पद में मृत्यु, पदत्याग, हटाए जाने के कारण या अन्यथा रिक्ति होती है तो, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या लेनदार उस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में रिक्ति को भर सकेंगे ।

12 सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को दिया जाना--सीमित दायित्व भागीदारी किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक की मृत्यु, पदत्याग करने, हटाए जाने के कारण या अन्यथा हुई किसी नियुक्ति की सूचना, ऐसी नियुक्ति या परिवर्तन के दस दिन के भीतर, सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम और विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए **प्ररूप सं0 7** में रजिस्ट्रार को देंगे ।

13. सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति पर अभिहित भागीदारों और अन्य भागीदारों की शक्ति का न रहना--सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति पर अभिहित भागीदार और अन्य भागीदारों की, यदि कोई हो, सभी शक्तियां सीमित दायित्व भागीदारी समापक की ऐसी नियुक्ति की रजिस्ट्रार को सूचना देने के सिवाय, समाप्त हो जाएंगी ।

14. सीमित दायित्व भागीदारी समापक के कर्तव्य--(1) सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो समय-समय पर, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या उसके लेनदारों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी समापक लेनदारों या भागीदारों की सूची तय करेगा, जो उसमें नामित व्यक्तियों के लेनदारों या भागीदारों के रूप में दायित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसे किसी प्रयोजन के लिए, जो वह आवश्यक समझे, यथास्थिति सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों या लेनदारों का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी समापक भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में नियमित और उचित लेखा पुस्तकें रखेगा और भागीदार या लेनदार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उन लेखा बहियों का निरीक्षण कर सकेगा ।

(5) सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी के ऋणों का संदाय करेगा और भागीदारों के बीच उनके अधिकारों को समायोजित करेगा ।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी समापक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् सावधानी और तत्परता बरतेगा ।

15. सीमित दायित्व भागीदारी समापक के लेखे की संपरीक्षा--सीमित दायित्व भागीदारी समापक के लेखाओं की नियम 56 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति के अनुसार संपरीक्षा की जाएगी ।

16. समिति की नियुक्ति--यथास्थिति, भागीदार या लेनदार ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेंगे, जो स्वैच्छिक समापन का अधीक्षण करने के लिए और सीमित दायित्व भागीदारी समापक को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए उपयुक्त समझी जाएं ।

17. सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा परिसमापन की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना--सीमित दायित्व भागीदारी समापक सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की प्रगति संबंधी तिमाही रिपोर्ट (अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियां) **प्ररूप सं0 8** में, यथास्थिति, भागीदारों या लेनदारों को देगा, जो आगामी तिमाही के अंत से पूर्व दी जाएगी ।

18. व्यक्तियों की परीक्षा के लिए सीमित दायित्व भागीदारी समापक की अधिकरण को रिपोर्ट--(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक से यह रिपोर्ट पर्याप्त साक्ष्य के साथ प्राप्त होती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में ऐसा कोई कपट किया गया है जो सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों या लेनदारों के अधिकारों अथवा सीमित दायित्व भागीदारी या जनता के हित को सारवान रूप से प्रभावित करता है तो अधिकरण, इन नियमों के अधीन परिसमापन की प्रक्रिया के जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 43 के अधीन अन्वेषण का आदेश दे

सकेगी और ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट पर विचार करने पर, अधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकेगी और ऐसा निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत यह निर्देश भी है कि ऐसा व्यक्ति, अधिकरण के समक्ष उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियत किए गए दिन को उपस्थित होगा और सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के संवर्धन या विरचना या संचालन के बारे में या उसके अधिकारी के रूप में उसके आचरण या व्यौहार के बारे में या अन्यथा उसकी परीक्षा की जाएगी :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या अभिहित भागीदार से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपट को रिपोर्ट किया जाता है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक इस नियम के अधीन अधिकरण को रिपोर्ट भेजने से पहले, यथास्थिति, भागीदारों या अभिहित भागीदारों को सूचित कर सकेंगे और अधिकरण को रिपोर्ट में अपनी राय सम्मिलित कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश करने की अधिकरण की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकरण को परिसमापन की कार्यवाहियों को अधिकरण द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन से अनिवार्य परिसमापन में अंतरित करने की शक्ति होगी ।

(3) भाग 6 के अधीन भागीदारों, अभिहित भागीदारों, अधिकारियों, आदि की लोक परीक्षा करने का आदेश करने की शक्ति से संबंधित उपबंध उपनियम (1) के अधीन निदेशित किसी परीक्षा के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

19. सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन--(1) यथाशीघ्र सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन करते हुए कि कैसे परिसमापन संचालित किया गया है और संपत्ति का व्ययन किया गया है और यह दर्शित करते हुए कि सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति और आस्तियों का व्ययन कर दिया गया है तथा उसके ऋणों का लेनदारों के समाधान पर पूर्णतया निर्वहन या निर्वहन कर दिया गया है, अंतिम परिसमापन लेखे और स्पष्टीकरणों की प्ररूप सं.9 एक रिपोर्ट तैयार करेगा और तत्पश्चात्, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों या लेनदारों की में बैठक में उक्त रिपोर्ट और अंतिम परिसमापन लेखे तथा स्पष्टीकरण पर सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों और लेनदारों का अनुमोदन प्राप्त करेगा :

परंतु लेनदारों की ऐसी बैठक अपेक्षित नहीं है यदि नियम 8 में उपबंधित रीति में उनके देयों का संदाय कर दिया गया है :

परंतु यह और कि इस नियम के अधीन अनुमोदन वास्तविक रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में सुसंगत संकल्प का परिचालन करके मांगा जा सकेगा :

परंतु यह और कि परिचालन की दशा में, यदि भागीदारों या लेनदारों द्वारा कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त या अनुपूरक सूचना की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे परिचालन की तारीख के तीस दिन के भीतर उनके द्वारा उसकी मांग की जा सकेगी और ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा ऐसी अतिरिक्त या अनुपूरक सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि, यथास्थिति, कुल सदस्यों की दो-तिहाई संख्या या लेनदारों के मूल्य में से दो-तिहाई सदस्यों का सीमित दायित्व भागीदारी समापक की रिपोर्ट, लेखाओं और स्पष्टीकरणों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए तो वे बैठक की दशा में ऐसी रिपोर्ट, लेखाओं और स्पष्टीकरण की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर और परिचालन की दशा में, ऐसे परिचालन या अतिरिक्त सूचना के तीस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके विघटन के लिए संकल्प पारित करेंगे :

परंतु अपेक्षित संख्या में, यथास्थिति, भागीदार या लेनदार सीमित दायित्व भागीदारी समापक की रिपोर्ट के अनुमोदन के संबंध में विनिश्चय करने में समर्थ नहीं है तो मामले को नियम 23 के अधीन आदेश के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और उस मामले पर अधिकरण का आदेश सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन संकल्प के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी समापक,--

(क) **प्ररूप सं0 10** में अंतिम परिसमापन लेखाओं, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजेगा ; और

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का आदेश पारित करने के लिए अंतिम परिसमापन लेखाओं, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अधिकरण को आवेदन करेगा ।

(4) यदि अधिकरण का सीमित दायित्व भागीदारी समापक के आवेदन, अंतिम परिसमापन लेखाओं, स्पष्टीकरणों और रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि परिसमापन की प्रक्रिया का सम्यक् अनुपालन किया गया है, तो अधिकरण ऐसे आवेदन, लेखाओं, स्पष्टीकरणों और रिपोर्ट की एक प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा कि सीमिन दायित्व भागीदारी समाप्त हो जाएगी ।

(5) सीमित दायित्व भागीदारी समापक तीस दिन के भीतर उपनियम (4) के अधीन आदेश की प्रति **प्ररूप सं0 11 में** रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(6) रजिस्ट्रार, उपनियम (4) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने पर तुरंत राजपत्र में यह सूचना प्रकाशित करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन हो गया है ।

(7) स्वैच्छिक परिसमापन के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन न होने की दशा में सीमित दायित्व भागीदारी समापक उसके कारण स्पष्ट करते हुए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करेगा और समुचित निर्देश प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण--(i) इस नियम के प्रयोजन के लिए, आवेदन व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत अथवा स्पीड डाक द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में विहित कोई अन्य ढंग से हो सकेगा ।

(ii) आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि की संगणना करने में, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अलग कर दिया जाएगा ।

20. सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में अभिदाय, आदि प्राप्त करना--(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का (अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी) स्वैच्छया परिसमापन करने का प्रस्ताव किया गया है या किए जाने के अनुक्रम में है और उसका संपूर्ण कारबार या संपत्ति अथवा उसका कोई भाग किसी सीमित दायित्व भागीदारी को (अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी) अंतरित या विक्रीत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, वहां अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी समापक को साधारण प्राधिकार या किसी विशिष्ट ठहराव के संबंध में प्राधिकार प्रदत्त करने वाले कुल भागीदारों में से कम से कम तीन-चौथाई द्वारा पारित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के संकल्प की मंजूरी से,--

(क) अंतरण या विक्रय के लिए पूर्णतया या भागतः में, प्रतिकर के रूप में अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के बीच वितरण के लिए नकद, प्रतिभूतियों, पालिसियों या अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी में वैसे ही अन्य हित प्राप्त कर सकेगा ; या

(ख) ऐसा कोई अन्य ठहराव कर सकेगा, जिसके द्वारा अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार नकद, प्रतिभूतियां, पालिसियां या वैसे ही अन्य हित प्राप्त करने के बदले या उसके अतिरिक्त अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी के लाभों में भाग ले सकेगा या उससे कोई अन्य फायदा प्राप्त कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई ठहराव प्रतिभूत लेनदारों की, , सहमति के बिना नहीं किया जाएगा यदि कोई हों ।

(2) इस धारा के अनुसरण में कोई अंतरण, विक्रय या अन्य ठहराव अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदारों पर बाध्यकर होगा ।

(3) अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का ऐसा भागीदार, जिसने संकल्प के पक्ष में मत नहीं दिया था और सीमित दायित्व भागीदारी समापक को संबोधित कर लिखित में उससे विसम्मति अभिव्यक्त की थी और संकल्प के पारित किए जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर उसे सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में छोड़ दिया था, सीमित दायित्व भागीदारी समापक से करार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा अवधारित की जाने वाली कीमत के अनुसार अपना हित क्रय की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसे भागीदार का हित क्रय करने का विनिश्चय करता है तो उसके द्वारा ऐसी रीति में, जो कुल भागीदारों के तीन-चौथाई द्वारा पारित संकल्प द्वारा अवधारित की जाए, उठाया गया क्रय धन का सीमित दायित्व भागीदारी विघटित किए जाने से पूर्व संदाय किया जाएगा ।

21. सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति का वितरण--अध्यारोही अधिमानी संदायों के बारे में अधिनियम और इन नियमों के अधीन रहते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों को, उसके परिसमापन पर, उसके दायित्वों के समाधान में उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के अधीन रहते हुए, जब तक सीमित दायित्व भागीदारी करार में अन्यथा उपबंधित न हो, भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी में उनके अधिकारों और हितों के अनुसार अंतरित किया जाएगा ।

22. सीमित दायित्व भागीदारी और लेनदारों के बीच ठहराव--परिसमापन किए जाने के अनुक्रम में सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी के तीन-चौथाई भागीदारों के बहुमत और मूल्य में लेनदारों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा उसके लेनदारों के बीच किया गया कोई ठहराव बाध्यकर होगा ।

परंतु उक्त करार को सीमित दायित्व भागीदारी और उसके लेनदारों द्वारा अनुमोदन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो और अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

23. अधिकरण को आवेदन--(1) सीमित दायित्व भागीदारी समापक या कोई भागीदार या लेनदार अधिकरण को निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकेगा,—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के अनुक्रम में प्रोद्भूत होने वाले प्रश्नों का अवधारण करने ; या

(ख) कार्यवाहियों को प्रवृत्त करने, उनके व्यादेश या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने, जो अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किए जाने की दशा में, अधिकरण प्रयोग करें ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी समापक या कोई लेनदार या भागीदार परिसमापन के प्रारंभ होने के पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी की संपदा या चीजबस्त के संबंध में प्रवृत्त की गई किसी कुर्की, दवाब या निष्पादन को अपास्त करने वाले आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(3) अधिकरण, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, अनुज्ञात कर सकेगा या आवेदन पर ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) इस नियम के अधीन किए गए परिसमापन की कार्यवाहियों को रोकने वाले आदेश की एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, आदेश के तीस दिन के भीतर **प्ररूप सं0 11** में रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि की संगणना करने में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अपवर्जित किया जाएगा ।

24. स्वैच्छिक परिसमापन के खर्च--सीमित दायित्व भागीदारी समापक की फीस सहित परिसमापन में उपगत सभी खर्चे, प्रभार और व्यय, प्रतिभूत लेनदारों, यदि कोई हों, और कर्मकारों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, सभी अन्य दावों पर पूर्विक्ता में सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों में से संदेय होंगे ।

भाग 4

अधिकरण द्वारा परिसमापन

25. ऋणों का संदाय करने में असमर्थता--धारा 64 के प्रयोजनों के लिए, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपने ऋणों का संदाय करने मे असमर्थ समझा जाएगा,--

(क) यदि ऐसे किसी लेनदार ने, समनुदेशन द्वारा या अन्यथा, जिससे सीमित दायित्व भागीदारी देय से एक लाख रुपए से अनधिक रकम के लिए ऋणग्रस्त है, सीमित दायित्व भागीदारी से इस प्रकार देय रकम का संदाय करने की अपेक्षा करने वाली मांग की, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्यथा उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिदत्त कराके, सीमित दायित्व भागीदारी पर तामील की है और सीमित दायित्व भागीदारी ऐसी मांग की प्राप्ति के पश्चात् इक्कीस दिन के भीतर राशि का संदाय करने में या लेनदारों के युक्तियुक्त समाधान में पर्याप्त प्रतिभूति देने या ऋण की पुनःसंरचना या संयोजन करने में असफल रही है ;

(ख) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के किसी लेनदार के पक्ष में किसी न्यायालय या अधिकरण की किसी डिक्री या आदेश के संबंध में जारी किसी निष्पादन या अन्य आदेशिका को पूर्णतया या भाग में असमाधानप्रद रूप से वापस कर दिया जाता है ; या

(ग) यदि अधिकरण के समाधान में यह साबित कर दिया जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने या यह अवधारित करने में असमर्थ है कि क्या सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है तो अधिकरण सीमित दायित्व भागीदारी के आकस्मिक और संभावी दायित्वों को ध्यान में रखेगा ।

26. परिसमापन के लिए याचिका--(1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए अधिकरण में याचिका निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी,--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार या भागीदारों द्वारा ;

(ख) किसी प्रतिभूत लेनदार या लेनदारों द्वारा, जिसके अंतर्गत आकस्मिक या संभावित लेनदार भी हैं ;

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा ;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ङ) अधिनियम की धारा 51 के अधीन आने वाले मामले की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा ; या

(च) धारा 64 के खंड (घ) के अधीन आने वाले मामले की दशा में, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ।

(2) कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए इस बात के होते हुए भी याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा कि उसने अपना पूर्ण अभिदाय संदत्त कर दिया है या सीमित दायित्व भागीदारी के पास अंततः कोई आस्तियां नहीं हों या उसके दायित्वों का समाधान करने के पश्चात् भागीदारों के बीच वितरण के लिए कोई अधिशेष आस्तियां न बची हों ।

(3) रजिस्ट्रार धारा 64 में विनिर्दिष्ट आधार पर उस धारा के खंड 5(घ) में विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाए, किसी आधार पर परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रार इस आधार पर तब तक याचिका प्रस्तुत नहीं करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है, जब तक लेखाओं और शोधन क्षमता के विवरण में प्रकट की गई सीमित दायित्व भागीदारी की वित्तीय स्थिति या धारा 43 के अधीन नियुक्त निरीक्षक की रिपोर्ट से उसे यह प्रतीत नहीं होता है कि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रार कोई याचिका प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन मंजूरी तभी देगी, जब संबंधित सीमित दायित्व भागीदारी को अभ्यावेदन करने का, यदि कोई हो, युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ;

(4) सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार या भागीदारों द्वारा अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए फाइल की गई याचिका तभी ग्रहण की जाएगी, जब उसके साथ भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में याचिका की तारीख को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का एक विवरण और उसके कुल भागीदारों में से तीन-चौथाई का एक संकल्प होगा ।

(5) किसी आकस्मिक या संभावी लेनदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए प्रस्तुत की गई याचिका के ग्रहण किए जाने से पूर्व, याचिका को ग्रहण करने के लिए अधिकरण की इजाजत ली जाएगी और ऐसी इजाजत तभी दी जाएगी, जब अधिकरण की राय में सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए प्रथमदृष्टया मामला हो और खर्चों के लिए ऐसी प्रतिभूति दे दी गई है, जो अधिकरण युक्तियुक्त समझे ।

27. अधिकरण की शक्तियां--(1) परिसमापन याचिका की सुनवाई पर, अधिकरण, –

(क) उसे, खर्चों सहित या उसके बिना खारिज कर सकेगा ;

(ख) ऐसा अंतरिम आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 60 से धारा 62 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के पुनरूद्धार या पुनर्स्थापन की कार्रवाई का आदेश दे सकेगा ;

(घ) परिसमापन आदेश किए जाने तक किसी "समापक" की सीमित दायित्व भागीदारी के अनंतिम समापक के रूप में नियुक्ति कर सकेगा ;

(ङ) खर्चों सहित या उसके बिना, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश कर सकेगा ;

(च) ऐसा/ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु अधिकरण केवल इस आधार पर परिसमापन आदेश करने से इंकार नहीं करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों को उन आस्तियों के बराबर या उससे अधिक रकम के लिए आडमान किया गया है या सीमित दायित्व भागीदारी की कोई आस्तियां नहीं है ।

(2) जहां इस आधार पर कोई याचिका प्रस्तुत की गई है कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किया जाना चाहिए, वहां अधिकरण, यदि उसकी यह राय है कि यांचीकर्ता का कोई अन्य उपचार उपलब्ध है और वे उस अन्य उपचार का प्रयोग करने के बजाय सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन करने की मांग करने के लिए अयुक्तियुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, तो वह परिसमापन का आदेश करने से इंकार कर सकेगा ।

(3) जहां अधिकरण द्वारा अनंतिम समापक नियुक्त किया जाता है, वहां अधिकरण, उसकी नियुक्ति करने वाले आदेश या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा उसकी शक्तियों और कर्तव्यों को सीमित और निर्बंधित कर सकेगा, किंतु अन्यथा समापक के रूप मे उसकी वही शक्तियां और कर्तव्य होंगे ।

28. कार्यकलापों का विवरण फाइल करने के लिए निर्देश--(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए याचिका फाइल की जाती है, वहां अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो गया है कि सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वह आदेश द्वारा

सीमित दायित्व भागीदारी को आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में अपने कार्यकलापों के विवरण के साथ अपने आक्षेप फाइल करने का निदेश देगी :

परंतु अधिकरण, याचिकाकर्ता को खर्चों के लिए ऐसी प्रतिभूति जमा करने का निदेश दे सकेगा, जो वह सीमित दायित्व भागीदारी को निदेश जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में वह युक्तियुक्त समझे ।

(2) किसी अन्य दायित्व के होते हुए भी, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट कार्यकलापों का विवरण फाइल करने में असफल रहती है, याचिका का विरोध करने का अधिकार जब्त हो जाएगा ।

(3) जहां अधिकरण ने परिसमापन आदेश किया है या किसी समापक की अनंतिम समापक के रूप में नियुक्ति की है, वहां जब तक अधिकरण अपने निदेशों में अन्यथा आदेश न करे, वहां सुसंगत तारीख से इक्कीस दिन के भीतर या उस तारीख से, जो समापक या अनंतिम समापक या अधिकरण विशेष कारणों से नियत करे, दो मास से अनधिक विस्तारित समय के भीतर (जिसमें इक्कीस दिन की अवधि भी सम्मिलित है) भाग 6 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के बारे में एक विवरण तैयार करेगा और उसे समापक के पास फाइल करेगा ।

स्पष्टीकरण ऐसे मामले में, जहां अनंतिम समापक की नियुक्ति की गई है, "सुसंगत तारीख" पद से, नियुक्ति की तारीख और ऐसे मामले में, जहां ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है, परिसमापन आदेश की तारीख अभिप्रेत है ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार और ऐसे अन्य अधिकारी, जो लेखाओं को पूरा करने और उनकी संपरीक्षा के लिए उत्तरदायित्व है, यह सुनिश्चित करेंगे कि उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसके संबंध में परिसमापन के लिए याचिका दी गई है, लेखे परिसमापन के आदेश की तारीख तक सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के अनुसार पूर्ण और संपरीक्षित हैं और सीमित दायित्व भागीदारी के खर्चे पर अधिकरण में प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

(5) सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे भागीदार और अन्य अधिकारी, जो लेखाओं को पूरा करने तथा उनकी संपरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं या रहे हैं, यथास्थिति, अधिकरण या अनंतिम समापक या समापक के पास कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

29. "समापक" और उनकी नियुक्तियां--(1) अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के प्रयोजनों के लिए या अनंतिम समापक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, एक "परिसमापक" होगा, जो अधिकरण के आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा रखे गए पेनल से नियुक्त किया गया 'शासकीय समापक' या 'समापक' होगा ।

परंतु किसी ऐसे आदेश के अभाव में, शासकीय समापक यथास्थिति "समापक" "अनंतिम समापक" के रूप में कार्य करेगा ।

(2) परिसमापन आदेश में समापक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए या पेनल से अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अधिवक्ताओं, व्यवसायरत कंपनी सचिवों, व्यवसायरत लागत और संकर्म लेखापालों या चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अधिवक्ताओं, कंपनी सचिवों, लागत और संकर्म लेखापालों और ऐसे अन्य वृत्तिकों को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के नामों वाला या ऐसे वृत्तिकों के संयोजन वाली व्यक्तियों की किसी फर्म या निगमित निकाय का, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, और जिनके पास कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी मामलों का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो और ऐसी अन्य अर्हताएं हों तथा निबंधनों और शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, एक पेनल रखेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार उपनियम (2) के अधीन रखे गए पेनल से किसी व्यक्ति या फर्म या निगमित निकाय का नाम कदाचार, कपट, अपकरण, कर्तव्य भंग या वृत्तिक अक्षमता के आधारों पर हटा सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, पेनल से ऐसे किसी व्यक्ति या फर्म या निगमित निकाय का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी ।

(4) पेनल से नियुक्त प्रत्येक समापक, उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, समापक के रूप में अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने से पूर्व, ऐसी राशि की और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश करे, प्रतिभूति देगा । अपेक्षित प्रतिभूति देने का खर्च समापक द्वारा वहन किया जाएगा और परिसमापन में उपगत व्यय के रूप में सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के संबंध में प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

(5) यदि अधिकरण की यह राय है कि उपनियम (3) के अधीन समापक द्वारा दी गई प्रतिभूति अपर्याप्त है तो अधिकरण समापक के अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा । जहां दी गई प्रतिभूति अधिक है, वहां समापक प्रतिभूति की रकम को कम करने के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेगा और अधिकरण उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(6) पेनल से किसी समापक की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसे संदेय फीस किए जाने वाले कार्य, सीमित दायित्व भागीदारी के अनुभव, अर्हता और आकार के आधार पर अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(7) पेनल से अनंतिम समापक या समापक के रूप में नियुक्ति पर, ऐसा समापक हित के विरोध या नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्रता की कमी को प्रकट करते हुए **प्ररूप सं0 6** में एक घोषणा फाइल करेगा और ऐसी बाध्यता उसके निबंधन या उसकी नियुक्ति में पूर्णरूप से जारी रहेगी ।

(8) समापक को उस विशिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी के 'समापक' के नाम से वर्णित किया जाएगा, जिसके संबंध में वह कार्य करता है, न कि अपने नाम से ।

30. समापक को हटाया या प्रतिस्थापित किया जाना, आदि--(1) अधिकरण, युक्तियुक्त हेतुक दर्शित करने पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पेनल से नियुक्त किए गए अनंतिम समापक या समापक को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकेगा, अर्थात् :--

(क) कदाचार ;

(ख) कपट या अपकरण ;

(ग) वृत्तिक अक्षमता या शक्तियों और कृत्यों के पालन में सम्यक् सावधानी और तत्परता का प्रयोग करने में असफलता ;

(घ) समापक के रूप में कार्य करने में असमर्थता ;

(ङ) उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान हित का विरोध या स्वतंत्रता की कमी ।

(2) यदि समापक की मृत्यु, पदत्याग करने, हटाए जाने के कारण या अन्यथा उसके पद में कोई रिक्ति होती है तो अधिकरण उसे समनुदेशित कार्य को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी दूसरे समापक को अंतरित कर सकेगा ।

(3) जहां अधिकरण की यह राय है कि इस नियम के अधीन कोई समापक कपट या अपकरण अथवा अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के पालन में सम्यक् सावधानी और तत्परता का प्रयोग करने में असफलता के कारण सीमित दायित्व भागीदारी को कोई हानि या नुकसानी कारित करने के लिए उत्तरदायी है तो अधिकरण उस समापक से ऐसी हानि या नुकसानी की वसूली वसूली करा सकेगा और ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

IndiaCode

(4) अधिकरण, इस नियम के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, समापक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

31. परिसमापन आदेश का समापक और रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाना--(1) जहां अधिकरण किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है, वहां वह, आदेश पारित करने की तारीख से पन्द्रह से अनधिक दिन की अवधि के भीतर, उसकी सूचना **प्ररूप सं0 12** में समापक और रजिस्ट्रार को भिजवाएगी ।

(2) परिसमापन आदेश करने पर सीमित दायित्व भागीदारी में परिसमापन कार्यवाही में याची का यह कर्तव्य होगा कि आदेश किए जाने के पंद्रह दिन में आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को फाइल करें ।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित अपने अभिलेखों में उस आशय का पृष्ठांकन करेगा और राजपत्र में यह अधिसूचित करेगा कि ऐसा आदेश कर दिया गया है ।

(4) उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, समापक द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत डाक से एक सूचना भेजी जाएगी और समापक सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की अभिरक्षा के प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और संपरीक्षकों तथा प्रतिभूत लेनदारों सहित, यदि कोई हों, भागीदारों, अभिहित भागीदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना तामील करेगा ।

(5) परिसमापन आदेश को सिवाए तब के जब सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मकारों के निर्मोचन की सूचना समझा जाएगा ।

32. परिसमापन का सभी लेनदारों और भागीदारों के पक्ष में प्रवर्तनीय होना--किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन का आदेश सभी लेनदारों और सभी भागीदारों के पक्ष में प्रवर्तनीय होगा ।

33. अधिकरण की अधिकारिता--अधिकरण को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता होगी--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दायित्व, जिसके अंतर्गत भारत में उसकी किन्हीं शाखा द्वारा या उसके विरुद्ध दावे भी हैं ;

(ग) अधिनियम की धारा 60 से धारा 62 के अधीन किया गया कोई आवेदन ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन के लिए अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रस्तुत की गई कोई स्कीम ;

(ङ) पूर्विकता वाला कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रश्न, चाहे विधि का हो या तथ्य का, जो सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन से संबंधित हो या उसके अनुक्रम में उत्पन्न हुआ हो,

परिसमापन याचिका से पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान या परिसमापन आदेश किए जाने के पश्चात् चाहे ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित की गई हो या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या होता है या ऐसा आवेदन किया है या किया गया हो या ऐसी स्कीम प्रस्तुत है या की गई हो ।

34. समापक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना--(1) जहां अधिकरण ने कोई परिसमापन आदेश किया है वहां परिसमापक, परिसमापन आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, अधिकरण को निम्नलिखित विशिष्टियों वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

(क) पृथक् रूप से हाथ में और बैंक में नकद अतिशेष, यदि कोई हो, और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा धारित विपणनीय प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का कथन करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों की प्रकृति और ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके अवस्थान और मूल्य भी है :

परंतु आस्तियों का मूल्यांकन, समापक द्वारा रखे गए मूल्यांककों के पेनल से अभिप्राप्त किया जाएगा ;

(ख) भागीदारों से प्राप्त और बकाया अभिदाय की रकम ;

(ग) प्रतिभूत और गैर प्रतिभूत ऋणों का और प्रतिभूत ऋणों की दशा में, चाहे सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार या अधिकारी द्वारा दी गई सेवाओं की विशिष्टियों, उनके मूल्य और उन तारीखों का पृथक रूप से कथन करते हुए, जिनको वे दी गई थी, सीमित दायित्व भागीदारी के विद्यमान और आकस्मिक दायित्व, जिसके अंतर्गत उसके लेनदारों के नाम, पते और व्यवसाय भी है ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी को शोध्य ऋण और उन व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय, जिनसे वे शोध्य हैं और उस मद्दे वसूल की जाने वाली संभावित रकम ;

(ङ) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा दी गई कोई प्रत्याभूति, यदि कोई हो ;

(च) भागीदारों और उनके द्वारा संदेय बकायों की सूची, यदि कोई हो और किसी बकाया अभिदायों के ब्यौरे ;

(छ) सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्वाधीन व्यापार-चिन्ह, बौद्धिक संपदा अधिकारों, आदि जैसी अमूर्त आस्तियों के ब्यौरे ;

(ज) अस्तित्वयुक्त संविदाओं, संयुक्त उद्यमों और सहयोग, यदि कोई हो, के ब्यौरे ;

(झ) ऐसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारियों या कंपनियों, आदि के ब्यौरे, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का कोई पण है ;

(ञ) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए विधिक मामलों के ब्यौरे ;

(ट) समापक की अभिरक्षा के अधीन ली गई संपत्तियों, आस्तियों, अभिलेख पुस्तिकाओं और अन्य दस्तावेजों के ब्यौरे ;

(ठ) सीमित दायित्व भागीदारी के पुनरुद्धार या पुनरूस्थापन की स्कीम, यदि कोई हो ; और

(ड) ऐसी कोई अन्य सूचना, जो अधिकरण निदेश करे या जिसे समापक सम्मिलित करना आवश्यक समझे ।

(2) समापक अपनी रिपोर्ट में उस रीति को, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी का संवर्धन या उसे विरचित किया गया था और क्या उसकी राय में उसके संवर्धन या विरचना में किसी व्यक्ति द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में उसके बनाए जाने से सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी द्वारा कोई कपट किया गया है या ऐसे किन्हीं अन्य विषयों को सम्मिलित कर सकेगा, जो उसकी राय में अधिकरण की जानकारी में लाए जाने के लिए वांछनीय है ।

(3) समापक, उपनियम (1) के अधीन अपनी रिपोर्ट में, सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की संभाव्यता या उन उपायों को कर सकेगा, जो उसकी राय में, सीमित दायित्व भागीदारी के मूल्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं ।

(4) समापक, यदि वह ठीक समझे, ऐसे विषयों के संबंध में कोई अन्य रिपोर्ट या रिपोर्टें तैयार कर सकेगा, जिन्हें उसकी राय में, अधिकरण की जानकारी लाना वांछनीय है ;

(5) अपने को लिखित में किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार या भागीदार के रूप में बताने वाला कोई व्यक्ति, स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर, इस नियम के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का

निरीक्षण करने और उपाबंध में विहित फीस के संदाय पर उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण लेने के लिए हकदार होगा ।

35. समापक की रिपोर्ट पर अधिकरण के निर्देश, आदि--(1) अधिकरण, नियम 34 के अधीन समापक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, इन नियमों के अधीन ऐसी समय-सीमा नियत करेगा, जिसके भीतर संपूर्ण कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी और सीमित दायित्व भागीदारी-विघटित हो जाएंगी :

परंतु अधिकरण, यदि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर या समापक द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की परीक्षा करने पर और समापक, लेनदारों या भागीदारों की सुनवाई करने के पश्चात्, की यह राय है कि कार्यवाहियों को जारी रखना फायदेमंद या मितव्ययी नहीं होगा, समय-सीमा को कम कर सकेगी, जिसके भीतर संपूर्ण कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी और सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो जाएगी :

परंतु यह और कि यदि समापक या उसके अभिकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली किसी ऐसी पृथक् कार्यवाहियों या कार्यकलापों का, जिसके लिए इन नियमों के अधीन समय नियत किया गया है, समापक की राय में उस समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो अधिकरण, अपना समाधान करने के पश्चात्, समापक के आवेदन पर समय को और तीस दिन से अनधिक तक विस्तारित कर सकेगा ।

(2) अधिकरण, समापक द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की परीक्षा करने के पश्चात् और समापक, लेनदारों या भागीदारों को सुने जाने के पश्चात्, चालू समुत्थान के रूप में सीमित दायित्व भागीदारी या उसकी आस्तियों अथवा भाग को विक्रय का आदेश दे सकेगा :

परंतु अधिकरण, जहां वह ठीक समझे, सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे लेनदारों, भागीदारों और अधिकारियों या कर्मचारियों से मिलकर बनी विक्रय समिति को नियुक्त कर सकेगा, जो इस उपनियम के अधीन अधिकरण, समापक की सहायता करने के लिए विनिश्चित करे :

परंतु यह और कि जहां अधिकरण की यह राय है कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी का पुनरूद्धार या पुनर्स्थापन किया जा सकता है, वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि पुनरूद्धार या पुनर्स्थापन की कार्रवाई अधिनियम की धारा 60 से धारा 62 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाए ।

(3) जहां समापक से यह रिपोर्ट प्राप्त होती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में कपट किया गया है, वहां अधिकरण, परिसमापन की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 43 के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश देगा

और ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट पर विचार करने पर वह आदेश पारित कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह समुचित समझे ।

(4) अधिकरण, ऐसे उपायों के लिए आदेश दे सकेगा, जो सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के मूल्य की संरक्षा, परिरक्षा या वृद्धि करने के लिए आवश्यक हों ।

(5) अधिकरण ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

36. सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्तियों की अभिरक्षा--(1) जहां परिसमापन आदेश किया गया है या जहां अनंतिम समापक की नियुक्ति की गई है, वहां समापक, अधिकरण के आदेश पर, ऐसी सभी संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त और अनुप्रयोज्य दावों को, जिनके संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी हकदार है या प्रतीत होती है, तुरंत अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रणाधीन लेगा और सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्तियों की संरक्षा और परिरक्षा करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा और उपाय करेगा, जो आवश्यक हों ।

(2) यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक द्वारा आवेदन करने पर, अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार और किसी न्यासी, रिसीवर, बैंककार, अभिकर्ता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन ऐसी धनराशि, संपत्ति या पुस्तकों और कागजपत्रों को, जिसके लिए सीमित दायित्व भागीदारी प्रथमदृष्ट्या हकदार है, तुरंत या ऐसे समय के भीतर, जो अधिकरण निदेश करे, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक को संदाय, परिदान, अभ्यर्पण या अंतरण करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक को ऐसी संपत्ति, चीजबस्त या अनुप्रयोज्य दावों और लेखा पुस्तकों को, जिसकी सीमित दायित्व भागीदारी हकदार है या प्रतीत होती है, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रणाधीन लेने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अधिकरण, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक द्वारा आवेदन करने पर, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उस संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का कब्जा लेने और समापक या अनंतिम समापक को उसका कब्जा परिदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी की सभी संपत्ति और चीजबस्त, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के आदेश की तारीख से अधिकरण की अभिरक्षा में समझी जाएंगी ।

37. भागीदारों, अधिकारियों, कर्मचारियों, आदि द्वारा संपत्ति, पुस्तकों, आदि का पता लगाना और उन्हें परिदत्त करना तथा समापक के साथ सहयोग करना--(1) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, अभिहित भागीदार,

अधिकारी तथा कर्मचारी, भूतपूर्व और वर्तमान, जिसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी भी हैं, सभी संपत्तियों, आस्तियों, चीजबस्त, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का पता लगाएंगे और उसका कब्जा, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक का नियम 28 में यथापरिभाषित सुसंगत तारीख के साठ दिन के भीतर परिदत्त करेंगे । उन सभी व्यक्तियों का, जिनके कब्जे में कोई संपत्ति, आस्तियां, चीजबस्त, लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज हैं, कर्तव्य होगा कि वे उसका कब्जा समापक को परिदत्त करें ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, अभिहित भागीदार, अधिकारी तथा कर्मचारी, भूतपूर्व और वर्तमान, जिसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी, तथा परीक्षक भी हैं, समापक को उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में पूरा सहयोग देंगे । समापक सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके अंतर्गत संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति भी है, व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समय और स्थान पर, जो समापक नियत करे, समापक से मिले तथा समापक को ऐसी सभी जानकारी दे जिसकी वह अपेक्षा करे तथा ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे जो समापक द्वारा उससे किए जाए । समापक उसके द्वारा किए गए साक्षात्कार के कार्यवृत्त या ऐसे साक्षात्कार की अंतरवस्तु वाले ज्ञापन को रखे । ऐसा सहयोग देने में किसी असफलता के लिए समापक अधिकरण को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा ।

38. आस्तियों का उपयोजन--सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों को सर्वप्रथम व्ययों, प्रभारों या फीसों और समापक के पारिश्रमिक सहित खर्चों के संदाय के लिए और उसके पश्चात् अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार लेनदारों के दायित्वों के निर्मोचन के लिए उपयोजित किया जाएगा ।

39. निरीक्षण समिति--(1) अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश करने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि समापक के साथ कार्य करने के लिए एक निरीक्षण समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) नियुक्त की जाएगी ।

(2) नियुक्त की गई निरीक्षण समिति में बारह से अनधिक ऐसे सदस्य, जो अधिकरण आदेश करे, होंगे जो सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार और भागीदार हैं या ऐसे अनुपात में लेनदारों या भागीदारों के अटार्नी की साधारण या विशेष शक्तियां धारित करने वाले व्यक्ति होंगे, जो लेनदारों और भागीदारों की बैठक द्वारा तय किए जाएं या बैठकों में मतैक्यता में भिन्नता की दशा में अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए ।

(3) समापक, अधिकरण को ऐसे व्यक्तियों का अवधारण करने में समर्थ बनाने के लिए, जो निरीक्षण समिति के सदस्य हो सकेंगे, परिसमापन के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर (सीमित दायित्व भागीदारी की पुस्तकों और दस्तावेजों से यथाअभिनिश्चित) भागीदारों और लेनदारों की बैठक, यदि कोई हो, बुला सकेगा ।

(4) समिति, ऐसे समयों पर बैठक करेगी जो वह समय-समय पर नियत करे और समापक या समिति का कोई सदस्य, जब कभी वह आवश्यक समझे, भी समिति की बैठक बुला सकेगा ।

(5) समिति की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक-तिहाई या दो सदस्यों से, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी ।

(6) समिति किसी बैठक में उपस्थित अपने सदस्यों के बहुमत द्वारा कार्य करेगी किंतु जब तक गणपूर्ति विद्यमान न हो, कार्य नहीं करेगी ।

(7) समिति का कोई सदस्य उसके द्वारा हस्ताक्षरित और समापक को परिदत्त लिखित सूचना द्वारा पदत्याग कर सकेगा ।

(8) यदि समिति का कोई सदस्य दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या अपने लेनदारों के साथ समझौता या ठहराव करता है या उन सदस्यों की इजाजत के बिना समिति की लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थित रहता है, जो उसके साथ, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके पद रिक्त हो जाएगा ।

(9) समिति के किसी सदस्य को, यदि वह लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है, लेनदारों की बैठक में या यदि वह भागीदारों का प्रतिनिधित्व करता है, भागदारों की बैठक में बहुमत की सहमति से हटाया जा सकेगा ।

(10) समिति में कोई रिक्ति होने पर समापक उस रिक्ति को भरने के लिए, जैसा मामले में अपेक्षित हो, तुरंत लेनदारों या भागीदारों की बैठक बुलाएगा और बैठक में संकल्प द्वारा उसकी पुनःनियुक्ति कर सकेगा या रिक्ति को भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा :

परंतु यदि समापक की परिसमापन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि रिक्ति को भरे जाने के लिए ऐसा करना अनावश्यक है तो वह अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण यह आदेश कर सकेगा कि रिक्ति को भरा नहीं जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, भरा नहीं जाएगा ।

(11) समिति के बने रहने वाले सदस्य यदि दो से कम न हो, समिति में किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेंगे ।

(12) उक्त बैठक आयोजित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र समापक उसके परिणाम आगे निर्देशों के लिए अधिकरण को रिपोर्ट करेगा ।

(13) समापक द्वारा ऐसे आदेश के लिए कि निरीक्षण समिति में होने वाली किसी रिक्ति को भरा नहीं जाएगा, कोई आवेदन, समिति के शेष सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को सूचना देने पर किया जाएगा, जो अधिकरण निर्देश करे ।

(14) न तो समापक, न ही निरीक्षण समिति का कोई सदस्य, किसी परिसमापन में समापक या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते समय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी नियोजक, भागीदार, लिपिक, अभिकर्ता, सेवक या संबंधी के द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के किसी भाग का क्रेता नहीं होगा या अधिकरण की इजाजत के बिना परिसमापन से प्रोद्भूत होने वाले किसी संव्यवहार से कोई लाभ व्युत्पन्न करने के लिए हकदार नहीं होगा । इस नियम के उपबंधों के प्रतिकूल किया गया कोई ऐसा क्रय, यथास्थिति, समापक के या किसी लेनदार या भागीदार के आवेदन पर अधिकरण द्वारा अपास्त कर दिया जाएगा और अधिकरण खर्चों के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(15) जहां निरीक्षण समिति के किसी सदस्य को सीमित दायित्व भागीदारी आस्तियों के प्रशासन के संबंध में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए संदाय के संबंध में अधिकरण की मंजूरी प्राप्त की गई है, वहां अधिकरण का आदेश सेवाओं की प्रकृति विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी मंजूरी केवल वहीं दी जाएगी जहां दी गई सेवा विशेष प्रकृति की है ।

परंतु समिति के किसी सदस्य को ऐसी समिति के सदस्य के रूप में अपने पद से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए अधिकरण की अभिव्यक्त मंजूरी के सिवाय, कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा ।

40. अधिकरण को आवधिक रिपोर्टों, आदि का प्रस्तुत किया जाना--(1) समापक, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की प्रगति के संबंध में **प्ररूप सं0 13** में अधिकरण को तिमाही (अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियां) रिपोर्ट देगा, जिसे आगामी तिमाही के अंत से पूर्व दिया जाएगा ।

(2) अधिकरण, समापक द्वारा आवेदन पर उसके द्वारा किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और किसी अतिरिक्त निदेशों सहित या उसके बिना ऐसे उपांतरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

41. समापक के कर्तव्य--(1) अधिकरण द्वारा मंजूरी के अधीन रहते हुए, समापक अधिकरण द्वारा परिसमापन में निम्नलिखित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा :

(क) जहां तक सीमित दायित्व भागीदारी के फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो, सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार चलाना ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में और उसकी ओर से सभी कार्य करना और सभी विलेख, रसीदें और अन्य दस्तावेज निष्पादित करना तथा उस प्रयोजन के लिए जब कभी आवश्यक हो, सीमित दायित्व भागीदारी की मुद्रा का, यदि कोई हो, उपयोग करना ;

(ग) संपत्ति, आस्तियों, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को अभिरक्षा में लेना ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर और जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों, व्यापार चिन्हों, लोगों आदि, भी हैं और उसके अनुप्रयोज्य दावों को ऐसी संपत्ति का किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को अंतरण करने या किन्हीं ऋणों को वसूल करने की शक्ति सहित लोक नीलामी या बोली या निविदाएं आमंत्रित करके या प्राइवेट संविदाओं द्वारा विक्रय करना ;

(ङ) रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी की फाइलों पर सीमित दायित्व भागीदारी के अभिलेखों और विवरणियों का निरीक्षण करना ;

(च) किसी भागीदार के दिवाले में उसकी संपदा के संबंध में किसी अतिशेष के लिए श्रेणी और दावा साबित करना और उस अतिशेष के संबंध में और अन्य पृथक लेनदारों के साथ दिवालियापन से बकाया ऋण के रूप में लाभांश प्राप्त करना ;

(छ) सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में और उसकी ओर से किसी विनिमय पत्र, हुंडी या वचनपत्र को उसी प्रभाव से तैयार करना, स्वीकार करना, बनाना और पृष्ठांकित करना, मानो विनिमय पत्र, हुंडी या वचनपत्र सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के अनुक्रम में उसके द्वारा या उसकी ओर से तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया, बनाया या पृष्ठांकित किया गया हो ;

(ज) किसी मृत भागीदार के प्रशासन के पत्र अपने शासकीय नाम में तैयार करना या किसी अन्य कार्य को अपने शासकीय नाम में करना, जो ऐसे भागीदार या उसकी संपदा से शोध्य किसी धन के संदाय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, जिसे सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में सुविधाजनक रूप में नहीं किया जा सकता है और सभी ऐसे मामलों में प्रशासन पत्रों को तैयार करने या धन की

वसूली करने में समापक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए शोध्य धन को समापक पर भी शोध्य समझा जाएगा ;

(झ) ऐसे आदेशों या निदेशों के लिए अधिकरण को आवेदन करना, जो सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आवश्यक हों ;

(ञ) समापक द्वारा अपनी अभिरक्षा में ली गई सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्तियों और आस्तियों की संरक्षा करने के लिए प्रतिभूत लेनदारों के साथ परामर्श करने या उन्हें सूचना देने के पश्चात् समापक द्वारा रखे गए पेनल से सुरक्षा गार्डों या सुरक्षा अभिकरण की नियुक्ति करना ;

(ट) प्रतिभूत लेनदारों के साथ परामर्श करने या उन्हें सूचना देने के पश्चात्, समापक द्वारा स्वयं या समापक द्वारा रखे गए विशेषज्ञों के पेनल द्वारा आस्तियों, पुस्तकों और अभिलेखों की सूची तैयार करना ;

(ठ) संपत्ति, आस्तियों और चीजबस्त या अनुप्रयोज्य दावों को अभिरक्षा में लेने के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रतिभूत लेनदारों के साथ परामर्श करने या उन्हें सूचना देने के पश्चात्, समापक द्वारा रखे गए पेनल से चार्टर्ड सर्वेक्षकों या चार्टर्ड अकाउन्टेंटों सहित मूल्यांककों की नियुक्ति करना ;

(ड) मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के विक्रय के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन देना ;

(ढ) अधिकरण को किसी ऐसे व्यक्ति जो उसकी राय में नियम 28 के अधीन कार्य का विवरण तैयार करने में सक्षम है, निदेश के आदेश के लिए आवेदन करना और ऐसे व्यक्ति को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का विवरण देने और उसे सत्यापित करने के लिएसमापक द्वारा सूचना की तामील की जाएंगी ;

(ण) स्वयं या समापक द्वारा रखे गए पेनल से नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेंटों द्वारा कपटपूर्ण आचरण या कारबार, अपकरण, आदि से संबंधित सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का अन्वेषण करना और परिसमापन आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर

अधिकरण को उस अन्वेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो समापक द्वारा आवेदन पर अधिकरण द्वारा दिया जाए :

परंतु यदि समापक की राय में ऐसा अन्वेषण अपेक्षित नहीं है तो समापक परिसमापन आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसके कारण स्पष्ट करते हुए अधिकरण को रिपोर्ट देगा ;

(त) परिसमाप्त किए जा रहे सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी कथन को अभिलिखित करने हेतु किसी भी व्यक्ति को बुलाना और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समय और स्थान पर, जो समापक नियत करे, समापक के समक्ष उपस्थित हो और समापक को ऐसी सभी जानकारी दे, जिसकी वह अपेक्षा करे और सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन से संबंधित सभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे जो समापक द्वारा उससे पूछे जाएं ;

(थ) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के विक्रय आगमों को जमा करने और ऋणों की वसूली के लिए अपने भाराधीन प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी का पृथक् बैंक खाता रखना ;

(द) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत उसके द्वारा सभी प्राप्तियों और संदायों के संबंध में लेखा बहियों कोसमुचित रूप से रखना और अधिकरण की लेखा विवरण प्रस्तुत करना ;

(ध) लेनदारों के दावे आमंत्रित करना, सबूत की जांच करना और लेनदारों तथा भागीदारों की सूची तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना ; और

(न) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना, जो सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन और उसकी आस्तियों के वितरण के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपनियम (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट विज्ञापन के जवाब में प्रत्येक बोली लगाने वाला विज्ञापन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी प्रस्थापना जमा करेगा और समापक या अनंतिम समापक उस संपत्ति और आस्तियों के निरीक्षण की अनुमति देगा, जिसकी बाबत बोलियां आमंत्रित की गई थी :

परंतु ऐसी बोली के समाप्त होने के अंतिम दिन से पूर्व तीन दिन के भीतर ऐसी बोली वापस ली जा सकेगी :

परंतु यह और कि संपत्ति का निरीक्षण बोली के बंद होने से पूर्व पांच से अनधिक दिन के लिए खुला रहेगा ।

(3) बोलियां आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, उसके शाखा कार्यालयों, कारखानों और संयंत्रों तथा ऐसे स्थानों के नाम, पते, जहां सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां रखी गई और विक्रय के लिए उपलब्ध हो ;

(ख) बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो विज्ञापन की तारीख से नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी ;

(ग) वह समय, जिसके दौरान सीमित दायित्व भागीदारी का परिसर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ;

(घ) बोली वापस लेने के लिए अंतिम तारीख ;

(ङ) वित्तीय प्रत्याभूति, जो बोली के मूल्य के आधे से कम नहीं हो ;

(च) बोलियों की विधिमान्यता की अवधि ;

(छ) सार्वजनिक रूप से बोलियां खोले जाने का स्थान और तारीख ;

(ज) बोली के साथ जमा की जाने वाली आरक्षित कीमत और अग्रिम धन ;

(झ) विक्रय के कोई अन्य निबंधन और शर्तें, जो अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक, बोली के बंद होने की अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर बोली के परिणाम के संबंध में अधिकरण के समक्ष अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा ।

(5) इस नियम के अधीन समापक द्वारा कर्तव्यों का पालन अधिकरण के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए होगा और कोई लेनदार या भागीदार इस नियम द्वारा समापक पर प्रदत्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन या प्रस्तावित पालन के संबंध में अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(6) उपनियम (1) से उपनियम (5) के उपबंधों के होते हुए भी, समापक ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस संबंध में अधिकरण विनिर्दिष्ट करे ।

42. समापक की सहायता के लिए उपबंध--(1) समापक, अधिकरण की मंजूरी से, अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने के लिए हकदार एक या अधिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंटों या व्यवसायरत कंपनी सचिवों या व्यवसायरत

IndiaCode

लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों अथवा ऐसे अन्य वृत्तिकों या विशेषज्ञों या मूल्यांकक अथवा अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए वह आवश्यक समझे :

परंतु यदि ऐसी कोई नियुक्ति रखे गए पेनल से की जाती है तो समापक निबंधनों और शर्तों, संदेय फीसों, फीस के संदाय के लिए निधि के स्रोत, सीमित दायित्व भागीदारी के पास उपलब्ध निधि और वसूल न की गई आस्तियों की सीमा सहित ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट तुरंत अधिकरण को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि समापक द्वारा ऐसा पेनल अधिकरण के अनुमोदन से रखा जाएगा ।

(2) उस रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उसकी नियुक्ति के संबंध में हित के किसी विरोध या स्वतंत्रता की कमी के बारे में तुरंत **प्ररूप सं0 14** में अधिकरण को प्रकटन करेगा ।

(3) अधिकरण, उसे दर्शित किए गए कारण पर, किसी सदस्य को समापक द्वारा रखे गए पेनल से हटा सकेगा ।

43. समापक की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और नियंत्रण–(1) समापक, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के प्रशासन और लेनदारों के बीच उसके वितरण में ऐसे किन्हीं निदेशों को ध्यान में रखेगा, जो लेनदारों या भागीदारों के संकल्प या निरीक्षण समिति द्वारा दिए जाएं ।

(2) लेनदारों या भागीदारों द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों को, प्रतिरोध की दशा में, निरीक्षण समिति द्वारा दिए गए किंही निदेशों पर अध्यारोही समझा जाएगा ।

(3) समापक,–

(क) जब कभी वह आवश्यक समझे, लेनदारों या भागीदारों की इच्छाओं को जानने के प्रयोजन के लिए उनकी बैठकें बुला सकेगा ;

(ख) ऐसे समयों पर, जो, यथास्थिति, लेनदार या भागीदार संकल्प द्वारा निदेश दें या जब कभी, यथास्थिति, मूल्य में एक बटा दस से अन्यून लेनदारों या भागीदारों द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित में भागीदारों द्वारा अनुरोध किया गया हो, तब ऐसी बैठकें बुलाएगा ।

(4) अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए समापक, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के प्रशासन और लेनदारों के बीच उसके वितरण में अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा ।

(5) समापक के किसी कार्य या विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण शिकायत किए गए कार्य या विनिश्चय को पुष्ट, प्रत्यावर्तित या उपांतरित कर सकेगा या ऐसा और आदेश कर सकेगा, जो वह उन परिस्थितियों में न्यायोचित समझे ।

44. पुस्तकों का समापक द्वारा रखा जाना--(1) समापक, भाग 6 में विनिर्दिष्ट रीति में समुचित पुस्तकों को रखेगा, जिसमें वह बैठकों की कार्यवाहियों की प्रविष्टियां करवाएगा या उनके कार्यवृत्त तैयार करेगा ।

(2) कोई लेनदार या भागीदार, अधिकरण के नियंत्रणाधीन रहते हुए, व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिकर्ता द्वारा ऐसी किन्हीं पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा ।

45. समापक के लेखाओं की संपरीक्षा--(1) समापक, भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में उसके द्वारा की गई प्राप्तियों और संदायों के लेखाओं सहित उचित लेखा पुस्तकें रखेगा ।

(2) समापक के लेखाओं की नियम 56 और भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में संपरीक्षा की जाएगी ।

(3) समापक लेखाओं का, जब संपरीक्षित हो जाएं, विवरण या उसका सार मुद्रित कराएगा और लेखाओं के विवरण या उसके सार की मुद्रित प्रति डाक द्वारा प्रत्येक लेनदार और प्रत्येक भागीदार को भेजेगा :

परंतु अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, इस उपनियम के उपबंधों के अनुपालन से छूट दे सकेगा ।

46. भागीदार द्वारा शोध्य ऋणों का संदाय--अधिकरण, परिसमापन आदेश पारित करने के पश्चात् किसी भी समय भागीदारों की सूची पर तत्समय किसी भागीदार से आदेश द्वारा निदेशित रीति में सीमित दायित्व भागीदारी को शोध्य किसी धनराशि की, जिसके अंतर्गत बकाया या निर्मोचित न किया गया या वसूल न किया गया अभिदाय भी है, उससे या उस व्यक्ति की संपदा से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, अपेक्षा करने वाला आदेश पारित कर सकेगा ।

47. भागीदारों के अधिकारों का समायोजन--अधिकरण, भागीदारों के अधिकारों का उनके बीच समायोजन करेगा और किसी अधिशेष को उसके लिए हकदार व्यक्तियों को वितरित करेगा ।

48. समापक के रूप में केन्द्रीय सरकार का शासकीय समापक पर नियंत्रण--(1) केंद्रीय सरकार, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के समापकों के रूप में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, शासकीय समापक के आचरण का संज्ञान लेगी और यदि कोई समापक अपने कर्तव्यों का विश्वासपूर्वक पालन और अधिनियम तथा इन नियमों द्वारा या अन्यथा अपने कर्तव्यों के पालन करने के संबंध में उस पर अधिरोपित सभी अपेक्षाओं का सम्यक् अनुपालन नहीं

करता है या यदि उसके संबंध में किसी लेनदार या भागीदार द्वारा केंद्रीय सरकार को कोई शिकायत की जाती है तो केंद्रीय सरकार मामले की जांच करेगी और उसके संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगी जो वह समीचीन समझे ।

(2) केंद्रीय सरकार, जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी समय ऐसे समापक या किसी अन्य व्यक्ति की परिसमापन के संबंध में शपथ पर परीक्षा किए जाने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे समापकों की बहियों और वाउचरों का स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए भी निदेश कर सकेगी ।

49. समापक की लेखा पुस्तकों और अभिलेखों का निरीक्षण या अन्वेषण--केंद्रीय सरकार, समापनाधीन किसी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा रखे गए पैनल से नियुक्त किए गए समापक की लेखा पुस्तकों और अभिलेखों का निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी ।

भाग 5

परिसमापन के प्रत्येक ढंग को लागू होने वाले उपबंध

50. सभी प्रकार के ऋणों का सबूत में ग्रहण किया जाना--प्रत्येक परिसमापन में (दिवालिया सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में दिवाला विधि के इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार लागू होने के अधीन रहते हुए) किसी आकस्मिकता पर संदेय सभी ऋण और सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, नुकसानियों में भी अभिनिश्चित या प्रभावी, सभी दावे सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध सबूत में ग्रहण किए जाएंगे, जहां तक संभाव्य हो, ऐसे ऋण या दावेके मूल्य का जिनका ठीक प्राक्कलन किया जा रहा है, जो किसी आकस्मिकता के अधीन हो सकेंगे या जो केवल नुकसानी या किसी अन्य कारण के लिए प्रतीत होते हैं, कतिपय मूल्य वहन नहीं कर सक हों ।

51. सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक द्वारा मंजूरी के अधीन रहते हुए कतिपय शक्तियों का प्रयोग करना--(1) यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक,--

(क) जब सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो, तब अधिकरण की मंजूरी से ; और

(ख) किसी स्वैच्छिक परिसमापन की दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी के कुल भागीदारों के तीन-चौथाई द्वारा संकल्प की मंजूरी और अधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ; और

(i) लेनदारों के किसी भी वर्ग को पूर्ण संदाय कर सकेगा ;

(ii) लेनदारों के साथ और लेनदारों के रूप में दावा करने वाले व्यक्तियों से या सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, कोई दावा करने या होने का या ऐसा दावा होने का, जिससे सीमित दायित्व भागीदारी को दायी बनाया जा सकेगा, अभिकथन करने वाले व्यक्तियों से कोई समझौता या ठहराव कर सकेगा ; या

(iii) भागीदारों से शोध्य ऐसे ऋण का समझौता कर सकेगा, जिसके अंतर्गत बकाया, अनिर्मोचित या वसूल न किया गया अभिदाय, ऋण और ऋण के परिणाम वाले दायित्व भी हैं, या सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या अभिकथित भागीदार या अन्य ऋणदाता या दायी माने जाने वाले व्यक्ति के बीच वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, नुकसानियों में भी अभिनिश्चित या प्रभावी, दावे के होने का या होने के अभिकथन का और सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों या दायित्व या परिसमापन से संबंधित या उसको प्रभावित करने वाले सभी प्रश्नों का ऐसे निबंधनों पर, जो तय किए जाएं, समझौता कर सकेगा और किसी ऐसे ऋण, दायित्व या दावे के निर्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति ले सकेगा तथा उसके संबंध में पूर्ण निर्मुक्ति दे सकेगा ।

(2) कोई लेनदार या भागीदार इस नियम के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा शक्तियों के किसी प्रयोग या प्रस्तावित प्रयोग के संबंध में अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण ऐसे आवेदक तथा सीमित दायित्व भागीदारी समापक को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

52. यह कथन की सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापन में है--जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किया जा रहा है, चाहे अधिकरण द्वारा या स्वैच्छया, वहां माल के लिए, प्रत्येक बीजक, आदेश में या सीमित दायित्व भागीदारी के सीमित दायित्व भागीदारी समापक या सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति के किसी रिसीवर या अभिहित भागीदार द्वारा जारी किए गए कारबार पत्र में, जो ऐसा दस्तावेज है, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी का नाम आता है, यह कथन होगा कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किया जा रहा है ।

53. सीमित दायित्व भागीदारी की पुस्तकों और कागज-पत्रों का साक्ष्य होना--जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किया जा रहा है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी समापक और समापक की सभी पुस्तकें और कागज-पत्र सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के बीच उसमें अभिलिखित किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी विषयों की सत्यता का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होंगे ।

54. लेनदारों और भागीदारों द्वारा पुस्तकों और कागज-पत्रों का निरीक्षण--(1) अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश करने के पश्चात् किसी भी समय सीमित दायित्व भागीदारी का कोई लेनदार या भागीदार भाग 6 में विनिर्दिष्ट रीति और शर्तों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए सीमित दायित्व भागीदारी की पुस्तकों और कागज-पत्रों का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निम्नलिखित को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों को अपवर्जित या निर्बंधित करने वाली नहीं मानी जाएगी,--

(क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी अथवा उस सरकार के अधिकारी को ;

(ख) किसी ऐसी सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को ।

55. सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और कागज-पत्रों का व्ययन--(1) जब सीमित दायित्व भागीदारी कार्य पूर्ण रूप से परिसमापन हो जाता है और विघटित हो जाने वाला है, तब लेखाबहियों और कागजपत्र तथा सीमित दायित्व भागीदारी समापक की वस्तुओं का निम्नानुसार व्यय किया जाएगा :--

(क) यदि अधिकरण द्वारा परिसमापन ऐसी रीति में हो जैसा अधिकरण निदेश करे ;

(ख) स्वैच्छया परिसमापन के मामले में, ऐसी रीति में जो प्रतिभूति लेनदारों के पूर्व अनुमोदन से भागीदारों की कुल संख्या के तीन चौथाई द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी अनुमोदित करे ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक या ऐसे किसी व्यक्ति पर, जिसे पुस्तकों और कागज-पत्रों की अभिरक्षा सौंपी गई है, ऐसी पुस्तक या कागज-पत्र के उसमें हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के न होने के कारण, उत्तरदायित्व अंतरित नहीं होगा ।

IndiaCode

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस सीमित दायित्व भागीदारी की, जिसका परिसमापन किया गया है या उसके सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक की पुस्तकों और कागज-पत्रों के विनाश को ऐसी अवधि (सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन से पांच वर्ष से अनधिक) के लिए रोक सकेगी, जो केंद्रीय सरकार उचित समझे ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किन्हीं ऐसे नियमों या उसके अधीन केंद्रीय सरकार के किसी निदेश के उल्लंघन में कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

56. लंबित समापन के बारे में सूचना--(1)(i) स्वैच्छया परिसमापन की दशा में सीमित दायित्व भागीदारी समापक और अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में समापक, प्रत्येक वर्ष पदावधि के दौरान उसके दो मास के भीतर **प्ररूप सं0 15** में 31 मार्च को यथाविद्यमान लेखाओं का विवरण तैयार करेगा :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक ने लेखा अवधि के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के संबंध में कोई धनराशि प्राप्त या संदत्त नहीं की है, वहां वह उस तारीख को, जिसको उसने अवधि के लिए अपने लेखे फाइल करने थे, प्राप्तियां या संदाय न होने का शपथपत्र फाइल करेगा ।

(ii) लेखाओं की चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक लेखा परीक्षक को ऐसे वाऊचर और सूचना देंगे जो लेखा परीक्षक अपेक्षा करे :

परंतु जहां अवधि के दौरान कुल संव्यवहार का मूल्य पचास हजार रुपए या उससे कम का है, वहां लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा नहीं कराई जाएगी ;

परंतु यह और कि जहां इस धारा के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा अपेक्षित नहीं है, वहां लेखाओं के विवरण में यह घोषणा होगी कि सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक पुस्तकों और अभिलेखों को रखने के लिए और निधियों का उपयोग केवल सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के परिसमापन के प्रयोजन के लिए करने के अपने उत्तरदायित्व अभिस्वीकृति देता है ।

स्पष्टीकरण--विवरण के संबंध में, 'वर्ष' से वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है ।

(2)(i) अधिकरण द्वारा परिरामापन की दशा में, विवरण की एक प्रति संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ तुरंत अधिकरण में फाइल की जाएगी ।

(ii) विवरण की एक प्रति परिसमापन के प्रत्येक ढंग में संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ आगामी 30 सितंबर के अपश्चात् **प्ररूप सं0 10** में रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

(3) लिखित में स्वयं को सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार या भागीदार के रूप में बताने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर उपाबंध में विहित फीस के संदाय पर उप नियम (1) में निर्दिष्ट विवरण का निरीक्षण करने और उसकी एक प्रति या उससे उद्धरण लेने का हकदार होगा ।

(4) उप नियम (3) के अधीन लेनदार या भागीदार के रूप में कपटपूर्वक स्वयं को बताने वाला कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अधीन अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार सीमित दायित्व भागीदारी समापक के आवेदन पर दंडनीय होगा ।

57. समापक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अभिहित अनुसूचित बैंक में भारत के लोक खाते में संदाय करना--प्रत्येक समापक, भाग 6 में विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर किसी सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के रूप में उसके द्वारा प्राप्त धनराशियों को भारत के लोक खाते भारतीय रिजर्व बैंक में संदत्त करेगा ।

58. सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा अनुसूचित बैंक में संदाय करना--(1) सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी समापक भाग 6 में विनिर्दिष्ट रीति में और समयों पर उस रूप में अपनी हैसियत में उसके द्वारा प्राप्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में उसकी ओर से उसके द्वारा खोले गए विशेष बैंक खाते में जमा करेगा :

परंतु यदि अधिकरण यह समझता है कि लेनदारों या भागीदारों या सीमित दायित्व भागीदारी के लिए फायदाप्रद है तो वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य बैंक में खाता खोले जाने की अनुमति दे सकेगा ।

(2) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक किसी समय पचास हजार रुपए से अधिक राशि या ऐसी अन्य राशि को, जो अधिकरण सीमित दायित्व भागीदारी समापक के आवेदन पर प्रतिधारित करने के लिए उसे प्राधिकृत करे, दस दिन से अधिक के लिए प्रतिधारित करता है तो जब तक वह अधिकरण के समाधान में प्रतिधारण को स्पष्ट नहीं करता, वह,—

(क) आधिक्य में इस प्रकार प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज का संदाय करेगा और ऐसी शास्ति का भी संदाय करेगा, जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए ;

(ख) उसके व्यतिक्रम के कारण हुए किन्हीं व्ययों का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ग) अपने संपूर्ण पारिश्रमिक या उसके ऐसे भाग के लिए दायी होगा, जो अधिकरण न्यायसंगत समझे, अननुज्ञात करे या उसे उसके पद से हटाया भी जा सकेगा ।

59. समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा प्राइवेट बैंक खाते में धनराशियों का जमा न किया जाना--न तो सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, न ही सीमित दायित्व भागीदारी समापक उस रूप में अपनी हैसियत में उसके द्वारा प्राप्त किन्हीं धनराशियों को किसी प्राइवेट बैंक खाते में जमा नहीं करेगा ।

60. लाभांश और अवितरित आस्ति खाता--(1) यदि समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक के पास या उसके नियंत्रणाधीन ऐसी कोई धनराशि है, जो निम्नलिखित के लिए है,--

(क) किसी लेनदार या लेनदारों को संदेय लाभांश के लिए कोई धनराशि, तो वह ऐसी धनराशि के शोध्य होने के पांच दिन के भीतर उसे "मैसर्स सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन में) का लाभांश खाता" नामक पृथक विशेष बैंक खाते में अंतरित करेगा ।

(ख) किसी भागीदार या भागीदारों को प्रतिदेय आस्तियों के रूप में कोई धनराशि, तो वह ऐसी धनराशि के शोध्य होने के पांच दिन के भीतर उसे "मैसर्स सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन में) का वितरणयोग्य आस्ति खाता" नामक पृथक विशेष बैंक खाते में अंतरित करेगा ।

(2) यदि वह राशि, जो "मैसर्स सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन में) के लाभांश खाते" या "मैसर्स सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन में) के वितरणयोग्य आस्ति खाते" में अंतरित कर दी गई है किंतु ऐसी राशि के अंतरण की तारीख से छह मास के भीतर संदत्त या दावा नहीं की गई है तो समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त राशि को "सीमित दायित्व भागीदारी समापन खाता" नामक एक पृथक् खाते में भारत के लोक खाते में अंतरित करेगा ।

(3) यथास्थिति, समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन पर विघटन की तारीख को उसके पास असंदत्त लाभांशों या अवितरित आस्तियों को दर्शित करने वाली किसी धनराशि का "सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापन खाते" में संदाय करेगा ।

IndiaCode

(4) यथास्थिति, समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक, उप नियम (2) और उप नियम (3) में निर्दिष्ट कोई संदाय करते समय रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उस संदाय में सम्मिलित सभी राशियों के संबंध में, राशियों की प्रकृति, उसमें भाग लेने के लिए हकदार व्यक्तियों के नाम और अंतिम ज्ञात पते, उस रकम को, जिसके लिए प्रत्येक हकदार है और उसने उसके दावे की प्रकृति तथा भाग 6 में विनिर्दिष्ट कोई अन्य विशिष्टियां वर्णित करते हुए एक विवरण रजिस्ट्रार को देगा ।

(5) यथास्थिति, समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक, उप नियम (2) और उप नियम (3) के अधीन उसको संदत्त किसी धनराशि के लिए अनुसूचित बैंक की रसीद का हकदार होगा और ऐसी रसीद उसके संबंध में समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक का प्रभावी निर्मोचन होगी ।

(6) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन किया जा रहा है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक नियम 56 के उप नियम (1) के अनुसरण में कथन फाइल करते समय उस धनराशि को उपदर्शित करेगा जो इस नियम के उप नियम (2) और उप नियम (3) के अधीन संदेय है और उस राशि का इस नियम के, यथास्थिति, उप नियम (2) और उप नियम (3) में उल्लिखित खातों में संदाय करेगा ।

(7) इस नियम के अनुसरण में "सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापन खाते" में संदत्त किसी धनराशि के लिए हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसके संदाय के आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा करने वाला व्यक्ति हकदार है तो शोध्य राशि का उस व्यक्ति को संदाय करने के लिए आदेश कर सकेगा :

परंतु ऐसा आदेश करने से पूर्व अधिकरण, रजिस्ट्रार पर एक सूचना की तामील, सूचना की तामील की तारीख से एक मास के भीतर यह हेतुक दर्शित करने की उससे मांग करते हुए, कराएगा कि आदेश क्यों न किया जाना चाहिए ।

(8) इस नियम के अनुसरण में "सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापन खाता" में संदत्त कोई धनराशि, केंद्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अंतरित की जाएगी, किंतु इस प्रकार अंतरित किसी धनराशि का दावा उप नियम (7) के अधीन किया जा सकेगा और उस पर इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो ऐसा अंतरण नहीं किया गया हो और दावे के संबंध में संदाय के लिए आदेश को, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय का आदेश माना जाएगा ।

(9) किसी ऐसी धनराशि को प्रतिधारित करने वाला, यथास्थिति, कोई समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक, जो इस नियम के अधीन उसके द्वारा "सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापन खाता" में संदत्त की जानी चाहिए थी—

(क) इस प्रकार प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा और ऐसी शास्ति का भी संदाय करेगा जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए :

परंतु केंद्रीय सरकार किसी उचित मामले में ब्याज की संपूर्ण रकम या उसके भाग का, जिसका समापक इस खंड के अधीन संदाय करने के लिए अपेक्षित है, विप्रेषित करेगी ;

(ख) उसके व्यतिक्रम के कारण हुए किन्हीं व्ययों का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ग) जहां परिसमापन अधिकरण द्वारा किया गया है, वहां अपनी संपूर्ण पारिश्रमिक या उसके ऐसे किसी भाग को, जो अधिकरण न्यायसंगत समझे, अननुज्ञात किए जाने और अधिकरण द्वारा अपने पद से हटाए जाने के लिए भी दायी होगा ।

नदारों या भागीदारों की इच्छाएं जानने के लिए बैठकें--(1) सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन से सभी मामलों में अधिकरण,--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों या भागीदारों की उन इच्छाओं को ध्यान में रख सकेगा, जो किसी पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित की गई हो ;

(ख) यदि वह उन इच्छाओं को जानने के प्रयोजन के लिए ठीक समझे तो ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश दे, लेनदारों या भागीदारों की बैठक बुलाए जाने, आयोजित और संचालित किए जाने का निदेश दे सकेगा ; और

(ग) ऐसी बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने और अधिकरण को उसके परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा ।

नदारों की इच्छाओं को जानते समय प्रत्येक लेनदार के ऋण के मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा ।

गीदारों की इच्छाओं को जानते समय प्रत्येक भागीदार के अभिदाय के मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा ।

सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक द्वारा विवरणियां आदि देना--(1) प्रत्येक सीमित दायित्व री समापक या समापक ऐसी कोई रिपोर्ट, लेखाओं का विवरण या अन्य दस्तावेज फाइल करेगा, परिदत्त या तैयार करेगा अथवा ऐसी कोई सूचना देगा, जो किसी नियम के अनुसरण में, ऐस नियम में विनिर्दिष्ट के भीतर फाइल, परिदत्त या तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

IndiaCode

(2) ऊपर उप नियम (1) में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी कोई अन्य रिपोर्ट, लेखाओं का विवरण, कोई अन्य दस्तावेज या सूचना विहित कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यथास्थिति सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक द्वारा फाइल, परिदत्त या तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

(3) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक, जिसने कोई रिपोर्ट, लेखाओं का विवरण या कोई अन्य दस्तावेज फाइल, परिदत्त या तैयार करने में अथवा ऐसी कोई सूचना देने में कोई व्यतिक्रम किया है, जिसे फाइल, परिदत्त, तैयार या देने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है, उससे व्यतिक्रम को ठीक करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील के पश्चात् चौदह दिन के भीतर उसे ठीक करने में असफल रहता है तो अधिकरण सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या लेनदार द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक को ऐसे समय के भीतर व्यतिक्रम को ठीक करने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) उपनियम (3) के अधीन किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि आवेदन के सभी और आनुषंगी खर्चे सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(5) इस नियम की कोई बात सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक पर यथापूर्वोक्त किसी ऐसे व्यतिक्रम के संबंध में शास्तियां अधिरोपित करने वाले किसी अधिनियमन के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

63. वह न्यायालय, अधिकरण या व्यक्ति आदि, जिसके समक्ष शपथपत्र पर प्रतिज्ञान किया जा सकेगा--(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन या उनके प्रयोजनों के लिए प्रतिज्ञान किए जाने हेतु अपेक्षित कोई शपथपत्र,--

(क) भारत में शपथपत्र लेने और प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत किसी न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधीश या व्यक्ति के समक्ष किया जा सकेगा ; और

(ख) किसी अन्य देश में उस देश में शपथपत्र लेने और प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत किसी न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधीश या व्यक्ति के समक्ष या भारतीय राजनियक या काउंसलीय आफिसर के समक्ष किया जा सकेगा ।

(2) भारत में न्यायिक रूप से कार्य कर रहे सभी न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, आयुक्त और व्यक्ति किसी ऐसे शपथपत्र या इन नियमों के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज पर संलग्न,

उपाबद्ध या लगाए गए किसी ऐसे न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधीश, व्यक्ति, राजनियक या काउंसलीय आफिसर की, यथास्थिति, मुद्रा, स्टांप या हस्ताक्षर की न्यायिक अवेक्षा करेंगे ।

64. अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का शून्य घोषित किया जाना-- (1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी का चाहे इन नियमों के अनुसरण में या अन्यथा विघटन कर दिया गया है, वहां अधिकरण किसी भी समय विघटन की तारीख से दो मास के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी समापक या सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो अधिकरण को हितबद्ध प्रतीत होता है, ऐसे निबंधनों पर जो अधिकरण ठीक समझे विघटन को शून्य घोषित करने वाला आदेश कर सकेगा और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियां इस प्रकार की जा सकेंगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन नहीं हुआ हो ।

(2) उस व्यक्ति को, जिसके आवेदन पर आदेश किया गया था, यह कर्तव्य होगा कि वह आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर आदेश की एक प्रमाणित प्रति **प्ररूप सं. 11** में रजिस्ट्रार के पास फाइल करे, जो उसे रजिस्टर करेगा ।

स्पष्टीकरण--आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि की संगणना करने में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

65. अधिकरण द्वारा परिसमापन का प्रारंभ--(1) जहां अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन के लिए कोई संकल्प पारित किया जाता है वहां सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन संकल्प के पारित किए जाने के समय पर आरंभ हुआ समझा जाएगा और जब तक अधिकरण कपट या त्रुटि के सबूत पर अन्यथा निदेश देना अन्यथा ठीक न समझे, स्वैच्छया परिसमापन में की गई सभी कार्यवाहियां विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

(2) किसी अन्य मामले में अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन को परिसमापन के लिए याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय प्रारंभ हुआ समझा जाएगा ।

66. परिसीमा की अवधि की संगणना करने में कतिपय समय का अपवर्जन--(1) परिसीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसका अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा रहा है, नाम में और उसकी ओर से किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की संगणना करने में सीमित दायित्व भागीदारी के परिसीमन के प्रारंभ की तारीख से परिसीमन आदेश की तारीख के ठीक पश्चातवर्ती एक वर्ष की अवधि तक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

67. रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाना और फाइल करने की फीस--(1) अधिनियम की धारा 67 के अधीन जारी इन नियमों या अधिसूचना के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज, प्ररूप, संकल्प, आदेश आदि उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाएगा :

परंतु अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे तो फीस से छूट दे सकेगी :

परंतु यह और कि यदि अधिकरण के आदेश द्वारा परिसमापन के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी के पास निधियां नहीं हैं और समापक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के पास कोई निधि नहीं है तो कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

भाग 6

कार्यवाहियां और प्रक्रियाएं

साधारण

68. अधिकरण की अधिकारिता--सभी कार्यवाहियां अधिकरण की उस न्यायपीठ के समक्ष संस्थित की जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

69. कार्यवाहियों का स्वरूप--(1) अधिकरण को प्रस्तुत की गई सभी याचिकाएं, आवेदन, शपथपत्र और अन्य कार्यवाहियां पूर्ण आकार के कागज पर स्वच्छ और पठनीय रूप से दो प्रतियों में लिखित और टंकित होंगी और पृथक पृष्ठों को एक साथ सिला जाएगा । संख्या और तारीखें अंकों में अभिव्यक्त की जाएंगी और दी गई तारीखें अंग्रेजी कलेन्डर के अनुसार नहीं हों वहां तत्स्थानी अंग्रेजी तारीखें भी दी जाएंगी ।

(2) प्रत्येक कार्यवाही पर क्रमवार संख्या और तारीख होगी और वह उस सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों के विषय में संस्थित की जाएगी जिससे वह संबंधित है । अंतर्वस्तुओं को पृथक पैराओं में विभाजित किया जाएगा जिनको क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा । अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों में और सभी विज्ञापनों तथा सूचनाओं में सामान्य शीर्ष प्ररूप संख्या 16 में होंगे ।

(3) अधिकरण के अधिविष्ट होने का समय सामान्यतया प्रधान व्यक्ति या अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सभी कार्यदिवसों पर 10.30 पूर्वाह्न से 1.30 अपराह्न और 2.30 अपराह्न से 4.30 अपराह्न तक होगा ।

(4) आवेदनों और याचिकाओं के संबंध में फीस उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

70. कार्यवाहियों की भाषा--प्रत्येक याचिका, आवेदन, शपथपत्र या अन्य कार्यवाहियां अंग्रेजी या हिन्दी में होगी और जब तक अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेश न किया गया हो उसके सिवाय अन्य भाषा में कोई दस्तावेज किन्हीं कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद न हो ।

71. समय को बढ़ाने या कम करने की अधिकरण की शक्ति--अधिकरण किसी वास्तविक कारण और आपवादिक परिस्थितियों के बिना, समय का विस्तारण नहीं करेगा और आदेश विस्तारण की मंजूरी के लिए कारण देते हुए विस्तृत रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए ।

72. संहिता के उपबंधों का लागू होना--अधिनियम द्वारा या इन नियमों द्वारा यथाउपबंधित के सिवाय, संहिता के उपबंध जहां तक लागू हों, अधिनियम और इन नियमों के अधीन सभी कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

73. अधिकरण की अंतर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति--इन नियमों की कोई बात ऐसे आदेश करने की अधिकरण की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो न्याय की तुष्टि के लिए या अधिकरण की प्रक्रिया के दुर्व्यपदेशन को रोकने के लिए आवश्यक हो ।

74. नियमों की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने की शक्ति--अधिकरण को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इन नियमों की किन्हीं अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने की शक्ति होगी ।

75. समय की संगणना--जहां दिनों की कोई विशिष्ट संख्या विहित की गई है वहां वह अनन्य रूप से प्रथम दिन से और सम्मिलित रूप से अंतिम दिन से गिनी जाएगी, जब तक कि अंतिम दिन किसी ऐसे दिवस को नहीं पड़ता हो जिसको अधिकरण के कार्यालय बंद होते हैं, उस दशा में समय की गणना अनन्य रूप से उस दिन से और किसी पश्चातवर्ती दिन या दिनों से की जाएगी जिनको अधिकरण के कार्यालय लगातार बंद रहते हों ।

76. रजिस्टरों का रखा जाना--अधिकरण में अधिनियम और इन नियमों के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित निम्नलिखित रजिस्टर भौतिक रूप में या अंकीय रूप में या भौतिक और अंकीय दोनों रूपों में रखे जाएंगे :--

(1) सीमित दायित्व भागीदारी याचिका रजिस्टर, जिसमें इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन फाइल की गई याचिकाओं को निम्नलिखित के बारे में विशिष्टियों सहित प्रविष्ट और क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा :--

(i) प्रस्तुत करने की तारीख,

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम,

(iii) पक्षकारों, उनके अधिवक्ताओं आदि के नाम,

(iv) उस विधि के उपबंध, जिसके अधीन याचिका दी गई है,

(v) मांगे गए अनुतोष का स्वरूप,

(vi) किए गए आदेश की तारीख और प्रकृति,

(vii) अपील, यदि कोई हो, फाइल करने की तारीख,

(viii) अपील के निपटारे की तारीख, और

(ix) अपील में निर्णय का परिणाम ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन का रजिस्टर, जिसमें याचिकाओं से भिन्न आवेदनों को निम्नलिखित के बारे में विशिष्टियों सहित प्रविष्ट और क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा :--

(i) प्रस्तुत करने की तारीख,

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम,

(iii) उसमें मुख्य कार्यवाही का संख्यांक, यदि कोई हो, जिससे आवेदन संबंधित है,

(iv) पक्षकारों, उनके अधिवक्ताओं आदि के नाम,

(v) उस विधि के उपबंध, यदि कोई हो, जिसके अधीन आवेदन किया गया है,

(vi) मांगे गए अनुतोष का स्वरूप,

IndiaCode

(vii) किए गए आदेश की तारीख और प्रकृति,

(viii) अपील, यदि कोई हो, फाइल करने की तारीख,

(ix) अपील के निपटारे की तारीख, और

(x) अपील में निर्णय का परिणाम ।

(3) समापन रजिस्टर, जिसमें इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप में संक्षिप्त और चक्रानुक्रम में प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के लिए, जिसके परिसमापन का आदेश किया गया है, पृथक शीर्ष के अधीन परिसमापन के पूरा होने तक परिसमापन की सभी कार्यवाहियों की प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी दस्तावेज रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के लिए पृथक शीर्ष के अधीन परक्राम्य लिखत, हक के दस्तावेजों और उसी प्रकार के किन्हीं मूल्यवान प्रतिभूतियों की प्रविष्टि की जाएगी, जिन्हें विहित किए गए प्ररूप में अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में फाइल किया जा सकेगा ।

(5) अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने वाले व्यक्ति की उपसंजाति को आदेश पत्र में उपदर्शित किया जाएगा ।

77. कार्यवाहियों की क्रम संख्या--(1) प्रत्येक याचिका या आवेदन पर उसकी सुभिन्न क्रम संख्या होगी और किसी अंतरवर्ती आवेदन पर, उसके अपने क्रम संख्यांक के साथ ही उस मुख्य कार्यवाही का क्रम संख्यांक भी होगा, जिससे वह संबद्ध है । प्रत्येक किए गए आदेश, जारी की गई आदेशिका या फाइल किए गए दस्तावेज पर उन कार्यवाहियों का क्रम संख्यांक होगा जिससे वे संबद्ध हैं ।

(2) सभी याचिकाएं, आवेदन और शपथपत्र, फाइल किए जाने पर और किसी भी प्रकार के सभी आदेश, समन, वारंट या आदेशिकाएं (जिसके अंतर्गत अधिकरण द्वारा जारी की गई सूचनाएं भी हैं) तथा किन्हीं कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतियां अधिकरण के प्राधिकार और उसकी मुद्रा के अधीन जारी की जाएंगी ।

78. अधिकरण के रजिस्ट्रार की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य--(1) अधिकरण का रजिस्ट्रार, अधिकरण का प्रधान अधिकारी होगा और सभापति या अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) अधिकरण, अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकरण के रजिस्ट्रार से सभी सहायता ले सकेगा, जो वह ठीक समझे और अधिकरण का रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी अधिकरण की सहायता करने के लिए बाध्य होगा ।

(3) विशिष्टतया और इस नियम के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकरण के रजिस्ट्रार की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(क) की अभिरक्षा में अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ और अन्य न्यायपीठों के अभिलेख की अभिरक्षा करना ;

(ख) अधिकरण का रजिस्ट्रार अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ और अन्य न्यायपीठों से संबंधित सभी याचिकाएं, आवेदन या निर्देश प्राप्त करना ;

(ग) अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ और अन्य न्यायपीठों की उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों से संबंधित कार्यवाहियों में सहायता करना ;

(घ) अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ और अन्य न्यायपीठों द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करना ;

(ङ) अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ और अन्य न्यायपीठों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(च) अधिकरण की शासकीय मुद्रा की अभिरक्षा और उसके नियंत्रणाधीन होना ;

(छ) केन्द्रीय सरकार या अन्य अधिकारियों, कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारियों, फर्मों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी सूचना एकत्रित करने और उक्त सूचना को अधिकरण के समक्ष रखने का अधिकार होना जो वह अधिनियम के अधीन अधिकरण के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए उपयुक्त समझे । ये नियम संपूर्ण भारत में स्थित अधिकरण की सभी न्यायपीठों को लागू होंगे ।

(4) अधिकरण के रजिस्ट्रार की संबंधित अधिकरण के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(i) सभी याचिकाएं या आवेदन और अन्य दस्तावेज, जिसके अंतर्गत अंतरित किए गए आवेदन भी हैं, प्राप्त करना ;

(ii) याचिकाओं और आवेदनों को रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व उनकी संवीक्षा से उद्भूत सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना ;

(iii) ऐसे किसी दस्तावेज को स्वीकार करने से इंकार करना, जो इन नियमों के अनुसार से अन्यथा प्रस्तुत किए जाते हैं ;

(iv) अधिकरण में प्रस्तुत की गई किसी याचिका या आवेदन को अधिनियम के अनुसार संशोधित करने की अपेक्षा करना ;

(v) अधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए याचिका या आवेदन या अन्य कार्यवाहियों की प्रथम सुनवाई की तारीख नियत करना और उसकी सूचना जारी करना ;

(vi) अभिलेखों के किसी औपचारिक संशोधन का निदेश देना ;

(vii) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां दिए जाने का आदेश करना ;

(viii) अधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने की इजाजत देना ;

(ix) सूचना की तामील से संबंधित मामलों को निपटाना ;

(x) याचिका या आवेदन के लंबित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए मृत्यु की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन प्राप्त करना ;

(xi) सिवाय वहां के, जहां प्रतिस्थापन में उपशमन के किसी आदेश का अपास्त किया जाना अंतर्वलित हो, प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना और उसे निपटाना ;

(xii) दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों द्वारा आवेदन प्राप्त करना और उन्हें निपटाना ।

(5) अधिकरण के रजिस्ट्रार द्वारा किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील व्यथित पक्षकार द्वारा उस विनिश्चय की उसे संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अधिकरण को की जाएगी ।

79. कार्यवाहियों का निरीक्षण और उसकी प्रतियां--(1) अधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख लिखित में आवेदन करने पर और उपबंध में यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर अधिकार के रूप में पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं है, उन पक्षकारों की सहमति के बिना, जिनके द्वारा वे प्रस्तुत या पेश की गई थी या फीस के संदाय पर अधिकरण के आदेश के अधीन अभिलेखों या कार्यवाहियों के निरीक्षण के लिए हकदार नहीं होगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उन कार्यवाहियों या याचिकाओं का पक्षकार नहीं है, जिन पर अंतिम आदेश फाइल किए गए हैं, ऐसी फीस के संदाय पर, जो उपाबंध में दी गई है, आदेशों की प्रतियां प्राप्त कर सकता है ।

80. प्ररूप--इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों का ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों, उपयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज फाइल करने या प्रस्तुत करने या रखे जाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित परिवर्तन भी हैं ।

81. शपथपत्र--(क) प्रत्येक शपथपत्र एकवचन में तैयार किया जाएगा और उसमें अभिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय और ठहरने का स्थान वर्णित होगा । उसे अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और संहिता द्वारा या नियमों द्वारा और उस राज्य के न्यायालय की पद्धति द्वारा, जहां प्रतिज्ञान किया जाता है, विहित रीति में शपथ ली जाएगी ।

(ख) किसी शपथपत्र के साथ उपाबद्ध संदर्श पर उन कार्यवाहियों की संख्या अंकित की जाएगी जिससे वह संबद्ध है और उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके समक्ष उसका प्रतिज्ञान किया जाता है, आद्याक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी ।

(ग) अंतरलेखन, परिवर्तन या अपमार्जन किया गया कोई शपथपत्र अधिकरण के समक्ष तभी फाइल किया जाएगा जब ऐसे अंतरालेखन या परिवर्तन पर उस प्राधिकारी द्वारा आद्याक्षर किए गए हैं, जिसके समक्ष प्रतिज्ञान किया गया है या अपमार्जन की दशा में, अपमार्जन पर लिखे गए शब्द और अंक पार्श्व में पुनः लिखे गए हों और उस प्राधिकारी द्वारा आद्याक्षरित किए गए हों ।

82. समनों का प्ररूप और उसकी तामील--(1) समन प्ररूप सं0 17 में होगा और जब तक इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित या सदस्य द्वारा अनुज्ञात न किया गया हो, उसके साथ शपथपत्र होगा ।

IndiaCode

(2) शपथपत्र की एक प्रति के साथ समनों की तामील प्रत्येक व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसे सदस्य निदेश करे, व्यक्तिगत रूप से या पूर्वसंदत्त रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा या पेनल में कुरियर अभिकरण के माध्यम से या जहां वह अधिवक्ता या अपने प्रतिनिधि या प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होता है वहां उसके अधिवक्ता या प्रतिनिधि या प्लीडर के माध्यम से या ऐसी रीति में, जो सदस्य निदेश करे, की जाएगी ।

(3) जब तक इन नियमों द्वारा या अधिकरण के किसी आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, ऐसा समन, जो किसी कार्यवाही में अंतरवर्ती आवेदन है, समन में उसकी सुनवाई के लिए दी गई तारीख से पूर्व तीन से अनधिक स्पष्ट दिनों के बीच तामील किया जाएगा और जहां समन अंतरवर्ती से भिन्न है वहां उसकी तामील उसकी सुनवाई की नियत तारीख से पूर्व दस से अन्यून दिन के भीतर की जाएगी ।

83. समन जारी किया जाना--प्रत्येक समन, उसकी तामील के लिए दूसरी प्रतियों सहित आवेदक या उसके अधिवक्ता या प्रतिनिधि या प्लीडर द्वारा तैयार किया जाएगा और अधिकरण के रजिस्ट्रार के कार्यालय से जारी किया जाएगा ।

84. याचिका को सत्यापित करने वाला शपथपत्र--प्रत्येक याचिका को याची द्वारा या जहां एक से अधिक याची हैं, वहां एक याची द्वारा और यदि याचिका किसी निगमित निकाय द्वारा प्रस्तुत की गई है तो निदेशक, सचिव या प्रबंधक या भागीदार या अभिहित भागीदार या उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शपथपत्र पर सत्यापित किया जाएगा ; ऐसा शपथपत्र याचिका के साथ फाइल किया जाएगा और **प्ररूप सं0 18** में होगा ।

85. याचिका के संलग्नक--जब तक अधिकरण के सदस्य या रजिस्ट्रार द्वारा छूट न दी गई हो, प्रत्येक याचिका और आवेदन के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज होंगे ।

86. निदेश के लिए समन--(क) जहां याचिका प्रस्तुत की गई है वहां प्रत्येक मामले में याचिका के विज्ञापन, तामील की जाने वाली सूचनाओं और की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में सदस्य के निदेश के लिए **प्ररूप सं0 19** में समन के साथ आवेदन किया जाएगा ।

(ख) याचिका को आगामी बैठक में सदस्य के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा और सदस्य उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा तथा ऐसे निदेश दे सकेगा जो उसे समुचित प्रतीत हों ।

87. याचिका का विज्ञापन--(1) जहां कोई याचिका विज्ञापित किए जाने के लिए अपेक्षित है, वहां उसे जब तक सदस्य अन्यथा आदेश न करे अथवा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, सुनवाई के लिए नियत तारीख से पूर्व

सात से अन्यून दिन के भीतर अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र और संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिचालित किए जाने वाले क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में, जो सदस्य द्वारा नियत किया जाए, विज्ञापित किया जाएगा ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन करने की याचिका की दशा में के सिवाय, सदस्य यदि वह ठीक समझे, तो इन नियमों द्वारा अपेक्षित किसी विज्ञापन से छूट दे सकेगा ।

88. विज्ञापन की विषयवस्तु--इन नियमों में यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसा विज्ञापन **प्ररूप सं0 20** में होगा और उसमें वह तारीख, जिसको याचिका प्रस्तुत की गई थी, याची और उसके अधिवक्ता या प्लीडर के नाम और पते, याचिका की प्रकृति और सुनवाई के लिए नियत तारीख, विनिर्दिष्ट होंगे । इसमें जब तक अन्यथा आदेश न किया गया हो, यह और वर्णित होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो सुनवाई में याचिका का विरोध या समर्थन करने का आशय रखता है, अपने आशय की सूचना याची या उसके अधिवक्ता या प्लीडर को भेज दे जिससे कि वह सुनवाई के लिए नियत तारीख के दो दिन के अपश्चात् और परिसमापन के लिए याचिका की दशा में याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख के पूर्व चार दिन के अपश्चात् उसके पास पहुंच सके ।

89. याचिका की तामील--प्रत्येक याचिका की तामील याचिका में नामित प्रत्यर्थी या ऐसे अन्य व्यक्तियों पर की जाएगी जो इस अधिनियम या इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो या जैसा अधिकरण का सदस्य या रजिस्ट्रार निदेश दे । जब तक अन्यथा आदेश न किया गया हो, याचिका की एक प्रति की याचिका के नोटिस के साथ तामील की जाएगी ।

90. याचिका की सूचना और तामील का समय--किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक याचिका की सूचना **प्ररूप सं0 21** में होगी और जब तक अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेश या अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, उसकी तामील सुनवाई की तारीख से पूर्व सात से अन्यून दिन के भीतर की जाएगी ।

91. सीमित दायित्व भागीदारी को तामील--(1) जहां याचिका सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, वहां उसके साथ सीमित दायित्व भागीदारी को तामील के लिए याचिका की प्रति सहित विहित प्ररूप में याचिका की सूचना और सीमित दायित्व भागीदारी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या उसके कारबार के प्रधान स्थान पर संबोधित और अभिस्वीकृति के लिए रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या पैनल में कुरियर अभिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से स्टांपित किया हुआ एक लिफाफा होगा ।

(2) अधिकरण का रजिस्ट्रार याचिका ग्रहण करने पर तुरंत रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या कुरियर के माध्यम से सीमित दायित्व भागीदारी को याचिका की प्रति के साथ सूचना भेजेगा ।

(3) प्रत्येक याचिका और इसमें यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाय या अधिकरण के आदेश द्वारा, प्रत्येक आवेदन जब तक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा प्रस्तुत न किया गया हो, सीमित दायित्व भागीदारी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या उसके प्रधान या अंतिम ज्ञात कारबार के प्रधान स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास उसकी प्रति छोड़कर और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसी रीति में, जो अधिकरण का सदस्य या रजिस्ट्रार निदेश दे या सीमित दायित्व भागीदारी को संबोधित पूर्वसंदत्त डाक द्वारा या पैनल में कुरियर अभिकरण के माध्यम से या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पते पर जो, अधिकरण का सदस्य या रजिस्ट्रार निदेश दे, उसकी प्रति भेज कर उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है तो उसके प्रधान या कारबार के अंतिम ज्ञात प्रधान स्थान पर तामील की जाएगी ।

92. याची द्वारा तामील कराना--यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाय और अधिकरण के सदस्य या रजिस्ट्रार के किसी निदेश के अधीन रहते हुए, याची, आवेदक या अधिकरण में कार्यवाहियों का संचालन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति इन नियमों द्वारा या अधिकरण के आदेश द्वारा प्रभावी किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाओं, समनों और अन्य आदेशिकाओं तथा सूचनाओं के विज्ञापन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होगा ।

93. तामील का शपथपत्र--(1) यह कथन करने वाला/वाले शपथपत्र की कि याचिका को विज्ञापित कर दिया गया है और क्या सूचनाएं, यदि कोई हो, उसकी तामील किए जाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को सम्यक् रूप से तामील कर दी गई हैं, सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन से अन्यून दिन पूर्व फाइल की जाएंगी । विज्ञापन या तामील का ऐसा सबूत, जो उपलब्ध हो, शपथपत्र के साथ फाइल किया जाएगा ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी और उसके समापक को तामील का शपथपत्र, यथास्थिति, **प्ररूप सं0 22** या **प्ररूप सं0 23** में होगा ।

94. विज्ञापन और सूचना की तामील के संबंध में अनुपालन के व्यतिक्रम के संबंध में प्रक्रिया--याचिका के विज्ञापन और तामील के संबंध में नियमों की अपेक्षाओं या अधिकरण के सदस्य या रजिस्ट्रार के निदेशों के अनुपालन में व्यतिक्रम पर, याचिका सुनवाई के लिए नियत तारीख को सदस्य के आदेश के लिए भेजी जाएगी और सदस्य या तो याचिका को खारिज कर सकेगा या ऐसे और निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

95. तामील का ढंग और तामील कब हुई समझी गई--यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाय या अधिकरण के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील की जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं, समन और अन्य दस्तावेज उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या जहां वह अधिवक्ता या प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होता है, वहां उसके अधिवक्ता या प्लीडर को उसकी प्रति परिदत्त करके तामील किए जाएंगे, सिवाय जहां व्यक्तिगत तामील अभिस्वीकृति के लिए देय पूर्वसंदत्त रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर या आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा उसके अंतिम ज्ञात पते पर चिपकाकर की जानी अपेक्षित है । रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील की दशा में, जहां संबोधिती या उसके सम्यक् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति नहीं पाई जाती है, वहां तामील की पर्याप्तता के बारे में या तामील के लिए या ऐसे और उपाय किए जाने के लिए, जो अधिकरण निदेश करे, अधिकरण के आदेश प्राप्त किए जाएंगे :

परंतु जहां किसी सूचना, समन या अन्य दस्तावेज की भागीदारों, लेनदारों या किसी प्रकार के व्यक्तियों के वर्ग को तामील की जानी है, वहां उसे पूर्व संदत्त रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या डाक प्रमाणपत्र के अधीन पूर्व संदत्त पत्र डाक द्वारा साधारण डाक से या रजिस्ट्रीकृत डाक से, जो इन नियमों द्वारा या अधिकरण के आदेश द्वारा उपबंधित किया जाए, भेजा जा सकेगा और जब तक अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेश न किया गया हो, और तामील उस समय प्रभावी की गई समझी जाएगी जब उक्त सूचना, समन या अन्य दस्तावेज को डाकखाने द्वारा डाक के सामान्य प्रक्रम में परिदत्त किया जाना चाहिए था और उसके होते हुए भी वह डाक द्वारा परिदत्त हुए बिना वापस हो जाती ।

(2) जहां कोई याचिका, आवेदन, समन या अन्य कार्यवाहियां इन नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार को दी जानी है तो उसे सचिव, भारत सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली या केंद्रीय सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी या कार्यालय को संबोधित या तामील किया जाएगा जिसे इस निमित्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

(3) जहां किसी व्यक्ति को भारत के बाहर, पते पर तामील की जानी है वहां उसको तामील की जाने वाली सूचना या अन्य आदेशिका को, अधिकरण के आदेशों के अधीन रहते हुए, पेनलबद्ध कुरियर अभिकरण या अभिस्वीकृति के लिए देय पूर्व संदत्त वायुमेल रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(4) तामील, सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में यथाउपबंधित रीति सहित ऐसी अन्य रीति में भी की जा सकेगी, जो अधिकरण द्वारा आदेश की जाए ।

96. तामील और कार्यवाहियों की विधिमान्यता--कोई तामील भागीदारों की सूची में या याचिका समन सूचना या अन्य कार्यवाही में किसी व्यक्ति के नाम या वर्णन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, परंतु अधिकरण का यह समाधान हो गया हो कि ऐसी तामील अन्य बातों के संबंध में पर्याप्त है और किसी प्रायिक त्रुटि या अनियमितता के कारण कोई कार्यवाहियां तब तक अविधिमान्य नहीं होंगी, जब तक उस सदस्य की, जिसके समक्ष आक्षेप किया गया है, यह राय न हो कि ऐसी त्रुटि या अनियमितता के कारण सारवान अन्याय हुआ है और उस अन्याय का उपचार अधिकरण के आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता ।

97. याचिका की सुनवाई पर उपस्थित होने के लिए आशयित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना-- (1)ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो याचिका की सुनवाई पर, चाहे याचिका के समर्थन में या उसके विरोध में उपस्थित होने का आशय रखता है, याची या उसके अधिवक्ता या प्लीडर पर विज्ञापन में दिए गए पते पर अपने आशय की सूचना की तामील करेगा ।

(2) सूचना पर उस व्यक्ति का पता होगा और उसे उसके द्वारा या उसके अधिवक्ता या प्लीडर या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाए सुनवाई के दिन से चार पूर्व दो दिन अपश्चात् और परिसमापन के लिए याचिका की दशा में सुनवाई के दिन से पूर्व दिन के अपश्चात् तामील की जाएगी (या यदि डाक द्वारा या कुरियर के माध्यम से भेजा जाता है तो ऐसे समय के भीतर डाक में डाला जाएगा जिससे वह संबोधिती के पास पहुंच सके) । ऐसी सूचना, उन परिवर्तनों सहित, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो, **प्ररूप सं0 24** में होगी और जहां ऐसा व्यक्ति याचिका का विरोध करने का आशय रखता है वहां उसके विरोध के आधार या उसके शपथपत्र की एक प्रति, यदि कोई हो, सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस नियम का पालन करने में असफल रहा है, सदस्य की इजाजत के सिवाए याचिका की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

98. उपस्थित होने का आशय करने वाले व्यक्तियों की सूची का फाइल किया जाना--याची या उसका अधिवक्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्लीडर उन व्यक्तियों के नामों और पते की एक सूची तैयार करेगा, जिन्होंने याचिका की सुनवाई पर उपस्थित होने के अपने आशय की सूचना दी है । ऐसी सूची **प्ररूप सं0 25** में होगी और याचिका की सुनवाई से पूर्व अधिकरण में फाइल की जाएगी ।

99. याचिका की सुनवाई पर प्रक्रिया--(1) याचिका की सुनवाई पर, सदस्य या तो याचिका का अंतिम रूप से निपटारा कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा, जो प्रति शपथपत्र या प्रत्युत्तर शपथपत्र, यदि कोई हो, फाइल करने

और ऐसे व्यक्ति पर, जो उसकी राय में तामील किए जाने से रह गया है या जिस पर याचिका की सूचना की तामील उचित रूप से नहीं की गई है, सूचना की तामील के लिए आवश्यक समझे जाएं और पक्षकारों को अपने निदेशों का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए याचिका को स्थगित कर सकेगा ।

(2) सभी स्थगन और प्रविष्ट किया जाना अधिनियम या नियमों के अधीन विहित समय-अनुसूची के अधीन किए जाएंगे । सदस्य द्वारा यथाअन्यथा आदेश किए जाने के सिवाय, किसी व्यक्ति को स्थगित सुनवाई की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

100. आदेश तैयार करना--(1) प्रत्येक आदेश, जब तक किसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग में अधिकरण का सदस्य या रजिस्ट्रार यह निदेश न दे कि आदेश नहीं किया जाना चाहिए, अधिकरण के रजिस्ट्रार द्वारा निकाला जाएगा ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन यह निदेश दिया गया है कि कोई आदेश निकाले जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां आदेश करने वाले अधिकरण के सदस्य या रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित या आद्याक्षरित आदेश का टिप्पण या ज्ञापन आदेश किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य होगा ।

(3) प्रत्येक आदेश की तारीख, इस बात के होते हुए भी कि वह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को किया और जारी किया गया है, वह तारीख होगी जिसको वह वास्तव में दिया गया था ।

(4) प्रत्येक स्थगन के लिए, स्थगन दिए जाने के समय गंभीर बीमारी और ऐसे समान परिस्थिति की दशाओं के सिवाए स्थगन मांगने वाले पक्षकार पर खर्च अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए ।

(5) जहां किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार पर खर्च अधिनिर्णीत किया गया है, वहां आदेश में यह निदेश होगा कि खर्चे का संदाय करने के लिए दायी पक्षकार उसका संदाय करेगा ।

परिसमापन, अनंतिम समापक, परिसमापन आदेश और कार्यकलापों के विवरण के लिए याचिका

101. परिसमापन के लिए याचिका--(1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए याचिका ऐसे परिवर्तनों सहित, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो, यथास्थिति, **प्ररूप सं0 26, या प्ररूप सं0 27 या प्ररूप सं0 28** में होगी और दो प्रतियों में फाइल की जाएगी :

परंतु यदि याचिका सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा की गई है तो उसके साथ याचिका की तारीख को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का विवरण होना चाहिए ।

धिकरण का रजिस्ट्रार याचिका पर, उसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख को लिखेगा ।

याचिका का अभिग्रहण और विज्ञापन के बारे में निदेश--(1) याचिका फाइल करने पर उसे याचिका के ुंण और उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत करने तथा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के बारे में में सदस्य और उन व्यक्तियों के, यदि कोई हों, जिन पर याचिका की प्रतियों की तामील की जानी है, समक्ष ाएगा ।

दस्य, यदि वह ठीक समझे तो याचिका के विज्ञापन के बारे में निदेश देने से पूर्व सीमित दायित्व भागीदारी को दिए जाने का निदेश दे सकेगा ।

किसी आकस्मिक या भावी लेनदार द्वारा याचिका--किसी आकस्मिक या भावी लेनदार द्वारा सीमित दायित्व ारी के परिसमापन के लिए प्रस्तुत की गई याचिका के साथ याचिका के अभिग्रहण हेतु अधिकरण की इजाजत ए आवेदन होगा । याचिका का विज्ञापन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इजाजत न दे दी गई हो या जहां त याचिका के अभिग्रहण की पूर्ववृत्त किन्हीं शर्तों के अधीन दे दी गई है वहां जब तक उन शर्तों का समाधान केया गया है ।

याचिका की प्रति का प्रस्तुत किया जाना--सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक भागीदार या लेनदार याची द्वारा सके अधिवक्ता या प्लीडर या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट विहित प्रभारों के संदाय पर ा घंटे के भीतर याचिका की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा ।

याचिका का विज्ञापन--अधिकरण के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए याचिका को, नियम 87 में उपबंधित के भीतर और रीति में विज्ञापित किया जाएगा । विज्ञापन **प्ररूप सं0 29** में होगा ।

याचिका वापस लेने की इजाजत के लिए आवेदन--(1) परिसमापन के लिए कोई याचिका प्रस्तुत किए जाने के त् अधिकरण की इजाजत के बिना वापस नहीं ली जाएगी ।

परिसमापन के लिए याचिका को, जो नियम 87 के उपबंधों के अनुसार विज्ञापित की गई है, वापस लेने की जत के लिए किसी आवेदन को याचिका की सुनवाई के लिए विज्ञापन में नियत की गई तारीख से पूर्व किसी सुना नहीं जाएगा ।

मूल याची के स्थान पर लेनदार या भागीदार का प्रतिस्थापन--जहां कोई याची,--

(क) याचिका प्रस्तुत करने के लिए हकदार नहीं है ; या

—

(ख) इन नियमों द्वारा या अधिकरण के आदेश द्वारा विहित समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो अधिकरण खर्च सहित अनुज्ञात करने, अपनी याचिका का विज्ञापन देने में असफल रहता है ; या

(ग) याचिका वापस लेने या उसे खारिज किए जाने हेतु अनुज्ञात करने या सुनवाई को स्थगित किए जाने की सहमति देता है या जब उसकी सुनवाई के लिए मूल रूप से नियत दिन को या ऐसे किसी दिन को, जिसको सुनवाई स्थगित हो गई है, अधिकरण में बुलाया जाता है तो अपनी याचिका के समर्थन में उपस्थित होने में असफल रहता है ; या

(घ) यदि उपस्थित होने पर अपनी याचिका की प्रार्थना के निबंधनानुसार आदेश के लिए आवेदन नहीं करता है ;

या

जहां अधिकरण की राय में इस नियम के अधीन किए जाने वाले आदेश के लिए अन्य पर्याप्त कारण हैं,

वहां अधिकरण आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों पर, जो वह न्यायोचित समझे, ऐसे लेनदार या भागीदार को, जिसे अधिकरण की राय में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार हो और जो याचिका के अभियोजन के लिए इच्छुक है, याची के रूप में प्रतिस्थापित कर सकेगा ।

(5) जहां कोई सदस्य परिसमापन याचिका में किसी लेनदार या भागीदार को याची के रूप में प्रतिस्थापित करने वाला आदेश करता है वहां ऐसा याची मूल याचिका में संदत्त मूल फीस की रकम के आधे के समतुल्य अतिरिक्त फीस का संदाय करेगा ।

108. प्रतिस्थापन पर प्रक्रिया-- (1)जहां कोई सदस्य परिसमापन याचिका में किसी लेनदार या भागीदार को याची के रूप में प्रतिस्थापित करने वाला आदेश करता है वहां वह याचिका की सुनवाई उसके द्वारा नियत की जाने वाली किसी तारीख के लिए स्थगित करेगा और याचिका के ऐसे संशोधनों के लिए निदेश करेगा, जो आवश्यक हों । ऐसा लेनदार या भागीदार, आदेश करने की तारीख से सात दिन के भीतर तदनुसार याचिका का संशोधन करेगा और उन आधारों को उपवर्णित करते हुए, जिन पर वह याचिका का समर्थन करता है, दो प्रतियों में शपथपत्र सहित उसकी दो स्वच्छ प्रतियां फाइल करेगा ।

IndiaCode

(2) संशोधित याचिका को सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए याचिका माना जाएगा और उसे उस तारीख को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा जिसको मूल याचिका प्रस्तुत की गई थी ।

109. विरोध में शपथपत्र--नियम 28 के अधीन रहते हुए, याचिका के विरोध में प्रयोग किए जाने के लिए आशयित शपथपत्र याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख से पूर्व पांच दिन के अपश्चात् फाइल किया जाएगा और शपथपत्र की एक प्रति तुरंत याची या उसके अधिवक्ता या प्लीडर या प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील की जाएगी । सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के विवरण के साथ प्रश्नगत विरोध में शपथपत्र भी फाइल किया जाएगा ।

(2) शपथपत्र की प्रतियां याचिका के समर्थन में उपस्थित होने वाले ऐसे लेनदार या भागीदार को भी विहित प्रभारों के संदाय पर दी जाएगी जो उसकी अपेक्षा करे ।

110. प्रत्युत्तर में शपत्रपथ--नियम 28 के अधीन रहते हुए याचिका के विरोध में प्रयोग किए जाने के लिए आशयित शपथपत्र याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख से पूर्व दो दिन के अपश्चात् फाइल किया जाएगा और प्रत्युत्तर में शपथपत्र की एक प्रति उसके फाइल किए जाने के दिन को उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा प्रत्युत्तर में शपथपत्र फाइल किया गया था, या उसके अधिवक्ता या प्लीडर या प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील की जाएगी ।

अनंतिम समापक

111. अनंतिम समापक की नियुक्ति--(1) अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आवेदन ग्रहण करने के पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी के किसी लेनदार या भागीदार या सीमित दायित्व भागीदारी के आवेदन पर और अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त आधार के शपथपत्र द्वारा साबित किए जाने पर अधिकरण नियम 27 और नियम 28 के अधीन रहते हुए, यदि वह ठीक समझे, और ऐसे निबंधनों पर, जो अधिकरण की राय में न्यायोचित और आवश्यक होंगे, परिसमापन याचिका के संबंध में अंतिम आदेशों के लंबित रहने के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी के अनंतिम समापक के रूप में समापक की नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) जहां सीमित दायित्व भागीदारी आवेदक नहीं है वहां जब तक अधिकरण लेखबद्ध (लिखित में) किए जाने वाले विशेष कारणों से सूचना से मुक्ति न दे, सीमित दायित्व भागीदारी को अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए आवेदन की सूचना दी जाएगी । अनंतिम समापक की नियुक्ति करने वाले आदेश में अधिकरण द्वारा अधिरोपित की गई उसकी शक्तियों के संबंध में निर्बंधन और सीमाएं, यदि कोई हो, नियत की जाएंगी । आदेश ऐसे परिवर्तनों सहित, जो आवश्यक हों, **प्ररूप सं0 30** में होगा ।

112. अनंतिम समापक को लागू होने वाले नियम और प्रक्रियाएं--समापकों से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं, जहां तक लागू हों, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो अधिकरण द्वारा प्रत्येक मामलों में दिए जाएं, अनंतिम समापकों को लागू होंगी ।

113. अनंतिम समापक के खर्चे, आदि--अधिकरण के किसी आदेश के अधीन रहते हुए अनंतिम समापक के रूप में समापक द्वारा समुचित रूप से उपगत किए गए सभी खर्चे, प्रभार और व्यय सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों में से संदत्त किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जहां सीमित दायित्व भागीदारी के अनंतिम समापक के रूप में कार्य करता है, वहां ऐसी राशि भी है, जो तत्समय प्रवृत्त फीस के मान के अधीन केंद्रीय सरकार को संदेय है या होगी ।

परिसमापन आदेश

114. आदेश की समापक को सूचना--जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए या अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए आदेश किया गया है, वहां अधिकरण का रजिस्ट्रार, अधिकरण द्वारा नियुक्त समापक को अधिकरण की मुद्रा के अधीन दो प्रतियों में, यथास्थिति, **प्ररूप सं0 31** या **प्ररूप सं0 32** में आदेश की सूचना, उसके समर्थन में फाइल की गई याचिका और शपथपत्र, यदि कोई हो, की प्रति के साथ याचिका के साथ या विरोध के समय फाइल किए गए कार्यकलापों के विवरण की प्रति सहित भेजेगा । संबंधित रजिस्ट्रार को भी आदेश की प्रति फाइल की जाएगी ।

115. परिसमापन आदेश और अनंतिम समापक की नियुक्ति करने वाले आदेश की अंतर्वस्तु--किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन या अनंतिम समापक की नियुक्ति के आदेश में उसके नीचे यह कथन करने वाला एक टिप्पण अंतर्विष्ट होगा कि नियम 37 में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह समापक से ऐसे समय और स्थान पर, जो वह नियत करे, मिले और उसे वह सभी सूचना दे जिनकी वह अपेक्षा करे ।

116. समापक को भेजे जाने वाला आदेश और आदेश का प्ररूप--(1) परिसमापन का आदेश अधिकरण के रजिस्ट्रार द्वारा तुरंत तैयार किया जाएगा और उसके हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् सम्यक् रूप से सीलबंद उसकी दो प्रमाणित प्रतियां समापक को भेजी जाएगी । आदेश ऐसे परिवर्तनों सहित, जो आवश्यक हों, **प्ररूप सं0 33** में होगा ।

(2) जहां सीमित दायित्व भागीदारी याची है, उसके सिवाय समापक सीमित दायित्व भागीदारी पर उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (यदि कोई हो) पर संबोधित या यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है तो उसके कारबार के प्रधान या

अंतिम ज्ञात प्रधान स्थान पर या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों पर अथवा ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश दे, पूर्व संदत्त रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या पेनलबद्ध कुरियर अभिकरण द्वारा आदेश की एक सीलबंद प्रति की तामील कराएगा ।

117. समापक द्वारा किए जाने वाले निदेशों के लिए समन--(1)समापक, परिसमापन आदेश की प्राप्ति पर, समापक द्वारा नियम 41 के अधीन सभी या किन्हीं कर्तव्यों के पालन या अधिकरण के निदेशों की अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी अन्य विषय के संबंध में निदेश के लिए रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) अधिकरण समापक की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह विभिन्न विषयों के संबंध में ठीक समझे, जिसके अंतर्गत उस समय-सीमा को नियत करना भी है, जिससे पूर्व इन नियमों के अधीन विहित समय-सीमा के अधीन रहते हुए समापक द्वारा विभिन्न विषयों को पूरा किया जाएगा ।

118. परिसमापन आदेश करने संबंधी निदेश--परिसमापन आदेश करने के समय या उसके पश्चात् किसी समय अधिकरण आदेश के विज्ञापन और उन व्यक्तियों, यदि कोई हो, जिन पर आदेश की तामील की जाएगी तथा उन व्यक्तियों, यदि कोई हो, जिन को समापन में आगे की कार्यवाहियों की सूचना दी जाएगी, के बारे में निदेश और ऐसे अतिरिक्त निदेश, जो आवश्यक हो, देगा ।

119. आदेश का विज्ञापन--अधिकरण द्वारा यथाअन्यथा आदेश किए जाने के सिवाय, अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए प्रत्येक आदेश को आदेश करने की तारीख से चौदह दिन के भीतर याची द्वारा संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिचालित किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र और क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र के एक अंक में विज्ञापित किया जाएगा और याची द्वारा उस व्यक्ति पर, यदि कोई हो, और ऐसी रीति में, जैसा सदस्य निदेश दे, उसकी तामील की जाएगी । विज्ञापन **प्ररूप सं0 34** में होगा ।

120. परिसमापन आदेश किए जाने के पश्चात् कार्यवाहियों का प्ररूप--परिसमापन आदेश किए जाने के पश्चात् परिसमापन में प्रत्येक पश्चात्वर्ती कार्यवाही में उसकी विशिष्ट संख्या के साथ परिसमापन याचिका का सुभिन्न संख्यांक भी होगा किंतु वाद शीर्ष में सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के सामने कोष्ठकों में 'समापनाधीन' शब्द आएगा ।

121. परिसमापन कार्यवाहियों पर रोक के लिए आवेदन--(1) परिसमापन में कार्यवाहियों को रोकने के लिए आवेदन परिसमापन याचिका के पक्षकारों को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो अधिकरण निदेश दे, सूचना पर किया जाएगा और जहां आवेदन समापक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां समापक को सूचना दी जाएगी ।

(2) जहां परिसमापन की कार्यवाहियों को रोकने का कोई आदेश किया जाता है, वहां आवेदक पन्द्रह दिन के भीतर उसकी एक प्रमाणित प्रति **प्ररूप सं० 10** में रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

स्पष्टीकरण--आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि की संगणना करने में, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित किया जाएगा ।

122. वादों या कार्यवाहियों को प्रारंभ करने या जारी रखने या अंतरित करने की इजाजत के लिए आवेदन--(1) सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही को प्रारंभ करने या जारी रखने हेतु अधिकरण की इजाजत के लिए अधिकरण को आवेदन समापक और वाद या कार्यवाही के उन पक्षकारों को, जिन्होंने प्रारंभ या जारी रखे जाने की मांग की हो, सूचना देने पर किया जाएगा ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही के किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से भिन्न) या अधिकरण में लंबित रहने के दौरान अधिकरण में अंतरण के लिए कोई आवेदन समापक और वाद या कार्यवाही के उन पक्षकारों को, जिन्होंने अंतरण किए जाने की मांग की हो, सूचना देने पर किया जाएगा ।

123. विवरण प्रस्तुत करने की सूचना--सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत और सत्यापित करने के लिए नियम 28 में उल्लिखित किन्हीं व्यक्तियों से अपेक्षा करने वाले समापक द्वारा कोई सूचना **प्ररूप सं0 35** में होगी और समापक द्वारा उसकी तामील परिसमापन के आदेश या अनंतिम समापक के रूप में समापक की नियुक्ति करने वाले आदेश के किए जाने के पश्चात् तुरंत की जाएगी ।

124. अधिकरण द्वारा नियुक्त समापक द्वारा आवेदन--(1)समापक, यदि अपेक्षित हो, किसी व्यक्ति को, जो उसकी राय में, नियम 28 के अधीन कार्यकलापों का विवरण देने के लिए दायी है, ऐसा विवरण तैयार और प्रस्तुत करने या उसे तैयार करने की सम्मति देने का निदेश करने वाले आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा । आवेदन की सूचना की तामील उस व्यक्ति पर की जाएगी, जिसके विरुद्ध आदेश चाहा गया है ।

(2) जहां अधिकरण आदेश करता है, वहां ऐसा आदेश ऐसे परिवर्तनों सहित, जो आवश्यक हो, **प्ररूप सं0 36** में होगा ।

125. कार्यकलापों का विवरण तैयार करना--ऐसा व्यक्ति, जो नियम 28 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के बारे में विवरण प्रस्तुत और सत्यापित करने के लिए अपेक्षित है, कार्यकलापों का विवरण अपने खर्चों पर तैयार करेगा ।

126. विवरण का प्ररूप– (1) नियम 28 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के बारे में विवरण **प्ररूप सं0 37** में होगा और दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसकी एक प्रति शपथपत्र द्वारा सत्यापित की जाएगी ।

(2) कार्यकलापों के विवरण में सहमति का शपथपत्र **प्ररूप सं0 38** में होगा ।

(3) समापक, कार्यकलापों के विवरण को प्रस्तुत करने और पूरा होने पर, सत्यापित किए गए कार्यकलापों के विवरण और सहमति के शपथपत्र को, यदि कोई हो, तुरंत अधिकरण में फाइल कराएगा और उसकी दूसरी प्रति अपने अभिलेखों के लिए रखेगा ।

127. विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तारण--जहां नियम 28 के अधीन कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति उसके प्रस्तुत किए जाने के लिए समय के विस्तारण की अपेक्षा करता है, वहां वह सर्वप्रथम उस समापक को आवेदन करेगा, जो यदि वह नियम 28 के अधीन ठीक समझे, समय का विस्तारण करने वाला लिखित प्रमाणपत्र दे सकेगा, जिस प्रमाणपत्र को कार्यवाहियों के साथ फाइल किया जाएगा । प्रमाणपत्र **प्ररूप सं0 39** में होगा ।

128. सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों और अधिकारियों का सूचना ग्रहण करना और देना–समापक, समय-समय पर, सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकेगा, जो नियम 28 या नियम 37 में उल्लिखित है और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समय या स्थान पर, जो समापक नियत करे, समापक से मिले और समापक को वह सभी सूचना दे जिनकी वह अपेक्षा करे तथा उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे, जो समापक द्वारा उनसे पूछे जाएं । समापक उसके द्वारा किए गए साक्षात्कार के कार्यवृत्त या ऐसे साक्षात्कारों की अंतर्वस्तुओं वाला ज्ञापन रखेगा ।

129. विवरण देने या उसकी सहमति देने वाले व्यक्ति का कर्तव्य--सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के विवरण का समापक को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने उसे तैयार किया है या उसे तैयार करने में सहमति दी है, यह कर्तव्य होगा कि जब कभी अपेक्षित हो, समापक से मिले और उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे जो उनसे पूछे जाए तथा ऐसी सभी अतिरिक्त सूचना दे, जिनकी कार्यकलापों के विवरण के संबंध में समापक द्वारा उनसे अपेक्षा की जाए ।

130. नियम 28 का अनुपालन करने में व्यतिक्रम–नियम 28 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में किसी व्यक्ति की ओर से किसी व्यतिक्रम को समापक द्वारा अधिकरण को रिपोर्ट किया जाएगा और तदुपरांत अधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

131. स्वैच्छिक परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा विवरण प्रस्तुत करना-- (1)जहां परिसमापन का आदेश करने से पूर्व सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन किया गया था, वहां समापक ऐसे परिसमापन में किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापकों से उसकी अध्यपेक्षा किए जाने के चौदह दिन के अपश्चात् या ऐसे अन्य समय में, जो वह नियत करे, उस रीति के बारे में, जिसमें परिसमापन संचालित किया गया था, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के संबंध में कैसे कार्यवाही की गई थी और अधिकरण द्वारा परिसमापन के आदेश की तारीख पर समापन की स्थिति के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और अध्यपेक्षा किए जाने पर उस सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापकों का, जिनसे इस प्रकार अपेक्षा की गई थी, यह कर्तव्य होगा कि वह या वे उस समय-सीमा के भीतर विवरण प्रस्तुत करें ।

(2) जहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक यथाअपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, वहां समापक ऐसे निदेशों के लिए, जो आवश्यक हो, अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

132. समापक द्वारा रिपोर्ट--नियम 34 के अधीन समापक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट ऐसे परिवर्तनों सहित, जो आवश्यक हों, **प्ररूप सं0 40** में होगी और उसमें नियम 34 में यथाविनिर्दिष्ट सूचना अंतर्विष्ट होगी ।

133. विवरण और रिपोर्ट का निरीक्षण--प्रत्येक लेनदार या भागीदार, स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा, नियम 28 के अधीन प्रस्तुत किए गए कार्यकलापों के विवरण और नियम 34 के अधीन प्रस्तुत की गई समापकों की रिपोर्ट का ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो उपाबंध में विहित की गई है, निरीक्षण करने का और उपाबंध में विहित प्रभारों के संदाय पर उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण प्राप्त करने का हकदार होगा ।

134. समापक द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट-- (1) जहां समापक नियम 34(4) के अधीन कोई अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार करता है, वहां उस रिपोर्ट में यह कथन होगा कि नियम 34(1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी कपट का पता लगाया गया है ।

(2) यदि ऐसे किसी कपट का पता लगाया गया है तो रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के नाम, जिनके द्वारा उसकी राय में कपट किया गया था और वे तथ्य, जिन पर ऐसी राय आधारित है, उपवर्णित किए जाएंगे । रिपोर्ट में उन तथ्यों और विषयों को, वर्णनात्मक रूप में उपवर्णित किया जाएगा, जिन्हें समापक अधिकरण की जानकारी में लाना चाहता है ।

135. अधिकरण द्वारा रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर विचार--(1) नियम 34 के अनुसरण में समापक द्वारा दी गई रिपोर्ट (या रिपोर्टों) पर, चैंबरों में सदस्य के समक्ष विचार किया जाएगा और समापक, व्यक्तिगत रूप से या काउंसेल द्वारा, उसके विचार में उपस्थित होगा तथा अधिकरण को उसमें अंतर्विष्ट विषयों के संदर्भ में ऐसी अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देगा, जिसकी अधिकरण अपेक्षा करे ।

(3) रिपोर्ट (या रिपोर्टों) पर विचार करने पर अधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी के भूतपूर्व और वर्तमान अभिहित भागीदारों, भागीदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों की परीक्षा के निदेश भी है :

परंतु जहां समापक नियम 34 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों या अभिहित भागीदारों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए कपट वाली रिपोर्ट (रिपोर्टें) देता है, वहां अधिकरण का रजिस्ट्रार, सदस्य द्वारा उस पर विचार किए जाने के लिए कोई तारीख नियत करेगा और अधिकरण के सूचना पट्ट पर और समापक को तारीख अधिसूचित करेगा ।

136. समापक द्वारा किए जाने वाले निदेशों के लिए समन--(1) परिसमापन आदेश किए जाने के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र और किसी भी दशा में नियम 34 के उपनियम (1) के अधीन अपनी रिपोर्ट फाइल करने के पश्चात् सात दिन के अपश्चात् समापक नियम 41 के अधीन सभी या किन्हीं कर्तव्यों के समापक द्वारा पालन, लेनदारों की सूची तय किए जाने और भागीदारों की सूची तय किए जाने के संबंध में निदेश के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) समापक की सुनवाई करने पर अधिकरण ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह उक्त विषयों के संबंध में ठीक समझे ।

लेनदारों की सूची का निपटारा

137. ऋणों को साबित करने के लिए तारीख नियत करना--अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और अधिकरण द्वारा परिसमापन में अधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए, अधिकरण द्वारा परिसमापन में समापक और स्वैच्छिक परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसा कोई निश्चित दिन नियत कर सकेगा, जो नियम 138 के अधीन दी जाने वाली सूचना की तारीख से चौदह दिन से अन्यून का नहीं होगा, जिसको या जिससे पूर्व सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों को अपने ऋणों या दावों को साबित करना होगा और ऐसे किसी हक को स्थापित करना होगा, जो अधिमानी संदायों के अधीन पूर्विकता पर उनका हो या, यथास्थिति,

ऐसे ऋणों या दावों को साबित किए जाने से पूर्व किसी वितरण के फायदे से या ऐसे वितरण का विरोध करने से अपवर्जित किया जा सके ।

138. लेनदारों को सूचना--(1) समापक, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिचालित किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के किसी दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में और क्षेत्रीय भाषा के किसी दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में विज्ञापन द्वारा इस प्रकार नियत की गई तारीख की चौदह दिन से अन्यून की ऐसी सूचना देगा, जो वह उपयुक्त समझे ।

(2) ऐसे विज्ञापन उपनियम (1) के अधीन विक्रय की पुष्टि की तारीख से तीस दिन के भीतर और **प्ररूप सं0 41** में जारी किए जाएंगे ।

(3) यदि लेनदारों की संख्या सौ से अधिक नहीं है तो विक्रय की पुष्टि की तारीख से तीस दिन के भीतर या किसी पूर्ववर्ती तारीख को डाक के प्रमाणपत्र के अधीन पूर्वसंदत्त पत्र डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में विहित किसी अन्य पद्धति द्वारा पृथक् सूचनाएं दी जा सकेंगी और समाचार पत्रों में विज्ञापन से छूट दी जा सकेगी ।

(4) अधिकरण द्वारा परिसमापन में समापक नियत तारीख की चौदह दिन से अन्यून की सूचना कार्यकलापों के विवरण में लेनदार के रूप में वर्णित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने ऋण को साबित नहीं किया है और अधिमानी लेनदार के रूप में कार्यकलापों के विवरण में वर्णित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भी, जिसका दावा अधिमानी लेनदार के रूप में स्थापित नहीं किया गया है या ग्रहण नहीं किया गया है, कार्यकलापों के विवरण में उपदर्शित पते पर देगा । ऐसी सूचना **प्ररूप सं0 42** या **प्ररूप सं0 43** में होगी और डाक के प्रमाणपत्र के अधीन पूर्वसंदत्त पत्र डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में विहित किसी अन्य पद्धति द्वारा प्रत्येक ऐसे लेनदार को भेजी जाएगी ।

(5) ऐसे सबूतों के ग्रहण या इंकार किए जाने के बारे में इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित सभी कार्यवाहियां और प्रक्रिया अधिमानी लेनदार के रूप में पूर्विक्ता के किसी दावे को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी ।

139. ऋण का सबूत-- अधिकरण द्वारा परिसमापन में प्रत्येक लेनदार इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के अधीन रहते हुए, जब तक किसी विशिष्ट मामले में सदस्य यह निदेश नहीं देता है कि किसी लेनदार या वर्ग के लेनदारों को सबूत के बिना ग्रहण न किया जाए, अपना ऋण साबित करेगा ।

140. सबूत का ढंग और उसका सत्यापन--कोई ऋण लेनदार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण का सत्यापन करने वाला शपथपत्र समापक को डाक द्वारा परिदत्त करके या भेजकर साबित किया जा सकेगा । यदि शपथपत्र लेनदार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया है तो उसमें अभिसाक्षी का प्राधिकार और जानकारी के साधन उपवर्णित किए जाएंगे । किसी लेनदार को तब तक अन्वेषण में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक समापक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा न की गई हो ।

141. सबूत की अंतर्वस्तु--किसी ऋण को साबित करने वाले शपथपत्र में ऋण की विशिष्टियां दर्शित करने वाले लेखे का विवरण अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट होगा और उसमें ऐसे वाऊचरों या बिलों या संविदाओं या किसी अन्य सारवान दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके द्वारा उसे सिद्ध किया जा सकता है । शपथपत्र में यह कथन होगा कि क्या लेनदार प्रतिभूत लेनदार या अधिमानी लेनदार है और यदि ऐसा है तो प्रतिभूति या अधिमानी दावों की विशिष्टियां उपवर्णित होंगी । शपथपत्र **प्ररूप सं0 44** में होगा ।

142. कर्मकारों की मजदूरी--ऐसे किसी मामले में, जहां मजदूरियों या सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नियोजित कर्मकारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रोद्भूत अवकाश पारिश्रमिक के लिए अनेक दावे हैं, वहां यह पर्याप्त होगा यदि सभी ऐसे दावों के लिए **प्ररूप सं0 45** में एक सबूत ऐसे सभी लेनदारों की ओर से किसी एक कर्मकार द्वारा दिया जाए । ऐसे सबूत में उसके भाग के रूप में कर्मकारों या अन्य व्यक्तियों के नामों और उनको पृथक रूप से शोध्य रकमें उपवर्णित करते हुए एक अनुसूची संलग्न होगी । इस नियम के अनुपालन में दिए गए किसी सबूत का वही प्रभाव होगा, मानो उक्त प्रत्येक कर्मकार द्वारा पृथक सबूत दिया गया है ।

143. ऋणों का मूल्य--सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध सभी ऋणों और दावों का मूल्य यथासंभवशक्य सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के आदेश की तारीख को उसके मूल्य के अनुसार या जहां परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व स्वैच्छिक परिसमापन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कोई संकल्प पारित किया गया है, वहां ऐसा संकल्प पारित करने की तारीख को प्राक्कलित किया जाएगा ।

144. ब्याज--कतिपय समय पर या अन्यथा संदेय किसी ऋण या निश्चित राशि पर, जिसके संबंध में ब्याज आरक्षित या सहमत नहीं किया गया है और जो परिसमापन आदेश या संकल्प के पारित होने की तारीख को अतिदेय है, ऋण या राशि किसी निश्चित समय पर लिखत द्वारा संदेय हो तो लेनदार उस समय से जब ऋण या राशि संदेय थी, और यदि अन्यथा संदेय हो तो उस समय से, जब लिखत में मांग की गई है, यह सूचना दी जा सकेगी कि ब्याज का मांग की तारीख से संदाय के समय तक दावा किया जाएगा ।

145. आवधिक संदाय--जब कोई किराया या अन्य संदाय कथित अवधि तक शोध्य हो जाता है और परिसमापन का आदेश या संकल्प उन अवधियों से भिन्न किसी समय पर किया गया है तो किराए या संदाय के लिए हकदार व्यक्ति परिसमापन आदेश या संकल्प की तारीख तक उसके आनुपातिक भाग के लिए इस प्रकार साबित कर सकेगा मानो किराया या संदाय दैनिक आधार पर शोध्य हो :

परंतु जहां समापक ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, को पट्टांतरित परिसर का अधिभोग करता है वहां इसमें अंतर्विष्ट कोई बात उस परिसर के स्वामी के सीमित दायित्व भागीदारी या समापक द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी या समापक के अधिभोग की अवधि के दौरान किराए के संदाय का दावा करने के अधिकार के प्रतिकूल नहीं होगा या उसे परिवर्तित नहीं करेगा ।

146. भविष्य में संदेय ऋण का सबूत--कोई लेनदार परिसमापन आदेश या संकल्प की तारीख को संदेय ऋण को इस प्रकार साबित कर सकेगा मानो वह वर्तमान समय में संदेय था और लाभांश की घोषणा की तारीख से उस समय तक, जब ऋण उन निबंधनों के अनुसार, जिन पर उसकी संविदा की गई थी, संदेय हो गया होता, चार प्रतिशत वार्षिक की दर से संगणित ब्याज के रिबेट की कटौती करके अन्य लेनदारों के साथ समान रूप से लाभांश प्राप्त कर सकेगा ।

147. सबूत की परीक्षा--समापक, सभी सुविधाजनककजन्य गति से उसके पास दर्ज किए गए ऋण के प्रत्येक सबूत और ऋण के आधारों की परीक्षा करेगा । वह वाऊचरों या बिलों या संविदाओं या अन्य सारवान दस्तावेजों को, यदि कोई सबूत के शपथपत्र में निर्दिष्ट हो, पेश करने या ऋण के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा । यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य की अपेक्षा या यह अपेक्षा करता है कि लेनदार व्यक्तिगत रूप से अन्वेषण में उपस्थित हो तो वह ऐसा दिन या समय नियत करेगा, जिनको लेनदार से उपस्थित होने और अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और रजिस्टर्ड डाक द्वारा या पेनलबद्ध कुरियर अभिकरण के माध्यम से अथवा सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में, कें नियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य पद्धति द्वारा प्ररूप सं0 46 में ऐसे लेनदार को एक सूचना भेजेगा, जिससे वह नियत तारीख से पूर्व सात दिन अपश्चात् उसके पास पहुंच सके ।

148. अन्वेषण के संबंध में किसी व्यक्ति को बुलाने का समापक का अधिकार--(1)अधिकरण द्वारा परिसमापन में समापक ऐसे किसी व्यक्ति को बुला सकेगा, जिसे वह समापन में साबित किए जाने वाले ऋण के संबंध में जानकारी देने में समर्थ समझे और उस व्यक्ति से ऐसे ऋण के सबंध में उसकी अभिरक्षा या अधिकार में किन्हीं

दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और समनों के साथ ऐसी राशि भिजवाएगा जो समापक को एक दिन की उपस्थिति के लिए बुलाए गए व्यक्ति के यात्रा और अन्य व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रतीत हो ।

(2) जहां इस प्रकार समन किया गया व्यक्ति विधिपूर्ण कारण के बिना समनों के अनुपालन में उपस्थित होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उसकी तामील से बचता है या उसकी अपवंचना करता है तो समापक ऐसे आदेशों के लिए, जो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए ठीक समझे जाएं और उसके समक्ष ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए, जो अपेक्षित हो, या अन्य समुचित आदेशों के लिए अधिकरण मे आवेदन कर सकेगा ।

149. शपथ--समापक, ऋण के सबूत के ग्रहण किए जाने के संबंध में अपने कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए शपथ ले सकेगा और शपथपत्र लेगा ।

150. सबूत की लागत--जब तक सदस्य द्वारा अन्यथा आदेश न किया गया हो, लेनदार अपने ऋण को साबित करने के सभी खर्चे वहन करेगा ।

151. सबूत की स्वीकृति या नामंजूरी का संसूचित किया जाना--समापक, ऐसे अन्वेषण के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, संपूर्ण साक्ष्य या उसके भाग को लिखित में ग्रहण या नामंजूर करेगा । किसी सबूत को, पूर्णतया या भाग रूप में स्वीकार या नामंजूर करने के समापक के प्रत्येक विनिश्चय की, जहां सबूत ग्रहण किया जाता है, वहां डाक के प्रमाणपत्र के अधीन पूर्व संदत्त डाक पत्र या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा और जहां सबूत पूर्णतया या भाग रूप में अस्वीकृत किया जाता है, वहिं उसकी अभिस्वीकृति के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा या पेनल में कुरियर अभिकरण द्वारा ऋण को साबित करने के लिए नियत अंतिम तारीख से पैतांलिस दिन के भीतर संसूचना दी जाएगी,

परंतु ऐसे लेनदार को, जो समापक के समक्ष उपस्थित हुआ है और जिसके दावे की संसूचना स्वीकृति के समय लिखित में उसे या उसके अभिकर्ता को दे दी गई है, दावे को ग्रहण करने की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा । जहां समापक किसी दावे को पूर्ण रूप से या भाग रूप में अस्वीकार करता है, वहां **प्ररूप सं. 47** में लेनदार को अस्वीकृति के आधार बताएगा । सबूत के ग्रहण की सूचना **प्ररूप सं. 48** में होगी ।

152. लेनदार द्वारा अपील - यदि कोई लेनदार अपने सबूत की बाबत समापक के विनिश्चय से असंतुष्ट है तो वह लेनदार, समापक के विनिश्चय की उस पर तामील की तारीख से इक्कीस दिन अपश्चात् विनिश्चय के विरूद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा । अपील के साथ उसके समर्थन में एक शपथ-पत्र होगा, जिसमें ऐसी अपील के आधार उपवर्णित होंगे और अपील की सूचना समापक को दी जाएगी ।

153. जहां लेनदार अपील करता है, वहां प्रक्रिया - (1) समापक, किसी सबूत को पूर्णतया या भागतः नामंजूर करने के विनिश्चय के विरूद्ध अपील की सूचना प्राप्त करने पर, अधिकरण के रजिस्ट्रार के पास नामंजूरी के आधार वाले आदेश सहित ऐसे सबूत फाइल करेगा ।

(2) कोई लेनदार या भागीदार अपील में हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए अधिकरण को आवेदन करने के लेए स्वतंत्र होगा और अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , जो वह न्यायसंगत समझे, इजाजत दे सकेगा । जहां ऐसी इजाजत दी गई है, वहां उस लेनदार या भागीदार को अपील की सुनवाई की सूचना दी जाएगी ।

154. समापक का खर्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी न होना - समापक, किसी भी दशा में, किसी सबूत को पूर्णतया या भागतः अस्वीकार करने के उसके विनिश्चय से किसी अपील के संबंध में खर्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।

155. लेनदारों के सबूत और सूची का अधिकरण में फाइल किया जाना - अधिकरण द्वारा परिसमापन में, समापक ऋणों को साबित करने के लिए नियत अंतिम तारीख से दो मास के भीतर प्ररूप सं. 49 में अधिकरण में एक प्रमाणपत्र फाइल करेगा, जिसमें उन लेनदारों की सूची, जिन्होंने नियम 138 में निर्दिष्ट विज्ञापन और सूचना के अनुसरण में अपने दावों के सबूत उसे प्रस्तुत किए थे, उन ऋणों की रकम, जिसके लिए उन्होंने लेनदार होने का दावा किया था, की सूची पूर्णतया ग्रहण किए गए सबूतों से भाग में ग्रहण या अस्वीकृत सबूतों और पूर्णतया अस्वीकृत सबूतों में उस सूची में भेद करते हुए होगी । सबूतों के साथ पृष्ठांकित ग्रहण करने या पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने के ज्ञापन, प्रमाणपत्र सहित अधिकरण में फाइल किया जाएगा ।

156. लेनदारों की सूची में परिवर्तन न करना - समापक द्वारा प्रमाणित और अधिकरण में फाइल की गई सूची सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों की सूची होगी और अधिकरण के आदेशों के अधीन रहने और ऐसे आदेशों के अनुसरण के सिवाय उसमें परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा । जहां लेनदारों की सूची में परिवर्धन या परिवर्तन करने का आदेश किया जाता है, वहां समापक ऐसे आदेश के अनुसार सूची का संशोधन करेगा ।

157. सूची फाइल करने की सूचना और उसके निरीक्षण - समापक द्वारा तय किए गए अनुसार लेनदारों की सूची वाला प्रमाणपत्र फाइल करने पर, अधिकरण का रजिस्ट्रार अधिकरण के सूचना पट्ट पर उसके फाइल करने की सूचना लगाएगा और तय की गई लेनदारों का प्रमाणपत्र और सूची तथा उससे संबंधित सबूत उपाबंध में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रत्येक लेनदार या भागीदार द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

158. सबूत का निकालना- (1) यदि सबूत के ग्रहण के पश्चात्, समापक के पास यह विचार करने का कारण है कि सबूत को अनुचित रूप से ग्रहण किया गया है या गलती से ग्रहण किया गया है तो वह ऐसे लेनदार को सूचना पर, जिसने सबूत दिया था, यथास्थिति सबूत को निकालने या रकम कम करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(2) कोई लेनदार या भागीदार भी समापक द्वारा विषय पर कार्यवाही करने से इंकार करने की दशा में सबूत के निकालने या उसकी रकम कम करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और उस आवेदन पर अधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह न्यायोचित समझे ।

159. पश्चातवर्ती ब्याज का संदाय - सबूत के लिए ग्रहण किए गए सभी दावों के पूर्व संदाय के पश्चात्, अधिशेष होने की दशा में, उस लेनदार को, जिसका सबूत ग्रहण किए गए हैं, यथास्थिति, परिसमापन आदेश या संकल्प की तारीख से अंतिम वितरणीय राशि की घोषणा की तारीख तक, स्वीकृत रकम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत मुख्य उधार देने की दर से अनधिक दर पर, उक्त रकम से, प्रत्येक वितरणीय राशि की घोषणा की तारीख को वितरणीय राशि की उक्त रकम का समायोजन करने के पश्चात् ब्याज का संदाय किया जाएगा ।

160. भागीदारों की अनंतिम सूची - (1) अधिनियमों और नियमों के अधीन रहते हुए, धारा 159 के अधीन लेनदारों को सबूत में ग्रहण किए गए दावों और पश्चातवर्ती ब्याज का पूर्व संदाय करने के पश्चात् अधिशेष होने की दशा में, भागीदार आस्तियों की वापसी के हकदार होंगे । जब तक अधिकरण भागीदारों की सूची तय करने से छूट नहीं देता है, समापक, विक्रय की पुष्टि की तारीख के पश्चात् पंद्रह दिन के अपश्चात् सीमित दायित्व भगीदारी के भागीदारों के नाम और पते, अभिदाय की रकम वाली एक अनंतिम सूची तैयार करेगा और उसे अधिकरण में फाइल करेगा । सूची प्ररूप सं 50 में होगी ।

161. सूची के तय किए जाने की तारीख की सूचना का दिया जाना - (1) समापक, नियम 160 के अधीन अनंतिम सूची फाइल करने पर, अंतिम सूची फाइल करने की तारीख से एक मास के अपश्चात् उसके समक्ष सूची के तय किए जाने के लिए तारीख नियत करेगा और उस सूची में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सूचना, ऐसी सूचना में अभिदाय की रकम बताते हुए, देगा । ऐसी सूचना प्ररूप सं. 51 में होगी और सूची में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को, उसमें वर्णित पते पर, पूर्व संदत्त डाक पत्र या डाक के प्रमाणपत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में विहित किसी अन्य पद्धति द्वारा भेजी जाएगी, जिससे कि वह तय करने के लिए नियत तारीख से पूर्व चौदह दिन के अपश्चात् सामान्य अनुक्रम में उस तक पहुंच सके ।

162. सूची का निपटारा - सूची के निपटारे के लिए नियत तारीख को, समापक ऐसे किसी व्यक्ति की सुनवाई करेगा, जो भागीदार के रूप में तय किए जाने या उस हैसियत के भागीदार के रूप में तय किए जाने के लिए या अनंतिम सूची में वर्णित अभिदाय की ऐसी रकम का विरोध करता है और ऐसी सुनवाई के पश्चात्, सूची को अंतिम रूप से तय करेगा । इस प्रकार तय किए जाने पर वह सूची सीमित दायित्व भागीदारी की अनंतिम सूची होगी ।

163. सूची के अंतिम निपटारे के प्रमाणपत्र का अधिकरण में फाइल किया जाना - सूची के निपटारे के पश्चात् सात दिन के भीतर, समापक उसके द्वारा अंतिम रूप से तय की गई भागीदारों की सूची का एक प्रमाणपत्र नियम 162 के अधीन अधिकरण में फाइल करेगा । ऐसा प्रमाणपत्र प्ररूप सं. 52 में होगा ।

164. भागीदारों को सूचना - प्रमाणपत्र फाइल करने पर, समापक तुरंत अंतिम रूप से तय की गई भागीदारों की सूची में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को, अभिदाय की रकम बताते हुए सूचना देगा और सूचना में वह उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि सूची से उसका नाम हटाए जाने या सूची में किसी परिवर्तन के लिए कोई आवेदन, उस सूचना की भागीदार को तामील की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, अधिकरण को कर दिया जाना चाहिए । ऐसी सूचना प्ररूप सं. 53 में होगी और सूची में तय किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, डाक के प्रमाणपत्र के अधीन डाक पत्र या रजिस्ट्रीकृत डाक या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा तय की गई सूची में वर्णित उसके पते पर भेजी जाएगी ।

165. सूची के सुधार के लिए समापक का आवेदन - यदि भागीदारों की सूची के निपटारे के पश्चात्, समापक के पास यह विचार करने का कारण है कि ऐसे भागीदार को, जिसे अनंतिम सूची में सम्मिलित किया गया था, अनुचित रूप से या गलती से अंतिम रूप से तय की गई सूची मे से निकाला या लोप किया गया है या उस रूप में, जिसमें या अभिदाय की रकम या ब्याज की मात्रा, जिसके उसे अंतिम रूप से तय की गई सूची में सम्मिलित किया गया है या उसमें अंतर्विष्ट किसी अन्य विशिष्टि का, किसी रूप में सुधार किए जाने की अपेक्षा है तो वह संबंधित भागीदार की सूचना देने पर, सूची के ऐसे सुधार के लिए, जो आवश्यक हो, अधिकरण में आवेदन कर सकेगा, और अधिकरण ऐसे आवेदन पर ऐसे आवेदन में सुधार या परिवर्तन, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा ।

166. सूची में परिवर्तन के लिए भागीदार द्वारा आवेदन - समय का विस्तारण करने या उस प्रयोजन के लिए समय-सीमा के समाप्त होते हुए भी, आवेदन किए जाने को अनुज्ञात करने की अधिकरण की शक्ति के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो समापक द्वारा अंतिम रूप से तय की गई सूची में उसके तय किए जाने के बारे में आक्षेप

सूची के निपटारे की सूचना की उस व्यक्ति पर तामील की तारीख से इक्कीस दिन की समाप्ति के पश्चात् ं की जाएगी । भागीदारों की सूची में परिवर्तन का आदेश प्ररूप सं. 54 में होगा ।

मापक का व्यक्तिगत रूप से खर्चे के लिए दायी न होना - समापक किसी भी दशा में, सीमित दायित्व के भागीदारों की सूची पर किसी व्यक्ति का नाम तय करने के उसके कार्य को अपास्त या उसमें परिवर्तन ने किसी आवेदन के या उसके संबंध में किन्हीं खर्चों का संदाय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं

प्रधिकरण द्वारा परिसमापन में लेनदारों या भागीदारों की या स्वैच्छिक परिसमापन में लेनदारों की बैठक

"अधिकरण की बैठकें", "समापकों की बैठकें" और "स्वैच्छिक समापन बैठकें" - (1) लेनदारों या की ऐसी बैठक के अतिरिक्त, जो नियम 61 के अधीन अधिकरण द्वारा आयोजित करने का निदेश दिया न्हें इसमें इसके पश्चात् लेनदारों या भागीदारों की "अधिकरण बैठकें" कहा गया है, समापक, अधिकरण समापन में, जब कभी वह ठीक समझे, परिसमापन से संबंधित सभी विषयों में लेनदारों या भागीदारों की जानने के प्रयोजन के लेए उनकी बैठकें कुल या आयोजित कर सकेगा, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " की बैठक" कहा जाएगा और ऐसी बैठकें इन नियमों द्वारा उपबंधित रीति में और अधिकरण के नियंत्रण के हते हुए बुलाई, आयोजित या संचालित की जाएंगी ।

च्छिक परिसमापन में, सीमित दायित्व भागीदारी समापक, स्वयं ही, समय-समय पर, परिसमापन से संबंधित षयों में लेनदारों की इच्छाएं जानने के प्रयोजन के लिए उनकी बैठकें बुला सकेगा, आयोजित कर सकेगा ाका संचालन कर सकेगा । ऐसी बैठकें और लेनदारों की सभी बैठकों जिनके कोई सीमित दायित्व भागीदारी त दायित्व भगीदारी समापक ऐसे स्वैच्छिक परिसमापन में या उसके ठीक पूर्व बुलाने के लिए अधिनियम या के अधीन अपेक्षित है और नियमों के अधीन किसी स्वैच्छिक परिसमापन में किसी लेनदार द्वारा बुलाई गई ठको को इसमें इसके पश्चात " स्वैच्छिक समापन बैठक" कहा गया है ।

ैठकों को नियमों का लागू होना - सिवाय वहां के और जहां तक विषय-वस्तु की प्रवृत्ति या संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित बैठकों के बारे में प्रक्रिया "अधिकरण बैठकों", लेनदारों और रों से संबंधित और " स्वैच्छिक समापन बैठकों" को लागू होगी :

परंतु "अधिकरण की बैठकों" की दशा में नियम अधिकरण द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों के अधीन रहते हुए लागू होंगे ।

170. बैठक की सूचना - (1) जब तक नियमों में कहीं और अन्यथा कथित न किया गया हो, सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक उस संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसे सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक उपयुक्त समझे, परिचालित किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा बैठक के लिए नियत समय और स्थान की चौदह दिन से अन्यून की सूचना देकर और सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक लेनदार को सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों की बैठक की सूचना पृथक रूप से भेजकर और सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक भागीदार को भागीदारों की बैठक की सूचना रजिष्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 के अधीन किसी अन्य पद्धति के माध्यम से भेजकर, जिससे कि वह बैठक के लिए नियत तारीख से पूर्व चौदह दिन से अन्यून के भीतर उस व्यक्ति तक पहुंच सके, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों की सभी बैठकें बुला सकेगा ।

जहां, लेनदारों या भागीदारों के 100 या 100 से कम होने की दशा में, विज्ञापन द्वारा सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु पृथक सूचनाएं जारी की जाएंगी ।

(2) प्रत्येक लेनदार को सूचना उसके सबूत में, यदि कोई दिया गया है या यदि उसने सबूत नहीं दिया है तो कार्यकलापों के विवरण में दिए गए पते पर या यदि कार्यकलाप का कोई विवरण नहीं है तो ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जो बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ज्ञात हो । प्रत्येक भागीदार को सूचना सीमित दायित्व भागीदारी की पुस्तकों या कार्यकलापों के विवरण में ऐसे भागीदार के पते के रूप में उल्लिखित पते पर या ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जो बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ज्ञात हो ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी समापक के पद की रिक्ति को भरने के लिए बैठकों की दशा में, यथास्थिति, बने रहने वाले सीमित दायित्व भागीदारी समापक या बने रहने वाले सीमित दायित्व भागीदारी समापक के न होने की दशा में, कोई लेनदार

(4) सूचनाएं प्ररूप सं. 55, 55क, 55ख, 55ग और 55घ में से ऐसे प्ररूप में होंगी, जो समुचित हो ।

(5) यह नियम, नियम 5 के अधीन भागीदारों की या नियम 8 के अधीन लेनदारों की बैठक और विघटन के लिए अंतिम बैठक को लागू नहीं होगा ।

171. बैठक का स्थान और समय - प्रत्येक बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी, जो उसे बुलाने वाला व्यक्ति लेनदारों या भागीदारों या दोनों के बहुमत के लिए सुविधाजनक समझे । लेनदारों की बैठकों और भागीदारों की बैठकों के लिए भिन्न-भिन्न समय और स्थान या दोनों नियत किए जा सकेंगे ।

172. प्रथम या अन्य बैठकों की सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारियों को सूचना - (1) अधिकरण द्वारा समापन में, समापक सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक ऐसे अधिकारी को भी, जिसे उसकी राय में लेनदारों की प्रथम या अन्य बैठकों में उपस्थित होना चाहिए, ऐसी बैठक के लिए नियत समय और स्थान पर चौदह दिन की सूचना देगा । सूचना व्यक्तिगत रूप से परिदत्त की जाएगी या रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य पद्धतियों द्वारा, जो सुविधाजनक हो, भेजी जाएगी ।

(2) ऐसे प्रत्येक अधिकारी का, जो ऐसी बैठक की सूचना प्राप्त करता है, यह कर्तव्य होगा कि यदि समापक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो बैठक में भाग लेगा और यदि ऐसा कोई अधिकारी भाग लेने में असफल रहता है तो समापक ऐसी असफलता की अधिकरण में रिपोर्ट करेगा । ऐसी सूचना प्ररूप सं. 56 में होगी ।

(3) समापक, यदि वह ठीक समझे, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी से यथापूर्वोक्त बैठक में भाग लेने की अपेक्षा करने के बजाए, उस अधिकारी से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने या ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उस बैठक के प्रयोजनों के लिए वह अपेक्षित करे और यदि ऐसा अधिकारी प्रश्नों का उत्तर देने या ऐसी सूचना देने में असफल रहता है तो वह उस असफलता की अधिकरण में रिपोर्ट करेगा ।

173. सूचना का सबूत - समापक द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो सूचनाएं भेजता है, यह शपथपत्र कि सूचनाओं को सम्यक रूप से भेजा गया है, उन व्यक्तियों को, जिनको वे संबोधित थीं, सूचनाएं भेजे जाने का पर्याप्त साक्ष्य होगा । अधिकरण की बैठकों की दशा में, शपथ पत्र अधिकरण में फाइल किया जाएगा और समापक की बैठकों के संबंध में शपथपत्र समापक के पास फाइल किया जाएगा । ऐसा शपथपत्र प्ररूप सं. 57 में होगा ।

174. लेनदार या भागीदार के पहल पर बैठकें बुलाने के खर्चे -(1) जहां कोई लेनदार या भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक से बैठक बुलाने का अनुरोध करता है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक ऐसे लेनदार या भागीदार से उसकी पूर्व शर्त के रूप में, इसमें इसके पश्चात् संगणित किए जाने वाले उसके खर्चों के लिए पर्याप्त राशि जमा करने की अपेक्षा कर सकेगा और किसी लेनदार या भागीदार द्वारा अधिकरण किए गए किसी आवेदन पर सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक को निदेश देने के लिए किसी आवेदन पर, सदस्य, यदि वह ठीक समझे, ऐसे खर्चों के लिए आवेदक से समान राशि जमा करने की अपेक्षा कर सकेगा । ऐसी

राशि में मुद्रण, लेखन सामग्री, डाक और कमरा किराए पर लेने के लिए किए जाने वाले सभी संवितरण भी सम्मिलित होंगे, जिसकी संगणना पहले 25 लेनदारों या भागीदारों तक, प्रत्येक लेनदार या भागीदार के लिए 200 रु. की दर से की जाएगी । अगले 75 लेनदारों या भागीदारों के संबंध में, प्रत्येक लेनदार या भागीदार के लिए 150 रु., प्रथम 100 से अधिक लेनदारों या भागीदारों के लिए प्रति लेनदार या भागीदार 100 रुपए की दर पर की जाएगी । इस प्रकार जमा की गई राशि को सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों में से उसे जमा करने वाले व्यक्ति को प्रतिसंदत्त की जाएगी, यदि अधिकरण, आदेश द्वारा या यदि लेनदार स्वैच्छिक परिसमापन में संकल्प द्वारा निदेश दे ।

(2) यह नियम नियम 43 के अधीन समापक द्वारा बुलाई जाने वाली या मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा होने वाली सीमित दायित्व भागीदारी समापक की रिक्ति को भरने के लिए लेनदार की पहल पर बुलाई गई बैठक को लागू नहीं होगा ।

175. बैठक का अध्यक्ष - जहां कोई बैठक, सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक द्वारा बुलाई जाती है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, बैठक का अध्यक्ष होगा । नामनिर्देशन प्ररूप सं. 58 में होगा । ऐसे लेनदारों या भागीदारों के प्रत्येक बैठक में, जो लेनदारों और भागीदारों की अधिकरण बैठक नहीं है, अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे बैठक संकल्प द्वारा नियुक्त करे । यह प्रक्रिया नियम 5 के अधीन भागीदारों की नियम 7 के अधीन लेनदारों की बैठकों को लागू नहीं होगी ।

176. लेनदारों की बैठक में संकल्प - लेनदारों की बैठक में, कोई संकल्प तब पारित किया गया समझा जाएगा, जब उपस्थित मूल्य में लेनदारों के बहुमत द्वारा व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी या मतदान द्वारा संकल्प के पक्ष में मतदान किया हो । अधिकरण द्वारा परिसमापन में, लेनदारों के मूल्य को, लेनदारों की पहली बैठक के प्रयोजन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी की पुस्तकों में दर्शित मूल्य या उसके सबूत में वर्णित रकम इनमें से जो भी कम हो, समझा जाएगा और किसी अन्य बैठक के प्रयोजन के लिए, ऐसा मूल्य समझा जाएगा, जिसके लिए लेनदार ने अपना ऋण या दावा साबित किया है ।

177. भागीदारों की बैठक का संकल्प - भागीदारों की किसी बैठक में, कोई संकल्प तब पारित किया गया समझा जाएगा, जब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित या परोक्षी संकल्प पर मत देने वाले भागीदारों के बहुमत ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया हो ।

178. संकल्पों की प्रतियों का फाइल किया जाना - अधिकरण द्वारा परिसमापन में, समापक लेनदारों या भागीदारों की बैठक में पारित प्रत्येक संकल्प की उसके द्वारा प्रमाणित प्रति अधिकरण में फाइल करेगा । अधिकरण का रजिस्ट्रार प्रत्येक दशा में ऐसे संकल्प को फाइल करेगा ।

179. लेनदार या भागीदार द्वारा सूचना प्राप्त न करना - जहां लेनदारों या भागीदारों की बैठक सूचना द्वारा बुलाई जाती है, वहां बैठक में कार्यवाहियां और संकल्प, जब तक अधिकरण अन्यथा आदेश न करे, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होंगे कि उन्हीं लेनदारों या भागीदारों ने उन्हें भेजी गई सूचना को प्राप्त न किया हो ।

180. स्थगन - अध्यक्ष, बैठक की सहमति से, उसे समय-समय पर स्थगित कर सकेगा, किन्तु स्थगित बैठक, जब तक स्थगन के लिए संकल्प में कोई अन्य स्थान विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है या जब तक अधिकरण अन्यथा आदेश न दे, उसके स्थान पर आयोजित होगी, जहां मूल बैठक होनी थी । कोई स्थगन तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक ऐसी दबाव देने वाली परिस्थितियां न हों, जो अध्यक्ष द्वारा पारित किए जाने वाले मौखिक आदेश में अभिलिखित किया जाता है ।

181. कोरम - कोई बैठक, उसके स्थगन के सिवाय, किसी प्रयोजन के लिए तब तक कार्य नहीं करेगी, जब तक उसमें, लेनदारों की बैठक की दशा में, यदि दो से अधिक लेनदार हैं तो कम से कम दो लेनदार या भागीदारों की बैठक की दशा में मत देने के लिए हकदार कम से कम दो भागीदार उपस्थित न हों या उनका प्रतिनिधित्व न हो ।

182. कोरम के अभाव में प्रक्रिया - यदि, बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों का कोरम उपस्थित न हो या उसका प्रतिनिधित्व न हो तो बैठक का आगामी सप्ताह में उसी दिन को उसी समय या स्थान पर या ऐसे अन्य दिवस या समय या स्थान पर स्थगन हो जाएगा, जो अध्यक्ष नियत करे, किन्तु नियत किया गया दिन, उस दिन से, जिसको बैठक स्थगित की गई थी, सात दिन से कम या चौदह दिन से अधिक नहीं होगा । यदि ऐसी स्थगित बैठक में, कोरम उपस्थित न हो तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो लेनदारों या भागीदारों से कोरम बनेगा और उस कारबार का संव्यवहार हो सकेगा, जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी ।

183. लेनदार कब मत दे सकता है - लेनदारों की किसी बैठक या उसके किसी स्थगन की दशा में कोई व्यक्ति लेनदार के रूप में तब तक मतदान करने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक उसने बैठक बुलाए जाने वाली सूचना में उस प्रयोजन के लिए वर्णित समय के पूर्व समापक के पास सम्यक रूप से उस ऋण का सबूत दाखिल न किया हो, जो सीमित दायित्व भागीदारी से उसको देय है । लेनदारों की अन्य बैठकों की दशा में, कोई व्यक्ति, लेनदार के रूप में मतदान करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उसने समापक के पास उस ऋण का सबूत न

दाखिल किया हो, जो सीमित दायित्व भागीदारी से उसको देय हो और उस सबूत को पूर्णतया या भाग में उस तारीख से पूर्व ऋण न किया गया हो, जिसको बैठक होती है :

परंतु यह नियम ऐसे लेनदारों या वर्ग के लेनदारों को और जो इन नियमों या उनके अधीन किए गए किन्हीं निर्देशों के आधार पर अपने ऋणों को साबित करने के लिए अपेक्षित नहीं हैं और स्वैच्छिक समापन बैठकों को लागू नहीं होगा ।

184. वे मामले, जिनमें लेनदार मतदान नहीं कर सकेंगे - कोई लेनदार किसी समापन न किए गए या आकस्मिक ऋण या ऐसे किसी ऋण के संबंध में मतदान जिसका मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया गया है, तभी मतदान करेगा और कोई लेनदार उसके द्वारा धारित चालू विनिमय पत्र या वचन-पत्र पर या द्वारा प्रतिभूत किसी ऋण के संबंध में मतदान तभी नहीं करेगा, जब वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के, जो सीमित दायित्व भागीदारी के प्रति उसके लिए अनिवार्य रूप से दायी है और जिसके विरूद्ध उसके पास प्रतिभूति के रूप में, उसके मूल्य का अनुमान लगाने और मतदान करने के प्रयोजन के लिए किन्तु लाभांश के प्रयोजनों के लिए और अपने सबूत में से उसकी कटौती करने के लिए कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, उसके संबंध में दायित्व को अपने पर मानने का इच्छुक है ।

185. प्रतिभूत लेनदार कब मतदान कर सकता है - (1) अधिकरण द्वारा परिसमापन में, किसी बैठक में मतदान के प्रयोजनों के लिए कोई प्रतिभूत लेनदार, जब तक वह अपनी प्रतिभूति अभ्यर्थित नहीं करता, अपने सबूत में अपनी प्रतिभूति की विशिष्टियों का सबूत, उस तारीख, जब उसे दिया जाना था और उस मूल्य का, जिसपर वह उसका निर्धारण करता है, कथन करेगा और अपनी प्रतिभूति के मूल्य की कटौती करने के पश्चात्, केवल उसे देय अतिशेष के संबंध में ही, यदि कोई हो, मत देने का हकदार होगा ।

(2) किसी स्वैच्छिक समापन बैठक में मतदान के प्रयोजन के लिए, कोई प्रतिभूत लेनदार, जब तक वह अपनी प्रतिभूति अभ्यर्पित नहीं करता, सीमित दायित्व भागीदारी समापक के पास या जहां कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक नहीं है, वहां बैठक से पूर्व सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अपनी प्रतिभूति की विशिष्टियां, उस तारीख को, जब वह दी थी और उस मूल्य को, जिस पर उसका निर्धारण किया गया था, देने वाला एक विवरण दाखिल करेगा और अपनी प्रतिभूति के मूल्य की कटौती करने के पश्चात् केवल उसे देय अतिशेष, यदि कोई हो, के संबंध में ही मतदान करने का हकदार होगा ।

(3) यदि, अपने संपूर्ण ऋण के संबंध में प्रतिभूत लेनदार मत देता है, उसे ऐसा समझा जाएगा जिसने अपनी प्रतिभूति अभ्यर्पित की है । जब तक आवेदन पर अधिकरण का यह समाधान नहीं हो जाता है कि असावधानी के कारण प्रतिभूति के मूल्य का लोप था ।

186. जब प्रतिभूति लेनदार प्रतिभूति का अभ्यर्पण किए बिना मतदान करता है, तब प्रक्रिया - समापक, उस बैठक के, जिसमें प्रतिभूत लेनदार ने प्रतिभूति के अपने मूल्यांकन के आधार पर मतदान किया है, बैठक की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उसके द्वारा इस प्रकार अनुमानत मूल्य के संदाय पर, साधारणतया लेनदारों के फायदे के लिए प्रतिभूति को छोड़ने की उससे अपेक्षा कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उस लेनदार को प्रतिभूति को छोड़ने हेतु विवश करने के आदेश के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेगा :

परंतु अधिकरण, अच्छा कारण दर्शित करने पर, किसी लेनदार को प्रतिभूति छोड़ने की अपेक्षा किए जाने से पूर्व, खर्चों के बारे में ऐसे निबंधनों पर, जो अधिकरण न्यायोचित समझे, अपने मूल्यांकन की शुद्धि कर सकेगा ।

187. नियम 183 से नियम 186 में विनिर्दिष्ट लेनदारों द्वारा मतदान की प्रक्रिया लेनदारों की अधिकरण बैठक को लागू नहीं होगी ।

188. मतदान के प्रयोजनों के लिए सबूतों का अभिग्रहण या अस्वीकृति - अध्यक्ष को मतदान के प्रयोजन के लिए किसी सबूत को ग्रहण या अस्वीकार करने की शक्ति होगी, किन्तु उसका विनिश्चय अधिकरण को अपील करने के अधीन रहते हुए होगा । यदि उसे यह संदेह है कि क्या सबूत को ग्रहण या नामंजूर किया जाना चाहिए तो वह उसे आक्षेप किए गए अनुसार चिन्हित करेगा और लेनदार को, आक्षेप के मान्य ठहराए जाने की दशा में उसे, अविधिमान्य घोषित किए जाने के अधीन रहते हुए, मतदान करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

189. अधिकरण की बैठकों की रिपोर्ट - जहां बैठक अधिकरण के निदेश के अधीन बुलाई गई है, वहां अध्यक्ष अधिकरण द्वारा नियत समय के भीतर या यदि कोई समय नियत नहीं किया गया हो तो, बैठक की समाप्ति के सात दिन के भीतर उसके परिणाम अधिकरण को रिपोर्ट करेगा । ऐसी रिपोर्ट प्ररूप सं. 59 में होगी ।

190. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त - (1) अध्यक्ष बैठक में कार्यवाहियों का कार्यवृत्त तैयार कराएगा और उसे उचित रूप से पुस्तक में प्रविष्ट कराएगा और कार्यवृत्त पर उसके द्वारा या अगली बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) प्रत्येक बैठक में उपस्थित लेनदारों और भागीदारों की एक सूची तैयार की जाएगी और प्ररूप सं. 60 में रखी जाएगी ।

अधिकरण द्वारा परिसमापन में बैठकों और स्वैच्छिक परिसमापन में लेनदारों की बैठकों के संबंध में परोक्षी

191. परोक्षी द्वारा मतदान - कोई लेनदार या भागीदार व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा मतदान कर सकेगा । जहां कोई व्यक्ति, लेनदारों या भागीदारों की किसी बैठक में किसी निगमित निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत है, वहां ऐसा व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के पश्चात बैठक की दशा में समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक को या किसी अन्य बैठक में, बैठक के अध्यक्ष को उसे इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले संकल्प की प्रति पेश करेगा । ऐसी प्रति, निगमित निकाय के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अभिहित भागीदार अथवा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत, जो यह प्रमाणित करेगा कि वह इस प्रकार प्राधिकृत है ।

192. परोक्षी का प्ररूप - कोई लेनदार या भागीदार किसी व्यक्ति को साधारण परोक्षी या विशेष परोक्षी दे सकेगा । साधारण परोक्षी प्ररूप सं. 61 में और विशेष परोक्षी प्ररूप सं. 61क में होंगे ।

193. समापक या अध्यक्ष के परोक्षी - अधिकरण द्वारा परिसमापन में कोई लेनदार या भागीदार समापक को और स्वैच्छिक परिसमापन में, सीमित दायित्व भागीदारी समापक को या यदि सीमित दायित्व भागीदारी समापक नहीं है तो अपने शासकीय नियंत्रणाधीन किसी अन्य व्यक्ति को अपने साधारण या विशेष परोक्षी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

194. तैनातियों द्वारा परोक्षियों का उपयोग - जहां ऐसा समापक, जो कोई परोक्षी धारित करता है, ऐसी बैठक, जिसके लिए वे दी गई हैं, में भाग नहीं ले सकता है तो वह लिखित में अपने शासकीय नियंत्रणाधीन किसी अन्य व्यक्ति को अपने ओर से और ऐसी रीति में, जो वह निदेश करे, अपने परोक्षी के रूप में उपयोग कर सकेगा ।

195. सूचना के साथ भेजे जाने वाले प्ररूप - परोक्षियों के प्ररूप बैठक बुलाने वाली सूचना के साथ लेनदारों और भागीदारों को भेजे जाएंगे । भेजे जाने से पूर्व प्ररूप पर कोई नाम लिखित या मुद्रित नहीं किया जाएगा ।

196. दर्ज की जाने वाली परोक्षियां - कोई परोक्षी उस बैठक के, जिसमें उसका उपयोग किया जाना है, पूर्व अंड़तालीस घंटे के अपश्चात् अधिकरण द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन में स्वैच्छिक परिसमापन में समापक के पास या यदि स्वैच्छिक परिसमापन में कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक नहीं है तो बैठक बुलाए जाने वाली सूचना में उसे प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति के पास दर्ज कराई जाएगी ।

197. परोक्षी के धारक द्वारा उन मामले में मतदान नहीं करना, जिसमें वह वित्तीय रूप से हितबद्ध है - साधारणतः या विशेष परोक्षी के अधीन कार्य कर रहा कोई व्यक्ति के ऐसे किसी संकल्प के पक्ष में मतदान नहीं करेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसे या उसके भागीदार या नियोजक को सीमित दायित्व भागीदारी के अन्य लेनदारों के समानुपात में लेनदार के रूप में से अन्यथा सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्थिति में रखती है ।

198. अवयस्क का परोक्षी के रूप में नियुक्त न किया जाना - ऐसे किसी व्यक्ति की, जो अवयस्क है, साधारण या विशेष परोक्षी के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

199. जहां लेनदार या भागीदार दृष्टिहीन या अशक्त हैं, वहां परोक्षी का भरा जाना - किसी दृष्टिहीन या लिखने में अशक्त लेनदार या भागीदार की परोक्षी तब स्वीकार की जा सकेगी, जब ऐसे लेनदार या भागीदार ने ऐसे साक्षी की उपस्थिति में उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं या छाप लगाई है जो उस पर अपने हस्ताक्षर, अपना विवरण और पता लिखेगा :

परंतु परोक्षी में सभी अंतःस्थापन साक्षी हस्तलेख में हो और ऐसे साक्षी ने परोक्षी के नीचे यह प्रमाणित किया हो कि उसके द्वारा सभी ऐसे अंतःस्थापन लेनदार या भागीदार के अनुरोध पर और उनकी उपस्थिति में, उसके द्वारा अपना हस्ताक्षर करने या छाप लगाने से पहले किए गए हैं ।

200. अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्ति का परोक्षी - ऐसे लेनदार या भागीदार का परोक्षी, जो अंग्रेजी नहीं जानता है, तब स्वीकार की जा सकेगी, जब उसे अंतिम पूर्व नियम में विहित रीति में निष्पादित किया गया है और साक्षी यह प्रमाणित करता है कि उसे लेनदार या भागीदार को उन्हें ज्ञात भाषा में स्पष्ट कर दिया गया था और हस्ताक्षर के नीचे अंग्रेजी में लेनदार या भागीदार का नाम देता है ।

लेनदारों और भागीदारों की उपस्थिति और उपसंजाति

201. उपस्थिति प्रक्रियाएं - (1) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय और अधिकरण के आदेश द्वारा, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की सूची में तत्समय प्रत्येक व्यक्ति और ऐसा प्रत्येक लेनदार, जिसका ऋण समापक द्वारा पूर्णतया या भाग में ग्रहण किया गया है, अपने स्वयं के खर्चे पर अधिकरण के समक्ष या समापक के समक्ष कार्यवाहियों में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके द्वारा हुए खर्चों के संदाय पर ऐसी सभी कार्यवाहियों की सूचना पाने के लिए हकदार होगा, जिसकी वह समापक को संबोधित लिखित अनुरोध पर सूचना पाने की वांछा करेगा, किंतु यदि अधिकरण की यह राय होगी कि ऐसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति से ऐसे कोई अतिरिक्त खर्चे

आएं हैं, जिनकी सीमित दायित्व की निधि से वहन नहीं किए जाने चाहिए, तो वह ऐसे खर्चों या उसके स्थान पर सफेल राशि का उस व्यक्ति द्वारा संदाय किए जाने का निदेश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, जब तक वह उसका संदाय नहीं कर देता, तब तक किसी आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार नहीं होगा ।

(2) कोई सदस्य या भागीदार सदस्य के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में उपस्थित होने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब और जब तक उसने या उसकी ओर से किसी अधिवक्ता या प्लीडर या प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थिति फाइल न की हो । अधिकरण का रजिस्ट्रार एक ' उपस्थिति पुस्तिका' रखेगा, जिसमें वह ऐसी सभी उपस्थितियों को प्रविष्ट करेगा । ऐसी पुस्तिका सामापक के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

202. अधिकरण के समक्ष लेनदारों और भागीदारों का प्रतिनिधित्व - अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, समय-समय पर, किसी एक या अधिक लेनदारों या भागीदारों को अधिकरण के समक्ष किसी प्रश्न पर या किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में सभी या किसी वर्ग के लेनदारों या भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के खर्चे पर नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को हटा सकेगा, यदि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस नियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही अधिवक्ता या प्लीडर या एक ही प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियोजित कर सकेगा और जहां वे नियोजित किए जाने वाले अधिवक्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि के बारे में सहमति बनाने में असफल रहते हैं, वहां सदस्य उनके लिए अधिवक्ता या प्लीडर को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

अधिकरण द्वारा परिसमापन में आस्तियों का संग्रहण और वितरण ।

203. समापक की शक्ति - सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के संग्रहण और सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्वों के उन्मोचन में आस्तियों के उपयोजन के संबंध में अधिकरण पर अधिरोपित कर्तव्यों का, अधिकरण के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अधिकरण के अधिकारी के रूप में समापक द्वारा निर्वहन किया जाएगा ।

204. समापक का रिसीवर की हैसियत में होना - के अधीन समापक द्वारा निर्वहन के लिए, नियम 41 और नियम 203 के अधीन शक्ति के प्रयोग में समापक की, सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति का कब्जा अर्जित करने और प्रतिधारित करने के प्रयोजन के लिए, वही हैसियत होगी, मानो वह अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया रिसीवर हो और अधिकरण उसके आवेदन पर तदनुसार ऐसे अर्जन या प्रतिधारण को प्रवृत्त कर सकेगा ।

205. सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति की अध्यपेक्षा करने पर समापक को अभ्यर्थित किया जाना - ऐसी किसी सीमित दायित्व भागीदारी का, जिसका अधिकरण के आदेश के अधीन परिसमापन किया जा रहा है, भागीदारों की

सूची में तत्समय कोई भागीदार, न्यासी, रिसीवर, बैंककार या अभिकर्ता या अधिकारी समापक की सूचना पर और ऐसे समय के भीतर, जो वह सूचना द्वारा अपेक्षित करे, ऐसी किसी धनराशि, संपत्ति या दस्तावेज, पुस्तकों या कागजपत्रों का, जो तत्समय उसके पास हों और जिसके लिए सीमित दायित्व भागीदारी प्रथम दृष्टया हकदार है समापक को या उसके हाथ में संदाय, परिदान, देने, अभ्यर्पण या अंतरण करेगा । जहां इस प्रकार अपेक्षित व्यक्ति सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां समापक समुचित आदेशों के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेगा । सूचना प्ररूप सं. 62 में होगी ।

अधिकरण द्वारा परिसमापन में भागीदारों से शोध्य धन राशियां, जिसके अंतर्गत अतिशेष अभिदाय, आदि भी हैं ।

206. समापक द्वारा वसूल न किए गए अभिदायों आदि की वसूली करना - अभिदाय के संबंध में किसी प्रभार या विलंगम के होते हुए भी, समापक एक मात्र रूप से पालन की जाने वाली सेवाओं की संविदाओं या अभिदाय करने के करार के संबंध में या किसी अन्य दशा में किसी भागीदार से जो अभिदाय करने के लिए बाध्य था किन्तु अभिदाय न किए गए को प्राप्त करने या अवसूलीकृत या अतिशेष अभिदाय को वसूल करने के लिए हकदार होगा । ऐसी वसूली को प्रभारों से मुक्त सीमित दायित्व भागीदारी का संग्रहण समझा जाएगा ।

207. मांग की सूचना की तामील - समापक, ऐसे भागीदार से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, चौदह दिन से अन्यून की मांग सूचना की रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा प्ररूप सं. 63 में तामील करेगा ।

208. मांग के संदाय के लिए आदेश - भागीदार के संदाय करने में असफल् रहने की दशा में, समापक, उसके द्वारा मांग के संबंध में देय धनराशियों के संदाय के लिए किसी भागीदार या भागीदारों के विरूद्ध आदेश के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेगा । आवेदन, प्ररूप सं. 64 में समनों के साथ किया जाएगा और उसके समर्थन में, प्ररूप सं. 65 में एक शपथपत्र होगा । शपथपत्र की एक प्रति सहित, आवेदन की सूचना की, अभिस्वीकृति के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा या पेनल में के कुरियर अभिकरण के माध्यम से समनों की सुनवाई के लिए नियत तारीख से पूर्व चौदह दिन से अन्यून में भागीदार का तामील की जाएगी । संदाय का आदेश प्ररूप सं. 66 में होगा ।

209. भागीदारों द्वारा देय अन्य धनराशियां - जब किसी भागीदार से या ऐसे व्यक्ति की संपदा से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, अवसूलीकृत, प्राप्त न किए गए या अतिशेष अभिदाय के संबंध में परिसमापन के पश्चात् मांग करने पर, शोध्य धनराशि से भिन्न कोई धनराशि सीमित दायित्व भागीदारी को शोध्य है तो समापक ऐसी धनराशियों के संदाय के लिए उस भागीदार के विरूद्ध आदेश के लिए एक शपथपत्र के साथ अधिकरण में आवेदन कर सकेगा ।

आवेदन की सूचना, आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख से चौदह दिन से अपश्चात रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या पेनल के कुरियर अभिकरण के माध्यम से ऐसे भागीदार को दी जाएगी ।

सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति, आदि रखने के लिए संदिग्ध व्यक्ति की परीक्षा और कपट, आदि के संबंध में भागीदारों, अभिहित भागीदारों, अधिकारियों, आदि की परीक्षा

210. संपत्ति, आदि होने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों की परीक्षा के लिए आवेदन - (1) सीमित दायित्व भागीदार के किसी अधिकारी या ज्ञात व्यक्ति या यह संदिग्ध है कि उसके पास सीमित दायित्व भागीदारी की कोई संपत्ति या बहियां या कागज पत्र उसके कब्जे में है या यह ज्ञात या संदेहास्पद है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी का ऋणी है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अधिकरण सीमित दायित्व भागीदारी के विरचन, व्यवसाय, लेनदेन, संपत्ति, बहियों या कागज पत्र की जानकारी देने के लिए समर्थ समझे, की परीक्षा के लिए आवेदन एक पक्षीय किया जा सकेगा :

परंतु जहां आवेदन समापक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है वहां आवेदन की सूचना समापक को दी जाएगी ।

(2) समन प्ररूप सं. 67 में होंगे और जहां आवेदन समापक द्वारा किया गया है, वहां उसके साथ उन तथ्यों को उपवर्णित करते हुए, जिनपर आवेदन आधारित है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण होगा । जहां आवेदन समापक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, वहां समनों के साथ उन विषयों को, जिनके संबंध में परीक्षा चाही गई है और उन आधारों को, जिनपर समनों के समर्थन में निर्भर किया गया है, उपवर्णित करते हुए एक शपथपत्र होगा ।

211. समनों की सुनवाई पर निर्देश - समनों की सुनवाई पर, सदस्य, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आदेश करने के लिए आधार है तो आदेश में नामित व्यक्ति के विरूद्ध उसकी परीक्षा करने और/या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा । जब तक सदस्य अन्यथा निदेश न करे, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा चेम्बर में की जाएगी । आदेश प्ररूप सं. 68 में होगा ।

212. कमीशन पर या प्रश्नों द्वारा परीक्षा - अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, किसी व्यक्ति को परीक्षा के लिए अधिकरण के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए समन जारी करने के बजाय, उस सदस्य को, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है या प्रश्नकर्ताओं द्वारा, जो अधिकरण ठीक समझे, उसकी परीक्षा करने के लिए आदेश कर सकेगा ।

213. समन की तामील - आदेश के अनुसरण में जारी किए गए समन प्ररूप सं. 69 में होंगे और परीक्षा के लिए नियत तारीख से पूर्व सात दिन के अपश्चात उस व्यक्ति पर परीक्षा के लिए उसकी तामील की जाएगी । जहां समन

व्यक्तिगत रूप से तामील किए जाते हैं वहां समन किए गए व्यक्ति को समन के साथ उसके खर्च के लिए अधिकरण में प्रवृत्त फीस के मान को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए, सदस्य या अधिकरण के रजिस्ट्रार द्वारा नियत किए जाने वाले उपयुक्त राशि संदत्त या निविदत्त की जाएगी । जब समन रजिस्टर्ड या स्पीड डाक द्वारा तामील किए गए हों तब उस व्यक्ति को ऐसी राशि किसी अन्य रीति में भेजी जाएगी ।

214. परीक्षा का संचालन - (1) समापक एक परीक्षा का संचालन करेगा । तथापि, अधिकरण, यदि किसी कारण से वह ऐसा करता तो परीक्षा का संचालन किसी भागीदार या लेनदारों को सौंप सकेगा । जहां परीक्षा संचालन समापक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया है, वहां समापक किसी भी दशा में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा और परीक्षा का अपने उपयोग के लिए और परीक्षा किए गए व्यक्ति से ऐसे प्रश्न कर सकेगा, जो अधिकरण अनुज्ञात करे ।

(2) उपनियम (1) में यथाउपबंधित के सिवाय, समापक या उसके अधिवक्ता के सिवाय, कोई व्यक्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए हकदार नहीं होगा, किन्तु परीक्षित किया गया कोई व्यक्ति अपने अधिवक्ता की सहायता लेने के लिए हकदार होगा, जो साक्षी की पुनः परीक्षा कर सकेगा :

परंतु अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, किसी भागीदार या लेनदार को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करे, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा ।

(3) परीक्षा के टिप्पणों को साक्षी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अधिकरण में यह वचनबंध देने पर लिए जाने की अनुमति दी जा सकेगी कि ऐसे टिप्पणों का उपयोग केवल साक्षियों की पुनःपरीक्षा के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा । परीक्षा की समाप्ति पर, टिप्पणों को, जब तक अन्यथा निदेश न किया गया हो, नष्ट किए जाने के लिए अधिकरण को सौंप दिया जाएगा ।

215. अभिसाक्ष्य के टिप्पण - (1) परीक्षा किए गए किसी व्यक्ति के अभिसाक्ष्य की सूचना पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और अधिकरण के रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज किया जाएगा । टिप्पण, समापक के सिवाय न तो किसी लेनदार, भागीदार या अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, न ही उसकी कोई प्रति या उसके उद्धरण, अधिकरण के आदेशों के सिवाय, समापक से भिन्न किसी व्यक्ति को किए जाएंगे ।

(2) अधिकरण, समय-समय पर, ऐसे टिप्पणों के निरीक्षण और उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण देने की अभिरक्षा के बारे में ऐसे साधारण या विशेष निर्देश दे सकेगा, जो वह समीचीन समझे ।

216. कपट, आदि के संबंध में भागीदारों, अभिहित भागीदारों, अधिकारियों, आदि की सार्वजनिक परीक्षा के लिए आदेश - (1) जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की परीक्षा के लिए कोई आदेश किया जाता है, वहां परीक्षा सदस्य के समक्ष की जाएगी, सदस्य यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की संपूर्ण परीक्षा या उसका कोई भाग ऐसे अधिकारियों के समक्ष किया जाएगा, जो आदेश में उल्लिखित किए जाएं । जहां परीक्षा की तारीख आदेश द्वारा नियत नहीं की गई है, वहां समापक, उस सदस्य या अधिकारी से जिसके समक्ष परीक्षा की जाती है, परीक्षा की तारीख के बारे में मिलने का समय लेगा । सार्वजनिक परीक्षा निदेश देने वाला आदेश प्ररूप सं. 70 में होगा ।

(2) सदस्य, यदि वह ठीक समझे, परीक्षा के आदेश में या किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा उन विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में निदेश दे सकेगा, जिन पर उस व्यक्ति की परीक्षा की जाती है ।

217. सार्वजनिक परीक्षा की सूचना - परीक्षा के लिए नियत तारीख से सात पूर्ण अन्यून दिनों से पूर्व, समापक ऐसे समाचार पत्र में, जो सदस्य निदेश करे विज्ञापन द्वारा प्ररूप सं.च 71 में सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों और भागीदारों को उसकी सूचना देगा और उसी अवधि के भीतर, परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड या स्पीड डाक द्वारा या पेनल में के कुरियर अभिकरण के माध्यम से परीक्षा के लिए नियत तारीख और समय की और परीक्षा का निदेश देने वाले आदेश की एक प्रति के साथ उस अधिकारी को, जिसके समक्ष परीक्षा की जाती है, जहां कोई सार्वजनिक परीक्षा स्थगित की जाती है, वहां, जब तक अन्यथा आदेश न किया गया हो, स्थगन को विज्ञापित करना या उसकी सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा । प्ररूप सं. 72 में एक सूचना की तामील करेगा ।

218. अधिकरण में सार्वजनिक परीक्षा का स्थगन - जहां सदस्य के द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष हुई परीक्षा पर, उस अधिकारी की यह राय है परीक्षा को असम्यक रूप से या अनावश्यक रूप से संरक्षित किया जा रहा है या किसी अन्य पर्याप्त कारण से उसकी यह राय है कि परीक्षा सदस्य के समक्ष की जानी चाहिए तो ऐसा अधिकारी किसी व्यक्ति की परीक्षा को या सदस्य के समक्ष की जाने वाली परीक्षा के किसी भाग को स्थगित कर सकेगा और सदस्य को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । तदुपरांत सदस्य स्वयं ऐसी परीक्षा आयोजित कर सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

219. धृष्टता के लिए प्रक्रिया – (1) यदि कोई व्यक्ति सदस्य द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष परीक्षा किए जाने पर किसी प्रश्न का, जो वह अधिकारी पूछता है या पूछे जाने की अनुज्ञा देता है, ऐसे अधिकारी के समाधानप्रद

उत्तर देने से इनकार करता है, तो ऐसा अधिकारी इस प्रकार इनकार किए जाने की रिपोर्ट सदस्य को देगा और ऐसी रिपोर्ट किए जाने पर व्यतिक्रमी व्यक्ति की वैसी ही स्थिति होगी और उस पर उसी प्रकार विचार किया जाएगा मानो उसने सदस्य के समक्ष उत्तर देने में व्यतिक्रम किया हो ।

(2) रिपोर्ट लिखित में होगी और उसमें पूछे गए प्रश्न या प्रश्नों तथा परीक्षा किए गए व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर या उत्तरों, यदि कोई है, का उल्लेख होगा और अधिकारी परीक्षा किए गए व्यक्ति को वह तारीख सूचित करेगा कि उसे कब सदस्य के समक्ष हाजिर होना चाहिए । रिपोर्ट प्ररूप सं. 73 में होगी । सदस्य रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात् उस पर ऐसी कार्यवाही, जैसा कि वह ठीक समझे, करेगा ।

220. परीक्षा के टिप्पण – प्रत्येक सार्वजनिक परीक्षा के टिप्पण, हस्ताक्षर करने के पश्चात्, समापन के अभिलेखों का भाग होंगे । समापक, परीक्षा किया गया व्यक्ति और सीमित दायित्व भागीदारी का कोई लेनदार या भागीदार अधिकरण से, विहित प्रभार का संदाय करने के पश्चात्, इसकी एक प्रति अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा ।

221. उपरोक्त नियमों के अधीन परीक्षा के आशुलिपिक टिप्पण – अधिकरण, किसी परीक्षा की बाबत यह आदेश कर सकेगा कि साक्ष्य आशुलिपि में लिखा जाए । जहां ऐसा आदेश किया गया है, वहां सदस्य या अधिकारी, जिसके समक्ष साक्ष्य लिया गया है, साक्ष्य लिखने के लिए किसी को नामनिर्देशित करेगा और इसके लिए खर्चे, यदि कोई है, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों से संदत्त किए जाएंगे । परीक्षा के आशुलिपि टिप्पणों का प्रतिलेखन किया जाएगा और प्रतिलेखन को परीक्षा किए व्यक्ति को या उसके द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, और उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

222. किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा अधीन किए गए कपट आदि के लिए निरपराध घोषित करने के लिए आवेदन – किसी व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए या सूचित किए गए किसी आरोप से निरपराध घोषित किए जाने का आदेश करने के लिए आवेदन समापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जैसा की अधिकरण निदेश करे, सूचना देने के पश्चात् किया जाएगा ।

223. परीक्षा के लिए हाजिर होने में व्यतिक्रम – (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे अधिकरण द्वारा परीक्षा के लिए हाजिर होने का निदेश किया गया है, ऐसी परीक्षा करने या कार्रवाई करने के लिए नियत समय और स्थान पर हाजिर होने में असफल रहता है और उसके द्वारा ऐसी असफलता के लिए कोई संतोषजनक कारण दर्शित नहीं

किया जाता है, या यदि ऐसी परीक्षा के लिए नियत दिन से पूर्व समापक अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसा व्यक्ति भगौड़ा हो गया है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह परीक्षा से बचने की दृष्टि से भगौड़ा हो सकता है, तो अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर परीक्षा के लिए नियत तारीख और समय की सूचना सम्यक् रूप से तामील की गई थी, ऐसा आदेश, जैसा कि वह ठीक समझेगा, करेगा ।

224. कपट आदि के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा – जहां, स्वेच्छया से किए गए किसी परिसमापन में कपट आदि के संबध में किन्हीं व्यक्तियों की सार्वजनिक परीक्षा के लिए आदेश किया गया है, वहां अधिकरण द्वारा द्वारा किए गए किसी परिसमापन में किसी सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसी परीक्षा की बाबत लागू होगी ।

सीमित दायित्व भागीदारी के अपचारी भागीदारों, अभिहित भागीदारों और अधिकारियों के विरुद्ध आवेदन

225. कारबार के कपटपूर्वक संचालन के लिए दायित्व के संबंध में या अपचारी भागीदारों आदि के विरुद्ध नुकसानी का निर्धारण करने के लिए आवेदन – आवेदन प्रथम बार में ही कक्ष में प्रत्यावर्तनीय समन द्वारा किया जाएगा । समन में उस घोषणा या आदेश, जिसके लिए आवेदन किया गया है और आवेदन के आधारों का उल्लेख किया जाएगा और आवेदन की सुनवाई के लिए समन में नामित दिन से कम-से-कम सात दिन पूर्व उस प्रत्येक व्यक्ति पर तामील किया जाएगा जिसके विरुद्ध आदेश की ईप्सा की गई है । समन के प्रत्यावर्तन से पूर्व कोई शपथपत्र या रिपोर्ट फ़ाइल करना आवश्यक नहीं होगा । समन प्ररूप सं. 74 या 74-क मे, ऐसे फेरफार के साथ जैसा कि आवश्यक हो, किया जाएगा ।

226. समन की आरंभिक सुनवाई पर निदेश – समन की वापसी पर अधिकरण इस बारे में कि क्या दावे के बिंदु और प्रतिरक्षा परिदत्त की जानी है, क्या साक्ष्य शपथपत्र द्वारा पूर्णतः या भागतः या मौखिक लिया जाना है, आवेदन के समर्थन या विरोध में शपथपत्रों के किसी शपथकर्ता की प्रतिपरीक्षा के बारे में, सुनवाई पर सदस्य के समक्ष या तो अधिकरण में या कक्ष में हाज़िर होने के बारे में, किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो समापक से अपेक्षित है और सामान्यतः समन पर सुनवाई के लिए प्रक्रिया के बारे में, ऐसे निदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । परिदत्त किए जाने वाले दावे के बिंदु प्ररूप सं0 75 या प्ररूप सं0 75क में ऐसे परिवर्तन के साथ होंगे जो आवश्यक हों ।

IndiaCode

227. अतिरिक्त निदेशों के लिए आवेदन – जहां अधिकरण ने यह निदेशित किया है कि दावे के बिन्दु और प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाएंगे, वहां कोई भी पक्षकार, जो किसी अन्तर्वर्ती मामले के विषय में किसी अन्य अतिरिक्त निदेश के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह समन के सुनवाई के लिए रखे जाने के पूर्व, समन से प्रत्यावर्तन करके दूसरे पक्षकार को आवेदन के आधारों का उल्लेख करते हुए लिखित में दो पूर्ण दिन की सूचना देने के पश्चात्, ऐसे निदेश के लिए आवेदन करेगा । सूचना की एक प्रति आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख से दो पूर्ण दिन पूर्व अधिकरण के रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

228. दुर्भर संपत्ति पर दावा-त्याग के लिए आवेदन – (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति के किसी भाग का दावा-त्याग करने की इजाजत के लिए आवेदन समन करके किया जाएगा और इसके समर्थन में संपत्ति से संबंधित सभी तथ्यों, हितबद्ध पक्षकारों और उनके हित की प्रकृति को उपवर्णित करते हुए तथा यह उल्लेख करते हुए कि क्या सीमित दायित्व भागीदारी ऋणशोधक्षम है और क्या किसी पक्षकार द्वारा समापक पर यह अपेक्षा करते हुए सूचना तामील की गई है कि वह दावा-त्याग करेगा या नहीं, एक शपथपत्र संलग्न किया जाएगा ।

(2) प्ररूप सं. 76 से 76-च, ऐसे फेरफार सहित जो आवश्यक हो, जिन मामलों की बाबत इनका संबंध है, प्रयोग किए जाएंगे ।

229. समन की आरंभिक सुनवाई – समन, प्रथमतः अधिकरण के समक्ष ऐसे व्यक्तियों, जिन पर समन की सूचना तामील की जानी चाहिए, के बारे में निदेश करने के लिए प्रथम दृष्टया एकपक्षीय रूप से डाक से भेजा जाएगा, और तदुपरि अधिकरण समन की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और उन व्यक्तियों, जिन पर समन की सूचना तामील की जानी चाहिए, के बारे में ऐसे निदेश, जो आवश्यक हों, करेगा ।

230. दावेदार अपने हित का कथन प्रस्तुत करेगा – जहां कोई व्यक्ति किसी सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति के किसी ऐसे भाग में हितबद्ध होने का दावा करता है जिसका समापक दावा-त्याग करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति, यदि समापक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, उसके द्वारा दावाकृत हित का कथन प्रस्तुत करेगा ।

231. सूचना की तामीली – समन की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख की सूचना प्ररूप सं. 77 में होगी और सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख से कम-से-कम सात दिन पूर्व, समन और इसके समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र की एक प्रति के साथ, तामील की जाएगी । सूचना में यह अपेक्षा की जाएगी कि समन के विरोध में कोई

शपथपत्र अधिकरण में फाइल किया जाएगा और इसकी एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी के समापक पर सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम-से-कम दो दिन के अपश्चात् तामील की जाएगी ।

232. दावा-त्याग की इजाज़त प्रदान करने का आदेश – अधिकरण समन की सुनवाई पर समापक और अन्य ऐसे पक्षकारों, जो जारी की गई सूचनाओं के उत्तर में उपसंजात हो सकते हैं तथा उपसंजात होने वाले और हितबद्ध अन्य ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई, जिनकी सुनवाई करना अधिकरण ठीक समझे, करने के पश्चात् समापक को इज़ाज़त प्रदान करेगा और वह ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई है, जो अधिकरण ठीक समझे दावा-त्याग करेगा । दावा-त्याग करने की इजाजत प्रदान करने के लिए आदेश प्ररूप सं. 78 में होगा ।

233. दावा-त्याग को अधिकरण में फाइल किया जाना – (1)समापक द्वारा प्रत्येक दावा-त्याग अधिकरण में फाइल किया जाएगा और वह तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि उसे इस प्रकार फाइल न किया जाए । जहां दावा-त्याग पट्टाधृत हित की बाबत है, वहां इसे तुरन्त अधिकरण में फाइल किया जाएगा । दावा-त्याग फाइल करने की सूचना संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों को दी जाएगी । दावा-त्याग में दावा त्याग किए गए हित की विशिष्टियां और उन व्यक्तियों का विवरण, जिनको दावा-त्याग की सूचना दी गई है, अंतर्विष्ट होंगी । दावा-त्याग प्ररूप सं. 79 में होगा और दावा-त्याग की सूचना प्ररूप सं. 80 में होगी ।

(2) जहां दावा त्याग, अधिकरण में फाइल किया गया है, वहां समापक उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को फाइल करेगा ।

234. दावा-त्याग की गई संपत्ति को निहित किया जाना – जहां दावा-त्याग की गई संपत्ति पट्टाधृत हित है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति निहित करने के आदेश के लिए आवेदन किया गया है, जो या तो किसी अदावाकृत संपत्ति में किसी हित का दावा करता है या किसी अदावाकृत संपत्ति के संबंध में अधिनियम द्वारा उन्मोचन नहीं है और किसी दायित्वाधीन है और ऐसे व्यक्तियों को सुने जाने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, किसी संपत्ति को निहित करने या किसी ऐसे व्यक्ति को जो इसके लिए हकदार है, संपत्ति का परिदान करने या उसको या जिसे वह ठीक प्रतीत समझे कि उपरोक्तनुसार ऐसे दायित्व के लिए प्रतिकर द्वारा संपत्ति उसे या उसके लिए न्यासी को ऐसे निबंधनों पर जो अधिकरण ठीक समझे, का परिदान किया जाना चाहिए के लिए आदेश कर सकेगा ; और ऐसे निहित आदेश को किए जाने पर, उसमें समाविष्ट संपत्ति तदनुसार उस निमित्त किसी प्रयोजन के लिए बिना हस्तांतरण या समनुदेशन के उसक व्यक्ति के नाम निहित होगी ।

परंतु जहां अदावाकृत संपत्ति पट्टाधृति स्वरूप की है, वहां अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निहित आदेश नहीं करेगा जो सीमित दायित्व भागीदारी के अधीन दावा कर रहा है, चाहे वह उप पट्टाधारी या बंधकदार या पट्टांतरण द्वारा भारसाधक हो, निबंधन करने के सिवाए वह व्यक्ति-

(क) उन्ही दायित्व और बाध्यताओं के अधीन रहते हुए जो उनपर जिसको परिसमापन के प्रारंभ में संपत्ति की बाबत पट्टाधीन था ; या

(ख) यदि अधिकरण ठीक समझे, केवल उन्हीं दायित्व और बाध्यताओं के अधीन जो यदि पट्टा उस व्यक्ति को उसी तारीख पर सौंपा गया था ;

और किसी दशा में (यदि मामला ऐसी अपेक्षा करे) मानो पट्टा केवल निहित आदेश में समाविष्ट संपत्ति में समाविष्ट था, और कोई बंधक या पट्टाधीन व्यक्ति ऐसे निबंधनों पर निहित आदेश को अस्वीकार करता है तो उसे संपत्ति के सभी हितों और प्रतिभूति से अपवर्जित कर दिया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी के अधीन दावा नहीं कर रहा है और ऐसे निबंधनो पर आदेश स्वीकार करने के लिए इच्छुक है तो अधिकरण किसी भी दावी व्यक्ति या तो वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के रूप में, या एकल रूप में या सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संयुक्त रूप में पट्टा में पट्टाधारी की सुविधा को पूरा करने के लिए जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सभी संपदा बाधाओं और सृजित हितों से मुक्त और उन्मुक्त हों, की संपत्ति में सीमित दायित्व भागीदारी की संपदा और हित निहित करने की शक्ति होगी ।

(2) अधिकरण ऐसी सूचना के लिए आवेदन का स्थगन कर सकेगा जो ऐसे पट्टाधीन व्यक्ति, बंधक या भारधारक को दिया जाना है या पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना है और आवेदन की प्रति सहित तामील किया जाना है और ऐसा निर्वाचन किया जाना है जो वह ठीक समझता है और ऐसा आवेदन जो सूचना में उल्लिखित है, किया जाना है । यदि अधिकरण द्वारा ऐसे नियत किए गए समय में अवसान पर ऐसा पट्टाधीन व्यक्ति, बंधक या भारधारक ऐसा आवेदन और निर्वाचन करने में असफल रहता है तो अधिकरण, आवेदक की संपत्ति में निहित किसी आदेश को कर सकेगा या कोई अन्य व्यक्ति जो अधिकरण की राय में इसके लिए हकदार है तो वह संपत्ति सभी हित या प्रतिभूति से ऐसे पट्टाधीन व्यक्ति, बंधक या भारसाधक की अपवर्जित करते हुए आदेश कर सकेगा ।

(3) इस नियम के अधीन दावात्याग के प्रचालन द्वारा क्षतिग्रस्त कोई व्यक्ति, क्षति के संबंध में संदेय प्रतिकर या नुकसानी के लिय रकम को सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार होने के लिए समझा जाएगा और तदनुसार समापन में ऋण के रूप में इस रकम को साबित किया जा सकेगा ।

(4) दावा-त्याग पट्टे में हितबद्ध पक्षकारों से निहित आदेश की अपेक्षा करते हुए आवेदन करने या पट्टे में के सभी हितों से अपवर्जित किए जाने का आदेश प्ररूप सं. 81 में किया जाएगा और पट्टा निहित करने और उन व्यक्तियों को जिन्होंने आवेदन करने का निर्वाचन नहीं किया है, को अपवर्जित करने का आदेश प्ररूप सं. 81-क में किया जाएगा ।

दावे का समझौता या परित्याग

235. अधिकरण की मंजूरी के बिना किसी दावे का समझौता या परित्याग न किया जाना – सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी परिसमापन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दावे का समझौता या समापक द्वारा दावे का परित्याग, ऐसे व्यक्ति को ऐसी सूचना, जैसा कि अधिकरण निदेश करे, दिए और अधिकरण की मंजूरी के बिना, नहीं किया जाएगा ।

236. समझौते की मंजूरी के लिए आवेदन – किसी व्यक्ति के साथ समझौते या ठहराव की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रस्थापित समझौते या ठहराव की एक प्रति संलग्न की जाएगी और समापक द्वारा इसके समर्थन में एक शपथपत्र यह उल्लेख करते हुए संलग्न किया जाएगा कि शपथपत्र में उपवर्णित कारणों से उसका यह समाधान हो गया है कि प्रस्थापित समझौता या ठहराव सीमित दायित्व भागीदारी के लिए फायदेमंद है। अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, निरीक्षण समिति, यदि कोई है, और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो अधिकरण ठीक समझे, आवेदन की सूचना दिए जाने के लिए निदेश कर सकेगा ।

समापकों द्वारा विक्रय

237. विक्रय अधिकरण द्वारा मंजूरी देने और पुष्टि करने के अध्यधीन होना – जब तक कि अधिकरण अन्यथा आदेश न करे, समापक द्वारा उस सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जाना है, से संबंधित किसी संपत्ति का विक्रय अधिकरण की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा और प्रत्येक विक्रय अधिकरण

द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन होगा और पुष्टि का ऐसा आदेश या अन्यथा समापक या अंतरिम समापक, यथास्थिति, द्वारा रिपोर्ट फाइल करने के साठ दिन के भीतर पारित किया जा सकेगा ।

238. विक्रय की प्रक्रिया – (1) अधिनियम के उपबंधों और नियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक विक्रय, समापक द्वारा, अधिकरण द्वारा अनुमोदित अभिकर्ता या नीलामकर्ता के माध्यम से और ऐसे निबंधनों और शर्तों, यदि कोई है, जो अधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाएं, के अध्यधीन किया जाएगा ।

(2) सभी विक्रय, लोक नीलामी या, मुहरबंद निविदाओं को आमंत्रित करते हुए या ऐसी रीति में जिसे सदस्य निदेश करे, की जाएगी ।

239. विक्रय के खर्चे – जहां ऐसी संपत्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों का भाग है, समापक द्वारा नीलामकर्ता या अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय की जाती है, वहां विक्रय की सकल प्राप्तियां, जब तक कि अधिकरण अन्यथा आदेश न करे, ऐसे नीलामकर्ता या अभिकर्ता द्वारा समापक को संदत्त की जाएंगी और विक्रय से संपृक्त प्रभार और खर्चे तत्पश्चात् ऐसे नीलामकर्ता या अभिकर्ता को अधिकरण द्वारा नियत या अधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित मापमान, यदि कोई है, के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

अधिकरण द्वारा किए गए परिसमापन में वितरणीय राशि और आस्तियों का प्रत्यागम

240. वितरणीय राशि या आस्तियों के प्रत्यागम की घोषणा –लेनदारों को किसी वितरणीय राशि या भागीदारों को किसी आस्ति के प्रत्यागम की घोषणा अधिकरण की मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी । लेनदारों को ऐसा कोई संदाय, जो वितरणीय राशि मानी जाएगी लेनदारों की सूची फाइल किए बिना और अधिकरण द्वारा वितरणीय राशि के रूप में मंजूर किए बिना, नहीं किया जाएगा और भागीदारों को ऐसा कोई संदाय, भागीदारों के समझौते की अंतिम सूची फाइल किए बिना और अधिकरण द्वारा मंजूर किए बिना, नहीं किया जाएगा ।

241. घोषणा की सूचना – समापक, वितरणीय राशि की घोषणा की सूचना, इसके संदाय के लिए नियत तारीख से कम-से-कम एक मास पूर्व देगा । जब तक कि सदस्य द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, ऐसी सूचना का ऐसे समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा जैसा कि सदस्य निदेश करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम ऐसी तारीख को लेनदारों की सूची में है, पूर्व संदत्त डाक द्वारा, डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन, पत्र भेजकर सूचना दी जाएगी । विज्ञापन प्ररूप सं. 82 में होगा और लेनदारों को सूचना प्ररूप सं. 83 में दी जाएगी ।

IndiaCode

242. वितरणीय राशि के संदाय के लिए प्राधिकार का प्ररूप – कोई व्यक्ति, जिसे वितरणीय राशि संदेय है, समापक के पास लिखित में प्राधिकार इसमें नामित अन्य व्यक्ति को ऐसी वितरणी राशि का संदाय करने के लिए, जमा कर सकेगा । ऐसा प्राधिकार प्ररूप सं. 84 में होगा ।

243. वितरणीय राशि का डाक द्वारा भेजा जाना – वितरणीय राशि उस व्यक्ति के अनुरोध और जोखिम पर, जिसे वे संदेय हैं, रजिस्ट्रीकृत डाक या अधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य रीति द्वारा, चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति में, जो उचित हो या अधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाए, अधिकरण के समक्ष लेनदारों की सूची फाइल करने की तारीख से 45 दिन के भीतर, भेजा जा सकेगा ।

244. आस्ति का प्रत्यागम देने का निदेश करने के लिए आदेश का प्ररूप – (1) प्रत्येक आदेश में, जिसके द्वारा समापक को सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों को रिटर्न देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जब तक अधिकरण अन्यथा निदेश न करे, उन व्यक्तियों, जिन्हें रिटर्न का संदाय किया जाना है, के नाम और पते और प्रत्येक व्यक्ति को संदेय धनराशि तथा आर्थिक हित (यदि कोई है) के अंतरणों, जो किए गए हैं, की विशिष्टियां या भागीदारों की सूची में फेरफार, जो भागीदारों की सूची के व्यवस्थापन की तारीख से उद्भूत हुआ है, और ऐसी अन्य सूचना जो प्रत्यागम दिए जाने के लिए आवश्यक है, अंतर्विष्ट होंगे या इन्हें उपवर्णित करते हुए सारणीबद्ध रूप में बनाई गई एक सूची (जो समापक द्वारा तैयार की जाएगी) आदेश के साथ संलग्न की जाएगी । सूची प्ररूप सं. 85 में, ऐसे फेरफार के साथ जैसा परिस्थितियों में अपेक्षित हो, होगी और समापक प्रत्येक भागीदार को साधारण डाक द्वारा, डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन, प्रत्यागम की सूचना प्ररूप सं. 86 में भेजेगा ।

(2) संदाय या तो रजिस्ट्रीकृत डाक या किसी अन्य रीति में, जो उचित हो या अधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित रीति में, भागीदार के जोखिम पर, भेजा जा सकेगा ।

245. किसी मृत लेनदार या भागीदार को शोध्य वितरणीय राशि या आस्ति के प्रत्यागम का संदाय – जहां किसी मृत लेनदार को शोध्य किसी वितरणीय राशि की बाबत किया गया दावा या किसी मृत भागीदार को शोध्य अभिदाय का प्रत्यागम 500 रुपए या इससे कम है, वहां समापक दावेदार के अधिकार और यथास्थिति, वितरणीय राशि या प्रत्यागम प्राप्त करने के हक के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् दावेदार को ऐसे वितरणीय राशि या प्रत्यागम का संदाय, उत्तराधिकार का प्रमाणपत्र या इसी प्रकार का प्राधिकार प्रस्तुत किए बिना, करने की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा ।

परिसमापन का पर्यवसान

246. समापक विघटन के लिए आवेदन करेगा – जैसे ही सीमित दायित्व भागीदारी के क्रियाकलापों का पूर्णतः परिसमापन हो गया है, अधिकरण द्वारा किए गए परिसमापन में का समापक प्ररूप सं. 89 में अधिकरण के पास अपना अंतिम लेखा फाइल करेगा और सीमित दायित्व भागीदारी के बारे में विघटन के लिए आदेश के लिए आवेदन करेगा । आवेदन तब तक सुनवाई के लिए नहीं रखा जाएगा जब तक अंतिम लेखे की लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है और इसके संबंध में लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र फाइल नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में, यदि परिसमापन आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी के क्रियाकलापों का परिसमापन नहीं किया गया है, तो समापक इसके कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए और समुचित निदेश के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करेगा ।

247. सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन – अधिकरण, आवेदन की सुनवाई पर, समापक और अन्य व्यक्ति, जिसे अधिकरण द्वारा सूचना दिए जाने का आदेश किया गया हो, की सुनवाई करने के पश्चात् और यथा लेखापरीक्षा किए गए लेखे का परिशीलन करने पर, अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, आवेदन, समापक के हस्तगत अतिशेष या भारतीय लोक लेखा में सीमित दायित्व भागीदारी के समापन लेखा में संदाय करने और सीमित दायित्व भागीदारी तथा समापक की बहियों और कागजातों का व्ययन करने के पश्चात्, सीमिति दायित्व भागीदारी के विघटन के लिए ऐसा आदेश, जो अधिकरण ठीक समझे, करेगा ।

248. समापक लोक लेखा में अतिशेष का संदाय करेगा – विघटन का आदेश किए जाने पर, समापक तत्काल भारतीय लोक लेखा में, सीमित दायित्व भागीदारी के समापन लेखा में लेनदारों को संदेय कोई अदावाकृत या असंदत्त लाभांश या विघटन की तारीख को भागीदारों को प्रतिदेय अवितरित या असंदत्त आस्तियां या उसके हस्तगत ऐसे अन्य अतिशेष, जैसा कि अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के समापन लेखा में जमा करने का निदेश दिया गया है, का संदाय करेगा । समापक द्वारा, विघटन के आदेश की एक प्रति, इसके समापन की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्ररूप सं. 11 में रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा, जो अपनी पुस्तकों में सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का टिप्पण दर्ज करेगा । आदेश की प्रति सहित, समापक द्वारा हस्ताक्षरित यह विवरण कि उसने अपने लेखा के अनुसार अतिशेष के उपायोजन की बाबत अधिकरण के निदेशों का सम्यक् रूप से पालन किया है, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि की गणना करने में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा अपेक्षित समय अपवर्जित किया जाएगा ।

249. परिसमापन की समाप्ति – किसी सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन समाप्त हुआ माना जाएगा यदि –

(क) अधिकरण के आदेश द्वारा किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की दशा में, उस तारीख को जिस दिन समापक द्वारा रजिस्ट्रार को सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का आदेश सूचित किया गया था ;

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के स्वेच्छया परिसमापन की दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन की तारीख जब तक कि ऐसी तारीख को सीमित दायित्व भागीदारी की कोई निधि या आस्तियां, सीमित दायित्व भागीदारी के समापक या अन्य व्यक्ति जिसने समापक के रूप में कार्य किया है, के हस्तगत या उसके नियंत्रणाधीन अदावाकृत या अवितरित रहती हैं, ऐसी दशा में परिसमापन तब तक समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी निधियां या आस्तियां वितरित नहीं की जाती हैं या सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन लेखा में संदत्त नहीं की जाती हैं ।

250. विघटन को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन – केन्द्रीय सरकार और रजिस्ट्रार को सूचना देकर ऐसा आवेदन किया जाएगा । जहां अधिकरण द्वारा विघटन को शून्य घोषित किया गया है, वहां आवेदक आदेश की एक प्रमाणित प्रति आदेश की तारीख से तीस दिन के अपश्चात् रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

स्पष्टीकरण – आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि की गणना करने में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा अपेक्षित समय अपवर्जित किया जाएगा ।

समापक के लेखा के रजिस्टर और बहियां

251. समापक द्वारा बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर और बहियां – (1) समापक निम्नलिखित रजिस्टर और बहियां या तो भौतिक रूप से या डिजिटल रूपविधान में या भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार से बनाए रखेगा:–

(क) प्ररूप सं. 87 में समापनों का रजिस्टर ।

(ख) प्ररूप सं. 87-क में केन्द्रीय रोकड़ बही ।

(ग) प्ररूप सं. 87-ख में सीमित दायित्व भागीदारी की रोकड़ बही ।

(घ) प्ररूप सं. 87-ग में साधारण खाता ।

(ङ) प्ररूप सं. 87-घ में रोकड़िया की रोकड़ बही ।

(च) प्ररूप सं. 87-ड़ क में बैंक का खाता ।

(छ) प्ररूप सं. 87-च में आस्तियों का रजिस्टर ।

(ज) प्ररूप सं. 87-छ में विनिधान रजिस्टर ।

(झ) प्ररूप सं. 87-ज में बही ऋणों और बकाया का रजिस्टर ।

() प्ररूप सं. 87-झ में किराएदारों का लेजर ।

(ट) प्ररूप सं. 87-ज में वादों का रजिस्टर ।

(ठ) प्ररूप सं. 87-ट में डिक्री रजिस्टर ।

(ड) प्ररूप सं. 87-ठ में विक्रय रजिस्टर ।

(ढ) प्ररूप सं. 87-ड में दावों और वितरणीय राशि का रजिस्टर)

(ण) प्ररूप सं. 87-2 में भागीदारों का रजिस्टर/लेजर ।

(त) प्ररूप सं. 87-ण में संदत्त वितरणीय राशि रजिस्टर ।

(थ) प्ररूप सं. 87 त में कमीशन रजिस्टर ।

(द) प्ररूप सं. 87-थ में उंचत रजिस्टर ।

(ध) प्ररूप सं. 87-द में दस्तावेजों का रजिस्टर ।

(न) प्ररूप सं. 87-ध में बहियां का रजिस्टर ।

(प) प्ररूप सं. 87-न में सीमित दायित्व भागीदारी के समापन खाते में निक्षेपित अदावाकृत वितरणीय राशि और अवितरित आस्तियों का रजिस्टर ।

(फ) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी की एक अभिलेख पुस्तिका होगी, जिसमें सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त और लेनदारों या भागीदारों या निरीक्षण समिति की किसी बैठक में पारित संकल्प, समापन

कार्यवाहियों में अधिकरण द्वारा पारित सभी आदेशों का सार और लेखा मामलों से भिन्न अन्य सभी मामले जो सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के प्रशासन का सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो, प्रविष्ट किए जाएंगे ।

(ब) ऐसा अन्य रजिस्टर, जो अधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं ।

(2) समापक, उपनियम (1) में उल्लिखित रजिस्टरों और बहियों को बनाए रखने में उक्त बहियों और रजिस्टरों के लिए विहित अलग-अलग प्ररूपों में अंतर्विष्ट अनुदेशों का पालन ऐसे फेरफार के साथ करेगा जो कम्प्यूटर पद्धति या डिजिटल रूपविधान में बनाए रखने के लिए आवश्यक हों । केन्द्रीय सरकार रजिस्टर का पुनर्विलोकन कर सकेगी और उसे समय-समय पर उपांतरित कर सकेगी ।

(3) समापक, उपनियम (1) में उल्लखित रजिस्टरों और बहियों के बनाए रखेगा जो उसके पदीय कार्यों को उचित और दक्ष रूप से करने के लिए आवश्यक हों, जैसे खुदरा रोकड़ रजिस्टर, पत्राचार रजिस्टर, डिस्पेच रजिस्टर, धनादेशों और प्राप्त चेकों का दैनिक रजिस्टर, आदि-आदि और प्रत्येक समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत पत्राचार और कार्यवाहियों की आवश्यक फाइलें भी अपने भारसाधन में रखेगा ।

(4) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के लेखे अधूरे हैं, वहां समापक, जैसे ही समापन का आदेश किया जाता है, सभी सुविधाजनक शीघ्रता से, उन्हें पूर्ण और अद्यतन करेगा और समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों और अधिकारियों द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा ।

(5) (i) जहां समापक को सीमिति दायित्व भागीदारी का कारबार चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, वहां वह ऐसे कारबार की बाबत अलग से लेखा बहियां रखेगा और ऐसी बहियां, यथासंभव, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अपने कारबार के अनुक्रम में पहले ही रखी गई बहियों के अनुरूप होंगी । समापक, केन्द्रीय रोकड़ बही और सीमित दायित्व भागीदारी की शैकेंड्र बही में, ऐसे व्यापार लेखा में की कुल साप्ताहिक रकमों की प्राप्तियों और संदायों को सम्मिलित करेगा ।

(ii) व्यापार लेखों को समय-समय पर, प्रत्येक मास में एक बार से अन्यून नहीं, शपथपत्र द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।

(6) समापक, तीन प्रतियों में एक प्रतिपर्ण रसीद-पुस्तिका भी प्ररूप सं. 88 में रखेगा जिसके पन्ने क्रमवार मशीन से संख्यांकित होंगे और उसमें से समापक को किए गए सभी संदायों की रसीदें जारी की जाएंगी । दोहरी और तिहरी प्रति में वही संख्यांक होगा जो मूल प्रति में है ।

(7) समापक अपने द्वारा किए गए या व्यपगत सभी संदायों या व्ययों के उचित वाऊचर रखेगा । वाऊचर क्रमवार संख्याकित होंगे ।

समापक का बैंक में खाता

252. समस्त धन अनुसूचित बैंक में संदेय किया जाना – (1) समापक, किसी सीमित दायित्व भागीदारी का समापक होने के नाते उसके द्वारा प्राप्त समस्त धन भारतीय लोक लेखा या अभिहित अनुसूचित बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बैंक कहा गया है) में अपने पदीय नाम में के जमा खाते में संदाय करेगा, और प्रत्येक दिन की वसूली, कटौती किए बिना, बैंक के अगले कार्यदिवस के अपश्चात् नहीं, बैंक में संदत्त की जाएंगी ।

परन्तु यह कि वसूली एक हजार रुपए से अधिक होने तक बैंक में धन के विप्रेषण को आस्थगित किया जा सकेगा । समापक द्वारा खाते में से एक हजार रुपए से ऊपर के सभी संदाय, सामान्यतः, उक्त खाते पर आहत चेक द्वारा किए जाएंगे ।

परन्तु यह कि पेनल से नियुक्त किए गए समापक के मामले में, अधिकरण बैंक का खाता किसी अन्य रीति में बनाए रखने और संचालन करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) समापक, एक बैंक विप्रेषण चालान बुक, प्रतिपर्ण के साथ, बनाए रखेगा और उसके पन्ने क्रमवार रूप से संख्यांकित होंगे जिसमें बैंक में के ऊपर खंड (1) में उल्लिखित जमा खाते में निक्षेप किए जाने वाले सभी धन (चाहे नकद या चेक द्वारा) की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी । चालान-पुस्तिका का प्ररूप समापक द्वारा बैंक से परामर्श करके तय किया जाएगा ।

253. बिल, चेक और प्रतिभूतियां बैंक में निक्षेप किया जाना – किसी सीमित दायित्व भागीदारी या इसके समापक को संदेय सभी बिल, चेक, हुंडी नोट और इसी प्रकृति की अन्य प्रतिभूतियों को, जैसे ही वे समापक के हाथ में आती

हैं, उसके द्वारा, यथास्थिति, स्वीकृति और संदाय या केवल संदाय के लिए प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए बैंक में निक्षेप किया जाएगा और जब आगम वसूल होते हैं, तो उन्हें बैंक द्वारा समापक के खाते में जमा किया जाएगा ।

254.– बैंक में संदाय किया जाना – जहां अधिकरण समापक के बजाय किसी व्यक्ति को, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को शोध्य किसी धन का भारतीय लोक लेखा या अभिहित अनुसूचित बैंक में संदाय करने का निदेश देते हुए आदेश करता है, तो वहां इस प्रकार निदेशित व्यक्ति, संदाय करने के समय, बैंक में आदेश की एक प्रमाणित प्रति या समापक द्वारा उसके हस्ताक्षर से पृष्ठांकित चालान-संदाय प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार संदत्त धन भारतीय लोक लेखा या अभिहित बैंक में के समापक के खाते में जमा किया जाएगा । संदाय करने वाला व्यक्ति समापक को इसकी सूचना देगा और उसके समक्ष इससे संबंधित बैंक की रसीद प्रस्तुत करेगा ।

255.समापक का वितरणीय राशि खाता – समापक, प्रत्येक समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लिए या तो अभिहित बैंक में, या अधिकरण की मंज़ूरी से किसी अन्य अनुसूचित बैंक में, जैसा सुविधाजनक हो, 'समापक द्वारा समापनाधीन..... (सीमित दायित्व भागीदारी का नाम) का वितरणीय राशि खाता' नाम में अलग से एक वितरणीय राशि खाता भी खोलेगा और वह इस खाते में, किसी सीमित दायित्व भागीदारी के समापन के कारण वितरणीय की घोषणा किए जाने पर, ऐसी घोषणा में संदेय वितरणीय राशि की कुल रकम भारतीय रिर्जव बैंक या अभिहित बैंक के पास अपने खाते से अंतरित करके, वितरणीय राशि खाते में जमा करेगा । वितरणीय का समस्त संदाय उक्त समापक के वितरणीय राशि खाते से किया जाएगा और सीमित दायित्व भागीदारी के समापन खाते में अदावाकृत वितरणीय राशि के रूप में संदत्त किए जाने से पूर्व अतिशेष कोई रकम भारतीय रिजर्व बैंक या अभिहित बैंक में समापक के खाते में वापस अंतरित की जाएगी ।

100 रुपए से ऊपर रकम की वितरणीय राशि का समस्त संदाय सामान्यतः उक्त खाते पर आहृत चेक द्वारा किया जाएगा ।

256.फीसों का केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाना – (1)प्रत्येक परिसमापन में, जहा शासकीय समापक नियम 29 के निबंधनानुसार समापक बन गया है या समापक के रूप में कार्य करता है या समापक नियुक्त किया गया है, वहां शासकीय समापक द्वारा (नीचे खंड (क) में यथा उपबंधित याची द्वारा) तारीख 31 मार्च को समाप्त हुई पूर्ववर्ती अवधि के लिए देय कमीशन ऐसी रकम, जैसी की खंड (ख) में अधिकथित है, समापनाधीन सीमित दायित्व

भागीदारी की आस्तियों से भारतीय लोक लेखा या अभिहित बैंक में तारीख 30 अक्तूबर या इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को जमा की जाएगी ।

(2) ऐसे मामले में, जहां समापक को नियम 29 के निबंधनानुसार नियुक्त किया गया है, वहां समापक का पारिश्रमिक अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो वसूल किए गए ऋण और आस्तियों के विक्रय द्वारा प्राप्त रकम के मूल्य का अधिकतम पांच प्रतिशत के अध्यधीन होगा । फीसें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएंगी:–

(क) जहां शासकीय समापक केवल अंतरिम समापक के रूप में कार्य करता है ।ऐसी फीस, जो अधिकरण अंतरिम समापक के रूप में समापक की सेवाओं की बाबत सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों से या याची द्वारा, जैसा की अधिकरण निदेश करे, संदाय किया जाना युक्तियुक्त समझे ।

(ख) जहां कोई परिसमापन आदेश किया गया है और शासकीय समापक किसी सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के रूप में कार्य करता है ।

(i) कुल आस्तियों पर, जिसमें समापक द्वारा वसूल किए गए अप्राप्त या अवसूलनीय अभिदाय, विनिधानों पर ब्याज और ऐसी राशियों पर जिन पर नीचे दिए गए खंड (ग) के अधीन फास प्रभार्य है कटौती करने के पश्चात समापक द्वारा संपत्तियों से प्राप्त और जमा किए गए भाटक और प्रत्येक वर्ष के संग्रह पर सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार चलाने के लिए प्राप्त धन में से खर्च की गई रकम भी सम्मिलित है ।

प्रथम 10,0000 रुपए या इसके भाग पर	4 प्रतिशत
अगले 40,0000 रुपए या इसके भाग पर	3 प्रतिशत
अगले 50,0000 रुपए या इसके भाग पर	2 प्रतिशत
1,00,0000 रुपए से ऊपर	1 प्रतिशत

(ii) लेनदारों को वितरणीय राशि के रूप में वितरित कुल रकम या भागीदारों को वापस किए गए अभिदाय या संपत्तियों पर ।

(ग) जहां शासकीय समापक प्रतिभूत लेनदारों के लिए संपत्ति वसूल करता है ।

प्रत्येक प्रतिभूत लेनदार के लिए वसूल की गई रकम पर –

प्रथम 10,0000 रुपए या इसके भाग पर	5 प्रतिशत
अगले 40,0000 रुपए या इसके भाग पर	3-1/2 प्रतिशत
अगले 50,0000 रुपए या इसके भाग पर	3 प्रतिशत
1,00,0000 रुपए से ऊपर	2 प्रतिशत

(घ) जब शासकीय समापक, किसी ठहराव की स्कीम के अधीन न्यासी के रूप में कार्य करता है, तब ऐसी फीस, जो अधिकरण अनुज्ञात करे, ऊपर खंड (ख) के अधीन दिए गए फीस के मापमान से अधिक नहीं है ;

(ङ.) जब शासकीय समापक ऐसा कोई विशेष कार्य करता है जिसके लिए ऊपर दी गई फीसों में उपबंध नहीं है, वहां समापक के आवेदन पर, संदेय फीस के अतिरिक्त कोई ऐसी फीस, जो अधिकरण नियत करे ;

(च) जहां शासकीय समापक, लेनदारों के स्वेच्छया परिसमापन में समापक के रूप में कार्य करता है, वहां ऐसी फीस, जो अधिकरण नियत करे, नीचे दिए गए उप-नियम (2) के अधीन मापमान से अधिक नहीं है ;

(छ) जहां अधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जो पहले ही किसी परिसमापन में समापक हैं, सीमिति दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा किए गए परिसमापन में, शासकीय समापक के नियंत्रण के अध्यधीन, अतिरिक्त समापक नियुक्त कया गया है, वहां ऐसे अतिरिक्त समापकों को संदेय पारिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए, ऐसी फीस, जो अधिकरण द्वारा नियत की जाए ;

(ज) जहां अधिकरण ने समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्गठन या इसके कार्यकलापों के इंतजाम की मंजूरी दी है, या जहां किसी कारण से अधिकरण की यह राय है कि ऊपर विहित की गई फीसें अपर्याप्त हैं, वहां ऐसी फीस, जो अधिकरण ठीक समझे, दी जा सकेगी ।

(2) प्रत्येक परिसमापन में, जहां समापक को किसी अन्य नियम के अधीन नियुक्त किया गया है, वहां समापक का पारिश्रमिक अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो वसूल किए गए ऋण और आस्तियों के विक्रय से प्राप्त रकम के मूल्य का अधिकतम पांच प्रतिशत के अध्यधीन होगा ।

IndiaCode

257. जहां सीमिति दायित्व भागीदारी के पास कोई उपलब्ध आस्ति नहीं है – जहां ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी, जिसके विरुद्ध परिसमापन आदेश किया गया है, के पास कोई उपलभ्य आस्तियां नहीं हैं, वहां समापक, अधिकरण की इजाजत लेकर, परिसमापन से संबधित कोई आवश्यक व्यय केन्द्रीय सरकार या अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए किसी स्थायी अग्रिम या अन्य निधि में से उपगत करेगा और इस प्रकार उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति, सीमित दायित्व भागीदारी के ऋणों की पूर्विकता में, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों से की जाएगी :

परन्तु जहां याची या अन्य लेनदार अथवा भागीदार द्वारा परिसमापन से संबधित किसी आरंभिक व्यय की पूर्ति के लिए समापक को अग्रिम दिया गया है, वहां समापक ऐसी रकम में से किसी आवश्यक व्यय को उपगत कर सकेगा और इस प्रकार दिया गया अग्रिम धन सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों में से, सीमित दायित्व भागीदारी के ऋणों की पूर्विकता में, संदत्त किया जाएगा ।

अधिशेष निधियों का विनिधान

258. धन का विनिधान – बैंक में, तत्समय, समापक के नाम जमा समस्त धन, जिसकी परिसमापन के प्रयोजनों के लिए तुरंत आवश्यकता नहीं है, उसे सरकारी प्रतिभूतियों या अभिहित अनुसूचित बैंक में ब्याज वाली प्रतिभूतियों में, या अधिकरण की पूर्व मंजूरी से किसी अन्य बैंक में ब्याज वाली निक्षेपों में, उस सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका यह धन है और जब कभी भी परिसमापन के लिए फायदेप्रद हों, सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के नाते समापक के नाम में विनिधान किया जाएगा :

परन्तु यह कि पेनल से नियुक्त किए गए समापक के मामले में अधिकरण अधिशेष धन को किसी अन्य रीति में विनिधान करने का निदेश कर सकेगा ।

259. *समापक विनिधान के प्रयोजनों के लिए लेखों की परीक्षा करेगा* – समापक, प्रत्येक तीन मास के अंत में, अपने भारसाधन के अधीन प्रत्येक समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लेखा की यह अभिनिश्चित करने के लिए परीक्षा करेगा कि कौन-सा धन विनिधान करने के लिए उपलब्ध है और प्रत्येक तीन मास के अन्त में इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा की गई लेखे की परीक्षा और विनिधान करने से संबंधित उसके द्वारा किए गए विनिश्चय, और यदि वह किसी अधिशेष निधि का विनिधान नहीं करने का विनिश्चय करता है, तो ऐसे विनिश्चय के कारणों को, सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित अभिलेख-पुस्तिका में प्रविष्टि करेगा ।

IndiaCode

260. विनिधान जिसे बैंक द्वारा किया जाना है – सभी विनिधान समापक के अनुरोध पर बैंक द्वारा किए जाएंगे । प्रतिभूतियां समापक के नाम में और उसकी ओर से बैंक में प्रतिधारित रहेंगी तथा बैंक और समापक के लिखित अनुदेशों के सिवाय, बेची नहीं जाएंगी । जब प्रतिभूतियां बेची जाती हैं, तो आगम बैंक में समापक के खाते में जमा किए जाएंगे ।

261. वितरणीय राशि और ब्याज का जमा किया जाना – प्रतिभूतियों और विनिधानों से प्रोद्भूत सभी वितरणीय राशि और ब्याज समय-समय पर बैंक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और समापक के खाते में जमा करके इसकी सूचना समापक को दी जाएगी, और समापक, तदुपरि, ऐसी वितरणीय राशि या ब्याज को उस सीमित दायित्व भागीदारी, जिससे संबंधित ये प्रतिभूति या विनिधान है, के खाते में जमा करेगा ।

262. आयकर का प्रतिदाय – समापक आयकर के ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा करेगा जो प्रतिभूतियों या विनिधानों पर प्राप्त किसी वितरणीय राशि या ब्याज की बाबत देय हो, और इस प्रतिदाय को, इसकी वसूली होने पर, समुचित खाते में जमा करेगा ।

समापक के लेखा का फाइल किया जाना तथा संपरीक्षा और निरीक्षण

263. वार्षिक लेखा फाइल किया जाना – (1) जब तक कि अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, समापक, प्रतिवर्ष एक लेखा-विवरण, जैसा कि तारीख 31 मार्च को है, तारीख 31 मार्च से दो मास के भीतर तैयार करेगा और ऐसे लेखा को आने वाले सितम्बर मास की 30 तारीख तक रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का पूर्ण रूप से परिसमापन होते ही समापक का अंतिम लेखा ऊपर विहित अवधि को विचार में लिए बिना, अधिकरण और रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – विवरण के संबंध में " वर्ष" से उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है ।

264. लेखों का प्ररूप – लेखा प्ररूप सं. 15 में होगा और एक घोषणा द्वारा सत्यापित किया जाएगा । अंतिम लेखा प्ररूप सं. 89 में होगा ।

265. शून्य लेखा – जहां समापक ने लेखा की अवधि के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के मद्धे कोई धनराशि प्राप्त या संदत्त नहीं की है, वहां समापक ऐसी अवधि में कोई प्राप्ति का संदाय न करने का एक शपथपत्र फाइल करेगा ।

266. समापक के लेखाओं की संपरीक्षा –(1) लेखों की संपरीक्षा सीमित दायित्व भागीदारी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और समापक संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षक को ऐसी सूचना देगा, जो लेखापरीक्षक आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि ऐसी संपरीक्षा की वहां आवश्यकता नहीं है, जहां ऐसी अवधि के दौरान संव्यवहार पचास हजार रुपए या इससे कम है ।

(2) जहां इस नियम के अधीन लेखों की संपरीक्षा करना आवश्यक नहीं है, वहां समापक द्वारा लेखा–विवरण पर यह घोषणा की जाएगी कि बहियों और लेखों को उचित रूप से बनाए रखा गया है और निधियों का उपयोग केवल सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के परिसमापन के प्रयोजन के लिए किया गया है ।

267. लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र फाइल किया जाना – लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखा-विवरण की एक प्रति तत्काल अधिकरण के पास फाइल की जाएगी । अधिकरण किसी भी समय समापक द्वारा रखी गई किसी भी लेखा बही को प्रस्तुत करने और निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकेगा । लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ विवरणी की अन्य प्रति प्ररूप सं. 10 में तारीख 30 सितम्बर तक रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

268. लेखापरीक्षा फीस – (1) लेखापरीक्षा फीस, कुल जमा रकम पर, जिसमें भागीदारों से अप्राप्त और अवसूलनीय अभिदाय, विनिधानों पर ब्याज और संपत्तियों से प्राप्त भाटक भी सम्मिलित है, किंतु (क) सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार चलाने के लिए प्राप्त धन में से खर्च की गई रकम, और (ख) लेनदारों (डिबेंचर धारकों से भिन्न) को प्रतिभूत करने के लिए समापक द्वारा संदत्त की गई रकम की कटौती करने के पश्चात, निम्नलिखित मापमान के अनुसार लेखापरीक्षक को संदत की जाएगी और उस समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी, जिससे लेखापरीक्षा संबधित है, के खाते से विकलित की जाएगी: –

(क) कुल जमा रकम , जिसमें भागीदारों से अप्राप्त और अवसूलनीय अभिदाय, विनिधानों पर ब्याज और संपत्तियों से प्राप्त भाटक भी सम्मिलित है, किंतु (क) सीमित दायित्व

भागीदारी का कारबार चलाने के लिए प्राप्त धन में से खर्च की गई रकम, और (ख) लेनदारों (डिबेंचर धारकों से भिन्न) को प्रतिभूत करने के लिए समापक द्वारा संदत्त की गई रकम पर

.....1/2 प्रतिशत

(ख) लेनदारों, जो डिबेंचर धारक नहीं है, को प्रतिभूत करने के लिए किए गए संदाय से भिन्न संदाय के संवितरण पर

.....1/2 प्रतिशत

परन्तु समापन के लेखा की संपरीक्षा करने के लिए एक सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत एक वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम लेखापरीक्षा फीस 2500 रुपए से कम नहीं होगी और एक सीमित दायित्व भागीदारी के लेखा की एक वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की अधिकतम फीस 25,000 रुपए होगी और सदस्य या अधिकरण के विवेकानुसार से लिखित में लेखबद्ध किए गए कारणों पर, 25 प्रतिशत फेरफार किए जाने के अध्यधीन होगी ।

269. लेखा और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का निरीक्षण – कोई लेनदार या भागीदार अधिकरण के कार्यालय में, उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर, लेखों और लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र का निरीक्षण करने और विहित प्रभारों का संदाय करने पर इनकी एक प्रति अभिप्राप्त करने का हकदार होगा ।

270. लेखा और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सदस्य के समक्ष रखा जाना – लेखा की संपरीक्षा हो जाने पर, अधिकरण का रजिस्ट्रार लेखा-विवरण और लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र सदस्य के समक्ष उनके विचार और आदेश के लिए रखेगा ।

271. समापक के लिए सहायता – समापक, नियम 42 के अनुसार, अधिनियम और नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने के लिए हकदार एक या अधिक व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट या व्यवसायरत कंपनी सचिव या व्यवसायरत लागत लेखापाल या विधिक व्यवसायी या ऐसे अन्य वृत्तिक या विशेषज्ञ या मूल्यांकक या अभिकरण, जैसा कि समापक आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

272. जहां शासकीय समापक, समापक के रूप में कार्य करता है वहां अतिरिक्त या विशेष कर्मचारिवृंद का नियोजन –जहां समापक की यह राय है कि किसी समापन में किसी विशेष या अतिरिक्त कर्मचारिवृंद का नियोजन किया जाना आवश्यक है, वहां सामापक इसकी मंजूरी के लिए अधिकरण को आवेदन करेगा और अधिकरण ऐसे कर्मचारिवृंद, जो वह ठीक समझे, की मंजूरी ऐसे वेतन और भत्तों पर, जो अधिकरण को उचित प्रतीत हो, दे सकेगा । विशेष और अतिरिक्त कर्मचारिवृंद भूतपूर्व सैनिकों में से लिए जाएंगे और उनके उपलब्ध न होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के स्वशासी निकायों और लोक उपक्रमों से सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से लिए जाएंगे । ऐसे व्यक्ति किसी विशिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन होने तक या पांच वर्ष के लिए, जो भी पूर्ववर्ती हो, संविदात्मक आधार पर होंगे । यदि ऐसी व्यक्ति की सेवाएं एक से अधिक सीमित दायित्व भागीदारी के लिए उपयोग में ली जाती हैं, तब यथा पूर्वोक्त संविदा का पर्यवसान हो जाएगा और किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी के लिए नए सिरे से संविदा की जा सकेगी ।

273. जहां शासकीय समापक, समापक के रूप में कार्य करता है, वहां सामान्य कर्मचारिवृंद के व्ययों का प्रभाजन –जहां एक से अधिक समापन या किसी स्थापन में कार्य करने के लिए कोई कर्मचारिवृंद नियोजित किया गया है, या एक से अधिक समापन पर कोई प्रभार व्यपगत किया गया है, वहां समापक द्वारा ऐसे कर्मचारिवृंद और सामान्य स्थापन पर व्यपगत व्यय और अन्य प्रभार विभिन्न संबधित समापनों के बीच, सदस्य के निदेशो के अध्यधीन, यदि कोई, ऐसे अनुपात में जो वह ठीक समझे, प्रभाजित किया जाएगा ।

274. परीक्षा के लिए आवेदन – (1) केन्द्रीय सरकार किसी भी समय किसी सीमित दायित्व भागीदारी से जो अधिकरण द्वारा परिसमाप्त की जा रही है, के समापक से किसी परिसमापन के संबंध में किसी जांच के उत्तर की अपेक्षा कर सकेगी, जिसमें वह लगा है और केन्द्रीय सरकार यदि वह ठीक समझे, अधिकरण को समापन से संबद्ध शपथ पर उसे या किसी अन्य व्यक्ति की जांच करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी ।

(2) यदि स्वैच्छिक समापन के क्रम में, समापक को यह प्रतीत होता है कि भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी या सीमित दायित्व भागीदारी का कोई सदस्य सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में किसी अपराध का दोषी रहा है तो वह रजिस्ट्रार को मामले की रिपोर्ट तुरंत भेजेगा और उसे ऐसी जानकारी देगा और उसे किसी बहियों और कागजपत्र जो

समापक के कब्जे में या नियंत्रणाधीन जानकारी या बहियां और कागजपत्र हैं और पश्न के विषय से संबंधित है के निरीक्षण करने और लेने के लिए एसी पहुंच और सुविधाएं देगा 1

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन कोई रिपोर्ट रजिस्ट्रार को की जाती है, वहां वह यदि वह ठीक समझे, और जांच के लिए केन्द्रीय सरकार को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा ।

केन्द्रीय सरकार उस पर किसी मामले का अन्वेषण कर सकेगी और यदि वह ठीक समझे कि यह समिचीन है । अधिकरण को संबद्ध सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित किसी व्यक्ति पर प्रदत्त आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन करेगी । सीमित दायित्व भागीदारी के कार्य के अन्वेषण की सभी शक्तियां अधिकरण द्वारा समापक के मामले में इस द्वारा यथाउपबंधित है ।

स्वेच्छया परिसमापन और पर्यवेक्षण के अध्यधीन परिसमापन

275. नियमों का लागू होना – (1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी के स्वेच्छया परिसमापन में, अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन अधिकरण को आवेदन किया गया है, वहां, चाहे यह आदेश किया जाएगा या नहीं कि स्वेच्छया परिसमापन की इसमें ऊपर अंतर्विष्ट कार्यवाहियां, जहां तक हो सके जारी रहेंगी, किसी स्वेच्छया परिसमापन में ऐसे आवेदन की विषय-वस्तु और रीति पर लागू होंगी ।

(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाए, वे नियम जो अपनी प्रकृति और विषय-वस्तु से या ऊपर समूह के शीर्षकों द्वारा जिनमें वे अपने निबंधनों द्वारा अंतर्विष्ट है, अधिकरण द्वारा परिसमापन की कार्यवाहियों और लेनदारों के स्वेच्छया परिसमापन की कार्यवाहियों या होने वाली कार्यवाहियों को ही लागू होंगे यथास्थिति स्वेच्छया समापन या सदस्यों के स्वेच्छया समापन को लागू नहीं होंगे चाहे कोई ऐसा स्वेच्छया परिसमापन अधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन हो रहा है या नहीं हो रहा है ।

276. (ऋणों की) शोधन क्षमता की घोषणा – किसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा (ऋणों की) शोधन क्षमता की घोषणा प्ररुप सं. 2 में, ऐसे फेरफार के साथ, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो, की जाएगी ।

IndiaCode

277. लेनदारों की बैठक के समक्ष विवरणी का रखा जाना – किसी स्वेच्छया परिसमापन में समापक द्वारा लेनदारों की बैठक के समक्ष रखी जाने वाली सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों और दायित्वों की विवरणी प्ररुप सं. 4 में, ऐसे फेरफार के साथ, जो आवश्यक हो, होगी ।

स्वेच्छया परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी समापक

278. सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की सूचना – सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की सूचना, जो प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति पर, समाचार-पत्र में प्रकाशित की जानी आवश्यक है, प्ररुप सं. 90 में होगी और रजिस्ट्रार को परिदत्त किए जाने के लिए नियुक्ति की सूचना प्ररुप सं. 7 में होगी ।

279. अधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा प्रतिभूति– (1) अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी समापक, उस सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका उसे समापक नियुक्त किया गया है, के समापक के रूप में अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने से पूर्व, ऐसी राशि की और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश करे, प्रतिभूति देगा । अपेक्षित प्रतिभूति देने की लागत सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा वहन की जाएगी और परिसमापन में व्यपगत व्यय के रूप में सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के विरुद्ध भारित नहीं की जाएगी ।

(2) यदि अधिकरण की यह राय है कि उप-नियम (1) के अधीन समापक द्वारा दी गई प्रतिभूति अपर्याप्त है, तो अधिरकण सीमित दायित्व भागीदारी के समापक से अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा । जहां दी गई प्रतिभूति अत्याधिक है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी का समापक प्रतिभूति की रकम कम करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा, और अधिकरण इस पर ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

280. अधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए सीमित दायित्व भागीदारी समापक के पारिश्रमिक की सीमा – सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, किसी भी परिस्थिति जो भी हो, में किसी अधिवक्ता, नीलामकर्ता या उस सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका वह समापक है, से संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, या सीमित दायित्व भागीदारी में या सीमित

दायित्व भागीदारी के परिसमापन के संबंध में नियोजित व्यक्ति से, कोई दान, पारिश्रमिक, या धनीय या कोई अन्य फायदा, जो भी उस पारिश्रमिक से परे है जिसका वह समापक के रूप में अधिनियम और नियमों के अधीन हकदार है, पाने के लिए कोई ठहराव, या स्वीकार नहीं करेगा, और न ही वह ऐसे पारिश्रमिक या उसके किसी भाग को किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को त्याग करने के लिए ठहराव करेगा या त्यक्त करेगा ।

281. सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा वस्तुओं के खरीदने पर प्रतिबंध – जहां सीमित दायित्व भागीदारी का समापक सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार करता है, वहां वह अधिकरण की अभिव्यक्त मंजूरी के बिना, ऐसा कारबार करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से वस्तुएं नहीं खरीदेगा जिसके साथ उसका संबंध इस प्रकृति का है कि उसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यौहार से किसी प्रकार का फायदा प्राप्त होगा । जहां सीमित दायित्व भागीदारी का समापक मंजूरी के लिए आवेदन करता है, वह अपने आवेदन में संव्यवहार में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और अधिकरण की मंजूरी अभिप्राप्त करने पर हुआ व्यय स्वयं सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा वहन किया जाएगा ।

282. सीमित दायित्व भागीदारी के समापक का पद उसके दिवालिएपन द्वारा रिक्त होना – सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, जिसके विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया है, तद्द्वारा अपना पद रिक्त करेगा, और अधिनियम तथा नियमों के लागू होने के प्रयोजन के लिए, उसे पद से हटाया गया माना जाएगा ।

283. सीमित दायित्व भागीदारी के समापक का त्याग-पत्र – (1) सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, जो अपने पद से त्याग-पत्र देना चाहता है, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों और लेनदारों, यदि कोई है, की अलग-अलग बैठक, यह विनिश्चय करने के लिए कि उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा या नहीं, आहूत करेगा । यदि भागीदार और लेनदार, यदि कोई हैं, बहुमत से सीमित दायित्व भागीदारी के समापक का त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, तो त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा । किसी अन्य दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी का समापक बैठकों के परिणाम को अधिकरण को सूचित करेगा और अधिकरण के समुचित आदेश के लिए आवेदन करेगा तथा अधिकरण ऐसे आवेदन पर यह अवधारित करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी के समापक को त्यागपत्र स्वीकार किया जाए या नहीं, और ऐसे निदेश दे सकेगा और ऐसे आदेश कर सकेगा, जो अधिकरण आवश्यक समझे ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी का समापक अपने त्याग-पत्र के साथ, समापक के रूप में अपने कर्तव्यो और व्यवहार का लेखा-जोखा तथा समापन की स्थिति के बारे में कथन, नियम 56 के अधीन विनिर्दिष्ट कथन के बिल्कुल समरूप प्ररुप में, उस तारीख से जब उक्त धारा के अधीन अंतिम पूर्ववर्ती कथन, यदि कोई है, का पर्यवसान हुआ था, या समापक के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, और अपने त्यागपत्र की तारीख को पूर्ण करके प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन बैठक बुलाने और अधिकरण को किए गए आवेदन का व्यय, समापन के व्यय का भाग होगा ।

284. त्यागपत्र के पश्चात् समापक का कर्तव्य – किसी सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा पद से त्यागपत्र देने या निर्मुक्त या हटाए जाने पर, वह सीमित दायित्व भागीदारी के नए समापक को उनके द्वारा रखी गई सभी बहियां, और सीमित दायित्व भागीदारी या समापक के पद संबंधी उनके कब्जे में की अन्य सभी बहियां, दस्तावेज, कागजात और लेखा परिदत्त करेगा ।

285. सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा रखी जाने वाली बहियां – (1) सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, इस भाग में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, सभी प्राप्तियां और समापन के अनुक्रम में उसके द्वारा किए गए संदायों को दर्शित करते हुए, उचित लेखा बहियां रखेगा ।

(2) वह ऐसी बहियां, जैसा कि निरीक्षण समिति, या यदि ऐसी कोई समिति नहीं है, तो जैसा कि लेनदार, यदि कोई है, निदेश करे, रखेगा और समापक के रूप में अपने पद या सीमित दायित्व भागीदारी संबंधी अपने कब्जे मे की सभी बहियां और लेखे तथा दस्तावेज और कागजात निरीक्षण समिति, या यदि कोई समिति नहीं है, तो लेनदारों को, यथास्थिति, समिति या लेनदारों द्वारा जब भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी का समापक लेखा-बहियों के अतिरिक्त एक अभिलेख-पुस्तिका भी रखेगा, जिसमें सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त और लेनदारों या भागीदारों की या निरीक्षण समिति की किसी बैठक में पारित संकल्पों, परिसमापन से संबंधित अपने सभी संव्यवहारों और बातचीत की विशिष्टियां तथा लेखा विषयों से भिन्न अन्य सभी बातें, जो सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के प्रशासन का एक सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए

आवश्यक हो, प्रविष्ट करेगा । वह एक पुस्तिका भी रखेगा जिससे वे तारीखें दर्शित होती हों जिन को लेनदारों और भागीदारों को सूचनाएं भेजी और डाक में डाली गई थीं । वह व्यक्ति जिसने सूचनाओं को प्रेषित किया था, पुस्तिका में की तत्संबंधी प्रविष्टियों पर अपने अद्योहस्ताक्षर करेगा ।

(4) प्रत्येक लेनदार या भागीदार समापक के लेखों का निरीक्षण, कार्यालय समय के दौरान प्रत्येक घंटे या भाग के निरीक्षण के लिए 10 रुपए फीस का संदाय करने पर, करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

286. सीमित दायित्व भागीदारी के समापक का बैंक में खाता – (1) समापक, किसी अनुसूचित बैंक में "..... *सीमित दायित्व भागीदारी का समापन खाता*" नाम से एक समापक का खाता खोलेगा जिसमें वह अपने द्वारा समापक के रूप में प्राप्त सभी धन का संदाय करेगा, और प्रत्येक दिन की वसूली, कटौती के बिना, बैंक के अगले कार्य दिवस तक, उक्त खाते में संदत्त करेगा, परन्तु यह कि बैंक में धन के संदाय को 1000/- रुपए की वसूली होने तक आस्थगित किया जा सकेगा । समापन के व्यय को पूरा करने या समापक द्वारा नकद कोई संदाय करने के लिए आवश्यक धन, समापक द्वारा बैंक पर आहूत चेक द्वारा, बैंक से आहूत किया जाएगा । समापक द्वारा 1000/- रुपए से ऊपर के सभी संदाय सामान्यतः चेक द्वारा किए जाएंगे ।

(2) जब तक प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी स्वेच्छया परिसमापन में के इन नियमों में बैंक को किए गए सभी निर्देशों का अर्थ उस बैंक के प्रति निर्देश होगा जिसमें यथापूर्वोक्त खाता खोला गया है ।

287. बिलों, चेकों और प्रतिभूतियों का बैंक में जमा किया जाना – सीमित दायित्व भागीदारी या इसके समापक को संदेय सभी बिल, चेक, हुंडी नोट और इसी प्रकृति की अन्य प्रतिभूतियां, जैसे ही समापक के हाथ में आती है, उसके द्वारा इन्हें यथास्थिति, स्वीकृति और संदाय या केवल संदाय के लिए प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए बैंक में जमा किया जाएगा और आगमों के वसूल हो जाने पर बैंक द्वारा इन्हें समापक के खाते में जमा किया जाएगा ।

288. अधिशेष निधियों का विनिधान – (1) परिसमापन खाते में, तत्समय, जमा सभी धन, जिसकी परिसमापन के प्रयोजन के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है, सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में या किसी अनुसूचित बैंक में की ब्याज वाली निक्षेपों में विनिधान किया जाएगा ।

(2) इन नियमों के विनिधान संबंधी नियम 258 से नियम 262 सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा किए गए विनिधानों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

289. नियम 56 के अधीन समापक का विवरण – अधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन स्वैच्छिक समापन या समापन में, विवरण को सीमित दायित्व भागीदारी के समापन की कार्यवाहियों और प्रास्थिति के संबंध में नियम 56 के अधीन फाइल किया जाना अपेक्षित है । वह समापन जिसे प्रारंभ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर समाप्त नही किया गया है, उसे निम्नानुसार प्रत्येक वर्ष में दो बार रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा :--

(1) जब समापक पहली बार नियुक्त किया गया था उस तारीख से प्रारंभ पहला विवरण और समापन के आरंभ से बारहमास के अंत तक लाया गया विवरण ऐसे बारह मास की समाप्ति से एक मास के भीतर फाइल किया जाएगा और पश्चातवती विवरण वर्ष के छह मास के अंतराल पर फाइल किया जाएगा । प्रत्येक विवरण को आधे वर्ष के अंत तक कम किया जाना है जिसके लिए यह फाइल किया जाता है जहां समापन आधे वर्ष के अंतराल के अवसान के पूर्व समाप्त किया जाता है वहां समापन के बंद करने के लिए कम किए लेखा के अंतिम विवरण को तुरंत फाइल किया जाएगा ।

(2) जहां विवरण को फाइल किए जाने के लिए समय व्यतीत हो गया है वहां अधिकरण, आवेदन किए जाने पर समय को बढ़ा सकेगा और जब तक अधिकरण अन्यथा, आदेश ना करे, ऐसे आवेदन की लागत व्यैक्तिक रूप से समापक द्वारा वहन की जाएगी ।

(3) विवरण प्ररूप सं0 15 में (ऐसे फेर-फार सहित जो अंतिम लेखा के मामले में आवश्यक है) होगा और उसे प्ररूप में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार तैयार कराया जाएगा और शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित होगा ।

(4) किसी अवधि के दौरान, जिसके लिए विवरण का फाइल किया जाना है, जहां समापक ने सीमित दायित्व भागीदारी के मद्दे किसी रकम को न तो प्राप्त किया और न संदत्त किया है वहां वह उस अवधि जब उससे उसका उपरोक्त प्ररूप सं0 15 में विहित विवरण जिसमें कोई प्राप्ति या संदाय नहीं के किसी शपथ-पत्र के साथ समापन की कार्यवाही और स्थिति के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियों सहित विवरण रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाने के अपेक्षा की जाती है ।

(5) प्रत्येक विवरण रजिस्ट्रार के पास दो प्रति में फाइल किया जाएगा, विवरण की एक प्रति अधिकरण को भी उपरोक्त खंड (1) में विहित समय के भीतर फाइल की जाएगी ।

290. अधिकरण को कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी का समापक अधिकरण को कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी दशा में प्रत्येक तिमाही के अंत में सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की बाबत रिपोर्ट प्ररुप सं. 8 में प्रस्तुत करेगा ।

291. अंतिम बैठक बुलाने की सूचना और बैठक के समक्ष लेखा रखा जाना – सीमित दायित्व भागीदारी और स्वेच्छया परिसमापन में के लेनदारों की अंतिम बैठक बुलाने की सूचना प्ररुप सं. 59 में होगी । सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा उक्त बैठक या बैठकों के समक्ष रखे जाने वाले परिसमापन के लेखे प्ररुप सं. 9 में होंगे ।

292. रजिस्ट्रार के पास विवरणी भेजा जाना – अंतिम बैठक के पश्चात् रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली विवरणियां और स्वेच्छया परिसमापन के दौरान विघटन क्रमशः प्ररुप सं. 10 और 11 में होंगे ।

293. समापक द्वारा फाइल किए गए विवरणों का लेनदार या भागीदार द्वारा निरीक्षण – किसी सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, का कोई भागीदार या लेनदार, यदि कोई है, फाइल किए गए किसी विवरण का, उपाबंध में यथा विहित फीस का संदाय करने पर, समापक के पास निरीक्षण करने और इसकी एक प्रति या उसमें का उद्धरण के यथा विहित प्रभारों का संदाय करने पर, अभिप्राप्त करने, का हकदार होगा ।

294. समापक के लेखा की संपरीक्षा – सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, और लेनदार, यदि कोई है, किसी बैठक में, जब कभी वे ठीक समझें, समापक के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेंगे और ऐसे लेखापरीक्षक को संदत की जाने वाली फीस को नियत करेंगे ।

295. परिसमापन में की कार्यवाहियों को रोकने के लिए आवेदन – कोइ आवेदन समन द्वारा किया जाएगा, और आवेदन की सूचना सीमित दायित्व भागीदारी के समापक, जहां वह आवेदक नहीं है, आवेदन में नामित प्रत्यर्थियों, यदि कोई है, और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, ऐसी रीति में जैसा कि अधिकरण निदेश करे, की जाएगी ।

IndiaCode

(2) जहां परिसमापन में की कार्यवाहियों को रोकने के लिए आदेश किया गया है, वहां आदेश में यह निदेश दिया जाएगा कि वह आवेदक, जिसकी प्रेरणा पर रोकादेश किया गया है, आदेश करने की तारीख से सात दिन के भीतर उसकी एक प्रमाणित प्रति, प्ररुप सं. 11 में रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

स्पष्टीकरण – आवेश की तारीख से 30 दिन की अवधि की गणना करने में, आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए लगा अपेक्षित समय, अपवर्जित किया जाएगा ।

किसी परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के समापन लेखा में अदावाकृत वितरणीय राशियों और अवितरित आस्तियों का संदाय

296. संदाय के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण –अधिकरण द्वारा किए गए किसी परिसमापन में के समापक द्वारा नियम 60 के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण और किसी स्वेच्छया परिसमापन में का समापक, जब नियम 61 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक या अभिहित बैंक में सीमित दायित्व भागीदारी के समापन लेखा में अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आस्तियों का कोई संदाय करता है, तो वह प्ररुप सं. 91 में होगा ।

297. विनिधान के अधीन अदावाकृत वितरणीय राशियां और अवितरित आस्तियां – सीमित दायित्व भागीदारी के समापन लेखा में अदावाकृत वितरणीय राशियां और अवितरित आस्तियों का संदाय करने के प्रयोजन के लिए धन, जो समापक द्वारा विनिधान या ब्याज पर निक्षेप किया गया है, उसके हाथ में धन के रूप में माना जाएगा और जब ऐसा धन अदावाकृत वितरणीय राशियां या सीमित दायित्व भागीदारी की अवितरित आस्तियों का भाग बनता है, तो समापक विनिधान को वसूल करेगा या निदोष को प्रत्याहृत करेगा और आगमों को सीमित दायित्व भागीदारी के समापन खाते में संदाय करेगा ।

298. खाते का संचालन और बनाए रखना – सीमित दायित्व भागीदारी का समापन खाता रजिस्ट्रार द्वारा संचालित किया जाएगा । रजिस्ट्रार प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत, जिसका असंदत्त लाभांश या अवितरित आस्तियां उक्त खाते में जमा की गई है, अपने कार्यालय में अलग से लेखा बनवाएगा ।

indiacode

लागत में व्यय, प्रभार या फीसों का सम्मिलित होना

299. अधिकरण द्वारा किए गए किसी परिसमापन में आस्तियों से संदेय लागत, व्यय, प्रभार या फीसें – (1) अधिकरण द्वारा किए गए किसी सीमित दायित्व भागादारी के परिसमापन में उस सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के परिरक्षण आपन या भारसाधन में लेने में फीसों के संदाय और उचित रूप से व्यपगत व्ययों, जिसमें ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी जिसका पहले स्वेच्छया परिसमापन किया जाना आरंभ किया गया था, के लिए ऐसा पारिश्रमिक, लागत और व्यय भी सम्मिलित है, जैसा कि अधिकरण ऐसे स्वेच्छया परिसमापन में समापक को अनुज्ञात करे, के पश्चात् अतिशेष सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां निम्नलिखित संदायों के लिए दायी होंगी और यह संदाय निम्नलिखित पूर्विकता-क्रम में किया जाएगा, अर्थात् –

प्रथम – याचिका की लागत, जिसमें याचिका पर उपसंजात होने वाले व्यक्ति की लागत, जो अधिकरण द्वारा अनुज्ञात की गई हैं, भी सम्मिलित है ;

अगला – पेनल से नियुक्त किए गए समापक की फीस

अगला – सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्तियों के परीरक्षण, आपन या भारसाधन में लेने में उचित रूप से व्यपगत व्ययों से भिन्न समापक के आवश्यक संवितरण ;

अगला – समापकों द्वारा उचित रूप से नियोजित किसी व्यक्ति की लागत, जो वेतन, परिलब्धि आदि के रूप में हो सकती है तथा वृत्तकों,अधिवक्ताओं, विशेषज्ञों आदि की सेवाएं लेने में व्यपगत लागत ;

अगला – सरकार के पास जमा की जाने वाली फीसें ;

अगला – निरीक्षण समिति के संदायों द्वारा अपनी जेब से किए गए आवश्यक रूप से उपगत,और अधिकरण द्वारा मंजूर किए गए व्यय ।

(2) अधिकरण द्वारा अन्यथा आदेशित के सिवाय, वृत्तिकों, अधिवक्ताओं, विशेषज्ञों आदि के बिलों का कोई संदाय तब तक सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों से करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकेगी जब तक कि नियुक्ति नियमानुसार न की गई हो और संदेय फीस को अधिकरण द्वारा अनुमोदित न किया गया हो ।

(3) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी लागतों, जिनके लिए सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा रहा हो, द्वारा या उसके विरुद्ध आरंभ की गई विधिक कार्यवाहियों में उस अधिकरण,

जिसमें ऐसी कार्यवाहियां लंबित हैं, द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी या समापक द्वारा संदत्त किए जाने की आदेश किया गया है, या उस व्यक्ति के अधिकारों, जिसे ऐसी लागतें संदेय है, पर लागू नहीं होगी या प्रभाव नहीं डालेगी ।

प्रकीर्ण

300. फाइल का निरीक्षण – (1) केन्द्रीय सरकार का सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रत्येक प्राधिकारी या नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी किसी सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, का भागीदार या लेनदार रह चुका है, उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्रभारों का संदाय करने पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर समापन की कार्यवाही की फाइल का निरीक्षण करने, और फाइल में के किसी दस्तावेज की प्रति या उद्धरण, ऐसी प्रतियां या उद्धरण दिए जाने के लिए विहित प्रभारों का संदाय करने पर, लेने का हकदार होगा ।

(2) नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक भागीदार तथा प्रत्येक लेनदार, जिसका दावा सबूत ग्रहण किया गया है विनिर्दिष्ट प्रभारों का संदाय करने पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर कार्यवाहियों की फाइल का निरीक्षण करने और इसमें के किसी दस्तावेज की प्रति या उद्धरण दिए जाने के लिए हकदार होगा ।

301. अधिकरण के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में अपील – कोई भी व्यथित व्यक्ति, अधिकरण के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध उस तारीख से, जिस तारीख को आदेश की प्रति परिदत्त की गई है, 45 दिन की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में जो उस अपील अधिकरण द्वारा यथा उपबंधित किया जा सके, अपील कर सकेगा ।

प्ररूप सं0 1

[नियम 5 देखें]

1. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन)
2. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम
3. सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहरजिला

राज्य पिन कोड

देश

IndiaCode

4. संकल्प पारित करने की तारीख

5. भागीदारों की संख्या

6. स्वैच्छिक परिसमापन के लिए भागीदारों के तीन चौथाई बहुमत की सहमति है - हां

संलग्नकों की सूची

(1) संकल्प की प्रति

(2) प्राधिकार की प्रति

(3) वैकल्पिक संलग्नक

सत्यापन

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं । मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से पढ़ा है । मैं इस आवेदन को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं

अभिहित भागीदार द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर किए जाएं

अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन)

तारीख.....

हस्ताक्षर

प्ररूप 2

[नियम 7 और नियम 276 देखें]

स्वैच्छिक परिसमापन

शोधन क्षमता की घोषणा जिसमे आस्तियों और दायित्वों का विवरण तथा मूल्यांकन रिपोर्ट सम्मिलित हैं

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....

सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या.....

प्रस्तुतकर्ता.....

शोधन क्षमता की घोषणा

हम,..... सभी/.....के अभिहित भागीदारों का बहुमत सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करते हैं कि हमने इस सीमित दायित्व भागीदारी कार्यों की पूरी जांच कर ली है और ऐसा करने के पश्चात् हमारी राय है कि इस सीमित दायित्व भागीदारी पर कोई ऋण नहीं है/परिसमापन के प्रारंभ सेमहीनों की अवधि के भीतर स्वैच्छिक परिसमापन में विक्रीत आस्तियों के आगमों से इसके ऋणों को पूर्णतः संदाय करने में समर्थ है तथा हम इस घोषणा को करने से पूर्व अंतिम व्यवहार्य तारीख होने के नाते

IndiaCode

..... को सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों और दायित्वों का विवरण संलग्न कर रहे हैं । और हम विश्वास करते हैं कि यह सत्यनिष्ठ घोषणा सत्य हैं ।

.....20.....को मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा की गई

हस्ताक्षर

शपथ आयुक्त या नोटेरी पब्लिक ।

.....20को बही मूल्य और मूल्यांकक रिपोर्ट के अनुसार आस्तियों और दायित्वों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क. आस्तियां	बही मूल्य	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्य
1. बैंक अतिशेष		
2. हाथ में रोकड़		
3. विनिधान		
4. ऋणी /व्यापार अभिप्राप्तियां		
5. उधार और अग्रिम		
6. तालिकाएं		
7. पूर्णस्वामित्व वाली संपत्ति		
8. पट्टधृति संपत्ति		
9. संयंत्र और मशीनरी		
10. फर्नीचर, फिटिंग्स इत्यादि		
11. *अमूर्त आस्तियां*		
12. अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें)		
13. भागीदारों का बकाया अभिदाय		
योग		

ख. दायित्व	
1. प्रतिभूत लेनदार (विनिर्दिष्ट आस्तियों पर प्रतिभूत) जिसमें कर्मकारों की देयता भी सम्मिलित हैं ।	
2. समापन की लागत	
3. अधिमानी लेनदार	
4. आस्तियों पर प्लवमान भार द्वारा प्रतिभूत लेनदार	
5. अप्रतिभूत लेनदार	
6. समाश्रित दायित्व	
योग	

आस्तियों का कुल मूल्य (मूल्यांकक रिपोर्ट के अनुसार रु0

IndiaCode

कुल दायित्व रु0

ऋणों के पूर्ण संदाय के पश्चात प्रांक्कलित अधिशेष रु0

ग. टिप्पणियां

हस्ताक्षर

तारीख.....

सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार

प्ररूप सं0 3

[नियम 7 के उपनियम (2)का खंड (क) देखें]

1. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन)

2. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

3. सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहरजिला

राज्य पिन कोड

देश

4. संकल्प पारित करने की तारीख

5. घोषणा की तारीख

6. घोषणा और प्ररूप 2 तथा 4 में विवरण और मूल्यांकक रिपोर्ट संलग्न है - हां

संलग्नकों की सूची

(1) घोषणा, विवरण और मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति

(2) प्राधिकार की प्रति

(3) वैकल्पिक संलग्नक

सत्यापन

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं । मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से पढ़ा है । मैं इस आवेदन को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं

अभिहित भागीदार द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर किए जाएं

अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन)

तारीख.....

स्थान.....

IndiaCode

प्ररूप सं.4

[नियम 7 के उपनियम (2)का खंड (ग) और नियम 277 देखें]

.....को आस्तियों और दायित्वों के विवरण

(रुपए में)

	विशिष्टियां	की समाप्ति पर अंक	को पिछली रिपोर्ट गत अवधि की समाप्ति पर अंक
	1	2	3
I	***अभिदाय और दायित्व***		
(1)	**भागीदारों की निधियां**		
	(क) अभिदाय (ख) आरक्षितियां और अधिशेष (जिसमें अधिशेष वर्ष के दौरान अर्जित लाभ/हानि है)		
(2)	**दायित्व** (क) प्रतिभूत ऋण (ख) अप्रतिभूत ऋण (ग) अल्पकालिक ऋण (घ) लेनदार/देय व्यापार ग्राहकों से अग्रिम (ङ) अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें) (च) उपबंध (i) कराधान के लिए (ii) आकस्मिक व्ययों के लिए (iii) बीमा के लिए (iv) अन्य उपबंध (यदि कोई है)		
	योग		
II	**आस्तियां** (क) स्थिर आस्तियां (ख) विनिधान (ग) ऋण और अग्रिम (घ) सूचियां (ङ) ऋणी/व्यवसाय अभिप्राप्तियां (च) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (छ) अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणी : (क) समाश्रित दायित्व जो निम्नलिखित के लिए नहीं है ।

हस्ताक्षर

तारीख.....

सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागिदार

IndiaCode

प्ररूप सं0 5

[नियम 8 का उपनियम (4) देखें]

1. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन)

2. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

3. सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहरजिला

राज्य पिन कोड

देश

4. अभिहित भागीदार द्वारा रजिस्ट्रार को दिए जाने वाली शोधन क्षमता की घोषणा का **एसआरएन**

5. भागीदारों की बैठक की तारीख जिसको स्वैच्छिक परिसमापन का संकल्प पारित हुआ था

6. लेनदारों को घोषणा इत्यादि की अग्रेषित प्रति की तारीख

7. लेनदारों की सहमति की तारीख

8. सहमत सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों के मूल्य में दो तिहाई- हां

संलग्नकों की सूची

(1) सहमति की प्रति

(2) प्राधिकार की प्रति

(3) वैकल्पिक संलग्नक

सत्यापन

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं । मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से पढ़ा है । सहमति की प्रति संलग्न है ।

IndiaCode

मैं इस आवेदन को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं

अभिहित भागीदार द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर किए जाएं

अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन)

तारीख.....

स्थान.....

प्ररूप सं0 6

[नियम 10 का उपनियम (8) और नियम 29 का उपनियम (7) देखें]

*** [प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]**

20.....का* सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0.....

1. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन)
2. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम
3. सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापकं का नाम
4. सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक का पता
5. नियमों के नियम 10(6)/29(7) के अनुसरण में यह घोषणा करता हूं कि मेरी नियुक्ति के संबंध में हितों का कोई विरोध नहीं है और निष्पक्षता में कोई कमी नहीं है ।

सत्यापन

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं । मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से पढ़ा है ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

हैसियत..... (सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक)

स्थान.....

तारीख.....

टिप्पण :—* यदि लागू न हो तो हटा दें ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 7

[नियम 12 और 278 देखें]

1. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन)

2. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

3. सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहरजिला

राज्य पिन कोड

देश

4. प्ररूप का प्रयोजन

सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति

सीमित दायित्व भागीदारी की समाप्ति

भाग क-सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की दशा में

5.(क) भागीदारों द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(ख) इस प्रकार नियुक्त सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम

(ग) सहमत सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का बहुमत-हां

6. जहां सीमित दायित्व भागीदारी में लेनदार हैं वहां नियम 7 उपनियम (3) के खंड (ख) और (ग) के अधीन सहमत लेनदार, सीमित दायित्व भागीदारी के मूल्य में लेनदारों के दो तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन की तारीख

.....

(दिन/मास/वर्ष)

7. (क) जहां लेनदार, भागीदारों द्वारा नियुक्त सीमित दायित्व भागीदारी समापक का अनुमोदन नहीं करते हैं वहां दूसरे सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की तारीख

.....

(दिन/मास/वर्ष)

(ख) इस प्रकार नियुक्त सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम

8.(क) अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

IndiaCode

(ख) इस प्रकार नियुक्त सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम

9. स्वैच्छिक समापक के रूप में सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम

10. सीमित दायित्व भागीदारी के समापक का पता

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहरजिला

राज्य पिन कोड

देश

भाग 'ख' सीमित दायित्व भागीदारी समापक के परिवर्तन की दशा

11. हटाए जाने की दशा में

(क) हटाए जाने के आधारों को बताते हुए समापक की सूचना की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ख) हटाए जाने के कारण

(ग) भागीदारो/लेनदारों द्वारा मूल्य में तीन चौथाई द्वारा समापक के हटाए जाने के विनिश्चय के संकल्प को पारित करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(घ) अधिकरण द्वारा हटाए जाने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

12. अन्य परिवर्तन की दशा में

(क) परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ख) परिवर्तन की प्रकृति

संलग्नकों की सूची

(1) भागीदारों/लेनदारों भागीदारों के संकल्प/अधिकरण के आदेश की प्रति

(2) प्राधिकार की प्रति

(3) वैकल्पिक संलग्नक

सत्यापन

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं ।

IndiaCode

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से पढ़ा है ।

मैं इस आवेदन को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं

अभिहित भागीदार द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर किए जाएं

अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन)

स्थान.....

तारीख.....

प्ररूप सं0 8

[नियम 17 और नियम 290 देखें]

स्वैच्छिक समापन

तिमाही प्रगति रिपोर्ट

I **प्रारंभिक**

(1) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....

(2) सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या.....

(3) समापन के आरंभ की तारीख.....

(4) सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम और पता.....

(5) रिपोर्ट की अवधि.....

II **आस्ति प्रबंधन**

(1) संपत्ति आस्ति और लेखा बहियों को अभिरक्षा में लेने की तारीख

(2) संपत्ति के मूल्यांकन की तारीख.

(3) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का मूल्य.

(4) बोली आमंत्रण के विज्ञापन की तारीख.

(5) संपत्ति, आस्तियों आदि के विक्रय की तारीख.

(6) विक्रय रकम.

III **लेनदारों का परिनिर्धारण**

(1) दावा आमंत्रण की तारीख.

(2) दावों के न्याय निर्णयन की तारीख.

IndiaCode

IV वितरणीय राशि की घोषणा

(1) घोषणा की तारीख

(2) वितरणीय राशि की दर

(3) वितरण की तारीख

V स्वैच्छिक परिसमापन की लागत

(मदवार ब्यौरे)

VI भागीदारों से शोध्य

(1) बकाया अभिदाय की रकम

(2) अन्य कोई शोध्य

(3) वसूल की गई रकम

VII भागीदारों की सूची का परिनिर्धारण और वितरण

(1) सूची के परिनिर्धारण की तारीख

(2) रिटर्न की दर

(3) वितरण की तारीख

VIII वृत्तिकों और विशेषज्ञों की नियुक्ति

(1) वृत्तिकों/विशेषज्ञों के नाम

(2) नियुक्ति का प्रयोजन

(3) फीस की रकम

IX सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का अन्वेषण

अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

X सीमित दायित्व भागीदारी के लिए और उसके विरुद्ध संस्थित निषकर्षित या लंबित विधिक कार्रवाहियां

XI विघटन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की संभावित तारीख/विलंब के कारण

XII प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	रुपए	संदाय	रुपए

XIII टिप्पणियां :--

(ह/-)

सीमित दायित्व भागीदारी समापक

तारीख.....20

IndiaCode

प्ररूप सं0 9

[नियम 19 और नियम 291 देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी समापक अंतिम समापन स्वैच्छिक समापन में

1. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

2. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या

3. समापन के प्रारंभ की तारीख

4. सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम और पता

विवरण यह प्रदर्शित करते हुए कि कैसे परिसमापन का संचालन किया गया और सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति का निस्तारण किया गया

.....(समापन का प्रारंभ) से(समापन की समाप्ति).....तक

क. सीमित दायित्व भागीदार समापक की रिपार्ट :--

ख. अंतिम परिसमापन लेखा :--

प्राप्तियां	*मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्य (रु0)*	*वसूल किया गया मूल्य (रु0)*	*संदाय*	*संदाय*
आस्तियां 1. बैंक में अतिशेष 2. हाथ मे रोकड़ 3. विनिधान 4. लेनदार/प्राप्य व्यापार 5. ऋण उधार/अग्रिम 6. तालिकाएं 7. पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति 8. पट्टाधृत संपत्ति 9. संयंत्र और मशीनरी 10. फर्नीचर फिटिंग्स इत्यादि 11. अमूर्त आस्तियां			1. समापन की लागत (ii) सीमित दायित्व भागीदार समापक का पारिश्रमिक (ii) वृत्तिकों/विशेषज्ञों को फीस/प्रभार (व्यैष्टिक ब्यौरे) (iii) स्वैच्छिक परिसमापन की अन्य लागत (प्रत्येक मद पर व्यय/प्रभार प्रकट किया जाए)	

IndiaCode

12. अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें) 13. भागीदारों जिनसे वसूली की गई से बकाया अभिदाय 14. प्राप्ति प्रति व्यवसाय लेखा 15. अन्य प्राप्तियां कुल घटाऐं संदाय प्रति व्यवसाय लेखा कुल वसूली			2. वितरणीय राशि (i) प्रतिभूत लेनदार जिसमें कर्मकार को देयता भी है (ii) अधिमानी लेनदार (iii)प्लवमान भार सहित लेनदार (iv) अप्रतिभूत लेनदार (v) अन्य कोई हो [....एनपी की वितरणीय राशि रु में] 3. भागीदारों की वापसी :--एनपी की वापसी रु0 में] अतिशेष जोड़े	
कुल			कुल	

(1) निम्नलिखित.....रु0 मूल्य की अनुमानित आस्तियां बिना वसूली सिद्ध हो चुकी हैं :--

[आस्तियां जो बिना वसूली सिद्ध हो चुकी, के ब्यौरे दें]

(2) निम्नलिखित के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी समापक लेखा में संदत्त रकम :--

(क) परिसमापन में लेनदारों को संदेय अदावाकृत वितरणीय राशि रु0.....

(ख) किसी व्यक्ति को परिसमापन के प्रारंभ से पहले वितरणीय राशि या अन्य शोध धन की बाबत न्यास में सीमित दायित्व भागीदार द्वारा धारित रकम

ग. स्पष्टीकरण :--

घोषणा की जाती है कि उपरोक्त कथन सत्य है और पूरा है तथा परिसमापन के प्रारंभ से समाप्त होने तक परिसामपन का ठीक-ठीक लेखा है ।

..... *तारीख 20.....* *(ह/-)*

सीमित दायित्व भागीदार समापक

प्ररूप सं0 10

[नियम 19(3)क, 56 (2) (ii),121,263,267 और 292 देखें]

1. लेखा या अंतिम लेखा का विवरण.....

2. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं0.....

3. सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक का नाम और पता

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहरजिला

राज्य पिन कोड

देश

4. स्वैच्छिक परिसमापन या अधिकरण द्वारा परिसमापन

5. लेखा या अंतिम लेखा के विवरण की अवधि

6. (क) संपरीक्षक या संपरीक्षक की फर्म का नाम

(ख) संपरीक्षक या संपरीक्षक की फम का पता

IndiaCode

संलग्नकों की सूची

(1) लेखा/अंतिम लेखा का विवरण

(2) वैकल्पिक संलग्नक

सत्यापन

संलग्नकों सहित प्ररूप में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और पूर्ण है ।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से **पढ़ा है** ।

.....द्वारा डिजीटल रूप में हस्ताक्षर किए गए

प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां

नाम.....

हैसियत..... (सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक)

प्ररूप सं0 11

[नियम 19(5),23(4), 64(2),248,292 और 295 देखें]

1. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं0.....

2. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....

3. सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक का नाम और पता

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहरजिला

राज्य पिन कोड

देश

4. आदेश पारित करने की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

5. आदेश की प्रमाणित प्रति को जारी करने की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

6. नियम का संदर्भ.

संलग्नकों की सूची

(1) आदेश की प्रति

(2) वैकल्पिक सलग्नक

सत्यापन

संलग्नकों सहित प्ररूप में दी गइ सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और पूर्ण है ।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से पढ़ा है ।

.....द्वारा डिजीटल रूप में हस्ताक्षर किए गए

प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां

नाम.....

हैसियत.....

IndiaCode

प्ररूप सं0 12

[नियम 31 का उपनियम (1) देखिए]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

सेवा में,

रजिस्ट्रार

.....

सेवा में,

समापक

.....

अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी के अधीन परिसमापन के लिए माननीय सदस्य श्रीद्वारा आज आदेश सुनाया गया :--

1. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम
2. सीमित दायित्व भागीदारी की पहचान संख्या
3. सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकृत पता
4. याचिकाकर्ता का प्राधिकृत प्रतिनिधि
5. याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख
6. समापक का नाम

अधिकरण का रजिस्ट्रार

तारीख

IndiaCode

प्ररूप सं0 13

[नियम 40 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

अधिकरण द्वारा परिसमापन

तिमाही प्रगति रिपोर्ट

I . प्रारंभिक

(1) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....

(2) सीमित दायित्व भागीदारी की पहचान संख्या.....

(3) परिसमापन आदेश की तारीख.....

(4) परिसमापन आदेश की प्राप्ति की तारीख.....

(5) परिसमापन के प्रारंभ की तारीख

(6) समापक का नाम और पता.....

(7) रिपोर्ट की अवधि.....

II आस्ति प्रबंधन

1 संपत्ति आस्ति और लेखा बहियों को अभिरक्षा में लेने की तारीख ।

2 संपत्ति और आस्ति के मूल्यांकन की तारीख ।

3 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का मूल्य

4 बोली आमंत्रण के विज्ञापन की तारीख ।

5 संपत्ति, आस्तियों आदि के विक्रय की तारीख ।

6 विक्रय मूल्य

III ऋणों की वसूली

1 ऋणों की संख्या जो परिसीमा और रकम द्वारा बाधित नहीं हैं ।

2 अधिकरण के समक्ष फाईल किए गए दावों की संख्या और रकम ।

3 ऋणों की संख्या जो परिसीमा और रकम द्वारा बाधित हैं ।

IV लेनदारों का परिनिर्धारण

1 दावा आमंत्रण की तारीख ।

IndiaCode

2 दावों के न्याय निर्णयन की तारीख ।

3 अधिकरण को प्रस्तुत सूची की तारीख ।

V वितरणी राशि की घोषणा

1 घोषणा की तारीख ।

2 वितरणीय राशि की दर ।

3 वितरण की तारीख ।

VI वृत्तिकों और विशेषज्ञों की नियुक्ति

1 वृत्तिकों और विशेषज्ञों के नाम ।

2 नियुक्ति का प्रयोजन ।

3 फीस की रकम ।

VII स्वैच्छिक परिसमापन की लागत

(मदवार ब्यौरे)

VIII भागीदारों से शोध्य

1 बकाया अभिदाय की रकम ।

2 अन्य कोई शोध्य ।

3 वसूल की गई रकम ।

IX भागीदारों की सूची का परिनिर्धारण और वितरण

1 सूची के परिनिर्धारण की तारीख ।

2 विवरणी की तारीख ।

3 वितरण की तारीख ।

X सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का अन्वेषण

(कारबार का कपटपूर्ण व्यवहार, अपकरण आदि)

1. अन्वेषक का नाम और पता

2. नियुक्ति की तारीख

3. अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

X सीमित दायित्व भागीदारी के लिए और उसके विरुद्ध संस्थित निष्कर्षित या लंबित विधिक कार्रवाहियां

IndiaCode

XI विघटन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की संभावित तारीख/विलंब के कारण

XII प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	*रुपए*	*संदाय*	*रुपए*

XIII टिप्पणियां :--

(ह/-)

समापक

तारीख.....20.....

प्ररूप सं0 14

[नियम 42 का उपनियम (2) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

1 सीमित दायित्व भागीदारी की पहचान सं0

2 सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

3 समापक का नाम और पता

4 समापक द्वारा उसको सहायता करने के लिए नियुक्त व्यवसायरत वृत्तिक, विशेषज्ञ आदि

5 व्यवसायरत वृत्तिक, विशेषज्ञ आदि का पता

6 नियुक्ति की तारीख

7 नियुक्ति का प्रयोजन

8. नियमों के नियम 42(2) के अनुसरण में यह घोषणा करता हूं कि मेरी नियुक्ति के संबंध में हितों का कोई विरोध नहीं है और निष्पक्षता में कोई कमी नहीं है ।

सत्यापन

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं । मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों को पूर्ण रूप से पढ़ा है ।

[ह/-]

नाम.....

हैसियत..... (वृत्तिक/विशेषज्ञ आदि)

IndiaCode

प्ररूप सं0 15

[नियम 56, 264 289(3) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....

सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या.....

स्वैच्छिक परिसमापन/अधिकरण द्वारा परिसमापन.....

परिसमापन आदेश/संकल्प की तारीख.....

परिसमापन की प्रारंभ की तारीख.....

लेखा के विवरण की अवधि.....

समापक/सीमित दायित्व भागीदारी का नाम और पता.....

मैं.....उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी का समापक/सीमित दायित्व भागीदारी समापक सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं--

कि पन्ने के दूसरी तरफ दिए गए लेखा का विवरण और एक से पांच तक चिह्नित संलग्नकों में उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी के.....20..... से20.....तक परिसमापन में प्राप्तियां और भुगतान के लेखे पूर्ण और सत्य हैं, समाहित हैं और लेखा के उक्त विवरण में विनिर्दिष्ट और निर्दिष्ट मदों से भिन्न उक्त सीमित दायित्व भागीदारी लेखा में प्राप्त या संदत्त कोई धन न तो मेरे द्वारा और न ही मेरे आदेश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या कोई धन ऐसी अवधि के दौरान मेरे प्रयोग के लिए लिया गया है ।

मैं और कथन करता हूं की लेखा के विवरण की विशिष्टियां और उसके संलग्नक मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य हैं ।

* मैं घोषणा करता हूं कि अवधि के दौरान कुल संव्यवहार का मूल्य पचास हजार या कम है और यह कि बहियों और अभिलेखों के अभिरक्षण के लिए मैं उत्तरदायित्व अभिस्वीकृत करता हूँ तथा यह और घोषणा करता हूं कि निधियों का प्रयोग सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों के परिसमापन के प्रयोजनों के लिए किया गया है ।

तारीख 200.....

(ह/-)

सीमित दायित्व भागीदार/समापक

टिप्पण : (1) * यदि लागू न हो तो हटा दें

(2) सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के लेखा में कोई धन प्राप्त या संदाय करने की अवधि के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक न होने कि दशा में वह उस तारीख को जिसको उसको अवधि के लिए लेखा फाइल करने हैं कोई प्राप्तियां या संदाय नहीं हैं, का शपथपत्र फाईल करेगा ।

नियम 56 के अनुसरण में लेखा का विवरण

सीमित दायित्व भागीदारी समापक/समापकों के लेखा का विवरण.....सेतक

वसूली				संवितरण			
तारीख	किससे वसूली	वसूल की गई आस्तियों की प्रकृति	रकम रु. पैसे	तारीख	किसको संदत्त	संवितरण की प्रकृति	रकम रु0 पैसे
1	2	3	4	1	2	3	4

अग्रेषित..... अग्रेषित.....

कुल अग्रनीत..... कुल अग्रनीत.....

टिप्पण : इस लेखा में कोई अतिशेष दर्शित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कुल वसूली और संवितरण जिसे अगले लेखा में अग्रनीत किया जाए ।

अतिशेष को विश्लेषण

	रु0	रु0
कुल वसूली		
कुल संवितरण		
अतिशेष		

अतिशेष निम्निलिखित प्रकार से बनाया जाएगा :--

1. समापक के हाथ में नकदी
2. बैंक में कुल संदाय, जिसमें परिसमापन के प्रारंभ की तारीख को अतिशेष सम्मिलित है
(बैंक विवरण के अनुसार)
बैंक में बैंक अतिशेष से कुल प्रत्याहृत कम करें

*3. समापक द्वारा विनिधान रकम कम करें
विनिधान की वसूली द्वारा प्राप्त रकम
विनिधान के अधीन अतिशेष
ऊपर यथादर्शित कुल अतिशेष

***टिप्पण** : किए गए विनिधान और उनकी वसूली का पूर्ण ब्यौरा पृथक विवरण में दिए जाए ।

तारीख.....200..... *हस्ताक्षर*

IndiaCode

संलग्नक 1

31 मार्च को लेखा का विवरण.....

1. आस्तियों(जिसमें नकद,बैंक अतिशेष, सूची, लेनदान, विनिधान आदि है)

रु0

(क) आस्तियां जो विशेषतः बंधक,गिरवी या स्थिर प्रभार वाली हैं :--

	बही मूल्य रु0	*वसूल किया गया मूल्य* रु0	*प्रतिभूत लेनदार और कर्मकार को शोध्य* रु0	*अधिशेष(+)या कमी* रु0
1. स्थावर संपत्ति (क) पूर्णस्वामित्व वाली संपत्ति (ख) पट्टाधृत संपत्ति				
2. संयंत्र और मशीनरी				
3. फर्नीचर और फिटिंग्स आदि				
4. तालिका				
5. अन्य आस्तियां				

(ख) आस्तियां जो विशेषतः बंधक/गिरवी आदि नहीं है :--

(i) परिसमापन के प्रारंभ की तारीख को आस्तियों की कुल रकम

(ii) वसूल की गई आस्तियां

.....

(iii) आस्तियों का मूल्य जिन्हें अभी वसूल किया जाना है

2. *दायित्व*

	कुल शोध्य रकम रु0	*संदत्त रकम* रु0	*बकाया रकम* रु0
1. प्रतिभूत लेनदार जिसमें कर्मकार को शोध्य सम्मिलित हैं			

IndiaCode

2. समापन की लागत 3. अधिमानी लेनदार 4. प्लवमान भार सहित लेनदार 5. अप्रतिभूत लेनदार 6. कोई अन्य दायित्व			

3.(क) भागीदार अभिदाय की कुल रकम

(अभिदाय की प्रकृति के ब्यौरों सहित)

(ख) बकाया अभिदाय

(ग) वसूल किए गए बकाया अभिदाय

4. अवधि के दौरान संस्थित लंबित या निष्कर्षित विधिक कार्यवाहियां (यदि कोई हो)

प्राधिकारी का नाम और कार्यवाही की संख्या	*पक्षकारों के नाम*	*कार्यवाही की प्रकृति*	*कार्यवाही का प्रक्रम*	*डिक्री या किए गए आदेश की प्रकृति यदि कोई हो*	*टिप्पणियां*
1	2	3	4	5	6

5. कारण जिनसे परिसमापन की समाप्ति में विलंब हुआ :

6. वह अवधि जिसमें परिसमापन पूरा होना संभावित है :

तारीख.....200..... *हस्ताक्षर*

IndiaCode

संलग्नक 2

सीमित दायित्व भागीदारी समापक/समापकों के व्यापार खाता

विकलन *प्रत्यय*

तारीख	*प्राप्तियों की विशिष्टियां कुल*	*रु0*	*तारीख*	*संदायों की कुल विशिष्टियां*	*रु0*

तारीख.....200..... हस्ताक्षर

संलग्नक 3

वितरणीय राशि की सूची(संदत्त)

सूची में संख्यां	*लेनदार का नाम*	*दावा की गई रकम (यथा स्वीकार्य) रु0*	वितरणीय राशि *की रकम*	
			संदत्त रु0	*अदावाकृत रु0*
1	2	3	4	5
			कुल	

तारीख.....200..... *हस्ताक्षर.....*

संलग्नक 4

भागीदारों को संदत्त या संदेय रकम की सूची

			वापस रकम	
सूची में संख्या	*भागीदार का नाम*	*अभिदाय की रकम*	*संदत्त रु0*	*अदावाकृत रु0*

IndiaCode

1	2	3	4	5
			कुल	

तारीख.....200..... *हस्ताक्षर.....*

संलग्नक 5

सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अदावाकृत लाभांश और अवितरित आस्तियों का विवरण

क्रम संख्या	*लेनदार या भागीदार का नाम और पता*	*वितरणीय राशि या अवितरित आस्तियां जो संदेय या प्रतिदेय हैं, की रकम*	*तारीख जिसको लेनदारों या भागीदारों को संदेय या प्रतिदेय हैं*	*सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदाय की तारीख*	*टिप्पणियां*
1	2	3	4	5	6

तारीख.....200..... *हस्ताक्षर.....*

टिप्पण :- स्वैच्छिक परिसमापन की दशा में प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक और सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0 अपेक्षित नहीं है ।

प्ररूप सं0 16

[नियम 69 का उपनियम (2) देखें]

कार्रवाहियों का साधारण शीर्षक

समक्ष राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण*पीठ

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के मामले में

और

..... सीमित दायित्व भागीदारी ** [सीमित दायित्व भागीदारी का नाम दें] के मामले में

IndiaCode

टिप्पण :

* जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण गठित नहीं होता है तब तक "अधिकरण" शब्द के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखा जाएगा ;

** जहां सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन होना है वहां "समापन में" शब्द, सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के पश्चात् कोष्ठकों में अंतस्थापित किया जाएगा ।

प्ररूप सं0 17

[नियम 82 का उपनियम (1) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0.....20.....

*सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0.....

नाम और विवरण

.....आवेदक

बनाम

.....प्रत्यर्थी

सम्मन

[अधीन**]

ऊपर नामित आवेदकों द्वारा यह आदेश कि(चाहे गए अनुतोष को लिखें) को पाने के लिए एक आवेदन की सुनवाई के लिए सभी संबद्ध पक्षकार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ मेंदिन..... तारीख20.....कोबजे सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।

तारीख.....20.....

आवेदक के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि *अधिकरण का रजिस्ट्रार*

यह सम्मन आवेदक (आवेदकों) के प्राधिकृति प्रतिनिधि श्री द्वारा प्राप्त किया गया औरशपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा ।

IndiaCode

सेवा में

[प्रत्यर्थी]

[या यदि सम्मन किसी व्यक्ति पर तामील नहीं हुआ हो तब लिखें यह सम्मन किसी व्यक्ति को तामील नहीं हो सका]

* अंतर्वर्ती आवेदन की दशा में सम्मिलित किया जाए ।

** यहां अधिनियम की धारा या नियम संदर्भ संख्या या विधि जिसके अधीन आवेदन किया गया है का अन्य उपबंध अंतःस्थापित करें ।

टिप्पण :

कोई सम्मन जो कार्रवाई में एक अंतर्वर्ती आवेदन है, सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन पूरे दिन से कम न हो, तामील किया जाएगा । *आदेश के मामलों में, सुनवाई की नियत तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व तामील किया जाएगा ।*

प्ररूप सं0 18

[नियम 84 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

याचिका को सत्यापित करने वाला शपथ-पत्र

मैं,.....पुत्र/पुत्री.....आयु.....निवासी.....
..सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और निम्नलिखित कथन करता हूं :

*1 मैं,..... सीमित दायित्व भागीदारी (भागीदारी पहचान सं0) का भागीदार/अभिहित भागीदार हूं, और उपरोक्त मामले में याची हूं तथा इस निमित्त इस शपथ-पत्र को देने के लिए उक्त याची द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं ।

2. इस याचिका के.....पैराओं में किए गए कथन अब मुझे दिखाए गए हैं और 'क' अक्षर से चिन्हित हैं, मेरे ज्ञान में सत्य है तथा.....पैराओं में किए गए कथन सूचना के आधार पर हैं और मेरे विश्वास में सत्य हैं ।

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया, आदि

.....हस्ताक्षर

.....अभिसाक्षी

* यह बिंदु उन मामलों में सम्मिलित किया जाए जहां याची सीमित दायित्व भागीदारी है ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 19

[नियम 86 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

.....याची

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0.....20.....

निदेशों के लिए सम्मन

ऊपर नामित याची द्वारा एक आवेदन.....(प्रयोजन) के लिए ऊपर नाम निर्दिष्ट याचिका की सुनवाई के लिए दिन नियत किया जाए की सुनवाई के लिए तारीख.....दिन.....20.....को प्रस्तुत सभी बद्ध पक्षकार सदस्य के चैम्बर में.....दिन.....तारीख20.....को.....बजे ऊपर नामित याची के आवेदन कि.....तारीख.....20.....कोप्रयोजन के लिए प्रस्तुत ऊपर निर्दिष्ट याचिका की सुनवाई के लिए दिन नियत किया जाए की सुनवाई के लिए उपस्थित हो और याचिका के विज्ञापन तथा व्यक्ति (यदि कोई हो) जिस पर याचिका तामील के रूप में निदेश दिए जाएं ।

तारीख.....20.....

याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि *अधिकरण का रजिस्ट्रार*

यह सम्मन श्री, याची के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिया गया और.....के शपथपत्र द्वारा संमर्थित है ।

[टिप्पण : यह किसी अन्य व्यक्ति पर इस सम्मन की तामील के लिए आशयित नहीं है]

प्ररूप सं0 20

याचिका के विज्ञापन का प्ररूप

[नियम 88 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

याचिका की सूचना

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन.....के लिए एक याचिका20.....को प्रस्तुत की गई है और उक्त याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के समक्ष.....20.....को सुनवाई के लिए नियत है । उक्त याचिका के समर्थन या विरोध की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति को याची या उसमें प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने आशय की सूचना अपने नाम और पते सहित हस्ताक्षरित भेजनी चाहिए जो याची या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम *दो दिन पहले पहुंच जानी चाहिए । जहां वह याचिका के विरोध की वांछा करता है तो विरोध के आधारों या अपने शपथपत्र की प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करे । याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी व्यक्ति को जो इसकी अपेक्षा करता हो इसके लिए विहित प्रभार पर दे दी जाए ।

तारीख.....(हस्ताक्षर).....(नाम).....

(याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि)

.....

पता

* जहां याचिका परिसमापन के लिए हैं वहां दो दिन के स्थान पर चार दिन रखें ।

प्ररूप सं. 21

[नियम 90 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

याचिका की सूचना

सेवा में

.....

.....

सूचना दी जाती है कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन तारीख20.....कोके लिए प्रस्तुत की गई याचिका तारीख.....20.....को ग्रहण की गई थी और यह कि उक्त याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के समक्ष तारीख20.....को सुनवाई के लिए नियत है । यदि आप सुनवाई पर याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहते हैं, तो आप मुझे लिखित में सूचना दें जो कि याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख से दो दिन पूर्व तक पहुंच जानी चाहिए और सुनवाई पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपसंजात (हाजिर) हों । यदि आप याचिका का विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध के आधार या अपने शपथपत्र की एक प्रति अपनी सूचना के साथ प्रस्तुत करें । आपको याचिका की एक प्रति, यदि आपको इसकी आवश्यकता है, इसके लिए विहित प्रभार का संदाय करके दी जाएगी/संलग्न है ।

तारीख..... ** (दिन/मास/वर्ष)

(हस्ताक्षर).....

(याची की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि)

.....

पता

[यह सूचना तारीख.....20..... तक या इससे पूर्व तामील होनी चाहिए]

टिप्पण

* जहां सूचना याचिका में नामित प्रत्यर्थी को है, उसे याचिका की एक प्रति सूचना के साथ तामील होनी चाहिए ।

** सूचना सुनवाई की तारीख से सात दिन पूर्व तक तामील हो जानी चाहिए ।

IndiaCode

तारीख.....20.....

अधिकरण का रजिस्ट्रार

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा)

@ केवल वहां अंतःस्थापित किया जाए जहां सीमित दायित्व भागीदारी, याची नहीं है

टिप्पण : (1) नियमों के नियम 37 में नामित ऐसे व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वह ऐसे समय और स्थान पर समापक के पास, जो वह नियत करे, सभी सूचनाएं जिनकी वह अपेक्षा करे, देने के लिए उपस्थित हों ।

प्ररूप सं0 34

[नियम 119 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

परिसमापन आदेश की सूचना

उपरोक्त मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण..... पीठ द्वारा किए गएतारीख..... 20..... के आदेश द्वारा यह आदेशित किया था कि ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन परिसमापित की जानी है ।

तारीख.....

याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्ररूप सं. 22

[नियम 93 का उप-नियम (2) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

सीमित दायित्व भागीदारी पर याचिका की तामील का शपथपत्र

.....के लिए तारीख.....20.....की एक याचिका के मामले में मैं.....पुत्र/पुत्री.....आयु.....निवासी.....सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं और निम्नलिखित कथन करता/करती हूं :

1. [सीमित दायित्व भागीदारी याचिका की तामील, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास छोड़कर अथवा यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है, तो सीमित दायि. भागीदारी के कारबार के मुख्य स्थान या अंतिम ज्ञात मुख्य स्थान पर छोड़कर करने की दशा में]

 यह कि मैंने उक्त याचिका की राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ की मुद्रा से सम्यक् रूप से मुद्रांकित एक प्रति तारीख20.....कोबजे..... [कार्यालय या यथा पूर्वोक्त कारबार के स्थान] पर उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारी या कर्मचारी को [नाम और वर्णन] परिदत्त करके और उसके पास छोड़कर, उक्त याचिका को तामील किया ।

2. [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी का कोई अधिकारी या कर्मचारी न पाए जाने की दशा में]

 यह कि तारीख20.....को सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी.....पर [यहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार के स्थान का उल्लेख करें] ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का कोई अधिकारी या कर्मचारी न पाए जाने के कारण ऊपर वर्णित याचिका की राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ की मुद्रा से सम्यक् रूप से मुद्रांकित एक प्रति.....बजे वहां छोड़ी [उल्लेख करें कि ऐसी मुद्रांकित प्रति कहां छोड़ी अर्थात् कार्यालय के दरवाजे पर चिपकायी या लेटर-बाक्स में डाली या अन्यथा]

3. अधिकरण के सदस्य या रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिस्थापित तामील के लिए दिए गए निदेशों की दशा में]

 यह कि मैंने तारीख20.....को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ की मुद्रा से सम्यक् रूप से मुद्रांकित ऊपर नामित याचिका की एक प्रति तारीख20.....के प्रतिस्थापित तामीली आदेश की एक प्रति सहित,उक्त को [नाम और वर्णन]पर [स्थान]बजे व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करके तामील की (या जैसी भी स्थिति हो) ।

IndiaCode

4. [जहां तामीली रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की गई हो]

यह कि मैंने तारीख..... 20.....को अधिकरण के सदस्य या रजिस्ट्रार द्वारा यथा निदेशित उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी को सम्बोधित ऊपर वर्णित याचिका की एक प्रति पूर्व-संदत रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा.....पर [यहां रजिस्ट्रर्ड कार्यालय या कारबार के स्थान का उल्लेख करें] [या जिसको सम्बोधित है, नाम और वर्णन)] भेजी और इसकी बाबत प्राप्त डाक बाउचर और अभिस्वीकृति संलग्न है ।

5. उक्त याचिका की तामील की गई प्रति, जो ' क' के रूप में चिन्हांकित है, अब प्रस्तुत की गई और मुझे दिखाई गई ।

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया जाता है, आदि ।

प्ररूप सं0 23

[नियम 93 का उपनियम (2) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

समापक पर याचिका/आवेदन की तामील का शपथ-पत्र

याचिका/आवेदन तारीख.....के मामले में.....पुत्र/पुत्री.....आयु...

.....निवासी.....सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और निम्नलिखित कथन करता हूं कि :

यह कि मैंने ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक (नाम और विवरण) को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ की मुहर के साथ सम्यक रूप से मुहरबंद ऊपर निर्दिष्ट याचिका/आवेदन की प्रति उक्त.....

(स्थान) पर.....बजे व्यक्तिगत रूप से प्रदान की थी (या इसको उक्त समापक के रजिस्ट्रीकृत डाक पते पर भेजा था । डाक रसीद और पावती इससे उपाबद्ध है) ।

तामील प्रति अब प्रस्तुत उक्त याचिका/आवेदन की प्रति है और "क" चिन्हित रूप में मुझे दर्शित है ।

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया जाता है आदि

प्ररूप सं0 24

[नियम 97 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

उपस्थित होने की आशय की सूचना

सेवा में,

.....(याची या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

.....(विज्ञापन में दिया गया पता)

ध्यान दें कि श्री.....विज्ञापित याचिका जो..... तारीख..... 20..... को सुनी जानी है, की सुनवाई पर उपस्थित होने के लिए आशयित है और ऐसी याचिका का विरोध (या समर्थन) किया जाएगा ।

** तारीख..... नाम.....

* हस्ताक्षर.....

पता.....

[टिप्पण : आक्षेपों के आधार या शपथपत्र की प्रति यदि कोई है सूचना के साथ तामील की जाए] ।

* व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हस्ताक्षर किए जाएं ।

** संबोधती के पते पर सुनवाई की तारीख से दो दिन पहले और परिसमापन की याचिका की दशा में चार दिन पहले पहुंच जानी चाहिए ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 25

[नियम 98 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

उपस्थित होने के आशयित व्यक्तियों की सूची

निम्नलिखित उन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने.....तारीख 20.....याचिका की सुनवाई पर उपस्थित होने के अपने आशय की सूचना दे चुके हैं ।

नाम	पता	प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम (यदि कोई हो)	विरोध	समर्थन

IndiaCode

हस्ताक्षर.....

याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्ररूप सं0 26

[नियम 101 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

परिसमापन के लिए याचिका

(साधारण प्ररूप)

याचिका (याची का पूरा नाम विवरण, वृति और पता)

1. ऊपर नामित याची का पता सभी सूचनाओं, अदेशिकाओं आदि की तामील के लिए वही हैस्थित जो उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री.....का है ।

2. ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी अर्थात्(जिसे इसमें इसके पश्चात 'सीमित दायित्व भागीदारी' कहा गया है) (सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या.....) का निगमन सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन.....मास.....20.....को हुआ था ।

3. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय..... स्थित है ।

4. सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार.....है

5. अभिहित भागीदारों के नाम निम्न प्रकार हैं

6,7,8 [यहां आवश्यकता के अनुसार पैरा रखें, तथ्य, जिनपर याचीका के समर्थन में याची अवलंब करता है । जहां याची सीमित दायित्व भागीदारी/भागीदार/लेनदार/रजिस्टार/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है वहां याचिका नियम 26 के उपनियम (2) से (5) के अधीन बताई दशाओं का समाधान होना चाहिए । जहां सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छिक परिसमापन किया जा रहा है वहां तथ्य यह प्रदर्शित करते हुए स्वैच्छिक परिसमापन लेनदारों या भागीदारों या दोनों के हितों के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है, रखे जाने चाहिए तथ्य रखे जाने के पश्चात् निम्नलिखित प्रकार से निष्कर्षित किया जाए]

याची अतः निम्नलिखित प्रार्थना करता है :

1. यह कि सीमित दायित्व भागीदारी का राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन परिसमापन किया जाए और

2. ऐसा अन्य आदेश जो न्यायसंगत हो परिसर में किया जाए

याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि *याची*

टिप्पण : यह इस याचिका कोतामील करना आशयित है ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 27

[नियम 101 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

लेनदार द्वारा याचिका

का (याची का पूरा नाम विवरण, वृत्ति और पता)

मर नामित याची का पता सभी सूचनाओं, अदेशिकाओं आदि की तामील के लिए वही है जो उसके प्राधिकृत

धि श्री.....का है ।

मर नामित सीमित दायित्व भागीदारी अर्थात्(जिसे इसमें इसके पश्चात 'सीमित दायित्व दारी' कहा गया है) का निगमन सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के

त.....मास.....20.....को हुआ था ।

ीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ।

ीमित दायित्व भागीदारी का कारबार.....है

ागीदार और अभिहित भागीदारों के नाम निम्न प्रकार हैं

सीमित दायित्व भागीदारी ने याची को.....रुपए की रकम के लिए उऋण किया है [ऋण के लिए फल विशिष्टियों सहित बताए जो यह प्रदर्शित करता हो कि दावाकृत ऋण शोध्य है]*

याची ने सीमित दायित्व भागीदारी को अपने मांग हस्ताक्षर की सूचना द्वारा अपने ऋण के संदाय के लिए आवेदन ा था और जो.....तारीख को सीमित दायित्व भागीदारी पर उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रजिस्टर्ड ा द्वारा या अन्यथा परिदत्त होने के लिए तामील किया गया था लेकिन सीमित दायित्व भागीदारी रकम का संदाय ने और पर्याप्त प्रतिभूति या लेनदार के युक्तियुक्त समाधान में ऋण की पुनः संरचना या प्रशमन करने में असफल ।

याची अतः निमनलिखित प्रार्थना करता है :

यह कि सीमित दायित्व भागीदारी का राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ ा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन परिसमापन किया जाए और

2. ऐसा अन्य आदेश जो न्यायसंगत हो परिसर में किया जाए

याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि याची

* जहां याची सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा शोध्य ऋण का समनुदेशिती है, यानी ऋण की विशिष्टियां, समनुदेशन की तारीख, उपवर्णित करें, क्या समनुदेशन की सूचना सीमित्व दायित्व भागीदारी को दी गई थी और यदि ऐसा है तो ऐसी सूचना की तारीख बताएं ।

प्ररूप सं. 28

[नियम 101 देखें]

[प्ररूप सं. 16 में यथाविद्यमान शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के भागादारों द्वारा याचिका

.....(सीमित दायित्व भागीदारी/ सीमित दायित्व भागीदारों के भागीदारों के नाम) की याचिका

याची निम्नानुसार दर्शित करता है :

1. सभी सूचनाओं प्रक्रिओं आदि की तामील के लिए ऊपर नामित श्री..... उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं ।

2. ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी अर्थात्(जिसे सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं0.....), सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन20.....को निगमित किया गया ।

3. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....स्थित है ।

4. सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार.....है ।

5. भागीदारों और अभिहित भागीदारों के नाम निम्नानुसार है ।

6.20.....को हुई बैठक में सीमित दायित्व भागीदारी के तीन चौथाई बहुमत के संकल्प द्वारा मतैक्य से या..... मत के विरुद्ध तीन चौथाई मत से संकल्प किया गया था जो निम्नानुसार है :

[यहां संकल्प दें]

[यहां सीमित दायित्व भागीदारी की वित्तीय स्थिति से संबंधित तथ्यों को पैरा में दें और वे परिस्थितियां उल्लिखित करें कि उन्होंने सीमित दायित्व भागीदारी के समापन के लिए संकल्प को परित होने दिया]

7. अतः याची निम्नानुसार प्रार्थना करता है

1) कि..... सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन एनसीएलटी कीपीठ द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा ।

2) ऐसे अन्य आदेश जो परिसर में किए जा सके, न्यायोचित होंगे ।

याची के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि *याची*

[टिप्पण : याचिका कार्यों के विवरण और संकल्प की प्रति के साथ होगी]

प्ररूप सं. 29

[नियम 105 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.....

याचिका का विज्ञापन

सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए उक्त सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा [या जहां याचिका सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, वहां याची का नाम और पता तथा हैसियत जिसमें उसने याचिका प्रस्तुत की है, उदाहरणार्थ लेनदार] तारीख20.....को उक्त अधिकरण को एक याचिका प्रस्तुत की गई है और तारीख.....20.....को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के समक्ष उक्त याचिका की सुनवाई का निदेश दिया जाता है ।

उक्त याचिका पर किए जाने वाले आदेश का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक कोई लेनदार या अन्य व्यक्ति अपने आशय की सूचना, अपने या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित, नाम और पते सहित, याची या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख से दो दिन पूर्व तक पहुंच जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई पर हाजिर हो । अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी लेनदार या अभिदायी को उक्त याचिका की एक प्रति उसके लिए विहित प्रभारों का संदाय करने पर दी जाएगी । याचिका के विरोध में उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई शपथपत्र राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के पास फाइल किया जाना चाहिए और एक प्रति याची या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि पर सुनवाई के लिए नियत तारीख से दो दिन पूर्व तक तामील होनी चाहिए ।

याची की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्ररूप सं.30

[नियम 111 देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

तारीख:.....

अनंतिम समापक नियुक्त करने के लिए आदेश

.....के आवेदन पर, और सुनवाई पर आवेदक श्री.....आवेदक के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि है और श्री.....सीमित दायित्व भागीदारी के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि है, और.....20... को फाइल की कई याचिका और शपथ पत्र के पढ़ने पर और आवेदक का शपथपत्र.....20.....को फाइल किया गया ।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कीपीठ(नाम और पता लिखें) को ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का अनंतिम समापक होने के लिए नियुक्त करती है ।

और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की..... न्यायपीठ निम्नलिखित कार्यों के लिए उक्त अनंतिम समापक की शक्तियों को निर्बंधित करती हैं, अर्थात् ;

[यहां उन कार्यों का विवरण दे जिसे अनतिम समापक करने के लिए प्राधिकृत है]

और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....न्यायपीठ आदेश करती है कि अनंतिम समापक सीमित दायित्व भागीदारी की सभी संपत्ति का तुरंत प्रभाव से भार ले ।

और इस आवेदन का खर्च याचिका का खर्च होगा ।

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा)

अधिकरण का रजिस्ट्रार

टिप्पण :

नियमों के नियम 37 में, ऐसे नामित व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समय और स्थान में, जिसे वह नियत करे, अनंतिम समापक के समक्ष उपस्थित हो और उसे वह सभी जानकारी दें जिसकी वह अपेक्षा करे ।

जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....की पीठ निदेश करे कि अनंतिम समापक किसी विनिर्दिष्ट संपत्तियों को कब्जे में ले वहां खंड को उपयुक्त रूप से उपांतरित किया जाना चाहिए और ऐसी संपत्तियों की विशिष्टियां आदेश की अनुसूची में दिया जाना चाहिए ।

प्ररूप सं0 31

[नियम 114 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

परिसमापन आदेश के समापक के लिए अधिसूचना

सेवा में,

** परिसमापक

.....

माननीय सदस्य श्री.....द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन नीचे निर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आज आदेश सुनाया गया :

1. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम
2. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं0
3. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रकृत कार्यालय
4. याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि
5. याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख
6. समापक का नाम

याचिका और समर्थन में फाईल किए गए शपथपत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न है

तारीख *अधिकरण का रजिस्ट्रार*

** रजिस्ट्रार को भी आदेश की प्रति के साथ तामील कराया जाए ।

टिप्पण : (1) नियमों के नियम 37 में नामित ऐसे व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वह ऐसे समय और स्थान पर समापक के पास जो वह नियत करे, सभी सूचनाएं जिनकी वह अपेक्षा करे, देने के लिए उपस्थित हों ।

(2) अधिकरण को नियम 26(4) या 28(1) के निबंधनों के अनुसार प्रस्तुत कार्यों के विवरण की प्रति संलग्न की जाए ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 32

[नियम 114 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0..... /20.....

समापक को अंतरिम समापक नियुक्त करने की अधिसूचना

सेवा में,

** परिसमापक

.....

माननीय सदस्य श्री.....द्वारा नीचे वर्णित अंतरिम परिसमापक के रूप में परिसमापक की नियुक्ति के लिए आज आदेश सुनाया गया :

1. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम
2. सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकृत पता
3. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रकृत कार्यालय
4. याची का प्राधिकृत प्रतिनिधि
5. याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख
6. अंतरिम समापक का नाम

याचिका और समर्थन में फाईल किए गए शपथपत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न है

तारीख *अधिकरण का रजिस्ट्रार*

टिप्पण : (1) नियमों के नियम 37 में नामित ऐसे व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वह ऐसे समय और स्थान पर समापक के पास जो वह नियत करे, सभी सूचनाएं जिनकी वह अपेक्षा करे, देने के लिए उपस्थित हों ।

(2) अधिकरण को नियम 26(4) या 28(1) के निबंधनों के अनुसार प्रस्तुत कार्यों के विवरण की प्रति संलग्न की जाए ।

IndiaCode

प्ररूप सं.33

[नियम 116 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

तारीख.....

परिसमापन आदेश

तारीख.....20.....को प्रस्तुतकी याचिका पर याची की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री....., याचिका का समर्थन करने के लिए लेनदारों की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री..... याचिका का विरोध करने के लिए लेनदारों की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री.....और सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदार(भागीदारों) की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री.....की सुनवाई करके और उक्त याचिका का सत्यापन करते हुए तारीख20.....को फाइल श्रीके शपथपत्र, तारीख.....20.....को और उक्त याचिका के विज्ञापन वाले [यहां समाचारपत्रों के नाम लिखें] तारीख..... को पढ़ने के उपरांत, यह राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ यह आदेश करती है कि :

(1) इस राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किया जाए ।

(2) शासकीय समापक या.....(पेनल समापक) उपर्युक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के रूप में उक्त सीमित दायित्व भागीदारी की संपूर्ण संपत्ति और चीजबस्त को तुरन्त भारसाधन में ले ।

(3) समापक इस आदेश की एक मुहरबंद प्रति पूर्व-संदत्त रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी पर तामील कराएगा ।

(4) याची इस तारीख से चौदह दिन के भीतर इस आदेश के करने के लिए विहित प्ररूप में[यहां समाचारपत्र या समाचारपत्रों का नाम लिखें जिसमें आदेश विज्ञापित किया जाना है] सूचना का विज्ञापन कराए ।

(5) उक्त याची इस आदेश की एक सत्यापित प्रति इस तारीख से एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को तामील करे, और

(6) उक्त याचिका की लागत विनिर्धारित की जाए और उक्त एलएलपी की आस्तियों में से संदत्त की जाए ।

IndiaCode

प्ररूप सं.35

[नियम 123 देखें]

[यथास्थिति समापक या अंतरिम समापक, का शीर्षनामा]

मैसर्स,सीमिति दायित्व भागीदारी (समापनाधीन)

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

स्थिति विवरण प्रस्तुत करने और समापक के समक्ष हाजिर होने की सूचना

सेवा में

.....

.....

सूचना दी जाती है कि तारीख.....20.....को एक समापन आदेश किया गया था [या तारीख20.....के आदेश द्वारा मुझे ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का अंतरिम समापक नियुक्त किया गया था] और सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, मैं उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक या अंतरिम समापक के रूप में आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उक्त समापन आदेश [या मुझे अंतरिम समापक के रूप में नियुक्त करने के आदेश] की तारीख से 21* दिन के भीतर मुझे उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का स्थिति विवरण दोहरी प्रति में प्रस्तुत करें ।

तारीख.....20.....

(हस्ता.)

(समापक या अंतरिम समापक)

* जहां समय बढ़ाया गया है, वहां बढ़ाया गया समय प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्ररूप सं. 36

[नियम 124 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

वर्ष 20....का सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं.....

.....समापक-आवेदक

बनाम

.....प्रत्यर्थी

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

तारीख.....

नियम 28(5) के अधीन समापक द्वारा किए गए आवेदन पर आदेश

श्री, समापक के आवेदन पर तारीख.....के समन द्वारा आवेदक को समन करके और सुनने के उपरांत तथा प्रत्यर्थी के स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिर न होने पर, यद्यपि उसे, जैसा कि शपथपत्र से प्रतीत होता है, सम्यक् रूप से समन किया गया था, [या प्रत्यर्थी की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री.....को सुनने के पश्चात्], ऊपर वर्णित सीमित दायित्व भागीदारी के तारीख20.....के समापन आदेश (या अंतरिम समापक की नियुक्ति के आदेश) और तारीख.....20.....के शपथपत्र को पढ़ने के पश्चात् –

यह राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ आदेश करती है कि :

उक्त.....इसमें का प्रत्यर्थी, जो पूर्व में [उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार, अभिहित भागीदार आदि था] इस तारीख से [या उस पर यह आदेश तामील होने की तारीख* से]दिन के भीतर उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का स्थिति विवरण प्रस्तुत और सत्यापित करें (या सहमति दें और सत्यापित करें) और/या नियमों के नियम 28 के उपबंधों के अनुसरण में लेखों को पूर्ण करें और लेखापरीक्षा कराएं ।

और इसमें का प्रत्यर्थी उक्त.....समापक के समक्ष उसके कार्यालय में, ऐसे समय पर जैसा समापक नियत करे, हाजिर हों और उसे, जैसी की वह अपेक्षा करे, सीमित दायित्व भागीदारी विषयक स्थिति की संपूर्ण जानकारी दें ।

तारीख.....20.....

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ द्वारा)

अधिकरण का रजिस्ट्रार

* वहां सम्मिलित किया जाए, जहां आदेश प्रत्यर्थी की मौजूदगी में नहीं किया गया है ।

प्ररूप सं. 37

[नियम 126 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

नियम 28 के अधीन स्थिति विवरण

यथास्थिति तारीख20....., याचिका की तारीख या समापन आदेश या अंतरिम समापक नियुक्त करने के आदेश की तारीख; को ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का स्थिति विवरण ।

मैं/हम..... सत्यानिष्ठा से पुष्टि करता हूं/करते हैं और कथन करता हूं/करते हैं कि पूर्व पृष्ठ पर किया गया कथन और इसमें इसके साथ उपाबद्ध 'क' से 'छ' के रूप में चिन्हांकित विभिन्न सूचियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार तारीख.....20....., याचिका की तारीख या समापन आदेश या अंतरिम समापक की नियुक्ति के आदेश की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, सही और संपूर्ण कथन है और यह कि उक्त सीमित दायित्व भागीदारी निम्नलिखित कारबार करती थी/करती है :

(यहां सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की प्रकृति का उल्लेख करें)

.....

हस्ताक्षर

तारीख.....20....को मेरे समक्ष.....पर सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान किया ।

शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक

स्थिति विवरण और सूचियां जो उपाबद्ध की जानी हैं

यथास्थिति याचिका की तारीख या समापन आदेश या अंतरिम समापक की नियुक्ति के आदेश की तारीख, जैसी भी स्थति हो, होने के कारण तारीख.....20.....को सीमित दायित्व भागीदारी की विषय स्थिति का प्राक्कलित वसूली योग्य मूल्य और दायित्वों को दर्शित करने हुए आस्तियों का विवरण :

IndiaCode

(क) आस्तियां

1.आस्तियां विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी या नियत भार होना (प्लवमान भार को अपवर्जित करते हुए) (सूची ' क' के अनुसार)	बही मूल्य	प्राक्कलित वसूली योग्य मूल्य	प्रतिभूत लेनदारों और कर्मकारों को देय	अप्रतिभूत के रूप में श्रेणीबद्ध कमी	प्राक्कलित अधिशेष
पूर्ण स्वामित्व संपत्ति	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
पट्टाधृति संपत्त					
संयंत्र और मशीनरी					
फर्नीचर, फिटिंग्स आदि					
सूचियां					
अन्य आस्तियां					
.....					
.....					
रु0					

II आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी आदि नहीं है (सूची 'ख' के अनुसार)	बही मूल्य (रु)	अनुमानित वसूल योग्य मूल्य (रु0)
बैंक अतिशेष		
हाथ में रोकड़		
विनिवेश		
ऋणी/व्यापार अभिप्राप्तियां		
उधार और अग्रिम		

IndiaCode

सूचियां		
फ्रीहोल्ड संपत्ति		
पट्टाधृति संपत्ति		
संयंत्र और मशीनरी		
फर्नीचर, फिटिंग्स इत्यादि		
अप्रत्यक्ष आस्तियां		
अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें)		
भागीदारों का बकाया अभिदाय		

सकल आस्तियां रु0

आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी/स्थिर प्रभार वाली हैं,

का वसूल योग्य सकल मूल्य

अन्य आस्तियां

सकल आस्तियां

IndiaCode

ख. दायित्व

सकल दायित्व

प्रतिभूत लेनदार जिसमें कर्मकार देय सम्मिलित हैं

अधिमानी लेनदार

प्लवमान भारवाले लेनदार

अप्रतिभूत लेनदार

और समाश्रित दायित्व

सकल दायित्व

		रु0
	आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी/स्थिर प्रभार वाली हैं से अनुमानित अतिशेष	
	आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी आदि नहीं हैं	
	अधिमानी लेनदारों, प्लवमानभार वाले लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों के लिए उपलब्ध अनुमानित कुल आस्तियां	
	अधिमानी लेनदार (सूची 'ग' के अनुसार)	
	प्लवमानभार वाले लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों के लिए उपलब्ध आस्तियों का अनुमानित अतिशेष	
	प्लवमानभार वाले लेनदार (सूची 'घ' के अनुसार)	
	अप्रतिभूत लेनदारों और भागतः प्रतिभूत लेनदारों का विनिर्दिष्ट आस्तियों पर अप्रतिभूत अतिशेष के लिए उपलब्ध आस्तियों का अनुमानित अतिशेष	
	अप्रतिभूत लेनदार आदि (सूची 'ङ' के अनुसार)	
	भागीदारों को उपलब्ध अनुमानित अतिशेष	
	भागीदारों का दावा (सूची 'च' के अनुसार)	

टिप्पण : धनात्मक अतिशेष 'अधिशेष' के रूप में और ऋणात्मक अतिशेष 'कमी' के रूप में लिया गया है ।

हस्ताक्षर

तारीख.....20.....

IndiaCode

सूची "क" कार्यों का विवरण

अनुसूची ।

आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक, गिरवी, या स्थिर प्रभार वाली हैं (प्लवमानभार को छोड़कर) और लेनदार जिनमें कर्मकार, पूर्णतः या भागतः प्रतिभूत सम्मिलित हैं ।

आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी आदि हैं, की विशिष्टियां	तारीख, कब प्रतिभूति दी गई	प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	लेनदारों का नाम और पता	प्रतिभूत लेनदारों की ऋण की रकम	कर्मकार शोध्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.

प्रतिभूत लेनदारों की रकम का अनुपात	कर्मकार शोध्यों की रकम का अनुपात	ऋण का अतिशेष/ सूची 'घ' से लिए गए कर्मकार अप्रतिभूत शोध्य	प्रतिभूति से अनुमानित अधिशेष
7.	8.	9.	10.

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 2

आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी आदि हैं का विवरण

आस्तियां	अवस्थिति पता और विवरण	क्षेत्र	हक का धारक और व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में हक विलेख है	रकम

IndiaCode

पूर्णस्वामित्व वाली संपत्ति				
पट्टाधृति संपत्ति				
संयंत्र और मशीनरी				
फर्नीचर, फिटिंग्स सूचियां आदि				

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

सूची 'ख' कार्यों का विवरण

अनुसूची ।

आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी आदि नहीं है

II आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी आदि नहीं है ।	बही मूल्य (रु)	अनुमानित वसूल योग्य मूल्य (रु0)
बैंक अतिशेष हाथ में रोकड़ विनिवेश ऋणी/व्यापार अभिप्राप्तियां उधार और अग्रिम सूचियां पूर्णस्वामित्व वाली संपत्ति		
पट्टाधृति संपत्ति संयंत्र और मशीनरी फर्नीचर, फिटिंग्स आदि अप्रत्यक्ष आस्तियां अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें) भागीदारों का बकाया अभिदाय		

IndiaCode

अनुसूची 2

बैंक अतिशेष

बैंक का नाम और पता	बैंक अतिशेष	लेखा की प्रकृति (नियत निक्षेप/बचत/चालू)	खाता सं0/ नियत निक्षेप सं0	व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में नियत निक्षेप है	सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकारी जिसने लेखा का प्रचालन किया है, का नाम और पता

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 3

हाथ में रोकड़

रकम	व्यक्ति जिसके हाथ में रोकड़ है	व्यक्ति जो सीमित दायित्व भागीदारी में रोकड़ लेनदेन करता है

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 4

विनिधान

विनिधान की प्रकृति	निगमित निकाय/संस्थाओं का नाम जहां विनिधान किया गया है	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम	व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में स्क्रिप है

IndiaCode

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 5

ऋणी/व्यवसाय अभिप्राप्तियां

(जिनमें विनिमय पत्र वचन पत्र आदि सम्मिलित है)

नाम और पता तथा क्या अभिहित भागीदार से संबंधित है	रकम	अच्छा या बुरा	समय परिसीमा में है या परिसीमा से बाधित है	कब संबंधित हुआ और समर्थक दस्तावेज	संस्थित विधिक कारवाहियां (पूरे ब्यौरे सहित)	किसी धारित प्रतिभूति की विशिष्टियां	जमा अतिशेष

IndiaCode

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 6

उधार और अग्रिम

नाम और पता तथा क्या अभिहित भागीदार से संबंधित है	रकम	अच्छा या बुरा	समय परिसीमा में है या परिसीमा से बाधित है	कब संबंधित हुआ और समर्थक दस्तावेज	संस्थित विधिक कारवाहियां (पूरे ब्यौरे सहित)	किसी धारित प्रतिभूति की विशिष्टियां

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 7

सूचियां

विवरण	रकम	मात्रा	स्थान का पता	कब से पड़ा है

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 8

अन्य आस्तियों का विवरण

आस्तियां	स्थान का पता और विवरण	क्षेत्र	हक का धारक और व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में हक विलेख है	रकम
फ्रीहोल्ड संपत्ति पट्टाधृति संपत्ति संयंत्र और मशीनरी फर्नीचर, फिटिंग्स आदि				

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अनुसूची 9

भागीदारों का बकाया अभिदाय

भागीदार का नाम और पता	बकाया रकम	अभिदाय की प्रकृति	कब से बकाया है	अन्य बाध्यता

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अधिमानी लेनदारों के कार्यों का विवरण सूची 'ग'

सं0	लेनदार का नाम	पता और वृत्ति	दावा की प्रकृति	अवधि जिसके दौरान दावा उद्भूत हुआ	तारीख कब शोध्य हुआ	दावा की रकम	संदेय पूर्ण रकम	अतिशेष जो अधिमानतः सूची 'घ' में नहीं ले जाया गया

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

प्लवमानभार वाले लेनदार कार्यों का विवरण सूची 'घ'

सं0	धारक का नाम	पता	रकम रु0	आस्तियों का विवरण जिनपर प्रतिभूति बढ़ाई गई है

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

अप्रतिभूत लेनदार कार्यों के विवरण की सूची 'ङ' आदि

सं0	नाम	पता	रकम	तारीख कब संबंधित हुआ	समर्थन में दस्तावेज	प्रतिफल
	अप्रतिभूत लेनदार					
	सूची 'क' से लाए गए भागतः प्रतिभूत					

IndiaCode

	लेनदारों का अप्रतिभूत अतिशेष					
	सूची 'घ' से लाए गए अधिमानी लेनदारों का अतिशेष					

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

सूची 'च' कार्यों का विवरण
भागीदारों की सूची

नाम और पता	अभिदाय की रकम	अभिदाय की प्रकृति	कब से भागीदार है और क्या अभिहित भागीदार है	बकाया अभिदाय की रकम

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

कार्यों का विवरण सूची 'छ'
भागीदारों से शोध्य ऋण

सं0	नाम	निवास का पता	ऋणों की रकम	समर्थन में दस्तावेजों का ब्यौरा	कब संबंधित हुआ और अच्छा या बुरा	ऋण के लिए धारित किसी प्रतिभूति की विशिष्टियां

टिप्पण : -- प्रति प्रविष्टि को पूरे ब्यौरे के साथ प्रकट किया जाए ।

हस्ताक्षर तारीख.....20.....

प्ररूप सं0 38

[नियम 123 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

कार्यों के विवरण में सहमति का शपथपत्र

मैं/हम..... [प्राधिकृत भागीदारों के नाम, विवरण आदि यदि सीमित दायित्व भागीदारी, याची और भागीदार का नाम, यदि याची भागीदार होने की दशा में] सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और निम्नलिखित कथन करता हूं/करते हैं :--

यह कि मै/हम.....द्वारा यहां दाखिल कार्यों के विवरण का परिशीलन कर चुका है/चुके हैं और मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना, जानकारी और विश्वास में ऐसे विवरण पूर्ण है तथा सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का [नीचे वर्णित को छोड़कर] सही लेखा है ।

[यहां बताएं, यदि आवश्यक हो, किसके संबंध में, यदि कोई हो, कार्यों के विवरण से सहमत नहीं है]

सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान आदि किया जाता है

.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

शपथ आयुक्त या नोटेरी पब्लिक

प्ररूप सं0 39

[नियम 127 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

कार्यों के विवरण के लिए समय बढ़ाने का प्रमाणपत्र

मैं,.....समापक, यह प्रमाणित करता हूं कि.....(यहां व्यक्ति जिसे विवरण प्रस्तुत करता है का नाम और विवरण वर्णित करें) के अपेक्षित सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए तारीख से.....तारीख.....20..... तक समय बढ़ाने के लिए नियम 127 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों के अधीन सशक्त किया गया है

तारीख.....20.....

हस्ताक्षर

समापक

IndiaCode

प्ररूप सं0 40

[नियम 132 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0..... /20.....

नियम 34 के साथ पठित नियम 132 के अधीन समापक की रिपोर्ट

नियम 34 के साथ पठित नियम 132 के अनुसरण में समापक, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करता है :--

I.आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी या नियतप्रभार (प्लवमान भारों को छोड़कर)	बही मूल्य	वसूल योग्य अनुमानित मूल्य	प्रतिभूत लेनदारों और कर्मकारों को शोध्य	अप्रतिभूत के रूप में कमी	अनुमानित अतिशेष
फ्रीहोल्ड संपत्ति	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
पट्टाधृति संपत्ति					
संयंत्र और मशीनरी					
फर्नीचर, फिटिंग्स आदि सूचियां अन्य आस्तियां					
रु0					

II. आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी नहीं है	बही मूल्य (रु0)	वसूल योग्य अनुमानित मूल्य (रु0)
बैंक अतिशेष हाथ में रोकड़ विनिवेश ऋणी/व्यापार अभिप्राप्तियां उधार और अग्रिम		

IndiaCode

सूचियां		
फ्रीहोल्ड संपत्ति		
पट्टधृति संपत्ति		
संयंत्र और मशीनरी		
फर्नीचर, फिटिंग्स आदि		
अप्रत्यक्ष आस्तियां		
अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें)		
भागीदारों का बकाया अभिदाय		

सकल आस्तियां रु0

आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी/नियत प्रभार वाली हैं,
का वसूल योग्य सकल मूल्य

अन्य आस्तियां

सकल आस्तियां

IndiaCode

ख. दायित्व

सकल दायित्व

प्रतिभूत लेनदार जिसमें कर्मकार शोध्य सम्मिलित हैं

अधिमानी लेनदार

प्लवमान भारवाले लेनदार

अप्रतिभूत लेनदार

और समाश्रित दायित्व

सकल दायित्व

आस्तियां जो विनिर्दिष्ट रूप से बंधक/गिरवी आदि हैं का विवरण

आस्तियां	अवस्थिति पता और विवरण	क्षेत्रफल	हक का धारक और व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में हक विलेख है	रकम
फ्रीहोल्ड संपत्ति पट्टाधृति संपत्ति संयंत्र और मशीनरी फर्नीचर, फिटिंग्स सूचियां आदि				

अन्य आस्तियों का विवरण

आस्तियां	अवस्थिति पता और विवरण	क्षेत्रफल	हक का धारक और व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में हक विलेख है	रकम
फ्रीहोल्ड संपत्ति पट्टाधृति संपत्ति संयंत्र और मशीनरी फर्नीचर, फिटिंग्स सूचियां आदि				

(ग) नियम 34 के उपनियम (1) के खंड (क) से खंड (ड) में उपबंधित विभिन्न मदों के लिए सूचना और सामग्री ।

(घ) कपट का विवरण यदि कोई हो जो नियम 34 उपनियम (2) में उपबंधित व्यक्तियों द्वारा किए गए हों ।

(ङ) नियम 34 के उपनियम (3) में उपबंधित तात्विक जानकारी ।

(च) कोई अन्य रिपोर्ट या रिपोर्टें यदि समापक नियम 34 के उपनियम (4) में यथा उपबंधित के अनुसार ऐसा बनाना उचित समझे ।

तारीख.....20..... हस्ताक्षर

समापक

प्ररूप सं. 41

[नियम 138 का उप-नियम (1) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

***लेनदारों को अपना दावा साबित करने के लिए सूचना का विज्ञापन**

ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों को सूचना दी जाती है कि वे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समापक को (जैसी स्थिति हो) ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध अपने-अपने ऋण या दावे के सबूत और ऋण या दावे को साबित करते हुए विहित प्ररूप में अपने-अपने नाम, पते और ऋण या दावे का विवरण तथा अधिनियम और नियमों के अधीन किसी हक की पूर्विकता सहित, शपथपत्र तारीख20.....को या इससे पूर्व समापक के कार्यालय में परिदत्त करके प्रस्तुत करें या जो कि उक्त तारीख तक पहुंच जाने चाहिए । कोई लेनदार, जो उपर्युक्त अनुसार सीमित किए गए समय के भीतर अपना सबूत का शपथपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, उसे, यथास्थिति, वितरणीय राशि के किसी वितरण के फायदे से या ऐसे वितरण पर आक्षेप करने से, उसका ऋण साबित होने तक, अपवर्जित किया जाएगा ।

कोई लेनदार, जिसने दावे का अपना सबूत भेजा है, समापक की ओर से लिखित में सूचना द्वारा अपेक्षित होने पर या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसे समय और स्थान, जैसा कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, ऐसे ऋण या दावे के अन्वेषण के लिए हाजिर होगा और अपने ऋण या दावे का ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जैसा कि अपेक्षित हो ।

तारीख.....20.....

समापक

* यदि लेनदारों की संख्या सौ व्यक्तियों से अधिक नहीं है, तो समाचारपत्र में विज्ञापन देने का त्याग किया जा सकेगा । ऐसे मामले में व्यक्तिगत सूचनाएं दी जा सकेंगी ।

IndiaCode

प्ररूप सं. 42

[नियम 138 का उप-नियम (4) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

अपना ऋण साबित करने के लिए लेनदार को सूचना

सेवा में

.....

.....

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध अपने ऋण या दावे का सबूत और विहित प्ररूप में अपना नाम, पता और दावे का विवरण तथा पूर्विकता के किसी हक, जो आप सीमित दायित्व भागीदारी, अधिनियम, 2008 के अधीन कर सकते हैं, सहित शपथपत्र राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ के समापक के कार्यालय में परिदत्त करके तारीख.....20.....या इससे पूर्व प्रस्तुत करें या समापक को डाक द्वारा भेंजे जो उक्त तारीख तक पहुंच जाना चाहिए । यदि आप उपर्युक्त अनुसार सीमित किए गए समय के भीतर अपना सबूत का शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आपको, यथास्थिति, वितरणीय राशि के किसी वितरण के फायदे से या ऐसे वितरण पर आक्षेप करने से, जब तक आपका ऋण साबित नहीं हो जाता है, अपवर्जित किया जाएगा ।

यदि समापक की ओर से लिखित में ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो आपको अपने ऋण या दावे के अन्वेषण के लिए ऐसे समय और स्थान, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, हाजिर होना चाहिए और अपने ऋण या दावे का ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि अपेक्षित हो ।

तारीख.....20.....

.....

समापक

प्ररूप सं. 43

स्वैच्छिक समापन

[नियम 138 का उप-नियम (4) देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी (समापनाधीन) का नाम.....
सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या.....
सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम
सीमित दायित्व भागीदारी समापक का पता.....
समापन के प्रारंभ होने की तारीख.....

अपना ऋण साबित करने के लिए लेनदारों को सूचना

मैं....., उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का समापक आपसे अपेक्षा करता हूं कि उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध अपने ऋण या दावे का सबूत और विहित प्ररूप में अपना नाम, पता और दावे का विवरण तथा पूर्विकता के किसी हक, जो आप सीमित दायित्व भागीदारी, अधिनियम, 2008 के अधीन कर सकते हैं, सहित शपथपत्र राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ के समापक के कार्यालय में परिदत्त करके तारीख.....20.....या इससे पूर्व प्रस्तुत करें या समापक को डाक द्वारा भेंजे जो उक्त तारीख तक पहुंच जाना चाहिए । यदि आप उपर्युक्त अनुसार सीमित किए गए समय के भीतर अपना सबूत का शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आपको, यथास्थिति, वितरणीय राशि के किसी वितरण के फायदे से या ऐसे वितरण पर आक्षेप करने से, जब तक आपका ऋण साबित नहीं हो जाता है, अपवर्जित किया जाएगा ।

यदि समापक की ओर से लिखित में ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो आपको अपने ऋण या दावे के अन्वेषण के लिए ऐसे समय और स्थान, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, हाजिर होना चाहिए और अपने ऋण या दावे का ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि अपेक्षित हो ।

तारीख.....20.....

.....
समापक,
सीमित दायित्व भागीदारी

प्ररूप सं. 44

[नियम 141 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

ऋण के सबूत का शपथपत्र

मैं.....आदि, (शपथकर्ता का पूरा नाम, पता और व्यवसाय दिया जाए) सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नलिखित कथन करता हूं :

1. ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का, आदेश की तारीख अर्थात् तारीख.....20.....को, इसका समापन हो गया था और न्यायतः और सच्चाई से यह अभी भी मेरी/हमारीरुपए कीके लिए (यहां प्रतिफल का उल्लेख करें) ऋणग्रस्त है, जैसा कि नीचे अनुसूची में दर्शित है ।

2. उक्त राशि या इसके किसी भाग के बारे में, मैं यह कथन करता हूं कि न तो मैंने और न ही मेरे किसी भागीदार या उनमें से किसी ने और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास द्वारा, किसी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति, चाहे जो भी हो, निम्नलिखित के सिवाय, उपयोग की है या प्राप्त की है :

(यहां सभी धारित प्रतिभूतियों के विवरण का उल्लेख करें और जहां प्रतिभूति सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति पर हैं, उनके मूल्य का निर्धारण करें और यदि कोई विनिमय-पत्र या अन्य परक्राम्य प्रतिभूति धारित है, उनको अनुसूची में विनिर्दिष्ट करें ।)

(यदि दावा अधिमानी दावे के रूप में किया गया है, उसका उल्लेख करें और उन आधारों को लिखें जिन पर अधिमान का दावा किया गया है ।)

अनुसूची

तारीख	लेखा की प्रकृति	विवरण (उदाहरण के लिए, बीजक संख्यांक, चेक या डिमांड ड्राफ्ट संख्याक और बैंक का नाम और पता	रकम	देय तारीख	टिप्पणी

प्रतिलेखाओं के लिए मुजरा दिया जाए ।

प्रतिलेखाओं का ब्यौरा ।

तारीख.....20 को मेरे समक्षपर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. जहां शपथपत्र, किसी लेनदार द्वारा नहीं है, किंतु उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा है वहां अभिसाक्षी, शपथपत्र करने के लिए अपने प्राधिकार को पृथक पैरा में कथन करेगा और उसके ज्ञान का स्रोत तथा उपयुक्त अनुकल्पों का कथन करना चाहिए ।

प्ररूप सं. 45

[नियम 142 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

कर्मकारों के ऋण का सबूत

मैं.....आदि (शपथकर्ता का पूरा नाम, पता और व्यवसाय भरें), ऊपर-नामित सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नियोजित किए गए कर्मकारों और अन्य व्यक्तियों की ओर से, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह कथन करता हूं कि :

ऊपर-नामित सीमित दायित्व भागीदारी तारीख20.....को वस्तुतः और न्यायतः ऐसे विभिन्न व्यक्तियों की ऋणी थी और अभी भी है जिनके नाम, पते और अभिवर्णन नीचे दी गई अनुसूची से प्रकट होते हैं और इस अनुसूची के सातवें स्तंभ में अलग-अलग उनके नामों के सामने उल्लिखित राशियां, सीमित दायित्व भागीदारी के नियोजन में क्रमशः कर्मकारों या अन्य व्यक्तियों को, सीमित दायित्व भागीदारी में ऐसी अवधियों, जैसी कि इस अनुसूची के पांचवें स्तंभ में क्रमशः उनके अपने-अपने नामों के सामने उल्लिखित हैं, के दौरान उनके द्वारा की गई सेवाओं की बाबत मजदूरी के लिए और ऐसी अवधियों, जैसी कि इस अनुसूची के छठे स्तंभ में उल्लिखित हैं, के लिए प्रोद्भूत अवकाश के पारिश्रमिक के लिए उन्हें शोध्य हैं, इन उक्त राशियों या इनके किसी भाग के बारे में मैं यह कथन करता हूं कि न तो उन्होंने और न ही उनमें से किसी ने किसी प्रकार की, जो भी हो, तुष्टि की है या प्रतिभूति प्राप्त की है ।

.....

अभिसाक्षी

अनुसूची

कर्मकार/अन्य कर्मचारियों का पूरा नाम और नियोजन का सबूत तथा पद	कर्मकार/कर्मचारी का पता	कर्मकार है या कर्मचारी	जन्म की तारीख और सीमित दायित्व भागीदारी की सेवा में प्रवेश की तारीख	वेतनमान	मजदूरी/वेतन के घटक
1	2	3	4	5	6

अवधि, जिसके लिए मजदूरी शोध्य है	अवधि, जिसके लिए प्रोद्भूत अवकाश के लिए पारिश्रमिक शोध्य है	कुल शोध्य	टिप्पणी
7	8	9	10

सत्यानिष्ठा से पुष्टि की जाती है, आदि ।

.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 46

[नियम 142 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.

अन्वेषण में हाजिर होने या अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए लेनदार को सूचना

सेवा में

.....

.....

सूचना दी जाती है कि नियम 147 के अनुसरण में आपसे यह अपेक्षित है कि आप ऊपर-नामित सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध अपने ऋण या दावे के अन्वेषण के लिए तारीख.....20.....कोबजे स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के समापक के समक्ष उनके कार्यालय में हाजिर हों और ऊपर-नामित सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध अपने सबूत के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

अपेक्षित अतिरिक्त साक्ष्य निम्नलिखित है--

.....

और यह भी सूचना दी जाती है कि कि समापक को उक्त तारीख को या उससे पूर्व उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपका उक्त साक्ष्य नामंजूर किया जा सकता है ।

*तारीख.....20.....(दिन/मास/वर्ष)

.....

समापक

* लेनदार को सूचना, हाजिर होने/ऋण का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत-तारीख से सात-दिन पूर्व तक पंहुच जानी चाहिए ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 47

[नियम 151 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

ऋण के सबूत को खारिज करने की सूचना

मैं,

.....

.....

ना लें कि ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के रूप में, मैंने आज सीमित दायित्व भागीदारी के द्ध आपके पूरे दावे को खारिज कर दिया है या.....रुपए की सीमा तक खारिज कर दिया है । जिसके लिखित आधार हैं ।

.....

और सूचना लें कि समय विस्तार के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ की शक्तियों के धीन आपके सबूत को खारिज करने के मेरे विनिश्चय को पलटने या बदलने के लिए कोई आवेदन इस सूचना तामील की तारीख से 21 दिन के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

ख.....20.....

.....

समापक

ण : कर्मकार/अन्य कर्मचारियों की दशा में समुचित कथन के रूप में और व्यक्ति जिसने उन कर्मकार/अन्य वारियों के निमित्त दावा किया है संसूचित समझा जाएगा ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 48

[नियम 151 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

सबूत को स्वीकार करने की सूचना

सेवा में,

.....

.....

आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध आपका दावा रुपए.....

का अनुज्ञात किया जा चुका है ।

तारीख.....20.....

.....

समापक

टिप्पण : कर्मकार/अन्य कर्मचारियों की दशा में समुचित कथन के रूप में और व्यक्ति जिसने उन कर्मकार/अन्य कर्मचारियों के निमित्त दावा किया है संसूचित समझा जाएगा ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 49

[नियम 155 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

समापक द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए या खारिज किए गए सबूतों की सत्यपित सूची

मैं,..... ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक प्रमाणित करता हूं कि नीचे दी गई सूची सभी लेनदारों की सही सूची है जिन्होंने विज्ञापन के अनुसरण में उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध ऋण् के अपने सबूत या दावे.....तारीख.....20.....को प्रस्तुत किए हैं और लेनदारों को व्यष्टिक रूप में सूचना जारी की गई हैं । मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि उक्त सूची के पहले भाग में मेरे द्वारा पूर्णतः या भागतः निपटाए गए ऋण और दावे और रुपए.....की रकम, स्वीकार रकम के साथ हैं । दूसरे भाग में निपटाए गए दावे हैं जो मेरे द्वारा पूर्णतः खारिज कर दिए गए हैं, ।

पहला भाग

पूर्णतः या भागतः स्वीकार किए गए ऋण और दावे

क्रम सं0	लेनदार का नाम, पता और विवरण	दावा की गई रकम	स्वीकार की गई रकम	क्या कर्मकार या अधिमानी या प्लवमानभार या अप्रतिभूत सहित प्रतिभूत के रूप म स्वीकार है

दूसरा भाग

दावे जो पूर्णतः खारिज किए गए हैं

क्रम सं0	लेनदार का नाम, पता और विवरण	दावे की रकम

तारीख.....20.....

हस्ताक्षर

समापक

IndiaCode

प्ररूप सं0 50

[नियम 160 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

भागीदारों की अनंतिम सूची

क्रम सं0	नाम और पता	अभिदाय का रूप /प्रकृति	अभिदाय की रकम	अभिदाय		
1	2	3	4	5		
				परिसमापन के आरंभ की तारीख तक अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् अभिदाय की रकम	कुल

बकाया अभिदाय		
6		
परिसमापन के आरंभ की तारीख तक बकाया अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् बकाया अभिदाय की रकम	कुल

तारीख.....

हस्ताक्षर

समापक

IndiaCode

प्ररूप सं0 51

[नियम 161 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

भागीदारों की सूची का निपटारा करने के लिए नियत तारीख की भागीदारों का सचूना

सेवा में,

.....

.....

सूचना लें कि मैंऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की सूची जो मेरे द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन नियमों के अनुसरण में तैयार की गई है तथा ऐसी सूची में आप सम्मिलित हैं, का मेरे कार्यालय में निपटारा करने के लिए तारीख20..... को नियत की गई है । यदि आपके द्वारा उपरोक्त समय और स्थान पर संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किया जाता है तो आपको उक्त सूची में उपवर्णित रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त सूची का निपटान कर दिया जाएगा

सूची में क्रम सं0	नाम और पता	अभिदाय का रूप /प्रकृति	अभिदाय की रकम	अभिदाय		
1	2	3	4	5		
				परिसमापन के आरंभ की तारीख तक अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् अभिदाय की रकम	कुल

बकाया अभिदाय		
6		
परिसमापन के आरंभ की तारीख तक बकाया अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् बकाया अभिदाय की रकम	कुल

तारीख.....20.....

हस्ताक्षर

समापक

टिप्पण

1. भागीदारों पर समापक के समक्ष उपस्थित होने की बाध्यता नहीं है यदि उनका समाधान हो गया है कि सूचना में अंर्तविष्ट विशिष्टियां सही हैं ।

2. पते में परिवर्तन, सूची के निपटारे के लिए नियत तारीख से पूर्व डाक द्वारा सूचना देकर अधिसूचित किए जा सकेंगे ।

प्ररूप सं0 52

[नियम 163 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

भागीदारों की सूची के अंतिम निपटारे का प्रमाणपत्र

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसरण में मैं अधोहस्ताक्षरी ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक होने के नाते प्रमाणित करता हूं कि उक्त सूची का जहां तक उसका संबंध ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की सूची के निपटारे के परिणाम से है इस प्रमाणपत्र की तारीख तक निपटारा किया जा चुका है ।

सूची में क्रम सं0	नाम और पता	अभिदाय का रूप /प्रकृति	अभिदाय की रकम	अभिदाय		
1	2	3	4	5		
				परिसमापन के आरंभ की तारीख तक अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् अभिदाय की रकम	कुल

बकाया अभिदाय		
6		
परिसमापन के आरंभ की तारीख तक बकाया अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् बकाया अभिदाय की रकम	कुल

तारीख.....

हस्ताक्षर

समापक

प्ररूप सं0 53

[नियम 164 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

भागीदारों की सूची के अंतिम निपटारे का और उसके

नाम को सम्मिलित करने की भागीदार को सूचना

सेवा में,

.....

.....

सूचना लें कि मैं..... ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, तारीख.....20.....

के प्रमाण पत्र द्वारा उक्त सीमित दायित्व भागीदारी अभिदायों की सूची का अंतिम निपटान मेरे द्वारा किया गया और आप ऐसी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है ।

आपके बारे में कोई आवेदन भागीदारों की उक्त सूची में फेरफार करने या कि आपका नाम उससे उपवर्णित करने के लिए इस सूचना की आप पर तामील की तारीख के 21 दिन के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ को किया जाना चाहिए । उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा ।

सूची में क्रम सं0	नाम और पता	अभिदाय का रूप /प्रकृति	अभिदाय की रकम	अभिदाय		
1	2	3	4	5		
				परिसमापन के आरंभ की तारीख तक अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् अभिदाय की रकम	कुल

बकाया अभिदाय		
6		
परिसमापन के आरंभ की तारीख तक बकाया अभिदाय की रकम	परिसमापन के आरंभ की तारीख के पश्चात् बकाया अभिदाय की रकम	कुल

तारीख..... 20.....

हस्ताक्षर.....

समापक

प्ररूप सं0 54

[नियम 166 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0..... /20.....

भागीदारों की रूपांतरित सूची

श्री.....के आवेदन पर तारीख.....20..... के सम्मन द्वारा एक आदेश की सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की सूची और समापक का (या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ) प्रमाणपत्र इसके इसमें से आवेदक का नाम निकाल कर रूपांतरण द्वारा और सुनवाई आदि द्वारा तथा पाठन आदि द्वारा अंतिम निपटारे के लिए यह आदेशित किया जाता है :--

यह कि सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की सूची और समापक (या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ) का प्रमाणपत्र का अंतिम निपटारा किया जाता है कि अभिदाय की रकम.....के लिए और बकाया अभिदाय की रकम..... के लिए भागीदारों की उक्त सूची से श्री.....का नाम हटाकर या उक्त भागीदारों की उक्त सूची से श्री.....का नाम सम्मिलित कर इसको रूपांतरित किया जाए

तारीख.....20.....

अधिकरण का रजिस्ट्रार

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ)

IndiaCode

प्ररूप सं. 55

विज्ञापन का प्ररुप

[नियम 170 का उप-नियम (4) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं...../20.....

नियम 170 के अधीन लेनदारों और भागीदारों की बैठकों की सूचना

सूचना दी जाती है कि–

1. ऊपर-नामित सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों की एक बैठक तारीख20.....कोबजे.....पर(स्थान) यह अवधारित करने के लिए आयोजित की जाएगी कि समापक के साथ कार्य करने के लिए एक निरीक्षण समिति नियुक्त की जाए या नहीं और यदि समिति नियुक्त की जानी है तो समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ।

नोटः उपर्युक्त लेनदारों की बैठक में किसी लेनदार को मतदान करने का हकदार होने के लिए उसका सबूत तारीख.....20.....,बजे तक समापक के पास अवश्य जमा होना जाना चाहिए ।

2. ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की एक बैठक तारीख.....20.....को.....बजेपर(स्थान) लेनदारों की उक्त बैठक में लिए गए विनिश्चय पर विचार करने और भागीदारों को इस बात पर मत व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाएगी कि निरीक्षण समिति नियुक्त की जाए या नहीं और यदि निरीक्षण समिति नियुक्त की जानी है तो उसके सदस्य कौन-कौन होंगे ।

सबूत और सामान्य तथा विशेष परोक्षियों का प्ररूप, समापक के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । परोक्षियां तारीख..... 20.....,बजे तक समापक के पास जमा हो जानी चाहिए ।

तारीख20.....

.....

समापक

टिप्पण: सीमित दायित्व भागीदारी का स्थिति विवरण जमा नहीं किया गया है(या जमा किया जा चुका है और विहित फीस का संदाय करके समापक के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकता है) ।

प्ररूप सं. 55-क

लेनदारों को वैयक्तिक सूचना का प्रारूप

[नियम 170 का उप-नियम (4) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं...../20.....

नियम 170 के अधीन लेनदारों की बैठक की सूचना

सेवा में

.....

.....

सूचना दी जाती है कि ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों की एक बैठक नीचे वर्णित प्रयोजन के लिए तारीख.....20.....को.....बजेपर(स्थान) होगी:

कार्यसूची

यह अवधारित करने के लिए कि समापक के साथ कार्य करने के लिए निरीक्षण समिति नियुक्त की जाए या नहीं और और यदि निरीक्षण समिति नियुक्त की जानी है तो उसके सदस्य कौन-कौन होंगे ।

आपको मतदान करने का हकदार होने के लिए अपना सबूत तारीख.....20.....,बजे तक समापक के कार्यालय में अवश्य जमा कर देना चाहिए ।

सीमित दायित्व भागीदारी का स्थिति विवरण जमा नहीं किया गया है या जमा किया जा चुका है और विहित फीस का संदाय करके समापक के कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान, निरीक्षण किया जा सकता है ।

सबूत और सामान्य तथा विशेष परोक्षियों का प्ररूप, समापक के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
परोक्षियां तारीख.....20.....बजे तक समापक के पास जमा हो जानी चहिए

तारीख20.....

.....
समापक

प्ररूप सं. 55-ख

भागीदारों को वैयक्तिक सूचना

[नियम 170 का उप-नियम (4) देखे]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं.... ../20.....

नियम 170 के अधीन भागीदारों की बैठक की सूचना

सेवा में

.....

.....

सूचना दी जाती है कि ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की एक बैठक नीचे वर्णित प्रयोजन के लिए तारीख.....20.....को.....बजेपर(स्थान) होगी:

कार्यसूची

उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों की तारीख.....20.....को, यह अवधारित करने के लिए कि समापक के साथ कार्य करने के लिए निरीक्षण समिति नियुक्त की जाए या नहीं और और यदि निरीक्षण समिति नियुक्त की जानी है तो उसके सदस्य कौन-कौन होंगे और उक्त मामले पर भागीदारों द्वारा मत व्यक्त किए जाने के लिए हुई बैठक में लिए गए विनिश्चय पर विचार करना ।

सीमित दायित्व भागीदारी का स्थिति विवरण जमा नहीं किया गया है या जमा किया जा चुका है और विहित फ़ीस का संदाय करके समापक के कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान, निरीक्षण किया जा सकता है ।

सामान्य और विशेष परोक्षियों के प्ररूप संलग्न हैं । बैठक में प्रयोग लायी जाने वाली परोक्षियां समापक के पास उनके कार्यालय में तारीख20.....,बजे तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए ।

तारीख20.....

.....

समापक

प्ररूप सं0 55ग

व्यष्टिक सूचना का प्ररूप

[नियम 170 का उपनियम (4) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी पंजिका सं0..... 20.....

बैठक की सूचना (साधारण प्ररूप)

सेवा में,

..... उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का

..... .लेनदार या भागीदार

सूचना लें कि लेनदारों या *भागीदारों की बैठक.....(स्थान) पर.....दिन.....तारीख... 20.....को.....बजे होगी ।

कार्यसूची

[प्रयोजन जिसके लिए बैठक बुलाई गई है यहां लिखें]

साधारण और विशेष परोक्षी के प्ररूप यहां संलग्न हैं । बैठक में प्रयोग की जाने वाली परोक्षी समापक को.....20.....

को..... बजे से पूर्व दाखिल कर की जा सकेंगी ।

तारीख.....20.....

समापक

टिप्पण : *लागू न हो तो हटा दें ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 55घ

विज्ञापन का प्ररूप

[नियम 170 का उपनियम (4) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

बैठक की सूचना (साधारण प्ररूप)

यह सूचना दी जाती है कि लेनदारों या भागीदारों* की उपरोक्त मामले में बैठक.....दिन.....तारीख को.....बजे(स्थान) पर होगी ।

कार्यसूची

(यहां वह प्रयोजन लिखें जिसके लिए बैठक बुलाई गई है)

साधारण या विशेष परोक्षियों के प्ररूप समापक के कार्यालय में हो सकते हैं । बैठक में उपयोग किय जाने वाले परोक्षी.....20.....को.....बजे के अपश्चात समापक के पास दर्ज किया जाए ।

तारीख20.....

.....

समापक

टिप्पण: यदि लागू न हो तो हटा दें ।

प्ररूप सं0 56

[नियम 172 का उपनियम (2) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारियों को लेनदारों या भागीदारों की बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचना

सेवा मे,

.....

.....

सूचना लें कि लेनदारों या *भागीदारों की बैठक.....(स्थान जहां बैठक होनी है लिखें)पर.....दिन.....तारीख..... 20.....को.....बजे होगी और आपका वहां उपस्थित होना अपेक्षित है तथा ऐसी सूचनाए दें जो बैठक में अपेक्षित हों ।

तारीख.....20.....

.....

समापक

प्ररूप सं. 57

[नियम 173 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

बैठक की सूचनाएं भेजने के बारे में शपथपत्र

मैं.....(नाम और अभिवर्णन)आदि, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नलिखित कथन करता हूं कि:

1. मैंने तारीख.....20.....को सीमित दायित्व भागीदारी के स्थिति विवरण में वर्णित प्रत्येक लेनदार या भागीदार को, लेनदारों या भागीदारों की (अपनी-अपनी) बैठक(बैठकों) के समय और स्थान की सूचना भेज दी है ।

2. लेनदारों के लिए सूचनाओं को, उक्त लेनदारों को क्रमशः या तो उनके सबूतों में या स्थिति विवरण में प्रकट उनके अपने-अपने नामों और पतों के अनुसार या ऐसे लेनदारों के अंतिम ज्ञात पतों पर सम्बोधित किया गया था तथा भागीदारों के लिए सूचनाएं क्रमशः स्थिति विवरण से प्रकट उनके अपने-अपने नामों और पतों पर या ऐसे भागीदारों के अंतिम ज्ञाप पतों पर सम्बोधित की गई थी ।

3. मैंने सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक अधिकारी को भी संलग्न विवरणी में यथा उल्लिखित उनके अपने-अपने पते पर लेनदारों या भागीदारों की (अपनी-अपनी) बैठक(बैठकों) के समय और स्थान की सूचना भेजी थी ।

4. मैंने सूचनाएं तारीख.....20.....को.....डाकघर में उनका पूर्व-संदाय करके भेजी थीं ।

5. सूचना को तारीख.....20.....(यहां समाचारपत्रों को उपवर्णित करें) में भी प्रकाशित किया था ।

.....

अभिसाक्षी

सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान किया जाता है ।

प्ररूप सं0 58

[नियम 175 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

समापक के अध्यक्ष का नाम निर्देशन

मैं.....ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक,.....(नाम और विवरण) को उपरोक्त मामले में.....20.....को होने वाली लेनदारों (या भागीदारों) की बैठक का अध्यक्ष नाम निर्देशित

करता हूं और मैं उसे इस बैठक में उपस्थित होने के लिए तथा इस मामले में उसके द्वारा धारित किसी परोक्षी या परोक्षियों को मेरे निमित्त प्रयोग करने के लिए प्रतिनियुक्त करता हूं ।

तारीख.....20.....

.....

समापक

प्ररूप सं0 59

[नियम 189 और नियम 291 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../20.....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के तारीख.....20.....के आदेश के अधीन अभिनिर्धारित लेनदारों या भागीदारों की बैठक (बैठकों) के परिणाम की रिपोर्ट

मैं.....नाम, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ का समापक और या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के तारीख.....20.....के आदेश के अनुसरण में अभिनिर्धारित लेनदारों या भागीदारों की बैठक (बैठकों) का अध्यक्ष उक्त बैठकों के परिणाम की रिपोर्ट देता हूं ।

1. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के तारीख.....20.....के आदेश के अनुसरण में उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों या भागीदारों की बैठक.....तारीख.....20..... के (यहां समाचार पत्र या समाचार पत्रों को लिखें) में विज्ञापन द्वारा बुलाई गई थी औरतारीख.....20.....कोबजे.....पर हुई थी तथा मैं उक्त बैठक का अध्यक्ष था ।

2 उक्त बैठक उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार..... व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित हुए थे जिनके सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध ऋण के सबूत स्वीकार किए गए थे या उक्त सीमित दायित्व भागीदारों.....द्वारारुपए के मूल्य के लिए पूर्णतः (यथास्वीकार्य) मत प्रयोजनों के लिए स्वीकार किए गए थे तथा.....मतों के लिए हकदार थे ।

3. उक्त बैठक में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रश्न थे :--

[बैठक में प्रस्तुत प्रश्न (प्रश्नों) को यहां लिखे]

4. उक्त बैठक में एकमत रूप से या मतदान के परिणाम स्वरूप में निम्नलिखित संकल्प किया गया :

[यहा बैठक द्वारा पारित संकल्प लिखें]

गतदान का परिणाम

संकल्प	संकल्प पर मतदान					
	पक्ष में			विपक्ष में		
	संख्या	परिमाण		संख्यां	परिमाण	
किसी संकल्प का सार बताएं पारित..... लेनदार..... भागीदार						
	संख्या	परिमाण	मत	संख्य	परिमाण	मत

तारीख.....20.....

.....

समापक

टिप्पण :

बैठक के परिणाम की रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा बैठक की समाप्ति के सात दिन में अधिकरण के रजिस्ट्रार को भेजा जाना अपेक्षित है ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 60

[नियम 190 का उपनियम (2) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

बैठक में उपस्थित लेनदारों या भागीदारों की सूची

.....20.....को हुई बैठक

क्रमवार संख्या	उपस्थित या प्रतिनिधित्व किए गए लेनदार या भागीदार का नाम	सबूत की रकम या प्रत्येक भागीदार द्वारा अभिदाय की रकम	
		व्यक्तिगत रूप से	परोक्षी द्वारा
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	उपस्थित या प्रतिनिधित्व किए गए लेनदारों या भागीदारों की कुल संख्या		

.....

समापक

IndiaCode

प्ररूप सं0 61

[नियम 192 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

साधारण परोक्षी का प्ररूप

मैं/हम ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का लेनदार या (भागीदार).....को..... उपरोक्त मामले में तारीख.....20.....को बुलाई गई और उसके किसी स्थगन पर उक्त सीमित दायित्व भागीदारी की लेनदारों की बैठक में मेरे/हमारे निमित्त और मेरे/हमारे लिए मत को मेरे/हमारे साधारण परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं ।

तारीख.....20.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

टिप्पण :

1. लेनदार या भागीदार को समापक को अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करने की स्वतंत्रता है ।

2. यदि फर्म द्वारा परोक्षी दी जा रही है तो फर्म के हस्ताक्षर व्यवसाय नाम और 'उक्त फर्म के भागीदार श्री.....द्वारा' जोड़ें यदि परोक्षी निगमित निकाय दी जा रही है तो परोक्षी का प्ररूप इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर के अधीन होना चाहिए और यह तथ्य कि अधिकारी को इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, बताया जाना चाहिए ।

3. परोक्षी प्ररूप जब हस्ताक्षरित हो तो समापक को बैठक, जिसे इसमें प्रयोग किया जाना है, होने की सूचना में निर्दिष्ट समय में दिया जाना चाहिए ।

IndiaCode

प्ररूप सं.61-क

[नियम 192 देंखे]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

विशेष प्रतिनिधित्व (परोक्षी) का प्ररूप

मैं/हम.....,का/के लेनदार (या भागीदार) तारीख.....20.....को लेनदारों (या भागीदारों) की बैठक या इसके किसी स्थगन, में मतदान करने के लिए अपना/हमारा प्रतिनिधि नियक्त करता हूं/करते हैं । बैठक बुलाने लिए सूचना में संकल्प का संख्यांक..... (यहां, यथास्थिति,' के लिए' या 'के विरुद्ध' शब्द अंतःस्थापित करें और विशिष्ट संकल्प को विनिर्दिष्ट करें) है ।

तारीख.....20..... (दिन/मास/वर्ष)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

नोटः

1. लेनदार या भागीदार समापक को अपने परोक्षी (प्रतिनिधि) के रुप नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

2. यदि परोक्षी किसी फर्म द्वारा दी जाती है, तो फर्म का व्यापारिक नाम लिखे और उक्त फर्म में के भागीदार श्री.....द्वारा' उल्लेख करें । यदि परोक्षी निगमित निकाय द्वारा दी गई है, तब परोक्षी प्ररूप पर उसकी सामान्य मुहर होनी चाहिए या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिएं और इस तथ्य का अवश्य उल्लेख होना चाहिए कि वह इस प्रकार प्राधिकृत है ।

3. परोक्षी प्ररूप, हस्ताक्षर करने के बाद जिस बैठक में इसका उपयोग किया जाना है, बैठक बुलाने की सूचना में उल्लिखित समय के भीतर समापक के पास जमा किया जाना चाहिए ।

4. जहां परोक्षी देने वाला व्यक्ति, किसी संशोधन, जो लाया जा सकता है या जैसी भी स्थिति हो, पर मतदान करने की बाबत निदेश देना चाहता है, ऐसा निदेश, यदि वह ऐसा चाहता है, परोक्षी में उल्लिखित किया जा सकेगा ।

प्ररूप सं.62

[नियम 205 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

समापक द्वारा धन के संदाय की अपेक्षा करते हुए या समापक को संपत्ति बहियों का परिदान करने के लिए सूचना

मैं, अधोहस्ताक्षरी, ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक नीचे वर्णित.....(उस व्यक्ति का नाम जिसे सूचना सम्बोधित है) अपेक्षा करता हूं कि उक्त सीमित दायित्व भागीदारी में आपके खाते में आपसे शोध्य रकम प्रकट होने के कारण.....रुपए [या कोई धन, संपत्ति* बहियां या कागजात] जो इस समय आपके पास हैं और जिनकी उक्त सीमित दायित्व भागीदारी हकदार है [या अन्यथा, जैसी भी स्थिति हो] मेरे कार्यालय में मुझे संदाय करे [या परिदान, हस्तांतरण, अभ्यर्पण, अंतरण करें या मुझे दें] ।

तारीख.....20.....(दिन/मास/वर्ष)

हस्ता./
समापक

सेवा में

.....

(उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे सूचना सम्बोधित है)

* संपत्ति विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित की जाए ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 63

[नियम 207 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

मांग करने के लिए दस्तावेज

सेवा में,

.....

.....

.....

मैं श्री.....ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक नियम 207 के अनुसरण में आपसे आपके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी पर शोध्यरु0 की रकम.....

का संदाय करने की अपेक्षा करता हूं जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ के समापक के

कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो समापक के पक्ष में.....पर संदेय हो,तारीख..... 20.....को या उससे पूर्व संदत्त की जानी चाहिए ।

तारीख.....20.....

समापक.....

प्ररूप सं.64

[नियम 205 देंखे]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

समापक.....आवेदक

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

मांग प्रवर्तित करने के लिए समन

सभी संबधित पक्षकार ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा इस आदेश के लिए किए गए आवेदन की सुनवाई पर, कि इस समन में दी गई अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में नामित व्यक्ति, जो उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी के क्रमशः भागीदार हैं, इस समन में दी गई अनुसूची के पांचवे कॉलम में उनके अपने-अपने नाम के सामने लिखी गई राशि, जो क्रमशः उक्त व्यक्तियों से शोध्य है, काप्रतिशत वार्षिक की दर से, ब्याज सहित, आदेश की तारीख से उक्त समापक को उसके कार्यालय में संदाय करें और यह कि उक्त विभिन्न व्यक्तियों को इस आवेदन का खर्च और आनुषंगिक खर्चे देने का आदेश दिया गया है, तारीख.....20.....को.....बजे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के सदस्य को सुनें ।

अनुसूची

सं.	नाम और वर्णन	पता	अभिदाय की बकाया रकम	कुल शोध्य रकम
1	2	3	4	5

तारीख.....20.....

समापक

अभिकरण का रजिस्ट्रार

प्ररूप सं0 65

[नियम 208 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0..... /20.....

समापक.....आवेदक

संदाय के लिए आवेदन के समर्थन में शपथपत्र

मैं श्री.....उम्र नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और निम्नलिखित कथन करता हूं कि ;

1. उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों जिनका नाम यहां अनुसूची में 'क' के रूप में चिन्हित है, उक्त अनुसूची में अपने नामों के सामने लिखे रकम का संदाय नहीं किया है जो रकम उन पर शोध्य हैं ।

2. उक्त भागीदारों में से प्रत्येक को शोध्य रकम विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में सूचना, रजिस्टर्ड डाक द्वारा या.....(या यथास्थिति) क्रमशः ऐसे भागीदारों पर सम्यक रूप से तामील की जा चुकी है ।

3. उक्त अनुसूची के पांचवे स्तंभ में क्रमशः ऐसे भागीदारों के नाम के सामने उनकी रकम सही शोध्य रकम है औरकी बाबत क्रमशः उनके द्वारा देय है ।

सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान आदि किया जाता है ।

समापक

प्ररूप सं. 66

[नियम 208 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक.....आवेदक

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

तारीख.....

भागीदार से शोध्य रकम के संदाय के लिए आदेश

ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के आवेदन और तारीख.....20...को फाइल.....के शपथपत्र तथा तारीख.....20.....को फाइल समापक के शपथपत्र पर यह आदेश किया जाता है कि :

श्री.....(या श्री..... विधिक प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री मृतक) उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का एक भागीदार या यदि कई भागीदारों पर शोध्य है, तो यह कि इस आदेश की अनुसूची के द्वितीय कॉलम में नामित कई व्यक्तियों पर उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के क्रमशः भागीदार होने के कारण शोध्य है (यदि विधिक प्रतिनिधि पर शोध्य है, तो लिखें, उक्त श्री.....मृतक की आस्तियों में से जो उसके पास यथापूर्वोक्त विधिक प्रतिनिधि होने के कारण है), या यदि कई भागीदारों पर शोध्य है, तो उक्त श्री....., या श्री.....या उक्त कई व्यक्तियों की बाबत उक्त अनुसूची के पांचवे स्तंभ में दिए गए उनके अपने-अपने नाम के सामने लिखी गई धनराशि शोध्य है, का उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक को तारीख.....20.....को या से पूर्व उनके कार्यालय में संदाय करें ।

और यह भी आदेश दिया जाता है कि श्री....., या श्री.....या उक्त अनुसूची के पांचवे कॉलम में विनिदिष्ट कई व्यक्ति उक्त रकम(रकमों) पर इस तारीख से संदाय की तारीख तक.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भी संदाय करें ।

अनुसूची

(जहां दो या अधिक भागीदार हों, सम्मिलित की जाती है)

सं.	नाम और वर्णन	पता	अभिदाय की बकाया रकम	कुल शोध्य रकम
1	2	3	4	4

तारीख.....20.....

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा) अधिकरण को रजिस्ट्रार

टिप्पण :

उपरोक्त आदेश की तामील के लिए प्रति के साथ निम्नलिखित पृष्ठांकन होना चाहिए :-

"यदि आप श्री.....इसमें विनिर्दिष्ट समय में इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आप इस आदेश का पालन करने को बाध्य करने के प्रयोजन के लिए निष्पादन प्रक्रिया के लिए दायी होंगे ।"

प्ररूप सं. 67
[नियम 210 का उप-नियम (2) देखें]
[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]
सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20...../..
सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक(या जैसी भी स्थिति हो).....आवेदक

व्यक्ति (व्यक्तियों) की परीक्षा करने की इजाजत के लिए समन

सभी संबधित पक्षकार उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के आवेदन (या जैसी भी स्थिति हो) की सुनवाई पर आदेश करने के उदेश्य हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा [यहां परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के नाम लिखो] सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित [संपत्ति (बहियां और कागजात) जो उसके(उनके) या उसके (उनके) ऋणी के कब्जे में है या संप्रवर्तन, विनिर्माण, व्यापारचर्या, लिखतों और दस्तावेजों या उक्त सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित संपत्ति, आस्तियों, बहियों आदि या शक्ति का पता लगाने में सहयोग देने के लिए] परीक्षा की जाए और इस परीक्षा के लिए एक तारीख नियत की जाए और उक्त मामले में सभी आवश्यक निदेश दिए जाए, तारीख.....20.....को सदस्य के कक्ष में उन्हें सुनें । (जो आवश्यक न हो उसे हटा दिया जाए)

तारीख.....20.....

समापक

अधिकरण का रजिस्ट्रार

प्ररूप सं. 68

[नियम 211 देखे]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक (या जैसी भी स्थिति हो).....आवेदक

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

तारीख.....

प्राइवेट परीक्षा के लिए आदेश

समापक या, ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के एक भागीदार के तारीख.....20.....आवेदन पर समन द्वारा या सुनवाई करने आदि और उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापन आदेश या तारीख.....20.....को अंतरिम समापक नियुक्त करने के आदेश और समापक के कथन या तारीख.....20..... को फाइल उक्त श्री.....के शपथपत्र को पढ़ने के पश्चात् यह आदेश किया जाता है :

1. यह कि(नाम और वर्णन) को तारीख.....20.....कोबजे सीमित दायित्व भागीदारी से संबधित उसके या उसके ऋणी के कब्जे में की संपत्ति या बहियों या कागजातों या सीमित दायित्व भागीदारी की संप्रवर्तन, विनिर्माण, व्यापार, व्यवहारचर्या, बहियों या कागजातों या मामलों ** या सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति, आस्तियों, बहियों का पता लगाने और परिदान करने में सहयोग देने के प्रयोजन के लिए परीक्षा हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....शाखा के समक्ष हाजिर होने के लिए समन किया जाता है और उक्त.....से अपेक्षा की जाती है कि इसमें दी गई अनुसूची में वर्णित ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी** से संबधित किसी भी प्रकार से उसकी अभिरक्षा या शक्ति में का किसी भी प्रकार का दस्तावेज और अन्य सभी बहियां, कागजात, विलेख, लिखतें उक्त समय और स्थान पर प्रस्तुत करें ।

2. यह कि समापक उक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) की परीक्षा करेगा ।

3. यह कि परीक्षा कक्ष में या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ में होगी ।

4. यह कि.....(नाम) उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का लेनदार या भागीदार होने पर उक्त परीक्षा में हाजिर होने या भाग लेने के लिए स्वतंत्र है ।

अनुसूची ***

(यथास्थिति, व्यक्तियों की परीक्षा की जाए और/या दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए)

तारीख.....20.....

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा)

अभिकरण का रजिस्ट्रार

IndiaCode

* जहां एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा की जानी है वहांयह कि अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों समन किया जाए और आदेश की अनुसूची नाम और पते दिए जाएं ; कथन किया जाए

** जो अपेक्षित न हो उसका लोप करें ;

** जहां आवश्यक हो वहां सम्मिलित करें ।

प्ररूप सं. 69

[नियम 213 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक.....आवेदक

साक्षी को परीक्षा के लिए समन

सेवा में

.....

.....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा इसमें तारीख.....20.....को किए गए आदेश द्वारा यह आदेशित किया गया था कि आपकी.....(नाम और वर्णन) ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी (या जैसी भी स्थिति हो) से संबंधित मामलों के बारे में परीक्षा की जाए । आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप तारीख.....20.....कोबजे यथापूर्वोक्त परीक्षा किए जाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणशाखा के सदस्य के कक्ष में हाजिर हों, और आप उक्त.....से यह अपेक्षा की जाती है कि आप सीमित दायित्व भागीदारी संबंधी या से संबंधित किसी भी प्रकार की (यहां संपत्ति या दस्तावेज आदि का वर्णन करें) और आपकी अभिरक्षा या जानकारी या शक्ति में के अन्य दस्तावेजों को अपने साथ लाएं और उपर्युक्त समय और स्थान पर प्रस्तुत करें।

यदि आप, कोई विधिपूर्ण बाधा, जो कि सदस्य की जानकारी में नहीं लाई गई थी और उनके द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई थी, न होते हुए उक्त स्थान और समय पर हाजिर नहीं होते हैं तब सदस्य आपको गिरफ्तार करने और परीक्षा के लिए लाने के लिए वारंट कर सकेगा ।

एतद् द्वारारुपए की राशि उपर्युक्त परीक्षा के संबंध में आपके खर्चे के लिए पृथक रूप से निविदत या डिमंड ड्राफ्ट द्वारा भेजी जाती है ।

तारीख.....20.....

समापक अधिकरण का रजिस्ट्रार

प्ररूप सं. 70

[नियम 216 का उप-नियम (1) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

लोक परीक्षा करने के लिए निदेश देते हुए आदेश

उपरोक्त मामले में समापक की तारीख.....20..... की रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात् यह आदेश किया जाता है कि :

1. विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते इसमें दी गई अनुसूची में लिखें हैं, इस प्रयोजन के लिए नियत दिन और समय पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ के समक्ष हाजिर हों और सीमित दायित्व भागीदारी विषयक संप्रवर्तन या विनिर्माण या कारबार के संचालन अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारी होने के नाते उनके आचरण और व्यवहारचर्या के बारे में सार्वजनिक रूप से परीक्षा कराएं ।

2. परीक्षा के लिए नियत तारीख की सूचना (यहां उन समाचारपत्र या समाचारपत्रों को लिखें जिनमें विज्ञापन दिया गया है) के अंक में विज्ञापित कराया जाए और ऐसी सूचना परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति पर परीक्षा की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व तामील की जाए ।

3. परीक्षा (यहां अधिकारी का नाम और अनुवर्ती अन्य आगामी निदेश जो परीक्षा के संबंध में दिए जाएं या वह रीति जिसमें व्यक्तियों की परीक्षा की जानी है, दी जाए) आयोजित की जाएगी ।

निर्दिष्ट अनुसूची

क्रम सं.	नाम	पता	सीमित दायित्व भागीदारी से संबंध

तारीख.....20.....

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ द्वारा)

अधिकरण का रजिस्ट्रार

प्ररूप सं0 71

[नियम 217 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

लोक परीक्षा की सूचना

सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठमें तारीख.....20.....

कोबजे..... ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार (या अन्य अधिकारी के समक्ष लोक परीक्षा की जानी है ।

समापक

प्ररूप सं. 72

[नियम 217 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

लोक परीक्षा के लिए हाजिर होने की सूचना

इस राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा तारीख20.....को किए गए आदेश द्वारा यह आदेशित किया गया था कि आप, नीचे वर्णित श्री.....राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के समक्ष उपसंजात हों और सीमित दायित्व भागीदारी विषयक संप्रवर्तन या विनिर्माण और/या कारबार विषयक आचरण, और/या आपके आचरण, व्यवहारचर्या विषयक (यहां भागीदारों, अभिहित भागीदारों या अधिकारी, जैसा भी स्थिति हो, अंतःस्थापित करें) परीक्षा कराएं ;

और यह निदेश दिया गया था कि उक्त परीक्षा सदस्य [या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने यह निदेश दिया था कि उक्त परीक्षा (यहां अधिकारी का उल्लेख करें) जिसके समक्ष परीक्षा किए जाने का निदेश दिया गया था] के समक्ष की जाए और सदस्य(या अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो) के समक्ष उक्त परीक्षा करने के लिए तारीख.....20.....कोबजे समय नियत किया गया था ।

सूचना दी जाती है कि आप उक्त समय और स्थान पर परीक्षा और परीक्षा के किसी स्थगन, जो आदेशित किया जा सकेगा, के लिए उपसंजात हों और आप ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी से किसी भी प्रकार से संबंधित सभी बहियां, कागजात और लिखतें तथा आपकी अभिरक्षा या शक्ति में के अन्य दस्तावेज अपने साथ लाएं और प्रस्तुत करें ।

और यह और सूचना दी जाती है कि यदि आप किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उक्त लोक परीक्षा या इसके किसी स्थगन के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं, तो आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा और आप आगामी सूचना के बिना कारागार के सुपुर्द किए जाने के लिए दायी होंगे ।

नोटः समापक के आदेश की एक प्रति, जिस पर लोक परीक्षा के लिए आदेश किया गया था, इसके लिए विहित प्रभार का संदाय करने पर आपको दी जाएगी ।

तारीख.....20.....

समापक

सेवा में,
श्री.....(नाम)
.....(वर्णन और पता)

प्ररूप सं0 73

[नियम 219 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ को रिपोर्ट जहां परीक्षित व्यक्ति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के अधिकारी को संतोषजनक उत्तर देने से मना कर दिया हो

.....(परीक्षित व्यक्ति का नाम और विवरण) की लोक परीक्षा मेरे समक्ष.....

20.....को हुई थी, निम्नलिखित प्रश्न मेरे द्वारा या मेरे द्वारा उक्त व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात साक्षी कहा गया है) पूछे जाने के लिए अनुज्ञात थे

प्रश्न [यहां प्रश्न लिखें]

साक्षी ने उक्त प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर दिया है या उक्त प्रश्नों का निम्न प्रकार से उत्तर दिया है

[यहां उत्तर लिखे यदि कोई हो]

मैं साक्षी सूचित करता हूं कि मैं राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के सदस्य को उसके उत्तर देने इंकार को या उत्तर को रिपोर्ट कर रहा हूं और सदस्य के समक्ष.....

तारीख.....:20.....

को.....बजे उपस्थित हों जब सदस्य द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जाना हो ।

परीक्षा करने वाला अधिकारी

प्ररूप सं. 74

[नियम 225 देखे]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का समापकआवेदक

बनाम

.....प्रत्यर्थी

नियम 225 के अधीन समन

सभी संबंधित पक्षकार, उपर्युक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक या, श्री, उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार/भागीदार द्वारा नियम 225 के अधीन किए गए आवेदन की सुनवाई पर तारीख20.....को.....बजे निम्नलिखित घोषणा और आदेश के लिए आसीन सदस्य के कक्ष में हाजिर हों : -

1. यह घोषणा कि उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार तारीख.....20...से तारीख.....20.....(सीमित दायित्व भागीदारी का समापन प्रारंभ होने की तारीख) तक, लेनदारों को धोखा देने के आशय से और अन्य कपटपूर्ण प्रयोजनों के लिए यह तथ्य होते हुए कि (यहां कपटपूर्ण प्रयोजनों, अर्थात् यह कि सीमित दायित्व भागीदारी ने व्यापार, करना, उधार पर वस्तुएं अभिप्राप्त करना और अन्य दायित्वों को उठाना किसी प्रकार का संदाय करने में समर्थ होने के लिए किसी साधन या संभाव्यता के बिना या इनके संदाय के लिए व्यवस्था किए बिना, जारी रखा, को दर्शित करते हुए तथ्यों का उल्लेख करें) किया गया और यह कि प्रत्यर्थी सीमित दायित्व भागीदारी के.....रूप में पूर्वोक्त रीति में उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार चलाने में जानबूझकर पक्षकार थे ।

2. यह घोषणा कि प्रत्यर्थी.....(नाम).....दायित्व की किसी परिसीमा के बिना, सीमित दायित्व भागीदारी के सभी ऋणों या अन्य दायित्वों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होंगे ।

3. यह घोषणा कि उक्त प्रत्यर्थी,रुपए की राशि पूर्वोक्त अवधि के दौरान प्रदाय की वस्तुओं या दी गई सेवाओं या उक्त सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उपगत अन्य दायित्वों की बाबत सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा देय ऋणों की रकम होने के कारण या उक्त राशि का ऐसा भाग, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ सम्यक् जांच के पश्चात् ठीक समझे, संयुक्ततः और पृथकतः, समापक को संदाय करने के लिए दायी हैं ।

4. उक्त प्रत्यर्थियों द्वारा उक्तरुपए की राशि या ऐसी अन्य राशि, जैसा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण उचित समझेगी, समापक को संदाय करने के आदेश के लिए ।

5. यह आदेश कि पूर्वगामी घोषणा को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, प्रत्यर्थी.....(नाम) का दायित्व.....पर (यहां प्रत्यर्थी के उस ऋण, बंधक या हित का उल्लेख करें जिस पर भार सृजित किया

गया है), प्रथम भार का गठन करेगा, और यह कि प्रत्यर्थी श्री.....का दायित्व तद्धीन श्रीपर उसे सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जारी और तद्द्वारा प्रतिभूत धन प्रथम भार होगा और गठन करेगा ।

6. प्रत्यर्थियों को आदेश दिया जाता है कि आवेदन की लागत और आवेदन के अनुषंगिक का संदाय करें ।

7. ऐसा अन्य आदेश राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ ने जो ठीक समझा किया ।

तारीख.....20.....

अधिकरण का रजिस्ट्रार

यह सम्मन आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री.....द्वारा लिया गया है

सेवा में,

.....(प्रत्यर्थी)

.....

टिप्पण :

यदि आप व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऊपर निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसा आदेश और कार्रवाई की जा सकेगी जो सदस्य न्यायसंगत समीचीन समझेगा ।

प्ररूप सं. 74-क

[नियम 225 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का समापकआवेदक

बनाम

.....प्रत्यर्थी

नियम 225 के अधीन समन

सभी संबंधित पक्षकार उपर्युक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक या श्री.....,उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार/भागीदार द्वारा नियम 225 के अधीन किए गए आवेदन की सुनवाई पर तारीख.....20.....को.....बजे सदस्य के कक्ष मेंके लिए हाजिर हों –

1. यह घोषणा कि उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्यर्थियों,(यथास्थिति, अभिहित भागीदार, भागीदार, अधिकारी आदि) ने सीमित दायित्व भागीदारी के धन या संपत्ति का दुर्विनियोजन किया है, प्रतिधारित किया है या धन या संपत्ति के लिए दायी या जवाबदार हो गए हैं, या उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में अपकरण और न्यास-भंग

के दोषी थे (यहां संक्षेप मे उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर घोषणा ईप्सित है, उदाहरण के लिए उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के.....रुपए प्रतिफल और कोई प्रतिभूति लिए बिनाको तारीख.....20.....को उधार दिया गया जिससे कि उक्त.....तारीख.....20..को या जैसी भी स्थिति हो, दिवालिया न्यायनिर्णीत होने पर उक्त सीमित दायित्व भागीदारी को पूर्णतः हानि हुई है) ।

2. यह आदेश कि यह अभिनिश्चय करने के लिए कि प्रत्यर्थी यथा पूर्वोक्त ऐसे अपकरण और न्यास-भंग के लिए उक्त सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के लिए कितनी राशि प्रतिकर के रूप में अभिदाय करने के लिए दायी हैं, सभी आवश्यक जांच की जाएं और लेखों को लिया जाए ।

3. यह आदेश कि प्रत्यर्थी उक्त सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के लिए संयुक्ततः और पृथकतः अभिदाय करें और समापक या उक्त सीमित दायित्व भागीदारी को, ऐसी सभी राशियां जैसा कि वे ऐसी आस्तियों के लिए अभिदाय करने के लिए दायी पाएं जाएं और ऐसी राशियों पर उन विभिन्न तारीखों से जब उक्त राशियों का गलत ढंग से संदाय किया गया था और उनके प्रतिस्थापन होने की तारीख तकप्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित, संदाय करें ।

4. यह आदेश कि उक्त प्रत्यर्थी आवेदन के और आनुषंगिक खर्चे संदाय करें ।

5. ऐसा अन्य आदेश जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ पूर्व कथित तथ्य के आधार पर करना ठीक समझे ।

तारीख.....20.....

अधिकरण का रजिस्ट्रार

आवेदक को प्राधिकृत प्रतिनिधि

[यह सम्मन आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री.....द्वारा लिया गया है]

सेवा में,

.....(प्रत्यर्थी)

.....

टिप्पण :

यदि आप व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऊपर निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसा आदेश और कार्रवाई की जा सकेगी जो सदस्य न्यायसंगत समीचीन समझेगा ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 75

[नियम 226 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0..... /20.....

.....आवेदक

प्रति

.....प्रत्यर्थी

नियम 226 के अधीन दावे के बिंदु

1. ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी कहा गया है)रुपए के अभिदाय साथ.....तारीख.....20..... को निगमित हुई थी ।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ ने.....20.....को किए गए आदेश द्वारा इस सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन करने का आदेश दिया था ।

3. प्रत्यर्थी उक्त सीमित दायित्व भागीदारी को अभिहित भागीदार/भागीदार/अधिकारी आदि था (सीमित दायित्व भागीदारी प्रत्यर्थी की स्थिति और अवधि जिसके दौरान उसे एसी स्थिति प्राप्त थी और उसको संदत्त वेतन बताएं ।)

4. आदि (पृथक पैरा बनाए यदि आवश्यक हों, सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की प्रकृति, तरीका जिससे किया जाता है और तथ्य जिससे कारबार कपटपूर्ण रूप से किया गया तथा प्रत्यर्थी को इसकी जानकारी थी) ।

समापक /श्री.....दावे का आवेदक

1. घोषणा कि प्रत्यर्थी.....रुपए की रकम, सीमित दायित्व भागीदारी के सभी ऋणों के लिए बिना किसी दायित्व की सीमा के उत्तरदायी हैं ।

2. सीमित दायित्व भागीदारी के ऋणों की रकम (यदि आवश्यक हो)

3.रुपए की उक्त रकम या अन्य रकम जिसके लिए वह उत्तरदायी पाया जाता है प्रत्यर्थी द्वारा संदाय ।

4. लागत

5. और या अन्य कोई अनुतोष

.....तारीख.....20.....को प्रदान किया गया

आवेदक का प्राधिकृत प्रतिनिधि *आवेदक*

IndiaCode

प्ररूप सं0 75क

[नियम 226 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं0...../ 20.....

.....आवेदक

प्रति

.....प्रत्यर्थी

नियम 226 के अधीन दावे के बिंदु

1. ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी कहा गया है)रुपए के साथ.....तारीख.....20..... को निगमित हुई थी ।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ ने.....20.....को किए गए आदेश द्वारा इसे सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन करने का आदेश दिया था ।

3. सभी सारभूत समय पर प्रत्यर्थी (उनमें से प्रत्येक के द्वारा धारित स्थिति बताएं जैसे अभिहित भागीदार, भागीदार या सीमित दायित्व भागीदारी का प्राधिकारी) ।

4. आदि [जैसा आवश्यक हो पृथक पैरा बनाए प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अपकरण या न्यासभंग के मुख्य तत्वों और रकम जिसके लिए ऐसे अपकरण या न्यासभंग के परिणास्वरूप सीमित दायित्व भागीदारी की भरपाइ के लिए संयुक्त रूप से या अकेले दायी है को दर्शित करते हुए पृथक पैरा बनाए] ।

और परिसमापक/श्री.....दावे का आवेदक :--

(1) घोषणा कि प्रत्यर्थी और उनमें से प्रत्येक भूत या वर्तमान भागीदार.....या यथास्थिति पूर्वोक्त के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित अपकरण या न्यासभंग का दोषी है ।

(2) आदेश की प्रत्यर्थी और उनमें से प्रत्येक उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक को उक्तरकम..... 20.....से संदाय की तारीख तक..... प्रतिशत वार्षिक की दर के साथ देगा ।

(3) लागत

(4) और या अन्य अनुतोष

.....द्वारा.....तारीख.....20.....दिया गया आवेदक

प्ररूप सं. 76

[नियम 228 का उप-नियम (2) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक को यह निर्वाचन करने के लिए सूचना कि क्या वह दावे का त्याग करेगा

मैं, अधोहस्ताक्षरी आपको सूचना देता हूं कि ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी इसमें समापन आदेश करने के समय (या समापन के लिए संकल्प पारित करते समय) इसके साथ दी गई अनुसूची में वर्णित संपत्ति की पट्टेदार थी (या जैसी भी स्थिति हो), और मैं, उक्त संपत्ति का पट्टाकर्ता (या जैसी भी स्थिति हो) नियम 228 के उपबंधों के अनुसरण में आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् 28 दिन के भीतर यह विनिश्चय करें कि क्या आप उक्त पट्टे के दावे का त्याग करेंगे (या जैसी भी स्थिति हो), और यदि आप यथा पूर्वोक्त दावे का त्याग करने का विनिश्चय करते हैं, तो आप मुझे उक्त 28 दिन के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ को तद्नुसार इजाजत के लिए आवेदन करने हेतु अपने आशय की सूचना दें ।

तारीख.....20.....

(हस्ताक्षर)

पता:

(पट्टाकर्ता या पट्टाकर्ता की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो)

सेवा में

समापक/.....सीमित दायित्व भागीदारी का समापक

.....सीमित दायित्व भागीदारी (समापनाधीन)

अनुसूची

यहां संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि का उल्लेख करें ।

* स्वैच्छिक समापन के मामले में अभिनाम को उपयुक्त रूप से उपांतरित करें ।

** संविदा के मामले में, अंत में जोड़े " और उक्त अवधि में संविदा के दावे का त्याग भी करेगा" ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 76क

[नियम 228 का उपनियम (2) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

दावा त्याग करने की इजाजत के लिए अधिकरण को आवेदन करने के आशय की समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा सूचना

सूचना लें कि मैं (यहां संपत्ति पट्टा, संविदा आदि को संक्षिप्त विशिष्टियों सहित और उनमें सीमित दायित्व भागीदारी के हित जिन्हे त्यागने की वांछा की है विनिर्दिष्ट करें) आपके द्वारा ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापके के रूप में मुझे दी गई सूचना में निर्दिष्ट दावा त्याग करने की इजाजत के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ को आवेदन करने के लिए आशयित हूं ।

(हस्ताक्षर)

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक

सेवा में,

प्ररूप सं. 76-ख

[नियम 228 का उप-नियम(2) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी का समापकआवेदक

दावा त्याग करने की इजाजत के लिए आवेदन करने के आशय की सूचना देने के लिए समय में वृद्धि करने हेतु समन

सभी संबधित पक्षकार, इसमें के आवेदक द्वारा यह आदेश किए जाने के लिए, कि आवेदक समापक या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के नाते इसमें किए जाने वाले आदेश केदिन के भीतर दावे का त्याग (यहां उस संपत्ति, पट्टे या संविदा आदि और इसमें सीमित दायित्व भागीदारी के हित का जिसका दावा त्याग किया

जाना है, उसके संक्षिप्त विवरण सहित उल्लेख करें) करने की इजाजत के लिए अधिकरण को आवेदन करने के अपने आशय की सूचना देने के लिए स्वतंत्र हो सकेगा, किए गए आवेदन की सुनवाई पर तारीख20.....को सदस्य के कक्ष में हाजिर हों ।

तारीख.....20.....

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी का समापक अधिकरण का रजिस्ट्रार

यह समन जैसा कि समापक या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा प्राप्त किया गया ।

सेवा में

(जिन व्यक्तियों को तामील किया जाना है, यदि कोई है, के नाम लिखें)

प्ररूप सं0 76ग

[नियम 228 का उपनियम (2) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

(या यथास्थिति)

दावा त्याग करने के लिए समयवृद्धि का आदेश

आदि के आवेदन पर ।

ये आदेशित किया जाता है कि आवेदक समापक सीमित दायित्व भागीदारी समापक है और.....20..... सेदिन की और अवधि, जिसमें वह दावा त्याग करने के लिए [यहां संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि को संक्षिप्त विशिष्टियों सहित और उनमें सीमित दायित्व भागीदारी के हित जिन्हे त्यागने की वांछा की है विनिर्दिष्ट करें] अधिकरण को आवेदन के अपने आशय का.....को सूचना दे सके, अनुज्ञात किया जाता है ।

तारीख.....20.....

(अधिकरण द्वारा) रजिस्ट्रार

प्ररूप सं0 76घ

[नियम 228 का उपनियम (2) देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

संपत्ति जिसके लिए दावा त्याग करने की वांछा की गई है, में हित की सूचना

सेवा में,

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक आदि,

सूचना लें कि यह की मैं अधोहस्ताक्षरी [संपत्ति, पट्टा, संविदा आदि को संक्षिप्त विशिष्टियों सहित विनिर्दिष्ट करें] जिसमें आपके द्वारा दावा त्यागने की वांछा की गई है, में हितबद्ध होने का दावा करता हूं और उसमें मेरे हितों की प्रकृति इस प्रकार है :--

.....

(हस्ताक्षर)

(पता)

IndiaCode

प्ररूप सं. 76-ङ

[नियम 228 का उप-नियम(2) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी का समापकआवेदक

दावा त्याग करने की इजाजत के लिए समन

सभी संबंधित पक्षकार, समापक या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक द्वारा नियम 228 के अनुसरण में यह आदेश किए जाने के लिए, कि उक्त समापक या सीमित दायित्व भागीदारी का समापक (यहां उस संपत्ति, पट्टे या संविदा आदि और इसमें सीमित दायित्व भागीदारी के हित का जिसका दावा त्याग किया जाना है, उसके संक्षिप्त विवरण सहित उल्लेख करें) का दावा त्याग करने के लिए स्वतंत्र हो सकेगा और यह कि आवेदन के खर्चे के

लिए उपबंध किया जा सकेगा, किए गए आवेदन की सुनवाई पर तारीख20.....को.....बजे सदस्य के कक्ष में हाजिर हों ।

तारीख.....20.....

रजिस्ट्रार

समापक या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक

नोटः सुनवाई पर, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना के लिए समन स्थगित किए जाएंगे ।

प्ररूप सं. 76 च

[नियम 228 का उप-नियम(2) देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी का समापकआवेदक

पट्टे का दावा त्याग करने की इजाजत के लिए समन के समर्थन में शपथपत्र

मैं, समापक या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, सत्यानिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नलिखित कथन करता हूं :–

1. इस राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के तारीख20.....द्वारा ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी कहा गया है) का समापन किए जाने का आदेश किया गया था, या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी ने तारीख.....20.....को पारित एक संकल्प द्वारा यह संकल्प लिया कि इसका स्वेच्छया से समापन किया जाए, और मुझे समापन के प्रयोजन के लिए समापक या सीमित दायित्व भागीदारी का समापक नियुक्त किया गया था ।

2. तारीख20....को एक ओर.....तथा दूसरी ओर सीमित दायित्व भागीदारी के बीच एक पट्टे द्वारा, उक्त.....सीमित दायित्व भागीदारी इत्यादि को पट्टातंरण होने तक(संक्षेप में पट्टे पर दिए गए परिसरों और किराया का, किसी विशेष संविदा को वर्णित करते हुए, विनिर्दिष्ट करें) । उक्त पट्टा * अब प्रस्तुत किया गया है और मुझे दिखाया गया है जो 'क' के रूप में चिन्हांकित है ।

3. सीमित दायित्व भागीदारी को पट्टातंरित किए गए परिसर उनके द्वाराप्रयोजनों के लिए(प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें) प्रयोग किए गए थे किंतु सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा मास.....20.....से अधिभोग में नहीं लिया गया है या प्रयोग नहीं किया गया है (आदि-आदि, जैसी भी स्थिति हो) और न ही यहां पर सीमित दायित्व भागीदारी की कोई वस्तु और जंगम वस्तु है ।

4. मैंने उक्त पट्टे को बेचने का प्रयास किया/नहीं किया है । संदेय किराए और इसके निबंधनों को ध्यान में रखते हुए पट्टा फायदाप्रद नहीं है । मैंने तद्द्वारा पट्टांतरित परिसरों का कब्जा लिया है/नहीं लिया है या इनके संबंध में स्वामित्व का कोई कृत्य, जैसी भी स्थिति हो, किया है/नहीं किया है ।

5. सीमित दायित्व भागीदारी, इसके लेनदारों या भागीदारों को उक्त पट्टे से कोई फायदा नहीं है, और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास से सीमित दायित्व भागीदारी तथा यथापूर्वोक्त पट्टेदार (या जैसी भी स्थितिं हो, और दावा त्याग करने वाले व्यक्ति द्वारा ईप्सा किए गए किसी फायदे और इससे अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, का उल्लेख करें) के सिवाय कोई व्यक्ति पट्टे में हितबद्ध नहीं है ।

6. (यदि दावा त्याग समय-सीमा के बाहर है, तो उन तथ्यों का स्पष्टीकरण दिया जाए जिनके आधार पर अधिकरण को समय में वृद्धि करने के लिए उचित रूप से कहा जा सके) ।

7. (मैंने तारीख.....20.....को.....केसे एक सूचना प्राप्त की जिसमें मेरे से यह बताने की अपेक्षा की गई थी कि क्या उक्त संविदा का दावा-त्याग करने का मेरा आशय है या नहीं ।चिन्हांकित सूचना इसके साथ संलग्न है, जो तारीख.....20.....को सूचना प्राप्ति से 28 दिन के भीतर चिन्हांकित की गई है(या यदि अधिकरण ने समय में वृद्धि की है, तो यह जोड़े कि अधिकरण की इजाजत होते हुए भी मेरे द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति से 28 दिन व्यतीत हो गए हैं) मैंने अधिकरण को आवेदन करने के अपने आशय की सूचनाको दे दी है । उक्त सूचना की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और.....चिन्हांकित है) ।

8. सीमित दायित्व भागीदारी की आंस्तियां लेनेदारों के दावों की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हैं (या जैसी भी स्थिति हो) ।

9. इन परिस्थितियों में, मैं उक्त पट्टे का दावा त्याग करने की इजाजत के लिए कहा गया है और उक्त..... को अन्य लेनदारों के साथ उक्त दावा त्याग करने के कारण से हुई हानि के लिए साबित करने को अनुज्ञात किया जाना चाहिए ।

सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान आदि

परिसमापक/सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापक

टिप्पण : पट्टे की मूल या प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें ।

प्ररूप सं0 77

[नियम 231 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

संपत्ति जिसके बाबत दावा त्याग करने का आवेदन किया गया है, में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना

सूचना दी जाती है कि ऊपर नामित समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में मेरे द्वारा अधिकरण को ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी को दावा त्याग करने की इजाजत देने के लिए दिए गए आवेदन पर तारीख.... 20.....आदि यथास्थिति अधिकरण ने सूचना आपको दिए जाने के लिए मामला तारीख20.....तक स्थगित कर दिया है ।

यदि आप उक्त आवेदन पर सुनवाई की वांछा रखते हैं तो.....तारीख.....दिन.....20..... कोबजे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ के समक्ष स्थगित सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप में या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हों ।

कोई शपथपत्र पर जो विपक्ष में प्रयोग के लिए आपके द्वारा आशयित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ फाईल किया जाना चाहिए और स्थगित सुनवाई की तारीख से दो दिन पूर्व उसकी एक प्रति मुझे तामील होनी चाहिए ।

सम्मनों की प्रति और उसके समर्थन में मेरे द्वारा फाईल किए गए शपथपत्र की प्रति इसके साथ भेजी जा रही है ।

(हस्ताक्षर)

.....

समापक /सीमित दायित्व भागीदारी समापक

सेवा में,

.....

.....

IndiaCode

प्ररूप सं. 78

[नियम 232 देखें]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

समापक या सीमित दायित्व भागीदारी का समापकआवेदक

समक्ष माननीय सदस्य श्री.....

दावा-त्याग की इजाजत देने के लिए आदेश

समापक या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक के तारीख..... 20....के समन द्वारा आवेदन और आवेदक की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने के पश्चात् (या श्री.....आवेदक की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि औरकी ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि (हितबद्ध पक्षकार) या हितबद्ध पक्षकार की ओर से या के लिए कोई उपसंजात नहीं हुआ है यद्यपि उसे अधिकरण के निदेशों के अनुसरण में सम्यक् रूप से सूचना तामील की गई थी, जैसा कि तारीख.....20.....कोद्वारा फाइल शपथपत्र से प्रतीत होता है, और उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का समापन करने के लिए तारीख.....20.....के आदेश को पढ़ने के पश्चात्, या सीमित दायित्व भागीदारी का स्वेच्छया समापन करने के लिए तारीख.....20.....के संकल्प का और तारीख20.....को फाइल.....के शपथपत्र तथा उक्त शपथपत्र में के प्रदर्शों, जिन्हें क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है (प्रथम उल्लिखित शपथपत्र संविदा या पट्टा या जैसी भी स्थिति हो *) का परिशीलन करने के पश्चात्

यह आदेश किया जाता है कि आवेदक, समापक या उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का समापक तारीख.....20.....या से पूर्व तारीख.....20.....को एक ओर.....तथा दूसरी ओर उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के बीच हुई संविदा (या पट्टा या अन्य संपत्ति, जैसी भी स्थिति हो) जिसके द्वारा (संक्षेप में संविदा की प्रकृति या पट्टे या अन्य संपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, उल्लेख करें) का दावा-त्याग निम्नलिखित निबंधनों पर करने के लिए स्वतंत्र है और जिसका विवरण इसमें दी गई अनुसूची में उल्लिखित है, अर्थात् ,

(यहां निबंधन और शर्तों का, यदि कोई है, उल्लेख करें जिनके अधीन दावा-त्याग मंजूर किया गया है)

ऊपर निर्देशित अनुसूची

[यहां दावा-त्याग की जाने वाली संपत्ति, उदाहरण के लिए, तारीख.....20....को..... के बीच आदि(या जैसी भी स्थिति हो) हुई संविदा या पट्टा का उल्लेख करें]

तारीख.....20.....

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा)

अधिकरण का रजिस्ट्रार

*टिप्पण : जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा समय विस्तार का आदेश किया गया है वहां वह आदेश इस आदेश की प्रस्तावना में भी निर्दिष्ट किया जाए ।

प्ररूप सं0 79

[नियम 233 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

पट्टे का दावा त्याग*

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठतारीख.....20.....के आदेश के अनुसरण में ।

मैं, अधोहस्ताक्षरी समापक/ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक/सीमित दायित्व भागीदारी समापक, पट्टा तारीख..... 20..... जिसका परिसर (यहां संपत्ति जिसका दावा त्याग किया गया है का विवरण) है जोरुपए वार्षिक (या मासिक पर) के किराए पर.....वर्ष की अवधि के लिए हस्तांतरित किया गया है में सभी हितों का त्याग करता हूं ।

इस दावा त्याग की सूचना.....को दी गई है ।

तारीख.....20.....

समापक/सीमित दायित्व भागीदारी समापक

* पट्टे से भिन्न संपत्ति की दशा में प्ररूप उचित रूप से बदला जाए ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 80

[नियम 233 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

पट्टे की दावा त्याग की सूचना*

सूचना लें कि.....तारीख.....20.....के आदेश के अनुसरण में मैं अधोहस्ताक्षरी समापक/ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी का समापक, पट्टा तारीख..... 20..... जिसका परिसर (यहां संपत्ति जिसका दावा त्याग किया गया है का विवरण) है जोरुपए वार्षिक (या मासिक पर) के किराए पर.....वर्ष_ की अवधि के लिए हस्तांतरित किया गया है में सभी हितों का तारीख.....20.....को अपने हस्ताक्षर से त्याग करता हूं ।

ऊपर निर्दिष्ट दावा त्याग करने वाले द्वारा.....तारीख.....20.....को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण..... पीठ में फाईल किया गया ।

समापक/सीमित दायित्व भागीदारी समापक

* पट्टे से भिन्न संपत्ति की दशा में प्ररूप उचित रूप से बदला जाए ।

IndiaCode

प्ररूप सं. 81

[नियम 234 देखे]

[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....

सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

श्री.....आवेदक

श्री.....प्रत्यर्थी

[त्याग पट्टे में हितबद्ध पक्षकारों से निहित आदेश के लिए आवेदन करने की अपेक्षा करते हुए या पट्टाधृत्त सरों में के सभी हित से अपवर्जित करने लिए, आदेश

उपरोक्त मामले में क्रमश तारीख.....20.....और तारीख.....20.....को फाइलके थपत्र औरके शपथपत्र से यह प्रतीत होता है कि –

(क) तारीख.....20.....को एक ओर इसमें के आवेदक, श्री..... तथा दूसरी ओर ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सीमित दायित्व भागीदारी' कहा गया है) के बीच हुए पट्टे द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी कोतारीख.....20.....से..... वर्ष की अवधि के लिएरुपए वार्षिक (या मासिक) किराए पर परिसरों जिनमें.....(विवरण दें) का पट्टातंरण किया गया था ।

(ख) तारीख.....20.....को एक ओर सीमित दायित्व भागीदारी तथा दूसरी ओर प्रत्यर्थी, श्री..... के बीच हुए उप-पट्टे द्वारा, इसमें किए गए संदाय के प्रतिफल (या तारीख20.. के बंधक या प्रभार द्वारा और सीमित दायित्व भागीदारी नेरुपए की राशिप्रतिशत वार्षिक की दर से उक्त श्री....., प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रतिसंदाय प्रतिभूत करने के लिए उक्त परिसरो को भारित किया) तथा इसमें नामित संविदा और शर्तों पर, सीमित दायित्व भागीदारी ने उक्त परिसरों (का भाग *) का श्री....., प्रत्यर्थी को पट्टांतरण किया ।

और तारीख.....20.....को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी का समापन करने के लिए एक आदेश किया गया था या सीमित दायित्व भागीदारी ने स्वेच्छया समापन करने का संकल्प पारित किया और श्रीको समापन के प्रयोजनों के लिए समापक नियुक्त किया गया था । और समापक या उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के समापक को तारीख20.....के आदेश द्वारा उक्त पट्टे का दावा-त्याग करने की इजाजत दी गई थी ।

और उक्त समापक या ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक ने तारीख20.....को । पट्टे का दावा त्याग करने के अपने आशय की सूचना दी थी, और अपने द्वारा लिखित तथा हस्ताक्षरों द्वारा ख20.....को उक्त पट्टे का दावा-त्याग किया था और तारीख20.....को इन कार्यवाहियों ह दावा-त्याग फाइल किया तथा इसकी सूचना तारीख.....20.....को या इसके आसपास उक्त श्री..... क पर तामील की ।

अब उक्त श्री,के..... आवेदक द्वारा तारीख20.....के समन द्वारा यह आदेश करने के लिए किए गए आवेदन पर कि प्रत्यर्थी, श्रीयह चयन करें कि क्या वह उक्त पट्टे में.....जो है (संपत्ति का विवरण दें) दी गई संपत्ति में दावा-त्याग का निहित आदेश कराएगा या नहीं कराएगा ।

यह राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ यह आदेश करती है कि जब तक कि उक्त प्रत्यर्थी श्री.....उसको इस आदेश की तामील के पश्चात् 14 दिन के भीतर उक्त् पट्टे के निहित आदेश के लिए उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अध्यधीन, जिनके .ध्यधीन तारीख20....., जो कि समापन के प्रारंभ होने की तारीख है को संपत्ति के पट्टे के लिए सीमित दायित्व भागीदारी थी (या उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अध्यधीन मानों उक्त पट्टा तारीख20....., जो उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का समापन प्रारंभ होने की तारीख है, को उसे दिया गया हो), आवेदन नहीं करता है, उक्त श्री.....प्रत्यर्थी को उक्त परिसरों में के सभी हितों या प्रतिभूति से अपवर्जित किया जाए ।

यह कि इस आदेश की उक्त श्री....., प्रत्यर्थी पर तामीली के लिए यह समन आगामी आदेशों के लिए तारीख.....के लिए स्थगित किया जाता है ।

तारीख20.....
(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा)

अधिकरण का रजिस्ट्रार

* यदि विभिन्न व्यक्तियों को अलग-अलग भाग उप-पट्टे पर दिए गए हैं, तो उक्त सभी उप-पट्टों को आच्छादित करने के लिए उपबंध को दोहराएं ।

प्ररूप सं. 81-क
[नियम 234 देखें]
[शीर्षक जैसा कि प्ररूप सं. 16 में है]
सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं./20.....
सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं...../20.....

श्री.....आवेदक
श्री.....प्रत्यर्थी
समक्ष माननीय सदस्य श्री.....
तारीख.....

पट्टा निहित करने और उन व्यक्तियों को अपवर्जित करने के लिए आदेश, जिन्होंने प्ररूप सं. 81 के (1) से (4) के अनुसार निर्वाचन नहीं किया है

5. और उक्त श्री....., आवेदक के यह आदेश करने के लिए, कि प्रत्यर्थी श्री.....निर्वाचन करे कि क्या वह उक्त पट्टे में समाविष्ट दावा-त्याग की गई संपत्ति में कोई निहित आदेश लेगा या नहीं, समन द्वारा किए गए आवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात्, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणपीठ ने यह आदेश किया था कि जब तक उक्त प्रत्यर्थी

IndiaCode

श्री.....उस पर उक्त आदेश की तामील के पश्चात् 14 दिन के भीतर उक्त आदेश में वर्णित शर्तों के अध्यधीन उक्त पट्टा निहित करने के आदेश के लिए आवेदन नहीं करता है, उक्त प्रत्यर्थी, श्री.....को उक्त परिसरों में के सभी हितों और उन पर प्रतिभूति से अपवर्जित किया जाए ।

6. और उक्त प्रत्यर्थी श्री.....पर, जैसा कि20.....को फाइल किए गए शपथपत्र प्रतीत होता है, उक्त आदेश सम्यक् रूप से तामील हो चुका है ।

7. और यतः उक्त प्रत्यर्थी श्रीने उक्त आदेश द्वारा सीमित किए गए समय के भीतर निहित आदेश के लिए आवेदन नहीं किया है या आवेदन करने के अपने आशय की सूचना नहीं दी है (*या उक्त प्रत्यर्थी श्री.....ने उक्त पट्टे के निहित आदेश के लिए आवेदन किया है)

सुनवाई और पढ़ने आदि के पश्चात् यह राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यह आदेश करती है :

1. यह कि उक्त प्रत्यर्थी श्री.....को पूर्वोक्त परिसरों में के सभी हित और उन पर प्रतिभूति से अपवर्जित किया जाए और किया जाता है (और यह कि संपति.....में निहित की जाती है ।

[यह किपरिसरों में सीमित दायित्व भागीदारी का हित, जो विशिष्ट रूप से तारीख.....20.....के पट्टा विलेख में वर्णित है, इसमें के प्रत्यर्थी, श्री.....में उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अध्यधीन रहते हुए, जिनके अध्यधीन सीमित दायित्व भागीदारी संपत्ति की बाबत पट्टे के अध्यधीन समापन के प्रारंभ के समय थी(या केवल उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अध्यधीन, मानो उक्त व्यक्ति को पट्टा तारीख20....., जो समापन के प्रारंभ होने की तारीख है, को समनुदेशित किया गया था], उक्त पट्टे द्वारावर्ष के लिए किए गए पट्टांतरण की शेष अवधि के लिए निहित किया जाता है

तारीख.....20.....

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ द्वारा)

अधिकरण का रजिस्ट्रार

*जहां निहित आदेश के लिए ऐसा कोई आवेदन किया गया है वहां आवेदन को हेतुक-शीर्ष में सम्मिलित किया जाए

प्ररूप सं0 82

[नियम 241 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

वितरणीय राशि की घोषणा के लिए विज्ञापन

सूचना दी जाती है कि..... * का वितरणीय राशि.....(रुपए) घोषित की जा चुकी है और उसका संदाय तारीख.....20.....को तथा पश्चातवर्ती कार्य दिवसों.....तारीख..... 20.....तक समापक के कार्यालय में होगा ।

प्रत्येक व्यक्ति जो इस वितरणीय राशि में भाग लेने का हकदार है, इस आशय की सूचना लेगा तथा और ऐसी सूचना के प्रस्तुत करने के सिवाए कोई संदाय नहीं किया जाएगा ।

समापक

*यहां यथास्थिति 'प्रथम' या 'दूसरा' या 'अंतिम' अंतःस्थापित करें

टिप्पण : वितरणीय राशि की घोषणा की सूचना का विज्ञापन उसके संदाय के लिए नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व विज्ञापन के माध्यम से दी जानी चाहिए ।

प्ररूप सं0 83

[नियम 241 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

वितरणीय राशि की सूचना

(इस वितरणीय राशि सूचना को अपने साथ लाएं)

.....रुपए में का वितरणीय राशि

सेवा में,
(नाम).....
(पता).....

सूचना लें कि *की वितरणीय राशि.....(रुपए में) घोषित की जा चुकी है । आपको संदेय रकम.....रुपए में और उसका संदाय तारीख.....20.....को तथा पश्चातवर्ती कार्य दिवसों.....तारीख..... 20.....तक.....बजे के मध्य मेरे कार्यालय में होगा ।

यदि आप वांछा रखते हैं कि आपका वितरणीय राशि किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त की जाए तो विहित प्ररूप (प्ररूप सं0 84) में एक प्राधिकार हस्ताक्षर कर समापक को दाखिल करें । यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो संलग्न प्राप्ति और प्राधिकरण के प्ररूप को भरें और हस्ताक्षर करें ।

तारीख.....20.....

समापक

**यहां यथास्थिति 'प्रथम' या 'दूसरा' या 'अंतिम' अंत:स्थापित करें*

संलग्नक :

प्राप्ति

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

पता :

तारीख :

ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक से..... वितरणीय राशि(रुपए में) के बाबत मुझको या हमको संदेय रकम.....रुपए प्राप्त हुए

रुपए..... *पाने वाले के हस्ताक्षर*

*परिदान के लिए प्राधिकार**
(प्ररूप सं16 के अनुसार शीर्षक

पता.....
तारीख.....

महोदय,

कृपया वाहक.....(वाहक का नाम) [या मेरे खर्चे और जोखिम पर डाक द्वारा चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा मुझे भेजें] को मुझे संदेयरुपए की**वितरणीय राशि का परिदान करे रुपए ।

सेवा में,

.....समापक (सीमित दायित्व भागीदारी),
.....

टिप्पण : यह केवल वितरणीय राशि (यथास्थिति चेक या डिमांड ड्राफ्ट रकम) परिदारन करने के लिए प्राधिकार है और किसी अन्य व्यक्ति को संदाय ना किया जाए जिसके लिए प्ररूप सं0 84 का उपयोग किया जाना चाहिए ।

**यहां यथास्थिति "पहली" या "दूसरी" या "अंतिम" अंत:1स्थापित करे ।

प्ररूप सं0 84

[नियम 242 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

अन्य व्यक्ति को लाभांश का संदाय करने के लिए समापक को प्राधिकार

पता :

तारीख :

श्रीमान,

मैं प्राधिकृत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि संलग्न सूचना में निर्दिष्ट वितरणीय राशिको (जिसके नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं) जिसकी रसीद समुचित उनमोचन होगी संदाय करें ।

हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर.....

.....(हस्ताक्षर)

.....(व्यवसाय)

.....(पता)

उपरोक्त के अनुसार नियुक्त व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर

.....

(नमूना हस्ताक्षर)

गवाह के हस्ताक्षर.....

.....(हस्ताक्षर)

.....(व्यवसाय)

.....(पता)

तारीख.....20.....

IndiaCode

प्ररूप सं0 85

[नियम 244 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

भागीदारों की अनुसूची जिनको प्रत्यागम का संदाय किया जाना है

निपटारा सूची के अनुसार संख्या	निपटारा सूची के अनुसार भागीदार का नाम	पता	निपटारा सूची कें अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अभिदाय की रकम	निपटारा सूची के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संदेय धन की रकम	प्रत्येक से अब तक वसूल न किए गए बकाया अभिदाय की रकम	प्रत्येक से अब तक वसूल न किए गए शोध्य ऋण की रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप सं0 86

[नियम 244 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं...../20.....

भागीदार के प्रत्यागम की सूचना

सेवा में,

.....

.....

सूचना लें कि भागीदार द्वारा अभिदाय के.....के रुपए.....प्रति का प्रत्यागम घोषित किया जा चुका है । आपको संदेय रकम.....रुपए है और उसका संदाय तारीख.....20.....को तथा पश्चातवर्ती कार्य दिवसों.....तारीख..... 20.....तक.....बजे के मध्य मेरे कार्यालय में होगा ।

तारीख..... *समापक*

IndiaCode

टिप्पण : रसीद भागीदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए, और यदि निगमित निकाय है तो सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारी द्वारा जैसा वर्णित है ।

संलग्नक :

(1)

प्राप्ति

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

उपरोक्त सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदारों द्वारा अभिदायों के.....रुपए के प्रत्ययों के संबंध में मुझे/हमको संदेय रकम ऊपर नामित सीमित दायित्व भागीदारी के समापक से.....रुपए प्राप्त हुए

रुपए..... *पाने वाले के हस्ताक्षर*

पता:.....

(2)

प्रदान करने के लिए प्राधिकार

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

तारीख.....

श्रीमान,

मुझको/हमको संदेय रु0.....का प्रत्यागम.....वाहक.....(वाहक का नाम) को प्रदान करे या चैक या डिमांड ड्राफ्ट मुझे/हमें डाक द्वारा मेरे/हमारे खर्चे और जोखिम पर भेज दें ।

रु0..... संदायकर्ता के हस्ताक्षर

सेवा में,

(सीमित दायित्व भागीदारी).....का समापक

टिप्पण : यह केवल संदेय प्रत्यागम प्रदान करने के लिए प्राधिकार है और अन्य व्यक्ति संदेय न किया जाए ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 87

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी समापन का रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

परिसमापन के लिए याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख	अंनतिम समापक को नियुक्त करने के लिए आदेश की तारीख यदि कोई हो	परिसमापन आदेश की तारीख	आदेश के समापक/अंनतिम समापक द्वारा संसूचना प्राप्ति की तारीख	सीमित दायित्व भागीदारी, प्रतिभूत लेनदार, भागीदार आदि को सूचना भेजने की तारीख	सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों, बहियों और कागजातों को कब्जे में लेने की तारीख (तारीखें)	तारीख जब सूचना यदि कोई हो, कार्यों के विवरण को प्रस्तुत करने के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों/अधिकारियों को जारी की गई थी	कार्यों के विवरण को प्रस्तुत करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

नियम 34 के अधीन समापक द्वारा रिपोर्ट फाईल करने की तारीख	नियम 34 के अधीन आदेश की तारीख	संपत्ति/आस्तियों के मूल्यांकन की तारीख	विक्रय की अनुमति के लिए अधिकरण को रिपोर्ट की तारीख	विज्ञापन, बोली की प्राप्ति और अधिकरण को रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख	विक्रय की पुष्टि की तारीख और विक्रय मूल्य	दावे आमंत्रित करने की तारीख और दावों के सबूत फाईल करने के लिए नियत तारीख	अधिकरण के समक्ष लेनदारों की सूची फाईल करने की तारीख
9	10	11	12	13	14	15	16

वितरणीय राशि के	भागीदारों की अंतिम	भागीदारों के प्रत्यागम के	अपकरण को रिपोर्ट	अधिकरण को	अपकरण आदि पर	सीमित दायित्व	विघटन के लिए रिपोर्ट

वितरण की तारीख	सूची के निपटान की तारीख	वितरण की तारीख	करने के लिए अन्वेषक यदि कोई हो, की नियुक्ति की तारीख	अपकरण आदि से संबंधित रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख	आदेश की तारीख	भागीदारी समापक लेखा में अदावाकृत वितरणीय राशि या अवितरित आस्तियां के निक्षेपों की तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख और आदेश की तारीख
17	18	19	20	21	22	23	24

रजिस्ट्रार को विघटन का आदेश प्रस्तुत करने की तारीख	अदावाकृत वितरणीय राशि और अवितरित आस्तियों को केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखा में निक्षेप की तारीख	टिप्पणी
25	26	27

IndiaCode

प्ररूप सं0 87क

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

केन्द्रीय रोकड़ बही

(समापक की रोकड़ बही)

प्राप्तियां					
तारीख	सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	विशिष्टियां	प्राप्ति संख्या	रकम	
				रोकड़	बैंक
1	2	3	4	5	6

देय रकम						
तारीख	सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	विशिष्टियां	चालान और वाउचरों की संख्यां	रकम		चैकों की संख्या
				रोकड़	बैंक	
7	8	9	10	11	12	13

अनुदेश

1. यह रजिस्टर समापक द्वारा प्रशासित सभी समापनों के लिए एक होगा और इस रजिस्टर में क्रमवार रूप से समापक के दैयन्दिक संव्यवहार प्रविष्ट किए जाएंगे । पर्याप्त ब्यौरे "विशिष्टियां" स्तंभ के अधीन संव्यवहार की प्रकृति, व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसको संदाय किया गया है और किस लेखा में किया गया है को स्पष्टतः दर्शित किए जाएंगे ।

2. रोकड़ बही प्रत्येक दिन के अंत में अतिशेषित की जाएगी तथा रोकड़ और बैंक अतिशेष अगले दिन अग्रेषित किया जाएगा । वास्तविक गणना द्वारा रोकड़ के सत्यापन का प्रमाणपत्र रोकड़ सत्यापन अधिकारी द्वारा रोकड़ बही में अभिलेखित किया जाएगा । रोकड़ बही समापक के व्यक्तिगत सत्यापन के अधीन मासिक रूप से बंद की जाएगी । बैंक अतिशेष प्रत्येक मास के अंत में बैंक विवरण के साथ, चैकों जो प्राप्त किए गए हैं परंतु भुनाए नहीं गए हैं या जमा किए गए हैं लेकिन विभिन्न मासों के लेखाओं में बैंक बहियों में समायोजित नहीं हैं, से उत्पन्न लेखा घटकों को ध्यान में रखते हुए मिलाए जाएंगे ।

प्ररूप सं0 87ख

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी की रोकड़ बही

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....
सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)
एलएलपीआईएन.....

तारीख	विशिष्टियां	लेजर फोलियो	प्राप्तियां			
			प्राप्ति संख्यां	रकम	बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7

देय रकम				अतिशेष		
वाउचर संख्या	रोकड़	बैंक	योग	रोकड़	बैंक	कुल
8	9	10	11	12	13	14

अनुदेश :

प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के लिए पृथक रोकड़ बही होगी ।

प्ररूप सं0 87ग

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

साधारण खाता

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)
एलएलपीआईएल.....
.....(लेखा का मद)

तारीख	विशिष्टियां	ऋण	जमा	अतिशेष
1	2	3	4	5

अनुदेश :

साधारण खाता लेखा प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के लिए ऐसे शीर्षों जिनको समापक आवश्यक और उचित समझे जैसे संपत्ति लेखा, विनिधान लेखा, ऋण बहियां, ऋणी आदि के साथ रखा जाएगा ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 87घ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

रोकड़िया की रोकड़ बही

तारीख	विशिष्टियां	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	अतिशेष
1	2	3	4	5
	आरंभिक अतिशेष अंतिम अतिशेष			

अनुदेश

1. आरंभिक अतिशेष और अंतिम अतिशेष प्रत्येक दिन के लिए काटे जाएंगे ।
2. 'विशिष्टियां' के अधीन किसके द्वारा या किसको या किस लेखा में संदाय किया गया है, दर्शित किया जाएगा ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 87ङ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

बैंक खाता

बैंक में समापक का लेखा

तारीख	विशिष्टियां	निक्षेप		प्रत्याहरण		अतिशेष
		चैक/डीडी/नकद	रु0	चैक संख्यां	रु0	रु0
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप सं0 87च

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

आस्तियों का रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....
सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)
एलएलपीआईएल.....

क्रम संख्या	आस्तियों का विवरण	कब्जा लेने की तारीख	विक्रय रजिस्टर का क्रम संख्या	विक्रय की तारीख	वसूली के ब्यौरे	रकम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुदेश :

सीमित दायित्व भागीदारी की सभी संपत्तियां समापक के विनिधान और वसूल किए जाने वाले बकाया को छोड़कर इस रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी ।

प्ररूप सं0 87छ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

विनिधान रजिस्टर

क्रम संख्या	सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	विनिधान की तारीख	प्रतिभूति जिसमें विनिधान किया गया है की प्रकृति और विशिष्टियां	विनिधान की गई रकम	ब्याज की दर आदि	विनिधान की वसूली की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप सं0 87ज

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

ऋण बही और बकाया का रजिस्टर

(परिसीमा द्वारा बाधित)

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

क्रम संख्या	ऋणी का नाम और पता	ऋण की विशिष्टियां (व्यवसाय /बिल/ऋण/अग्रिम आदि)	शोध्य रकम	की गई कार्रवाइ	वसूल की गई रकम	वसूली की तारीख	वाद रजिस्टर का संदर्भ	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुदेश :

समय बाधित ऋण विधि के अनुसार में वसूली के प्रयोजन के लिए विचार में लिए जा सकते हैं ।

प्ररूप सं0 87झ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

किराएदार खाता

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....
सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

1. संपत्ति का विवरण :

2. किराएदार का नाम और पता :

3. किराएदारी की तारीख :

4. किराएदारी की अवधि :

5. किराया (मासिक या वार्षिक) :

6. विशेष शर्तें, यदि कोई हो :

7. संपत्ति को प्रभार में लेने की तारीख को बकाया :

8. अग्रिम प्राप्तियां यदि कोई हो :

IndiaCode

20..... माँस	मांग		वसूली		अतिशेष		टिप्पणी
	रकम रु0 पैसे		तारीख	रकम रु0 पै0	रकम रु0 पै0		
1	2		3	4	5		6
जनवरी फरवरी आदि							

प्ररूप सं0 87ञ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

वाद रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....
सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

क्रम संख्या	पक्षकार का नाम और पता	दावा की गई रकम	फाइल करने की तारीख
1	2	3	4

डिक्री या अंतिम आदेश की तारीख	प्रदान किए गए अनुतोष की प्रकृति	डिक्री की गई रकम	टिप्पणियां
5	6	7	8

IndiaCode

अनुदेश ::

1. समापन में सभी सीमित दायित्व भागीदारी के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा लेकिन रजिस्टर सीमित दायित्व भागीदारी बार रखा जाएगा और पृष्ठों की पर्याप्त संख्या प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी को आबंटित की जाएगी ।
2. आवेदन जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए हैं जो वादों की प्रकृति के हैं इस रजिस्टर में प्रविष्ट भी किए जाएंगे ।

प्ररूप सं0 87झ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

डिक्री रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	निर्णीत ऋणी का नाम और पता	डिक्री की गई रकम	डिक्री की तारीख	की गई कार्रवाई	वसूल की गई रकम	वसूली की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुदेश :

यह रजिस्टर सभी समापकों के लिए एक ही होगा जो समापक को उनके प्रभार की सीमित दायित्व भागीदारी के पक्ष मे डिक्री की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने में समर्थ बनाएगा ।

प्ररूप सं0 87ठ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

विक्रय रजिस्टर

क्रं.सं0.	सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	संपत्ति का विवरण	विक्रय की तारीख	विक्रय की पद्धति	क्रेता का नाम और पता	पुष्टि की तारीख और विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7

ईएमडी की रकम/तारीख सहित प्राप्त अग्रिम	वसूला अतिशेष		टिप्पणी
	तारीख	रु0	
7	8		9

अनुदेश :

1. यह रजिस्टर समापक द्वारा प्रशासित सभी समापनों के लिए समान होगा और इस रजिस्टर में प्रविष्टियां तब की जाएंगी जब संपत्ति के विक्रय को धारित किया गया हो ।

2. कोई रकम चाहे वह इ.एम.डी. या अग्रिम या प्रतिफल द्वारा हो उसे केवल डिमांड ड्राफ्ट या नगद द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

प्ररूप सं0 87ड

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

दावों और वितरणीय राशि का रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20..... सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

दावे				
क्रम संख्या	लेनदार का नाम और पता	दावा की गई रकम	स्वीकार्य रकम	क्या प्रतिभूत (जिसमें कर्मकार सम्मिलित हैं) या अधिमानी या प्लवमानभार या अप्रतिभूत लेनदार हैं
1	2	3	4	5

घोषित और संदत्त वितरणीय राशि				
दर	रकम	संदाय की तारीख	संदाय की रीति	टिप्पणी
6	7	8	9	10

अनुदेश :

1. केवल पूर्णतः या भागतःस्वीकार्य दावे ही इस रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएं ।

2. सारणी का ऊपरी भाग दावे के लिए और पृष्ठ का निचला भाग वितरणीय राशि के लिए आरक्षित है ।

प्ररूप सं0 87ढ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

भागीदारों का खाता/भागीदार की आस्तियों की विवरणी

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20..... सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

क्रम संख्या	भागीदार का नाम	अभिदाय की रकम	बकाया अभिदाय की रकम	विवरणी की तारीख
1	2	3	4	5

आस्तियों की विवरणी			
संदाय की तारीख्	संदत्त की रकम	रकम के संदाय की रीति	टिप्पणी
6	7	8	9

अनुदेश :

सूची में निश्चित गए भागीदार की केवल इस रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएं और सूची के अनुसार उन्हें उसी क्रम में प्रविष्ट किए जाएं ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 87ण

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

संदत्त वितरणीय राशियों का रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	*वितरणीय राशियों के संदाय की तारीख*	*वितरणीय राशियों की रकम*	*टिप्पणी*
1	2	3	4

अनुदेश :

यह रजिस्टर सभी समापनों के लिए समान है ।

प्ररूप सं0 87त

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

कमीशन रजिस्टर

सरकार को प्रत्यय की गई फीस का रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 30 अक्तूबर से पहले संदेय			
	31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए शोध्य कमीशन	कमीशन की रकम	केन्द्रीय सरकार लेखा में निक्षेप की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अनुदेश :

प्रविष्टि प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, जिसका परिसमापन हो गया है और जिसमें समापक, समापक हो गया है या समापक के रूप में कार्य कर रहा है, के इस रजिस्टर में की जाएं ।

प्ररूप सं0 87थ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

उचंद रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

तारीख	विशिष्टियां	ऋणी	जमा	अतिशेष
1	2	3	4	5

अनुदेश :

1. यह रजिस्टर सीमित दायित्व भागीदारी बार रखा जाए ।
2. इस रजिस्टर में समापक द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा समापक को दिए गए अग्रिम प्रविष्ट किए जाएं ।

प्ररूप सं0 87द

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

दस्तावेज रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... 20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

क्रम संख्या	दस्तावेज का विवरण	प्राप्ति की तारीख	किससे प्राप्त हुए	कैसे निपटाए गए	टिप्पण
1	2	3	4	5	6

अनुदेश : हक के सभी दस्तावेज जैसे हक विलेख आदि इस रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएं ।

IndiaCode

प्ररूप सं0 87घ

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

बही रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

तारीख	किससे प्राप्त हुए	बहियों जिसमें फाईलें भी हैं, का विवरण	कैसे निपटाए गए	टिप्पण
1	2	3	4	5

अनुदेश : इस रजिस्टर में सीमित दायित्व भागीदारी की सभी बहियां या फाइलें जो समापक के हाथ में आई हैं प्रविष्ट की जाएं । उस दशा में जहां बहियों और अभिलेखों की विस्तृत सूची तैयार की गई है वहां ऐसी प्रविष्टियां रजिस्टर में करना अपेक्षित नहीं है तथापि इस प्रभाव का एक पृष्ठांकन रजिस्टर में किया जाए ।

प्ररूप सं0 87न

[नियम 251 का उपनियम (1) देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी लेखा में असंदत्त समापन वितरण राशि और अवितरित निक्षेपित आस्तियों का रजिस्टर

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0..... /20.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में)

एलएलपीआईएन.....

क्रम संख्या	वितरण राशि के हकदार व्यक्ति का नाम	क्या लेनदार भागीदार है	लेनदारों या भागीदारों की सूची में क्रम संख्या	वितरण राशि की घोषणा की तारीख	कुल संदेय रकम	सीमित दायित्व भागीदारी लेखा में संदाय की तारीख
1	2	3	4	5	6	7

IndiaCode

प्ररूप सं0 88

[नियम 251 का उपनियम (6) देखें]

रसीद का प्ररूप

रसीद सं0.....

तारीख.....20.....

समापक का कार्यालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण.....पीठ

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....(समापन में) के मामले में

सीमित दायित्व भागीदारी याचिका सं0...../ 20.....

लेखा के/नाते.....रुपए की रकम.....से प्राप्त की गई ।

समापक

प्ररूप सं0 89

[नियम 246 और नियम 264 देखें]

[प्ररूप सं0 16 के अनुसार शीर्षक]

समापक का अंतिम लेखा

1. सीमित दायित्व भागीदारी का नाम :

2. एलएलपीआईएन :

3. परिसमापन आदेश की तारीख :

4. परिसमापन के प्रारंभ की तारीख :

5. लेखा की अवधि :

क : रिपोर्ट

ख : अंतिम लेखा

(i) वसूली और संवितरण का विवरण

वसूली				संवितरण			
तारीख	किससे प्राप्त	आस्तियों की प्रकृति या प्राप्ति आदि का प्ररूप	रकम रु0	तारीख	किसको संदत्त	संवितरण की प्रकृति	रकम रु0
1	2	3	4	1	2	3	4
कुल				कुल			

अतिशेष का विश्लेषण

	रु0	पै0
कुल वसूली		
कुल संवितरण		

अतिशेष

अतिशेष निम्न प्रकार है :--

1. समापक के हाथ में रोकड़
2. बैंक में कुल भुगतान (जिसमें परिसमापन के प्रारंभ की तारीख पर अतिशेष सम्मिलित है)

.....

.....

IndiaCode

घटाएं

बैंक से कुल प्रत्याहरण

.....

बैंक में अतिशेष

.....

(अवधि यदि कोई हो के लिए व्यवसाय लेखा संलग्न किया जाए)

अधिकरण के निदेशों के अध्यधीन सीमित दायित्व भागीदारी के समापन लेखा में उपरोक्त के अनुसार दर्शित अतिशेष का सदांय करना प्रस्तावित है ।

(ii) वसूल की गई आस्तियां

परिसमापन आदेश की तारीख पर आस्तियां	अनुमानित रकम जो वसूल की जानी है	वसूल की गई रकम	टिप्पणी
बैंक अतिशेष			
हाथ में रोकड़			
विनिवेश			
ऋणी/व्यापार अभिप्राप्तियां			
उधार और अग्रिम			
सूचियां			
फ्रीहोल्ड संपत्ति			
पट्टाधृति संपत्ति			
संयंत्र और मशीनरी			
फर्नीचर, फिटिंग्स इत्यादि			
अप्रत्यक्ष आस्तियां			
अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें)			
भागीदारों का बकाया अभिदाय			

IndiaCode

(iii) आस्तियां जो वसूल योग्य नहीं है और अपलिखित की जाए (विशिष्टियां और कारण बताएं कि क्यों वे वसूल नही की जा सकती)

परिसमापन के प्रारंभ पर आस्तियां	अनुमानित मूल्य	कारण क्यों वे वसूल नहीं की जा सकती और अपलिखित की जाए
बैंक अतिशेष		
हाथ में रोकड़		
विनिवेश		
ऋणि/व्यापार अभिप्राप्तियां		
उधार और अग्रिम		
सूचियां		
फ्रीहोल्ड संपत्ति		
पट्टाधृति संपत्ति		
संयंत्र और मशीनरी		
फर्नीचर, फिटिंग्स इत्यादि		
प्रत्यक्ष आस्तियां		
अन्य आस्तियां (विनिर्दिष्ट करें)		
भागीदारों का बकाया अभिदाय		

(iv) दायित्व

	शोध्य रकम रु0	वितरणीय राशि या अन्यथा द्वारा संदत्त कुल रकम रु0
1. प्रतिभूत लेनदार जिसमें कर्मकार शोध्य सम्मिलित हैं ।		

IndiaCode

2. अधिमानी लेनदार		
3. प्लवमानभार वाले प्रतिभूत लेनदार		
4. अप्रतिभूत लेनदार		
5. भागीदारों को प्रत्यय		

(v) परिसमापन पर व्यय रु0.....

(vi) सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अदावाकृत वितरणीय राशि या अवितरित आस्तियों आदि की रकम ।

(क) सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा को आरंभ में अंतरित भागीदारों के अदावाकृत धन/लाभ की रकम रु0.....

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अदावाकृत वितरणीय राशि या अवितरित आस्तियों की रकम । रु0.....

(क) और (ख) का योग.....

(vii) सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अदावाकृत वितरणीय राशि या अवितरित आस्तियों की विशिष्टियां ।

निक्षेप की तारीख	वितरणीय राशि या वापसी	रकम	टिप्पणी

(viii) उक्त लेखा में लंबित संदाय अदावाकृत लाभांश या अवितरित आस्तियों की विशिष्टियां ।

वितरणीय राशि या वापसी	रकम	टिप्पणी

IndiaCode

(ix) कोई कार्रवाहियां जिसमें लंबित अपकरण कार्रवाहियां सम्मिलित हैं

ग : स्पष्टिकरण

समापक

तारीख.....

प्ररूप सं0 90

[नियम 278 देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी अधनियम, 2008

स्वैच्छिक परिसमापन

सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की सूचना

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम :

एलएलपीआईएन :

कारबार की प्रकृति :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

भागीदारों के संकल्प को पारित करने की तारीख

लेनदारों की सहमति की तारीख

सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम और पता

नियुक्ति की तारीख

किसके द्वारा नियुक्त हुआ

[ह0/-]

नाम.....

सीमित दायित्व भागीदारी समापक.....

IndiaCode

प्ररूप सं0 91

[नियम 296 देखें]

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

एलएलपीआईएन

कार्यवाही की प्रकृति

परिसमापन के प्रारंभ की तारीख

सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में सदाय की तारीख

I. सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अदावाकृत वितरणीय राशि की विशिष्टियां ।

लेनदारों की सूची में संख्या	लेनदार का नाम जिसको वितरणीय राशि शोध्य है	लेनदार का अंतिम ज्ञात पता	वितरणीय राशि की घोषणा की तारीख और दर		संदेय लाभांश की कुल रकम	अंतिम तारीख जब संदेय था	सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त रकम	टिप्पणी
			तारीख	दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कुल.....

II. सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अवितरित आस्तियों की विशिष्टियां ।

भागीदारों की सूची में संख्या	भागीदार का नाम	भागीदार का अंतिम ज्ञात पता	प्रत्यय की घोषणा की तारीख		संदेय प्रत्यय की कुल रकम	अंतिम तारीख जब संदेय था	सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त रकम	टिप्पणी
			तारीख	दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अदावाकृत वितरणीय राशि की रकम

.....रु0

सीमित दायित्व भागीदारी समापन लेखा में संदत्त अवितरित आस्तियों की रकम

.....रु0

दोनों शीर्षों के अधीन संदत्त कुल रकम.....

तारीख.....20.....

(ह0/-)

समापक

या

सीमित दायित्व भागीदारी समापक

उपाबंध

फीस और प्रभार

क्र0 सं0	कृत्य की प्रकृति	संदेय फीस
I	रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले दस्तावेज प्ररूप आदि के लिए फीस	सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के अनुसार
II	निरीक्षण	100/- रुपए
III	प्रति या सत्यापित प्रति	5/- रुपए प्रति पृष्ठ या उसके अंश के लिए
IV	आवेदन या याचिका फाइल करने के लिए फीस :-	5000/- रुपए
	(i) अधिनियम की धारा 60 से धारा 62 के अधीन	
	(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए	2,500/- रुपए
	(iii) कारबार के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए दायित्व की घोषणा के लिए	2,500/- रुपए
	(iv) अपचारी भागीदार आदि के विरुद्ध हानि निर्धारण के लिए	2,500/- रुपए
	(v) शून्य सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन की घोषणा के लिए	2,500/- रुपए
	(vi) उपरोक्त से भिन्न	2,500/- रुपए

IndiaCode

परंतु यह कि रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समापक द्वारा किए गए आवेदन या याचिका पर कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

[फा. सं. 2/10/2008-सीएल-V.]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 266(E).— In exercise of the powers conferred by section 65 read with section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Winding up and *Dissolution) Rules, 2010.*

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

(ii) "Annexure" means an Annexure to these rules;

(iii) "Bench" means a bench of the Tribunal and includes the Principal Bench;

(iv) "certified", in relation to a copy of a document, means certified as provided in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872;

(v) "Code" means the Code of Civil Procedure, 1908;

(vi) "filed" means filed in the office of the Registrar of Tribunal or Bench;

(vii) "LLP" means Limited Liability Partnership;

(viii) "LLPIN" means the Limited Liability Partnership Identification Number as referred to in the Limited Liability Partnership Rules, 2009;

(ix) "LLP Liquidator" means a liquidator appointed in connection with voluntary winding up of a limited liability partnership (LLP) from the panel maintained by the Central Government consisting of the names of practicing chartered accountants, advocates, practicing company secretaries, practicing cost and works accountants or firms or bodies corporate having chartered accountants, advocates, company secretaries, cost and works accountants and such other professionals as may be notified by the Central Government;

IndiaCode

(x) "Member" means any judicial member or technical member of the Tribunal;

(xi) "Officer" includes any designated partner, partner, employee of the LLP and any person in accordance with whose directions or instructions the partners of the LLP have been accustomed to act;

(xii) "Officer of the Tribunal" includes a liquidator appointed under these rules;

(xiii) "Official Liquidator" means a Liquidator who, in relation to winding up by Tribunal, is appointed by the Central Government exercise the powers of Official Liquidator and includes Joint, Deputy or Assistant Official Liquidators;

(xiv) "Proceedings" means proceedings and procedures specified in Part VI of these rules and include other proceedings or procedures under the Act or the rules.

(xv) "Registrar of Tribunal" means, the Registrar of the Tribunal, and includes an Additional Registrar, a Deputy Registrar or an Assistant Registrar of the Tribunal or any of its Bench, and such other officer as may be authorized by the President of the Tribunal to perform all or any of the duties assigned to the Registrar of Tribunal under the Act and rules made thereunder;

(xvi) "Section" means a section of the Limited liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

(xvii) "Summons" means a summons returnable before any Member of the Tribunal;

(xviii) "Tribunal" means the Tribunal as defined in clause (u) of sub-section (1) of section 2 of the Act:

Provided that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the word "Tribunal" shall be substituted with the words "High Court".

(2) Save as aforesaid, and unless the context otherwise requires, words and expressions contained in these rules shall bear the same meaning as in the Limited liability Partnership Act, 2008.

3. **Forms.** - The forms annexed to these rules shall be used in all matters to which the forms relate with such variations as may be necessary.

Part II

Modes of winding up

4. **Modes of winding up.** - The winding up of an LLP may be either voluntary or by the Tribunal.

Part III

Voluntary Winding Up

5. Circumstances in which LLP may be wound up voluntarily.- (1) Any LLP may be wound-up voluntarily if the LLP passes a resolution to wind up the LLP with approval of at least three-fourths of the total number of its partners:

Provided that where the LLP has creditors, whether secured or unsecured, the winding up shall not take place unless approval of such creditors takes place in pursuance of rule 7.

(2) A copy of the resolution shall be filed with the Registrar within thirty days of passing of such resolution in **Form No. 1.**

6. Commencement of voluntary winding up and filing up of statement of affairs. - (1) A voluntary winding up shall be deemed to commence on the date of passing of the resolution for voluntary winding up under rule 5.

(2) The provisions of sub-rule (3) of rule 28 shall, so far as may be, apply to the voluntary winding up as they apply to the winding up by the Tribunal except that the reference to –

(a) the Tribunal shall be omitted;

(b) the liquidator or the Provisional Liquidator shall be construed as reference to the LLP liquidator, and

(c) the "relevant date" shall be construed as reference to the date of commencement of the voluntary winding up.

7. Declaration of solvency in case of proposal to wind up voluntarily.- (1) Where it is proposed to wind up an LLP voluntarily, the majority of its designated partners (being not less than two) shall make a declaration in **Form No. 2** verified by an affidavit to the effect that the LLP has no debt or that it will be able to pay its debts in full within such period, as may be specified in the declaration, but not exceeding one year from the commencement of the winding up.

(2) A declaration made under sub-rule (1) shall have no effect for the purposes of the Act and these rules, unless —

(a) it is delivered to the Registrar for registration in **Form No. 3** within fifteen days immediately preceding the date of the passing of the resolution for winding up of LLP;

(b) it contains a statement declaring that the LLP is not being wound up to defraud any person or persons;

India Code

(c) it is accompanied by a statement of assets and liabilities prepared in **Form No. 4** for the period commencing from the date up to which the last account was prepared and ending with the latest practicable date immediately before the making of the declaration duly attested by at least two designated partners; and

(d) it is accompanied by a report of the valuation of the assets of the LLP prepared by a valuer, if there are any assets of the LLP.

(3) The LLP or its designated partners may repay any dues of the creditors or satisfy the claims of creditors in any manner, before any declaration is made by designated partners under sub-rule (1).

8. Meeting of creditors.- (1) Where any LLP has creditors, secured or otherwise, such LLP shall, before taking any action for winding up of the LLP, seek approval of such creditors and shall send them, by registered or speed post or any other mode defined in rule 15 of Limited Liability Partnership Rules 2009, a copy of declaration under sub-rule (1) of rule 7, the estimated amount of the claims due to each of the creditors and an offer for creditors to accept such claims.

(2) The creditors shall give to the LLP their opinion in respect of voluntary winding up proposed by the LLP or acceptance of offer made under sub-rule(1) within thirty days of receipt of declaration under sub-rule (1) of rule 7.

(3) Where two-thirds in value of creditors of the LLP referred to in sub-rule (1) give their consent that-

(a) it is in the interest of all the partners and creditors that the LLP be wound up voluntarily by partners, the LLP shall be wound up voluntarily by partners; or

(b) the LLP will not be able to pay for its debts in full from the proceeds of assets to be sold in voluntary winding up and propose that the LLP be wound up voluntarily by creditors, the LLP shall be wound up voluntarily by creditors; or

(c) the LLP will not be able to pay for its debts in full from the proceeds of assets to be sold in voluntary winding up and propose that it will be in the interest of all partners and creditors if the LLP is wound up by the Tribunal, the LLP shall, within fourteen days thereafter, file an application before the Tribunal for winding up:

Provided that where the LLP pays the dues of creditors to their satisfaction, provisions of clause (b) or clause (c), as the case may be, shall not be applicable.

(4) Notice of any decision of creditors in pursuance of this rule shall be given by the LLP to the Registrar in **Form No 5** within fifteen days from the date of receipt of consent of the creditors referred to in sub-rule (3).

9. Publication of resolution to wind up voluntarily.- Where LLP has by resolution resolved for voluntary winding up and consent of creditors under clause (b) of sub-rule (3) of rule 8 is received for voluntary winding up of the LLP, it shall, within fourteen days of the receipt of creditors' consent, give notice of the resolution by advertisement in a

newspaper circulating in the district where the registered office or the principal office of the LLP is situated.

10. Appointment and removal of LLP Liquidator.- (1) The LLP shall within thirty days of -

(a) passing of resolution of voluntary winding up under rule 5, where LLP has no creditors, or

(b) filing of notice intimating the decision of winding up pursuant to sub-rule (4) of rule 8, where it has creditors,

with the consent of majority of partners through resolution, appoint a voluntary Liquidator as LLP Liquidator for the purpose of winding up its affairs and fix the remuneration to be paid to the LLP Liquidator.

(2) Where the creditors have given consent under clause (b) or (c) of sub-rule (3) of rule 8, the appointment of LLP Liquidator under this rule shall be effective only after it is approved by two-thirds of the creditors in value of the LLP:

Provided that where such creditors do not approve the appointment of LLP Liquidator appointed by the partners of LLP, creditors shall appoint another LLP Liquidator, with two-thirds of the creditors in value of the LLP and fix the remuneration to be paid to the LLP Liquidator.

(3) If the creditors and the partners of the LLP nominate different LLP Liquidators, the LLP Liquidator nominated by creditors shall be the LLP Liquidator but where the creditors neither approve the LLP Liquidator nominated by the partners of the LLP nor nominate any other LLP Liquidator, the LLP Liquidator nominated by the partners of the LLP shall be the LLP Liquidator.

(4) If for any cause whatever, there is no LLP liquidator acting, the Tribunal may appoint an LLP liquidator on such remuneration as may be determined by it.

(5) The Tribunal may, on cause being shown, remove an LLP liquidator and appoint any other LLP liquidator in place of the removed LLP liquidator.

(6) The Tribunal may also appoint or remove an LLP liquidator on an application made by the Registrar in this behalf.

(7) The Tribunal shall give a reasonable opportunity of being heard to the LLP liquidator before being removed.

(8) The LLP Liquidator, after his appointment, shall file a declaration in the **Form No 6** disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, with the LLP or the creditors, as the case may be, and such obligation shall continue throughout the term of his or its appointment.

(9) An LLP Liquidator may be removed by the partners of the LLP where his appointment has been made by the LLP and, by the creditors, where his appointment is approved, or made, by such creditors.

(10) Where a LLP Liquidator is sought to be removed under sub-rule (9), he shall be given a notice in writing stating the grounds of removal from his office by the LLP or the creditors, as the case may be.

(11) Where three-fourths of total number of partners of the LLP or three-fourths of creditors in value, as the case may be, after consideration of the reply, if any, filed by the LLP Liquidator, in their meeting decide to remove the LLP Liquidator, the LLP shall remove the LLP Liquidator and he shall vacate his office.

11. Filling up of vacancy in office of LLP Liquidator. - If a vacancy occurs by death, resignation, removal or otherwise in the office of any LLP Liquidator (other than a Liquidator appointed by, or by the direction of, the Tribunal) appointed under rule 10, the partners of the LLP or the creditors, as the case may be, fill the vacancy in the manner as specified in that rule.

12. Notice of appointment of LLP Liquidator to be given to Registrar.- The LLP shall give notice to the Registrar of the appointment of, or any vacancy occurred by death, resignation, removal or otherwise of, the LLP Liquidator indicating the name and particulars of that LLP Liquidator, within ten days of such appointment or change in **Form No 7**.

13. Designated partner's and other partner's power to cease on appointment of LLP Liquidator.- On the appointment of a LLP Liquidator, all the powers of the designated partner and other partner, if any, shall cease, except for the purpose of giving notice of such appointment of the LLP Liquidator to the Registrar.

14. Duties of LLP Liquidator.- (1) The LLP Liquidator shall perform such functions and discharge such duties as are determined from time to time by the LLP or its creditors, as the case may be.

(2) The LLP Liquidator shall settle the list of creditors or partners, which shall be prima facie evidence of the liability of the persons named therein to be creditors or partners.

(3) The LLP Liquidator shall obtain approval of partners or creditors of LLP, as the case may be, for any purpose he may consider necessary.

(4) The LLP Liquidator shall maintain regular and proper books of accounts in the form and manner as specified in Part VI and the partners or the creditors or any officer authorized by the Central Government may inspect such books of accounts.

(5) The LLP Liquidator shall pay the debts of the LLP and shall adjust the rights of the partners among themselves.

(6) The LLP Liquidator shall observe due care and diligence in the discharge of his duties.

15. Audit of the LLP liquidator's Account.- The accounts of the LLP liquidator shall be audited in accordance with the manner specified in rule 56.

16. Appointment of committees.- The partners or the creditors, as the case may be, may appoint such committees as they consider appropriate to supervise the voluntary winding up and assist the LLP Liquidator in discharging his functions.

17. LLP Liquidator to submit report on progress of winding up.- The LLP Liquidator shall report quarterly (quarters ending on 31st March, 30th June, 30th September and 31st December) on the progress of winding up of the LLP in **Form No 8** to the partners or creditors, as the case may be, which shall be made before the end of the following quarter.

18. Report of LLP Liquidator to Tribunal for examination of persons. - (1) Where a report alongwith sufficient evidence is received from the LLP Liquidator that any fraud materially affecting the rights of partners or creditors or interests of LLP or public has been committed by any person in respect of the LLP, the Tribunal may, without prejudice to the continuation of process of winding up under these rules, order for investigation under section 43 and on consideration of the report of such investigation, the Tribunal may pass such order and give such directions as it may consider necessary including the direction that such person shall attend before the Tribunal on a day appointed by it for that purpose and be examined as to the promotion or formation or the conduct of the business of the LLP or as to his conduct and dealings as an officer thereof or otherwise:

Provided that where the fraud is reported against any person other than a partner or designated partner of the LLP, the LLP Liquidator, before sending a report under this rule to the Tribunal, may intimate it to the partners or designated partners, as the case may be, and include their views in the report.

(2) Without prejudice to powers of Tribunal to make any order under sub-rule (1), the Tribunal shall have power to transfer the winding up proceedings from voluntary winding up to compulsory winding up by Tribunal.

(3) The provisions relating to powers to order public examination of partners, designated partners, officers, etc. under Part VI shall apply mutatis mutandis in relation to any examination directed under sub-rule (1).

19. Dissolution of LLP.- (1) As soon as the affairs of a LLP are fully wound up, the LLP Liquidator shall prepare a report stating the manner in which the winding up has been conducted and property has been disposed off, final winding up accounts and explanations, in the **Form No 9**, showing that the property and assets of the LLP have been disposed of and its debts fully discharged or discharged to the satisfaction of the creditors and thereafter seek approval of the partners or the creditors of the LLP, as the case may be, on the said report and the final winding up accounts and explanation in the meeting of partners or creditors:

Provided that no such meeting of creditors is required, if creditors are paid their dues in the manner provided in rule 8:

Provided further that approval under this rule may be sought by circulation of relevant resolution in physical form or electronic form:

Provided further that in case of circulation, if any clarification or further information or supplementary information is required by the partners or the creditors, the same shall be sought by them within thirty days of the date of such circulation and such further or supplementary information shall be provided by the LLP Liquidator within thirty days of receipt of such request.

(2) If two-thirds of total number of partners or, two thirds in value of creditors, as the case may be, after considering the report, accounts and explanations of the LLP Liquidator are satisfied that the LLP shall be wound up, they shall pass a resolution, within thirty days of receipt of such report, winding up accounts and explanation for its dissolution in the case of meeting or within thirty days of receipt of such circulation or further information, whichever is later, in the case of circulation:

Provided that in case the requisite number of partners or value of creditors, as the case may be, are not able to decide on the approval of the report of LLP Liquidator, the LLP Liquidator shall make an application to the Tribunal to determine the issue under rule 23 for an order, and order of the Tribunal on the matter shall be binding on all parties.

(3) Within fifteen days after the resolution under sub-rule (2), the LLP liquidator shall-

(a) send to the Registrar a copy of the final winding up accounts, explanation and report in **Form No. 10**; and

(b) file an application with the Tribunal alongwith a copy of the final winding up accounts, explanations and report, for passing an order of dissolution of the limited liability partnership.

(4) If the Tribunal is satisfied, after considering the application, final winding up accounts, explanations and report of the LLP Liquidator, that the process of winding up has been duly followed, the Tribunal may pass an order, within sixty days of the receipt of such application, accounts, explanations and report, that the limited liability partnership shall stand dissolved.

(5) The LLP Liquidator shall file a copy of the order under sub-rule (4) with the Registrar within thirty days in **Form No 11**.

(6) The Registrar, on receiving the copy of the order passed by the Tribunal under sub-rule (4), shall forthwith publish a notice in the Official Gazette that the LLP stands dissolved.

(7) In the event affairs of the LLP are not fully wound up within a period of one year from the date of commencement of voluntary winding up, LLP Liquidator shall file an

application before the Tribunal explaining the reasons thereof and seek appropriate directions.

Explanation:- (i) For the purpose of this rule, the application may be presented in person or through registered or speed post or any other mode specified in rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules 2009;

(ii) In computing the period of thirty days from the date of the order, the requisite time for obtaining a certified copy of the order shall be excluded.

20. LLP Liquidator to accept contribution, etc., as consideration for sale of property of LLP.- (1) Where a limited liability partnership (the transferor LLP) is proposed to be, or is in the course of being, wound up voluntarily and the whole or any part of its business or property is proposed to be transferred or sold to any other limited liability partnership (the transferee LLP), the LLP Liquidator of the transferor LLP may, with the sanction of a resolution of the transferor LLP passed by at least three-fourths of total number of partners conferring on LLP liquidator either a general authority or an authority in respect of any particular arrangement,-

(a) receive, by way of compensation wholly or in part for the transfer or sale, cash, securities, policies, or other like interests in the transferee LLP, for distribution among the partners of the transferor LLP; or

(b) enter into any other arrangement whereby the partners of the transferor LLP may, in lieu of receiving cash, securities, policies or other like interest or in addition thereto, participate in the profits of, or receive any other benefit from, the transferee LLP:

Provided that no such arrangement shall be entered into without the consent of the secured creditors, if any.

(2) Any transfer, sale or other arrangement in pursuance of this section shall be binding on all the partners of the transferor LLP.

(3) Any partner of the transferor LLP who did not vote in favour of the resolution and expressed his dissent therefrom in writing addressed to the LLP Liquidator and left at the registered office of the limited liability partnership within seven days after the passing of the resolution, may require the LLP Liquidator to purchase his interest at a price to be determined in accordance with the agreement or by the registered valuer.

(4) If the LLP Liquidator decides to purchase such partner's interest, the purchase money, raised by him in such manner as may be determined by a resolution passed by three-fourths of total number of partners, shall be paid before the limited liability partnership is dissolved.

21. Distribution of property of LLP.- Subject to the provisions of the Act and these rules in respect of overriding preferential payments, the assets of an LLP shall, on its winding up, be applied in satisfaction of its liabilities pari passu and, subject to such

application, shall, unless the LLP Agreement otherwise provides, be distributed among the partners according to their rights and interests in the LLP.

22. Arrangement between LLP and creditors.-Any arrangement entered into between an LLP in the course of being wound up and its creditors by three-fourths of the total number of partners of LLP and the three-fourths of the total number of creditors in value shall be binding, provided that the said arrangement is presented before the Tribunal within twenty one days from the date of approval by the LLP and the creditors and is approved by the Tribunal.

23. Application to Tribunal. - (1) The LLP Liquidator or any partner or creditor may apply to the Tribunal—

(a) to determine any question arising in the course of the winding up of a LLP; or

(b) to exercise as respects the enforcing, the staying of proceedings or any other matter, all or any of the powers which the Tribunal might exercise, if the LLP were being wound up by the Tribunal.

(2) The LLP Liquidator or any creditor or partner may apply to the Tribunal for an order setting aside any attachment, distress or execution put into force against the estate or effects of the LLP after the commencement of the winding up.

(3) The Tribunal may, on an application under sub-rule (1) or sub-rule (2) allow the application on such terms and conditions as it thinks fit or may make such other order on the application as it thinks fit.

(4) Where an order staying the proceedings in the winding up is made under this rule, a copy of such order shall be filled by the LLP in **Form No 11**, with the Registrar, within thirty days of such order.

Explanation.- In computing the period of thirty days from the date of the order, the requisite time for obtaining a certified copy of the order shall be excluded.

24. Costs of voluntary winding up.- All costs, charges and expenses properly incurred in the winding up, including the fee of the LLP Liquidator, shall, subject to the rights of secured creditors, if any, and workmen, be payable out of the assets of the LLP in priority to all other claims.

Part IV

Winding up by the Tribunal

25. Inability to pay debts.- For the purposes of clause (c) of section 64, an LLP shall be deemed to be unable to pay its debts—

(a) if a creditor, by assignment or otherwise, to whom the LLP is indebted for an amount exceeding one lakh rupees then due, has served on the LLP, by causing it to be delivered at its registered office, by registered post or otherwise, a demand requiring the LLP to pay the amount so due and the LLP has failed to pay the such amount within twenty-one days

after the receipt of such demand or to provide adequate security or re-structure or compound the debt to the reasonable satisfaction of the creditor;

(b) if any execution or other process issued on a decree or order of any Court or Tribunal in favour of a creditor of the LLP is returned unsatisfied in whole or in part; or

(c) if it is proved to the satisfaction of the Tribunal that the LLP is unable to pay its debts, and, in determining whether a LLP is unable to pay its debts, the Tribunal shall take into account the contingent and prospective liabilities of the LLP.

26. Petition for winding up.- (1) An application to the Tribunal for the winding up of an LLP shall be by a petition presented -

(a) by the LLP or any of its partner or partners,
(b) by any secured creditor or creditors, including any contingent or prospective creditor or creditors,
(c) by the Registrar, or
(d) by any person authorised by the Central Government in that behalf,
(e) by the Central Government, in a case falling under section 51 of the Act,
(f) by the Central Government or a State Government, in a case falling under clause (d) of section 64.

(2) A partner shall be entitled to present a petition for the winding up of a LLP, notwithstanding that he may have paid his full contribution, or that the LLP may have no assets at all or may have no surplus assets left for distribution among the partners after the satisfaction of its liabilities.

(3) The Registrar shall be entitled to present a petition for winding up on any of the grounds specified in section 64 except on the ground specified in clause (d) of that section:

Provided that the Registrar shall not present a petition on the ground that the LLP is unable to pay its debts unless it appears to him either from the financial condition of the LLP as disclosed in its Statement of Accounts and Solvency or from the report of an inspector appointed under section 43 that the LLP is unable to pay its debts:

Provided further that the Registrar shall obtain the previous sanction of the Central Government to the presentation of a petition:

Provided also that the Central Government shall not accord its sanction for the presentation of the petition unless the LLP concerned has been given a reasonable opportunity of making representations, if any.

(4) A petition filed by the LLP or any of its partner or partners for winding up before the Tribunal shall be admitted only if accompanied by a statement of affairs of the LLP on

the date of petition and a resolution of three-fourths of total number of partners in the form and manner specified in Part VI.

(5) Before a petition for winding up of a LLP presented by a contingent or prospective creditor is admitted, the leave of the Tribunal shall be obtained for the admission of the petition and such leave shall not be granted, unless in the opinion of the Tribunal there is a *prima facie* case for the winding up of the LLP and such security for costs has been given as the Tribunal thinks reasonable.

27. Powers of Tribunal.- (1) On hearing a winding up petition, the Tribunal may –

(a) dismiss it, with or without costs;

(b) make any interim order, as it thinks fit;

(c) direct the action for revival or rehabilitation of the limited liability partnership in accordance with procedure laid down in sections 60 to 62 of the Limited Liability Partnership Act, 2008;

(d) appoint a "Liquidator" as provisional liquidator of the limited liability partnership till the making of a winding up order;

(e) make an order for the winding up of the limited liability partnership with or without costs; or

(f) any other orders or orders as may be considered fit:

Provided that the Tribunal shall not refuse to make a winding up order on the ground only that the assets of the LLP have been mortgaged for an amount equal to or in excess of those assets, or that the LLP has no assets.

(2) Where a petition is presented on the ground that it is just and equitable that the LLP should be wound up, the Tribunal may refuse to make an order of winding up, if it is of the opinion that some other remedy is available to the petitioners and that they are acting unreasonably in seeking to have the LLP wound up instead of pursuing that other remedy.

(3) Where a Provisional Liquidator is appointed by the Tribunal, the Tribunal may limit and restrict his powers and duties by the order appointing him or by a subsequent order, but otherwise he shall have the same powers and duties as a liquidator.

28. Directions for filing statement of affairs.- (1) Where a petition for winding up is filed before the Tribunal by any person other than the LLP, the Tribunal shall, if satisfied that a *prima facie* case for winding up of the LLP is made out, by an order, direct the LLP

to file its objections along with a statement of its affairs in the form and the manner specified in Part VI within the time specified in the order:

Provided that the Tribunal may direct the petitioner to deposit such security for costs as it may consider reasonable as a precondition to issue directions to the LLP.

(2) Notwithstanding any other liability, a LLP which fails to file the statement of affairs as referred to in sub-rule (1), shall forfeit the right to oppose the petition.

(3) Where the Tribunal has made a winding up order or appointed the Liquidator as provisional liquidator, unless the Tribunal in its direction otherwise orders, there shall be made out and filed with the Liquidator a Statement as to affairs of the LLP in the form and the manner as specified in Part VI, within twenty-one days from relevant date or within such extended time not exceeding two months (including the period of twenty-one days) as the Liquidator or the Provisional Liquidator or the Tribunal may for special reasons extend.

Explanation - The expression 'relevant date' means, in a case where a Provisional Liquidator is appointed, the date of his appointment and in a case where no such appointment is made, the date of the winding up order.

(4) The partners and other officers of the LLP, who are or have been responsible for completion of accounts and their audit shall ensure that the accounts of the LLP, in respect of which a petition for winding up is made, are completed and audited in accordance with Limited Liability Partnership Rules 2009, up to the date of the winding up order and submitted to the Tribunal at the cost of the LLP.

(5) The partners and other officers of the LLP, who are or have been responsible for completing accounts and their audit, shall submit the statement of affairs with the Tribunal or the Provisional Liquidator or the Liquidator, as the case may be.

29. 'Liquidators' and their appointments.- (1) For the purposes of winding up of a LLP by the Tribunal or for the appointment of Provisional Liquidator, there shall be a 'Liquidator' who may be either an 'Official Liquidator' or a Liquidator appointed by an order of the Tribunal from the panel maintained by the Central Government.

Provided that in the absence of any such order, the Official Liquidator shall become or act as 'Liquidator' or 'Provisional Liquidator', as the case may be.

(2) For the purposes of appointment of a Liquidator in the winding up order or appointment of Provisional Liquidator from the panel, the Central Government shall maintain a panel consisting of the names of practicing chartered accountants, advocates, practicing company secretaries, practicing cost and works accountants or firms or bodies corporate having chartered accountants, advocates, company secretaries, cost and works accountants and such other professionals as may be notified by the Central Government or from a firm or a body corporate of persons having a combination of such professionals as may be notified by Central Government and having at least ten years' experience in

company or LLP matters and such other qualifications and any other terms and conditions as may be notified by the Central Government.

(3) The Central Government may remove the name of any person or firm or body corporate from the panel maintained under sub-rule (2) on the grounds of misconduct, fraud, misfeasance, breach of duties or professional incompetence:

Provided that the Central Government before removing the name of any such person or firm or body corporate from panel, shall give him or it a reasonable opportunity of being heard.

(4) Every Liquidator appointed from the panel, shall, before entering upon his duties as a Liquidator of the LLP for which he is appointed, furnish security of such sum and in such manner as the Tribunal may direct. The cost of furnishing the required security shall be borne by the Liquidator and shall not be charged against the assets of the LLP as an expense incurred in the winding up.

(5) If the Tribunal is of the opinion that the security furnished by the Liquidator under sub-rule (3) is inadequate, the Tribunal may require the Liquidator to furnish additional security. Where the security furnished is excessive, the Liquidator may apply to the Tribunal for reducing the amount of security, and the Tribunal may make such order thereon as it thinks fit.

(6) The terms and conditions of appointment of a liquidator from panel and the fee payable to him shall be specified by the Tribunal on the basis of task required to be performed, experience, qualification and size of the LLP.

(7) On appointment as Provisional Liquidator or Liquidator from panel, such liquidator shall file a declaration in the **Form No 6** disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, with the Tribunal and such obligation shall continue throughout the term of his or its appointment.

(8) A Liquidator shall be described by the style of "The Liquidator" of the particular LLP in respect of which he acts and not by his or its name.

30. Removal and replacement of liquidator, etc.- (1) The Tribunal may, on a reasonable cause being shown and for reasons to be recorded in writing, remove the Provisional Liquidator or the Liquidator, appointed from the panel on any of the following grounds, namely:-

(a) misconduct,
(b) fraud or misfeasance,
(c) professional incompetence or failure to exercise due care and diligence in performance of the powers and functions;
(d) inability to act as liquidator,
(e) conflict of interest or lack of independence during the term of his appointment.

(2) If any vacancy occurs due to death, resignation, removal or otherwise in the office of liquidator, the Tribunal may transfer the work assigned to him to another Liquidator for reasons to be recorded in writing.

(3) Where the Tribunal is of the opinion that any liquidator under this rule is responsible for causing any loss or damage to the LLP due to fraud or misfeasance or failure to exercise due care and diligence in the performance of his powers and functions, the Tribunal may recover or cause to be recovered such loss or damage from the liquidator and pass such other orders as it may think fit.

(4) The Tribunal shall, before passing any order under this rule, provide a reasonable opportunity of being heard to the liquidator.

31. Winding up order to be communicated to the liquidator and the Registrar
(1) Where the Tribunal makes an order for the winding up of a LLP, it shall, within a period not exceeding fifteen days from the date of passing of the order, cause intimation thereof to be sent to the Liquidator and the Registrar in **Form No 12.**

(2) On the making of a winding up order, it shall be the duty of the petitioner in the winding up proceedings and of the LLP to file with the Registrar a certified copy of the order with in fifteen days of the making of the order.

(3) On receipt of the intimation under sub-rule (1), the Registrar shall make an endorsement to that effect in his records relating to the LLP and notify in the Official Gazette that such an order has been made.

(4) On receipt of the intimation under sub-rule (1), a notice shall be sent by Liquidator to the registered office of the LLP by registered post and Liquidator shall serve notice to the partners, designated partners, officers, employees including Chief Executive Officer, Chief Finance Officer and auditors and secured creditors, if any, within fifteen days of the receipt of the intimation, for the purpose of custody of the property, assets, effects, actionable claims, books of accounts or other documents.

(5) The winding up order shall be deemed to be a notice of discharge to the officers, employees and workmen of the LLP, except when the business of the LLP is continued.

32. Winding up to operate in favour of all creditors and partners.-An order of winding up of an LLP shall operate in favour of all the creditors and all the partners.

33. Jurisdiction of Tribunal.- The Tribunal shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, have jurisdiction to entertain, or dispose of -

(a) any suit or proceeding by or against the LLP ;

(b) any claim made by or against the LLP, including claims by or against any of its branches in India ;

(c) any application made under sections 60 to 62 of the Act;

(d) any scheme submitted under the Act or any other law, for the time being in force, for revival and rehabilitation of LLP;

(e) any question of priorities or any other question whatsoever, whether of law or fact, which may relate to or arise in the course of the winding up of the LLP ,

whether such suit or proceeding has been instituted or such claim or question has arisen or arises or such application is made or has been made or such scheme is submitted or has been submitted, before or during the pendency of winding up petition or after the winding up order is made.

34. Submission of report by Liquidator.- (1) Where the Tribunal has made a winding up order , the Liquidator shall, within sixty days from the date of winding up order, submit to the Tribunal, a report containing the following particulars, namely:-

(a) the nature and details of the assets of the LLP including their location and value, stating separately the cash balance in hand and in the bank, if any, and the marketable securities, if any, held by the LLP:-

Provided that the valuation of the assets shall be obtained from the panel of the valuers maintained by the Liquidator;

(b) amount of contribution received and outstanding from partners;

(c) the existing and contingent liabilities of the LLP including names, addresses and occupations of its creditors, stating separately the amount of secured and unsecured debts, and in the case of secured debts, particulars of the securities given, whether by the LLP or a partner or an officer thereof, their value and the dates on which they were given;

(d) the debts due to the LLP and the names, addresses and occupations of the persons from whom they are due and the amount likely to be realised on account thereof;

(e) guarantees, if any, given by the LLP;

(f) list of partners and dues if any payable by them and details of any outstanding contributions;

(g) details of intangible assets such as trade marks, intellectual property rights etc. owned by the LLP;

(h) details of subsisting contracts, joint ventures and collaborations, if any;

(i) details of other LLPs or companies, etc. in which LLP has any stake;

(j) details of legal cases filed by or against the LLP;

(k) details of the properties, assets, books of records and other documents taken under the custody of the Liquidator.

(l) scheme of revival or rehabilitation of LLP, if any, and

(m) any other information which the Tribunal may direct or the Liquidator may consider necessary to include.

(2) The Liquidator may include in his report the manner in which the LLP was promoted or formed and whether in his opinion any fraud has been committed by any person in its promotion or formation or by any officer of the LLP in relation to the LLP since the formation thereof and any other matters which, in his opinion, it is desirable to bring to the notice of the Tribunal.

(3) The Liquidator may make, in the report under sub-rule (1), the viability of the business of the LLP or the steps which, in his opinion, are necessary for maximizing the value of the assets of the LLP.

(4) The Liquidator may, if he thinks fit, make any further report or reports in respect of such matters, which in his opinion, it is desirable to bring to the notice of the Tribunal.

(5) Any person describing himself in writing to be a creditor or a partner of the LLP shall be entitled by himself or by his agent at all reasonable times to inspect the report submitted in accordance with this rule and take copies thereof or extracts there from on payment of the fee prescribed in Annexure.

35. Directions of Tribunal on report of Liquidator etc.- (1) The Tribunal shall, on consideration of report of Liquidator under rule 34, subject to these rules, fix a time limit within which the entire proceedings shall be completed and the LLP dissolved:

Provided that the Tribunal may, if it is of the opinion, at any stage of the proceedings, or on examination of the reports submitted to it by the Liquidator and after hearing the Liquidator, creditors or partners, that it will not be advantageous or economical to continue the proceedings, reduce the time-limit within which the entire proceedings shall be completed and the LLP dissolved:

Provided further that in the event any such individual proceedings or activity to be completed by the liquidator or his agent for which the time is fixed under these rules, in the opinion of the liquidator which can not be completed within such time, Tribunal, after satisfying itself, on an application of the liquidator, may extend the time, but not exceeding further thirty days.

(2) The Tribunal may, on examination of the reports submitted to it by the Liquidator and after hearing the Liquidator, creditors or partners, order sale of the LLP as a going concern or its assets or part thereof:

Provided that the Tribunal may, where it considers fit, appoint a Sale Committee comprising such creditors, partners and officers or employees of the LLP as the Tribunal may decide to assist the Liquidator under this sub-rule:

Provided further that where the Tribunal is of the opinion that an LLP can be revived or rehabilitated, it may, direct that an action for revival or rehabilitation may be taken in accordance with the procedures prescribed under sections 60 to 62 of the Act.

(3) Where a report is received from the Liquidator that a fraud has been committed in respect of the LLP, the Tribunal shall, without prejudice to the process of winding up, order for investigation under section 43, and on consideration of the report of such investigation, it may pass order and give such directions as it may think appropriate.

(4) The Tribunal may order such steps as may be necessary to protect, preserve or enhance the value of the assets of the LLP.

(5) The Tribunal may pass such other order or give such other directions as it considers fit.

36. Custody of LLP's properties. - (1) Where a winding up order has been made or where a Provisional Liquidator has been appointed, the liquidator shall, on the order of the Tribunal, forthwith take into his custody or under his control all the property, assets, effects and actionable claims to which the LLP is or appears to be entitled to and take such steps and measures, as may be necessary, to protect and preserve the properties of the LLP.

(2) On an application by the Liquidator or the Provisional Liquidator, as the case may be, the Tribunal may, require any partner and any trustee, receiver, banker, agent, officer or other employee of the LLP or any other person, to pay, deliver, surrender or transfer forthwith, or within such time as the Tribunal directs, to the Liquidator or the Provisional Liquidator, as the case may be, any money, property or books and papers in his custody or under his control to which the LLP is entitled.

(3) For the purpose of enabling the Liquidator or the Provisional Liquidator, as the case maybe, to take into his custody or under his control any property, effects or actionable claims and books of accounts to which the LLP is or appears to be entitled, on an application by the Liquidator or the Provisional Liquidator, as the case may be, the Tribunal may, direct Chief Presidency Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction such property, effects or actionable claims or any books of account or other documents of the LLP may be found, to take possession of such property, assets, effects, actionable claims, books of accounts or other documents and delivered the possession thereof to the Liquidator or the provision Liquidator.

(4) All the property and effects of the LLP shall be deemed to be in the custody of the Tribunal from the date of the order for the winding up of the LLP.

37. Partners, officers, employees, etc. to discover and deliver property, books, etc. and to cooperate with Liquidator.- (1) The partners, designated partners, officers and employees, past and present including Chief Executive Officer and Chief Finance Officer of the LLP shall discover all the property, assets, effects, actionable claims, books of accounts or other documents and deliver the possession thereof to the liquidator or the

Provisional Liquidator, as the case may be, within sixty days of the relevant date as defined in rule 28. It shall be the duty of all persons having custody of any property, assets, effects, books of account or other documents to deliver possession thereof to the liquidator.

(2) The partners, designated partners, officers and employees, past and present, including Chief Executive Officer and Chief Finance Officer and auditors shall extend full cooperation to the Liquidator in discharge of his functions and duties. The liquidator may hold personal interviews with any such person including the person having custody of property, assets, effects, books of accounts or other documents for the purpose of investigating the LLP's affairs, and it shall be the duty of every such person to attend on the liquidator at such time and place as the liquidator may appoint and give the liquidator all information that he may require and answer all such questions as may be put to him by the liquidator. The liquidator shall maintain minutes of the interview held by him or memoranda containing the substance of such interviews. In case of any failure to extent such cooperation, Liquidator may apply to the Tribunal for such directions.

38. Application of assets. - Assets of the LLP shall be applied first for the payment of the cost including expenses, charges or fees and remuneration of the Liquidator incurred in the winding up of the LLP and thereafter be applied for the discharge of its liabilities *pari passu* in accordance with the provisions of the Act and the rules.

39. Committee of inspection. – (1) The Tribunal may, at the time of making an order for the winding up of an LLP or at any time thereafter, direct that there shall be appointed a committee of inspection (hereafter referred to as the Committee) to act with the liquidator.

(2) A Committee of inspection appointed shall consist of such number of members not exceeding twelve, as the Tribunal may order, being creditors and partners of the LLP or persons holding general or special powers of attorney from creditors or partners in such proportions as may be agreed on by the meeting of creditors and parties or in case of difference of opinion be determined by the Tribunal.

(3) The Liquidator shall convene a meeting of partners and creditors, if any, (as ascertained from the books and documents of the LLP) within thirty days from the date of order of winding up for enabling the Tribunal to determine the persons who may be members of the committee of inspection.

(4) The Committee shall meet at such times as it may from time to time appoint and the liquidator or any member of the committee may also call a meeting of the committee as and when he thinks necessary.

(5) The quorum for a meeting of the committee shall be one-third of the total number of the members, or two, whichever is higher.

(6) The Committee may act by a majority of its members present at a meeting, but shall not act unless a quorum is present.

(7) A member of the committee may resign by notice in writing signed by him and delivered to the liquidator.

(8) If a member of the committee is adjudged an insolvent, or compounds or arranges with his creditors, or is absent from five consecutive meetings of the Committee without the leave of those members who, together with himself, represent the creditors or partners, as the case may be, his office shall become vacant.

(9) A member of the Committee may be removed at a meeting of creditors if he represents creditors, or at a meeting of partners if he represents partners, agreed by majority.

(10) On a vacancy occurring in the Committee, the liquidator shall forthwith summon a meeting of creditors or of partners, as the case may require, to fill the vacancy; and the meeting may, by resolution, re-appoint the same, or appoint another, creditor or partner to fill the vacancy:

Provided that if the liquidator, having regard to the position in the winding up, is of the opinion that it is unnecessary for the vacancy to be filled, he may apply to the Tribunal and the Tribunal may make an order that the vacancy shall not be filled, or shall not be filled except in such circumstances as may be specified in the order.

(11) The continuing members of the Committee, if not less than two, may act notwithstanding any vacancy in the committee.

(12) As soon as possible after the holding of the said meetings, the Liquidator shall report the result thereof to the Tribunal for further directions.

(13) An application by the Liquidator for an order that a vacancy occurring in the Committee shall not be filled, shall be made upon a notice to the remaining members of the Committee and such other persons as the Tribunal may direct.

(14) Neither the Liquidator nor any member of the Committee shall, while acting as liquidator or member of such Committee in any winding-up, either directly or indirectly, by himself or any employer, partner, clerk, agent, servant or relative, become purchaser of any part of the LLP's assets or be entitled to derive any profit from any transaction arising out of the winding up except by leave of the Tribunal and any purchase made contrary to the provisions of this rule may be set aside by the Tribunal on the application of the Liquidator or of a creditor or partner, as the case may be, and the Tribunal may make such order as to costs, as it may think fit.

(15) Where the sanction of the Tribunal to a payment to a member of the Committee of Inspection for services rendered by him in connection with the administration of the LLP's assets is obtained, the order of the Tribunal shall specify the nature of the services, and such sanction shall only be given where the service performed is of a special nature:

Provided that except by the express sanction of the Tribunal, no remuneration shall be paid to a member of the Committee for services rendered by him in the discharge of the duties attaching to his office as a member of such Committee.

40. Submission of periodical reports, etc. to the Tribunal. -
(1) The Liquidator shall report quarterly (quarters ending on 31st March, 30th June, 30th September and 31st December) on the progress of winding up of the LLP in **Form No. 13** to the Tribunal, which shall be made before the end of the following quarter.

(2) The Tribunal may, on an application by the Liquidator, review any order made by it and make such modifications as it thinks fit with or without any further directions.

41. Duties of Liquidator.-(1) Subject to sanction by the Tribunal, the Liquidator in a winding up by the Tribunal shall perform all or any of the following duties:

(a) to carry on the business of the LLP as may be necessary for the beneficial winding up of the LLP;

(b) to do all acts and to execute, in the name and on behalf of the LLP, all deeds, receipts, and other documents, and for that purpose, to use, when necessary, the LLP's seal, if any;

(c) to take custody of property, assets, actionable claims, books of accounts and other documents;

(d) to sell the immovable and movable property including intangible assets such as intellectual property rights, trademarks, logo, etc. and actionable claims of the LLP by public auction or inviting bids or tenders or private contracts with power to transfer such property to any person or body corporate, or to realize any debts;

(e) to inspect the records and returns of the LLP on the files of the Registrar or any other authority;

(f) to prove rank and claim in the insolvency of any partner for any balance against his estate, and to receive distributable sums in the insolvency, in respect of that balance, as a separate debt due from the insolvent, and rateably with the other separate creditors;

(g) to draw, accept, make and endorse any bill of exchange, *hundi* or promissory note in the name and on behalf of the LLP, with the same effect with respect to the liability of the LLP as if the bill, *hundi*, or note had been drawn, accepted, made or endorsed by or on behalf of the LLP in the course of its business;

IndiaCode

(h) to take out, in his official name, letters of administration to any deceased partner, and to do in his official name any other act necessary for obtaining payment of any money due from a partner or his estate which cannot be conveniently done in the name of the LLP, and in all such cases, the money due shall, for the purpose of enabling the Liquidator to take out the letters of administration or recover the money, be deemed to be due to the Liquidator himself;

(i) to apply to the Tribunal for such orders or directions as may be necessary for the winding up of the LLP;

(j) to appoint security guards or security agency from the panel maintained by the Liquidator, to protect the property and assets of the LLP taken into his custody, in consultation with secured creditors or after giving them notice;

(k) to make out an inventory of the assets, books and records either by the Liquidator himself or by the panel of experts maintained by the Liquidator, in consultation with secured creditors or after giving them notice;

(l) to appoint valuers including chartered surveyors or chartered accountants, from the panel maintained by the Liquidator to assess the value of the LLP's assets within fifteen days after taking into custody of property, assets and effects or actionable claims, in consultation with secured creditors or after giving them notice;

(m) to give an advertisement, inviting bids for sale of the assets of the LLP, within fifteen days from the date of receiving valuation report ;

(n) to apply to the Tribunal for an order directing any person who, in his opinion, is competent to furnish a statement of the affairs under rule 28 and such person shall be served a notice by the liquidator to submit and verify the statement of affairs by the LLP;

(o) to carry out investigation into the affairs of the LLP relating to fraudulent conduct or business, misfeasance etc, either himself or by the Chartered Accountants appointed from the panel maintained by the Liquidator and submit report on such investigation to the Tribunal within one year from the date of the winding up order or within such extended time as may be granted by the Tribunal on an application by the Liquidator:

Provided that if in the opinion of the Liquidator no such investigation is required, the Liquidator shall submit a report to the Tribunal, explaining the reasons thereof, within one year from the date of winding up order;

(p) to call any person for recording any statement for the purpose of investigating the affairs of the LLP being wound up and it shall be the duty of every such person to attend to the liquidator at such time and place as the liquidator may appoint and give the liquidator all information which he may require and answer all such questions relating to winding up of LLP as may be put to him by the liquidator;

(q) to maintain a separate bank account for each LLP under his charge for depositing the sale proceeds of the assets and recovery of debts of each LLP;

(r) to maintain proper books of account in respect of all receipts and payments made by him in respect of each LLP and submit statement of accounts to the Tribunal;

(s) to invite claims from the creditors, examine the proof and prepare and submit the list of creditors and partners; and

(t) to do all such other acts and things as may be necessary for the winding up of the LLP and distribution of its assets.

(2) Every bidder shall, in response to advertisement referred to in clause (m) of sub-rule (1), deposit, his offer in the manner as may be specified by the Tribunal with the Liquidator or Provisional Liquidator, as the case may be, within forty-five days from the date of the advertisement and the liquidator or Provisional Liquidator shall permit inspection of property and assets in respect of which bids were invited:

Provided that such bid may be withdrawn within three days before the last day of closing of the bid:

Provided further that the inspection of property shall be open for not more than five days before closing of the bid.

(3) The advertisement inviting bids shall contain the following, namely:-

(a) name, address of registered office of the LLP, its branch offices, if any, factories and plants and the place where assets of the LLP kept and available for sale;

(b) last date for submitting bids which shall not exceed ninety days from the date of advertisement;

(c) time during which the premises of the LLP shall remain open for inspection;

(d) the last date for withdrawing the bid;

(e) financial guarantee which shall not be less than one-half of the value of the bid;

(f) validity period of the bids;

(g) place and date of opening of the bids in public;

(h) reserve price and earnest money to be deposited along with the bid;

(i) any other terms and conditions of sale which may be specified by the Tribunal.

(4) The liquidator or the Provisional Liquidator, as the case may be, shall file his report before the Tribunal on the outcome of the bid within fifteen days from the last date of the closing of the bid.

(5) The performance of duties by the Liquidator under this rule shall be subject to the overall control of the Tribunal and any creditor or partner may apply to the Tribunal with respect to the performance or proposed performance of any of the duties conferred by this rule on the Liquidator.

(6) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) to (5), the Liquidator shall perform such duties as the Tribunal may specify in this behalf.

42. Provision for assistance to Liquidator.- (1) The Liquidator may, with the sanction of the Tribunal, appoint one or more practicing chartered accountants or practicing company secretaries or practicing cost accountants or legal practitioners entitled to appear before the Tribunal or such other professionals or experts or valuer or agency as he considers necessary to assist him in the performance of his duties and functions under the Act or the rules:

Provided that if any such appointment is made from the panel maintained, the Liquidator shall submit report of such appointment including terms and conditions, fees payable, source of fund for payment of fee, fund available with the LLP and the extent of unrealized assets, to the Tribunal forthwith:

Provided further that such panel shall be maintained by the liquidator with the approval of the Tribunal.

(2) Any person appointed as such shall disclose forthwith to the Tribunal in the **Form No 14** any conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment.

(3) The Tribunal may, on cause shown to it, remove any member from the panel maintained by the Liquidator.

43. Exercise and control of Liquidator's powers and duties.- (1) The Liquidator shall, in the administration of the assets of the LLP and the distribution thereof among its creditors, have regard to any directions which may be given by the resolution of the creditors or partners or the Committee of inspection.

(2) Any directions given by the creditors or partners shall, in case of conflict, be deemed to be overridden by any directions given by the Committee of inspection.

(3) The Liquidator—

(*a*) may summon meetings of the creditors or partners, whenever he thinks fit, for the purpose of ascertaining their wishes; and

(*b*) shall summon such meetings at such times, as the creditors or partners, as the case may be, may, by resolution, direct, or whenever requested in writing to do so by not less than one-tenth in value of the creditors or partners, as the case may be.

(4) Subject to the provisions of the Act and these rules, liquidator shall, use his own discretion in the administration of the assets of the LLP and in the distribution thereof among the creditors.

(5) Any person aggrieved by any act or decision of the Liquidator may apply to the Tribunal, and the Tribunal may confirm, reverse or modify the act or decision complained of and make such further order as it thinks just in the circumstances.

44. Books to be kept by Liquidator.- (1) The Liquidator shall keep proper books in a manner specified in Part VI in which he shall cause entries or minutes to be made of proceedings at meetings.

(2) Any creditor or partner may, subject to the control of the Tribunal, inspect any such books, personally or through his agent.

45. Audit of Liquidator's accounts .- (1) The Liquidator shall maintain proper books of accounts including the accounts of receipts and payments made by him in the form and manner specified in Part VI.

(2) The accounts of the liquidator shall be audited in the form and manner specified in rule 56 and in Part VI.

(3) The Liquidator shall cause the statement of accounts when audited or a summary thereof to be printed, and shall send a printed copy of the statement of accounts or summary thereof by post to every creditor and every partner:

Provided that the Tribunal may dispense with the compliance of the provisions of this sub-rule if it deems fit.

46. Payment of debts due by partner.-(1) The Tribunal may, at any time after passing of a winding up order, pass an order requiring any partner for the time being on the list of partners to pay, in the manner directed by the order, any money due to the LLP including outstanding or unrealized or unrecovered contribution, from him or from the estate of the person whom he represents.

47. Adjustment of rights of partners.- The Tribunal shall adjust the rights of the partners among themselves and distribute any surplus among the persons entitled thereto.

48. Control of Central Government over official liquidator as liquidator.- (1) The Central Government shall take cognizance of the conduct of official liquidator as liquidators of LLPs which are being wound up by the Tribunal and if a liquidator does not faithfully perform his duties and duly observe all the requirements imposed on him by the Act and these rules or otherwise, with respect to the performance of his duties or if any complaint is made to the Central Government by any creditor or partner in regard thereto, the Central Government shall inquire into the matter and take such action thereon as it may think expedient.

(2) The Central Government may at any time, for the purpose of inquiry apply to the Tribunal to examine such liquidator or any other person on oath concerning winding up.

(3) The Central Government may also direct a local investigation to be made of the books and vouchers of such liquidators.

49. Inspection or investigation of books of accounts and records of the Liquidator.- The Central Government may authorize any person to inspect or investigate the books of accounts and records of the Liquidator appointed from the panel maintained by the Central Government in respect of affairs of any such LLP under Liquidation.

PART V

Provisions applicable to every mode of winding up

50. Debts of all descriptions to be admitted to proof.- In every winding up, (subject, in the case of insolvent LLPs to the application in accordance with the provisions of the Act, of the law of insolvency), all debts payable on a contingency, and all claims against the LLP, present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages, shall be admissible to proof against the LLP, as just estimate being made, so far as possible, of the value of such debts or claims as may be subject to any contingency or may sound only in damages, or for the some other reason may not bear a certain value.

51. LLP Liquidator or Liquidator to exercise certain powers subject to sanction.-(1) The LLP Liquidator or Liquidator, as the case may be, may —

(*a*) with the sanction of the Tribunal, when the LLP is being wound up by the Tribunal; or

(*b*) with the sanction of a resolution by three-fourths of total number of partners of the LLP and prior approval of the Tribunal, in the case of a voluntary winding up,—

(*i*) pay any class of creditors in full;

(*ii*) make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors, or having or alleging themselves to have any claim, present or future, certain or contingent, against the LLP, or whereby the LLP may be rendered liable; or

(iii) compromise any money due from partners including outstanding, unrealized or unrecovered contribution, debt, and liability capable of resulting in a debt, and any claim, present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages, subsisting or alleged to subsist between the LLP and a partner or alleged partner or other debtor or person apprehending liability to the LLP, and all questions in any way relating to or affecting the assets or liabilities or the winding up of the LLP, on such terms as may be agreed, and take any security for the discharge of any such debt, liability or claim, and give a complete discharge in respect thereof.

(2) Any creditor or partner may apply to the Tribunal with respect to any exercise or proposed exercise of powers by the LLP Liquidator under this rule, and the Tribunal shall after giving a reasonable opportunity to such applicant and the LLP Liquidator, pass such orders as it may think fit.

52. Statement that a LLP is in liquidation.- Where an LLP is being wound up, whether by the Tribunal or voluntarily, every invoice, order for goods or business letter issued by or on behalf of the LLP or a LLP Liquidator of the LLP, or a receiver or designated partner of the property of the LLP, being a document on or in which the name of the LLP appears, shall contain a statement that the LLP is being wound up.

53. Books and papers of LLP to be evidence.- Where a LLP is being wound up, all books and papers of the LLP, LLP Liquidator and liquidator shall, as between the partners of the LLP, be *prima facie* evidence of the truth of all matters purporting to be recorded therein.

54. Inspection of books and papers by creditors and partners.- (1) At any time after the making of an order for the winding up of a LLP by the Tribunal, any creditor or partner of the LLP may inspect the books and papers of the LLP only in accordance with, and subject to manner and conditions specified in Part VI.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall be taken as excluding or restricting any rights conferred by any law for the time being in force-

(*a*) on the Central Government or a State Government or any authority or officer of such Government,

(b) on any person acting under the authority of any such Government or of any such authority or officer.

55. Disposal of books and papers of LLP.- (1) When the affairs of a LLP have been completely wound up and it is about to be dissolved, its books and papers and those of the LLP Liquidator may be disposed of as follows :-

(a) in the case of winding up by the Tribunal, in such manner as the Tribunal directs; and

(b) in the case of voluntary winding up, in such manner as the LLP approves it by three-fourths of the total number of partners with the prior approval of the secured creditors.

(2) After the expiry of five years from the dissolution of the LLP, no responsibility shall devolve on the LLP, the LLP Liquidator, or the liquidator any person to whom the custody of the books and papers has been entrusted, by reason of any book or paper not being forthcoming to any person claiming to be interested therein.

(3) The Central Government may, by notification direct, for such period (not exceeding five years from the dissolution of the LLP) as the Central Government thinks proper the prevention of the destruction of the books and papers of a LLP which has been wound up and of its LLP Liquidator or liquidator;

(4) If any person acts in contravention of this rule or of any direction of the Central Government made there under, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both;

56. Information as to pending liquidations.- (1) (i) The LLP liquidator, in the case of voluntary winding up, and the liquidator, in the case of winding up by Tribunal, shall during the tenure of his office prepare every year a statement of accounts as on 31st March in **Form No 15** within two months thereof which shall be verified by a declaration:

Provided that where the LLP Liquidator or liquidator has not, during the period of account, received or paid any sum of money on account of the assets of the LLP, he shall file an affidavit of no receipts or payments on the date on which he shall have to file his accounts for the period.

(ii) The accounts shall be audited by a Chartered Accountant, and for the purpose of the audit, the LLP Liquidator or liquidator shall furnish the auditor such vouchers and information as the auditor may require:

Provided that the accounts need not be got audited by the Chartered Accountant where the value of total transactions during the period is for rupees fifty thousand or less:

Provided further that, where the audit of the accounts is not required under this rule, the statements of accounts shall contain a declaration that the LLP Liquidator or liquidator acknowledges his responsibility for maintaining the books and records and funds are utilized only for the purpose of winding up of the affairs of the LLP.

Explanation;- 'Year' in relation to the statement means period from first day of April of a Year to the 31st day of March following year:

IndiaCode

(2) (i) A copy of the statement of accounts along with the auditor's report shall be filed with the Tribunal forthwith in the case of winding up by Tribunal.

(ii) A copy of the statement of accounts along with the Auditor's report shall be filed with the Registrar in every kind of winding up in **Form No 10** not later than 30th September following.

(3) Any person stating himself in writing to be a creditor or partner of the LLP shall be entitled, by himself or by his agent, at all reasonable times, on payment of the fee specified in Annexure, to inspect the statement referred to in sub-rule (1), and to receive a copy thereof or an extract therefrom.

(4) Any person fraudulently stating himself to be a creditor or partner under sub-rule (3) shall be deemed guilty of an offence under section 182 of the Indian Panel Code, and shall, on the application of the LLP Liquidator, be punishable accordingly:

57. Liquidator to make payments into public account of India in the Reserve bank of India or any designated Scheduled bank.- Every Liquidator shall, in the manner and within the time specified in Part VI, pay the moneys received by him as Liquidator of any LLP into the public account of India in the Reserve Bank of India.

58. LLP Liquidator to make payments into Scheduled Bank.- (1) Every LLP Liquidator of a LLP shall, in a manner and at times specified in Part VI, pay the monies received by him in his capacity as such in a Scheduled bank to the credit of a special bank account opened by him in that behalf :

Provided that if the Tribunal considers that it is advantageous for the creditors or partners or the LLP, it may permit the account to be opened in such other bank specified by it.

(2) If any LLP Liquidator at any time retains for more than ten days a sum exceeding fifty thousand rupees or such other amount as the Tribunal may, on the application of the LLP Liquidator, authorize him to retain, then, unless he explains the retention to the satisfaction of the Tribunal, he shall—

(a) pay interest on the amount so retained in excess, at the rate of twelve per cent per annum and also pay such penalty as may be determined by the Tribunal;

(b) be liable to pay any expenses occasioned by reason of his default; and

(c) be liable to have all or such part of his remuneration, as the Tribunal may consider just, disallowed or may also be removed from his office.

59. Liquidator or LLP Liquidator not to deposit monies into private bank account.- Neither the Liquidator nor the LLP Liquidator of a LLP shall deposit any monies received by him in his capacity as such into any private bank account.

60. Unpaid and Undistributed Assets Account.- (1) If the Liquidator or LLP Liquidator has in its hands or under his control any money representing –

(a) any money representing distributable sum payable to any creditor or creditors, he shall transfer, within five days of such money being due, in a separate special bank account known as the "Distributable Sum Account of M/s _____ LLP (in liquidation)".

(b) any money representing assets refundable to any partner or partners, he shall transfer, within five days of such money being due, in a separate special bank account known as the "Distributable Asset Account of M/s_____ LLP (in liquidation)".

(2) If the amounts which have been transferred to the "Distributable Sum Account of M/s_____ LLP (in liquidation)" or "Distributable Asset Account of M/s_____ LLP (in liquidation)" but have not been paid or claimed within six months from the date of transfer of such amount, the Liquidator or LLP Liquidator shall, within seven days from the date of expiry of the said period of six months, transfer the said amount into the Public Account of India in a separate account to be known as the "LLP Liquidation Account".

(3) The liquidator or the LLP liquidator, as the case may be, shall, on the dissolution of the LLP, pay into the "LLP Liquidation Account" any money representing unpaid distributable sums or undistributed assets in his hands at the date of dissolution.

(4) The liquidator or the LLP liquidator, as the case may be, shall, when making any payment referred to in sub-rules (2) and (3), furnish to the Registrar, a statement in the form as specified in these rules prescribed setting forth, in respect of all sums included in such payment, the nature of the sums, the names and last known addresses of the persons entitled to participate therein, the amount to which each is entitled and the nature of his claim thereto, and any other particulars specified in Part VI.

(5) The liquidator or the LLP liquidator, as the case may be, shall be entitled to a receipt from the Scheduled bank for any money paid to it under sub-rules (2) and (3), and such receipt shall be an effectual discharge of the liquidator or the LLP Liquidator in respect thereof.

(6) Where a LLP is being wound up voluntarily, the LLP Liquidator shall, when filing a statement in pursuance of sub-rule (1) of rule 56, indicate the sum of money which is payable under sub-rules (2) and (3) of this rule and shall, pay that sum into the accounts mentioned in sub-rule (2) or sub-rule (3) of this rule, as the case may be.

(7) Any person claiming to be entitled to any money paid into the "LLP Liquidation Account" paid in pursuance of this rule may apply to the Tribunal for an order for payment thereof, and the Tribunal, if satisfied that the person claiming is entitled, may make an order for the payment to that person of the sum due:

Provided that before making such an order, the Tribunal shall cause a notice to be served on Registrar, calling him to show cause within one month from the date of the service of the notice why the order should not be made.

(8) Any money paid into the "LLP Liquidation Account" in pursuance of this rule, which remains unclaimed thereafter for a period of seven years, shall be transferred to the general revenue account of the Central Government, but a claim to any money so transferred may be preferred under sub-rule (7) and shall be dealt with as if such transfer had not been made and the order, if any, for payment on the claim will be treated as an order for refund of revenue.

(9) Any liquidator or LLP liquidator, as the case may be, retaining any money which should have been paid by him into the "LLP Liquidation Account" under this rule shall —

(a) pay interest on the amount so retained at the rate of twelve per cent per annum and also pay such penalty as may be determined by the Tribunal:

Provided that the Central Government may, in any proper case remit either in part or in whole the amount of interest which the liquidator is required to pay under this clause;

(b) be liable to pay any expenses occasioned by reason of his default; and

(c) where the winding up is by the Tribunal, also be liable to have all or such part of his remuneration, as the Tribunal may consider just, to be disallowed, and to be removed from his office by the Tribunal.

61. Meetings to ascertain wishes of creditors or partners.- (1) In all matters relating to the winding up of a LLP, the Tribunal may—

(*a*) have regard to the wishes of creditors or partners of the LLP, as proved to it by any sufficient evidence;

(*b*) direct, if it thinks fit for the purpose of ascertaining their wishes, meetings of the creditors or partners to be called, held and conducted in such manner as the Tribunal may direct; and

(*c*) appoint a person to act as chairman of any such meeting and to report the result thereof to the Tribunal.

(2) For the purpose of ascertaining the wishes of creditors, regard shall be had to the value of each creditor's debt.

(3) For the purpose of ascertaining the wishes of partners, regard shall be had to the value of each partner's contribution.

62. LLP Liquidator or Liquidator to make returns, etc.- (1) Every LLP liquidator or Liquidator shall file, deliver or make any report, statement of accounts or other document, or give any notice which is required to be filed, delivered or made or given, as the case may be, pursuant to any rule, within the time specified in such rule.

(2) Without prejudice to sub-rule (1) above, the Central Government may, by notification, specify any other report, statement of accounts or other document or notice which shall be required to be filed, delivered, made or given, as the case may be, by the LLP Liquidator or Liquidator within the time specified in such notification.

(3) If any LLP Liquidator or Liquidator who has made any default in filing, delivering or making any report, statement of account or other document, or in giving any notice which he is by law required to file, deliver, make or give, fails to make good the default within fourteen days after the service on him of a notice requiring him to do so, the Tribunal may, on an application made to it by any partner or creditor of the LLP or by the Registrar, make an order directing the LLP Liquidator or Liquidator to make good the default within such time as may be specified in the order.

(4) Any order under sub-rule (3) may provide that all costs of and incidental to the application shall be borne by the LLP Liquidator or Liquidator.

(5) Nothing in this rule shall prejudice the operation of any enactment imposing penalties on a LLP Liquidator or Liquidator in respect of any such default as aforesaid.

63. Court, Tribunal or person, etc. before whom affidavit may be sworn.- (1) Any affidavit required to be sworn under the provisions, or for the purposes, of these rules may be sworn—

(a) in India before any Court, Tribunal, Judge or person lawfully authorised to take and receive affidavits; and

(b) in any other country before any Court, Judge or person lawfully authorised to take and receive affidavits in that country or before an Indian diplomatic or consular officer.

(2) All courts, tribunals, judges, justices, commissioners and persons acting judicially in India shall take judicial notice of the seal, stamp or signature, as the case may be, of any such court, tribunal, judge, commissioner, person, diplomatic or consular officer, attached, appended or subscribed to any such affidavit or to any other document to be used for the purposes of these rules.

64. Tribunal to declare dissolution of LLP void.- (1) Where an LLP has been dissolved, whether in pursuance of these rules or otherwise, the Tribunal may at any time within two years of the date of the dissolution, on application by the LLP Liquidator or Liquidator of the LLP or by any other person who appears to the Tribunal to be interested, make an order, upon such terms as the Tribunal thinks fit, declaring the dissolution to be void, and thereupon such proceedings may be taken as if the LLP had not been dissolved.

(2) It shall be the duty of the person on whose application the order was made, within thirty days after the making of the order, to file a certified copy of the order with the Registrar in **Form No. 11** who shall register the same.

Explanation.- In computing the period of thirty days from the date of the order, the requisite time for obtaining a certified copy of the order shall be excluded.

65. Commencement of winding up by Tribunal.- (1) Where, before the presentation of a petition for the winding up of a LLP by the Tribunal, a resolution has been passed by the LLP for voluntary winding up, the winding up of the LLP shall be deemed to have commenced at the time of the passing of the resolution, and unless the Tribunal, on proof of fraud or mistake, thinks fit to direct otherwise, all proceedings taken in the voluntary winding up shall be deemed to have been validly taken.

(2) In any other case, the winding up of a LLP by the Tribunal shall be deemed to commence at the time of the presentation of the petition for the winding up.

66. Exclusion of certain time in computing period of limitation. - Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 or in any other law for the time being in force, in computing the period of limitation specified for any suit or application in the name and on behalf of a LLP which is being wound up by the Tribunal, the period from the date of commencement of the winding up of the LLP to a period of one year immediately following the date of the winding up order shall be excluded.

67. Filing with Registrar and filing Fee.- A notice, document, form, resolution, order, etc. under these rules or notification issued under section 67 of the Act required to be filed with Registrar, shall be filed in electronic form along with the fee as specified in Annexure.

Provided that in the case of winding up by the Tribunal, the Central Government may waive the fee, if it deems fit;

Provided further that no fee shall be payable if any LLP under liquidation by the order of the Tribunal does not have funds and the liquidator submits a certificate to the effect that the LLP does not have any fund.

Part VI
Proceedings and Procedures
General

68. Jurisdiction of the Tribunal: (1) All proceedings shall be instituted before the Bench of the Tribunal having jurisdiction, as may be notified by the Central Government.

69. Form of Proceedings – (1) All petitions, applications, affidavits and other proceedings presented to the Tribunal shall be written, typewritten, or printed neatly and legibly on substantial paper of foolscape size in duplicate and separate sheets shall be stitched together. Numbers and dates shall be expressed in figures, and where dates given

are not according to the English Calendar, the corresponding English dates shall also be given.

(2) Every proceeding shall be consecutively numbered, dated and shall be instituted in the matter of a Limited Liability Partnership (LLP) or Limited Liability Partnerships (LLPs) to which it relates. The contents shall be divided into separate paragraphs, which shall be numbered serially. The general heading in all proceedings before the Tribunal, and in all advertisements and notices, shall be in **Form No. 16**.

(3) Sitting hours of Tribunal shall ordinarily be from 10.30 AM to 1.30 PM and from 2.30 PM to 4.30 PM on all working days except Saturday, Sunday and other public holidays subject to any general or special order made by the Chairperson or President.

(4) Fees on applications or petitions shall be as specified in Annexure.

70. Language of proceedings – Every petition, application, affidavit or other proceedings shall be in English or Hindi and except in so far as the Tribunal may otherwise order, no document in other language shall be accepted for use in any proceedings, unless translated into English or Hindi.

71. Power of the Tribunal to enlarge or abridge time – The Tribunal should not extend the time without any genuine reason and exceptional circumstances and orders should be recorded in detail giving reasons for grant of extension.

72. Provisions of the Code to apply- Save as provided by the Act or by these rules, the provisions of the Code so far as applicable, shall apply to all proceedings under the Act and these rules.

73. Saving of inherent powers of the Tribunal- Nothing to these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Tribunal to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Tribunal.

74. Power to dispense with the requirement of the rules- The Tribunal shall have power for reasons to be recorded in writing, to dispense with the requirements of any of these rules, subject to such terms and conditions as may be specified in the order.

75. Computation of time – Where any particular number of days is specified, the same shall be reckoned exclusively of the first day and inclusively of the last day, unless the last day shall happen to fall on a day on which the offices of the Tribunal are closed, in which case the time shall be reckoned exclusively of that day also and of any succeeding day or days on which the offices of the Tribunal continued to be closed.

76. Registers to be kept. – There shall be kept, in the Tribunal, the following registers either in physical or digital format or both physical and digital, relating to proceedings under the Act and these rules:-

(1) LLP Petitions' Register in which shall be entered and numbered serially the petitions filed under the Act or these rules stating the particulars as to-

(i) date of presentation,
(ii) name of LLP,
(iii) name of parties, their advocates etc.,
(iv) provision of law under which the petition is made,
(v) nature of relief sought,
(vi) date and nature of order made,
(vii) date of filing of appeal, if any,
(viii) date of disposal of appeal, and
(ix) result of judgment in appeal.

(2) LLP Applications' Register in which shall be entered and numbered serially applications other than petitions stating particulars as to-

(i) date of presentation,
(ii) name of LLP,
(iii) number of main proceeding, if any, to which the application relates,
(iv) name of parties, their Advocates, etc.
(v) provision of law, if any, under which the application is made,
(vi) nature of relief sought,
(vii) date and nature of order made,
(viii) date of filing of appeal, if any,
(ix) date of disposal of appeal, and
(x) result of Judgment in appeal.

(3) In the Liquidations Register, there shall be entered under a separate heading for each LLP ordered to be wound-up in the form specified in these rules briefly and in chronological order, all proceedings in winding-up until conclusion of the winding-up.

(4) In the LLP Documents Register there shall be entered under a separate heading for each LLP any valuable securities, such as, negotiable instruments, documents of title and the like that may be filed in proceedings before the Tribunal as prescribed in the form.

(5) Appearance of the person appearing before the Tribunal shall be indicated in the order sheet.

77. Serial number of proceedings. –(1) Every petition or application shall bear its distinctive serial number, and an interlocutory application shall bear, besides its own serial number, the serial number of the main proceeding to which it relates. Every order made, process issued or document filed, shall bear the serial number of the proceedings to which it relates.

(2) All petitions, applications and affidavits, upon being filed and all orders, summons, warrants or processes of any kind (including notices issued by Tribunal) and certified copies, of any proceedings, shall be issued under the authority and seal of the Tribunal.

78. Powers, functions and duties of Registrar of the Tribunal : -(1) The Registrar of Tribunal shall be principal officer of the Tribunal and shall exercise his powers and perform his duties under the control of Chairperson or President.

(2) The Tribunal in discharge of its functions under the Act, may take such assistance from the Registrar of Tribunal, as it may deem fit, and the Registrar of Tribunal or other officer, shall be bound to assist the Tribunal.

(3) In particular and without prejudice to the generally of the provisions of this rule, the Registrar of Tribunal shall have the following powers and duties, namely: -

(a) to have the custody of the records of the, Principal Bench of the Tribunal and other Benches;
(b) to receive all petitions, applications or references pertaining to the Principal Bench and other Benches of the Tribunal;
(c) to assist Principal Bench and other Benches of the Tribunal in the proceedings relating to the powers exercised by them;
(d) to authenticate the orders passed by the Principal Bench and other Benches of the Tribunal;
(e) to ensure compliance of the orders passed by the Principal Bench and other Benches of the Tribunal;
(f) to have the custody and control of the Official seal of the Tribunal;
(g) to have the right to collect from the Central Government or other officers, companies, LLPs and firms, or any other person such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Tribunal under the Act and place the said information before the Tribunal. These rules shall apply to all Benches of the Tribunal situated all over India.

(4) The Registrar of Tribunal shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Tribunal, namely: -

(i) to receive all petitions or applications and other documents including transferred applications;
(ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the petitions and applications before they are registered;
(iii) to decline to accept any document which is presented otherwise than in accordance with these rules
(iv) to require any petition or application presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Act;
(v) subject to the directions of Tribunal to fix the date of first hearing of the petition or application or other proceedings and issue notices thereof;
(vi) to direct any formal amendment of records;
(vii) to order grant of copies of documents to the parties to the proceedings;
(viii) to grant leave to inspect the records of the Tribunal;
(ix) to dispose of matters relating to the service of notices;

(x) to receive application within thirty days from the date of death for substitution of authorized representatives of the deceased parties during the pendency of the petition or application;

(xi) to receive and dispose of application for substitution, except where the substitution would involve setting aside an order of abatement;

(xii) to receive and dispose of applications by parties for return of documents.

(5) An appeal against any decision by the Registrar of Tribunal shall be made to the Tribunal by the aggrieved party within fifteen days from the date such decision communicated to him.

79. Inspection and copies of proceedings. – (1) Records of every proceedings pending before the Tribunal will be available for the inspection of the parties or their authorized representatives on making an application in writing and on payment of a fee as specified in Annexure.

(2) A person who is not party to the proceedings is not entitled for inspection of the records or proceedings except with the consent of the parties by whom they were presented or produced or under the orders of the Tribunal on payment of the fee.

(3) A person not a party to the proceedings or petitions on which final orders have been passed can obtain copy of the orders on payment of such fee as given in Annexure.

80. Forms. – The forms annexed to these rules, where applicable, shall be used with such variations as circumstances may require including the variations required for the purpose of filing or submitting or maintaining the documents in the electronic form.

81. Affidavits. – (a) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and the place of abode of the deponent. It shall be signed by the deponent and sworn to in the manner prescribed by the Code or by the rules and practice of the Court of the State where affirmed.

(b) Every exhibit annexed to an affidavit shall be marked with the number of the proceedings to which it relates, and shall be initialed and dated by the authority before which it is sworn.

(c) No affidavit having interlineations, alteration or erasure, shall be filed in Tribunal unless such interlineations or alternation is initialed by the authority before whom it is sworn, or, in the case of an erasure, the words and figures written on the erasure are rewritten in the margin and initialed by such authority.

82. Form of summons and service thereof. – (1) A summon shall be in **Form No. 17** and shall, unless otherwise provided by these rules or permitted by the Member, be supported by an affidavit.

(2) The summons, together with a copy of the affidavit, shall be served upon every person against whom an order is sought and such other person, as the Member may direct, in person or by prepaid registered or speed post or through empanelled courier agency or

upon his representative or advocate or pleader where he appears by an advocate or representative or pleader, or in such other manner as the Member may direct.

(3) Unless otherwise provided by these rules or by an order of the Tribunal, a summons, which is an interlocutory application in a proceeding, shall be served not less than three clear days before the day named in the summons for the hearing thereof, and where the summons is other than interlocutory, it shall be served not less than ten days before the date fixed for the hearing thereof.

83. Issue of summons. – Every summons, together with duplicates of the same for service thereof, shall be prepared by the applicant or his advocate or representative or pleader and issued from the office of the Registrar of the Tribunal.

84. Affidavit verifying petition. – Every petition shall be verified by an affidavit made by the petitioner or by one of the petitioners, where there are more than one, and in the case the petition is presented by a body corporate, by a director, secretary or manager or partner or designated partner or an officer authorized in that behalf thereof and such affidavit shall be **Form No 18** and shall be filed along with the petition.

85. Enclosures to petition. – Unless dispensed with by the Member or Registrar of Tribunal, every petition and application shall be accompanied by the documents required to be annexed.

86. Summons for direction. – (a) Where a petition is presented, an application shall, in every case, be made by alongwith summons in **Form No. 19** to the Member for directions as to the advertisement of the petition, the notices to be served and the proceedings to be taken.

(b) The petition shall be posted for hearing before the Member at the next sitting, and the Member may make such orders thereon and may give such directions as it may seem to him appropriate.

87. Advertisement of petition. – (1) Where any petition is required to be advertised, it shall, unless the Member otherwise orders, or these rules otherwise provide, be advertised not less than seven days before the date fixed for hearing, in one issue each of a daily newspaper in the English language and a daily newspaper in the regional language circulating in the State or the Union territory concerned, as may be fixed by the Member.

(2) Except in the case of a petition to wind up a LLP, the Member may, if he thinks fit, dispense with any advertisement required by these rules.

88. Contents of advertisement. – Except as otherwise provided in these rules, such advertisement shall be in **Form No. 20** and shall state the date on which the petition was presented, the name and address of the petitioner and his advocate or pleader, the nature of the petition and the date fixed for hearing. It shall, unless otherwise ordered, further state that any person who intends either to oppose or support the petition at the hearing should send notice of his intention to the petitioner or his advocate or pleader so as to reach him not later than two days previous to the day fixed for the hearing, and in the case

of a petition for a winding-up, not later than four days previous to the day fixed for the hearing of the petition.

89. Service of petition. – Every petition shall be served on the respondent, if any, named in the petition and on such other persons as the Act or these rules may require or as the Member or the Registrar of Tribunal may direct and unless otherwise ordered, a copy of the petition shall be served along with the notice of the petition.

90. Notice of petition and time of service. – Notice of every petition required to be served upon any person shall be in **Form No.21** and shall, unless otherwise ordered by Tribunal or otherwise provided, be served not less than seven days before the date of hearing.

91. Service on LLP. – (1) Where a petition is presented against a LLP, it shall be accompanied by a notice of the petition in the form prescribed under these rules together with a copy of the petition for service on the LLP and an envelope addressed to the LLP at its registered office or its principal place of business and sufficiently stamped for being sent by registered post for acknowledgement or through empanelled courier agency.

(2) The Registrar of Tribunal shall immediately on the admission of the petition send the notice together with the copy of the petition to the LLP by registered post or through courier.

(3) Every petition, and, save as otherwise provided or by an order of Tribunal, every application, shall unless presented by the LLP, be served on the LLP at its registered office, or at its principal or last known principal place of business, by leaving a copy thereof with an officer or employee of the LLP, and in case no such person is available, in such manner, as the Member or Registrar of Tribunal may direct, or, by sending a copy thereof by prepaid registered post or through empanelled courier agency addressed to the LLP at its registered office, or, if there is no registered office, at its principal or last known principal place of business, or to such person and at such address as the Member or Registrar of Tribunal may direct.

92. Petitioner to effect service. – Save as otherwise provided and subject to any directions of the Member or Registrar of Tribunal, the petitioner, applicant or any other person having the conduct of proceedings in Tribunal, shall be responsible for the service of all notices, summons and other processes and for the advertisement and publication of notices, required to be effected by these rules or by order of Tribunal.

93. Affidavit of service. – (1) An affidavit or affidavits stating whether the petition has been advertised and whether the notices, if any, have been duly served upon the persons required to be served shall be filed not less than three days before the date fixed for hearing and such proof of the advertisement or of the service, as may be available shall be filed along with the affidavit.

(2) An affidavit of service on a LLP or its liquidator shall be in **Form No 22 or 23,** as the case may be.

94. Procedure on default of compliance as regards advertisement and service of notice. – In default of compliance with the requirements of the rules or the directions of the Member or Registrar of Tribunal, as regards the advertisement and service of the petition, the petition shall, on the date fixed for hearing be posted for orders of the Member and the Member may either dismiss the petition or give such further directions as he thinks fit.

95. Mode of service and service when deemed to be effected. – (1) Save as otherwise provided or by an order of Tribunal, all notices, summons, and other documents required to be served on any person, may be served either personally by delivering a copy thereof to such person or upon his advocate or pleader or authorised representative where he appears by advocate or pleader; except where personal service is required by prepaid registered post for acknowledgement due addressed to the last known address of such person or through process server by affixing at the last known address. In the case of service by registered post where no acknowledgement signed by the addressee or his duly authorized agent is received, orders of Tribunal shall be obtained as to the sufficiency of service or as to the further steps to be taken for service as the Tribunal may direct:

Provided that where a notice, summons or other document has to be served on any class of persons such as partners, creditors and the like, the same may be sent by prepaid registered post or by ordinary post by prepaid letter post under certificate of posting or registered post, as may be provided by these rules or by an order of Tribunal, and unless otherwise ordered by the Tribunal, the service shall be deemed to be effected at the time when the said notice, summons or other document ought to be delivered in the ordinary course of post by the post office, notwithstanding the same is returned undelivered by the post office.

(2) Where notice of any petition, application, summons or other proceedings has to be given to the Central Government under these rules, it shall be addressed to and served on the Secretary to Government of India, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi, or such other officer or office of the Central Government as may be authorised to receive notices on its behalf.

(3) Where any person has to be served at an address outside India, the notice or other process to be served on him shall, subject to orders of the Tribunal, be sent to such address by empanelled courier agency or by prepaid airmail registered post for acknowledgment due.

(4) Service may be done in any other manner including the manner as provided in rule 15 of Limited Liability Partnership Rules, 2009 or as may be ordered by the Tribunal.

96. Validity of service and of proceedings. – No service shall be deemed to be invalid by reason of any defect in the name or description of a person in the list of partners or in the petition, summons, notice or other proceeding, provided that the Tribunal is satisfied that such service is in other respects sufficient; and no proceedings shall be invalidated by reason of any formal defect or irregularity; unless the Member before whom the objection is taken is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity and that the injustice cannot be remedied by an order of Tribunal.

97. Notice to be given by persons intending to appear at the hearing of petition. – (1) Every person, who intends to appear at the hearing of a petition, whether to support or oppose the petition, shall serve on the petitioner or his advocate or pleader, notice of his intention at the address given in the advertisement.

(2) The notice shall contain the address of such person, and be signed by him or his advocate or pleader or authorised representative, and save as otherwise provided shall be served (or if sent by post or through courier, shall be posted in such time as to reach the addressee) not later than two days previous to the day of hearing, and in the case of a petition for winding-up not later than four days previous to the day of hearing and such notice shall be in **Form No 24** with such variations as the circumstances may require, and where such person intends to oppose the petition, the grounds of his opposition, or a copy of his affidavit, if any, shall be furnished along with the notice.

(3) Any person who has failed to comply with this rule shall not, except with the leave of the Member, be allowed to appear at the hearing of the petition.

98. List of persons, intending to appear, to be filed. – The petitioner or his advocate or authorized representative or pleader shall prepare a list of the names and addresses of the persons who have given notice of their intention to appear at the hearing of the petition and such list shall be in **Form No. 25**, and shall be filed in Tribunal before the hearing of the petition.

99. Procedure at hearing of petition. – (1) At the hearing of the petition, the Member may either dispose of the petition finally, or give such directions as may be deemed necessary for the filing of counter-affidavit and reply affidavits, if any, and for service of notice on any person who, in his opinion has been omitted to be served or has not been properly served with the notice of the petition and may adjourn the petition to enable the parties to comply with his directions.

(2) All adjournments and postings will be subject to time schedule prescribed under the Act or the rules and except as otherwise ordered by the Member, it shall not be necessary to give notice of the adjourned hearing to any person.

100. Order to be drawn up. – (1) Every order, shall be drawn up by the Registrar-of Tribunal, unless in any proceeding or class of proceedings, the Member or the Registrar of Tribunal directs that the order need not be drawn-up.

(2) Where a direction is given under sub-rule (1) that no order need be drawn up, the note or memorandum of the order signed or initialed by the Member making the order or by the Registrar of Tribunal shall be sufficient evidence of the order having been made.

(3) The date of every order shall be the date on which it was actually made, notwithstanding that it is drawn up and issued on a later date.

(4) The costs should be awarded for every adjournment on the party seeking adjournment at the time of granting adjournment except in cases of serious illness and such similar circumstance.

(5) Where costs are awarded to a party in any proceeding, the order shall direct that the party liable to pay the costs shall pay the same.

Petition for Winding up, Provisional Liquidator, Winding up Order, and Statement of Affairs,

101. Petition for winding-up. – (1) A petition for winding up an LLP shall be in **Form No. 26, or 27 or 28**, as the case may be, with such variations as the circumstances may require, and shall be presented in duplicate:

Provided that where the petition is by the LLP it should be accompanied with the statement of affairs of the LLP on the date of petition.

(2) The Registrar of Tribunal shall note on the petition the date of its presentation.

102. Admission of petition and directions as to advertisement. – (1) Upon the filing of the petition, it shall be posted before the Member in chambers for admission of the petition and fixing a date for the hearing thereof and for directions as to the advertisements to be published, and the persons, if any, upon whom copies of the petition are to be served.

(2) The Member may, if he thinks fit, direct notice to be given to the LLP before giving directions as to the advertisement of the petition.

103. Petition by a contingent or prospective creditor. – A petition for the winding-up of a LLP presented by a contingent or prospective creditor shall be accompanied by an application for the leave of the Tribunal for the admission of the petition and no advertisement of such petition shall be made unless the leave has been granted, or, where the leave has been granted subject to any conditions precedent to the admission of the petition, unless such conditions have been satisfied.

104. Copy of petition to be furnished. – Every partner or creditor of the LLP shall be entitled to be furnished by the petitioner or by his advocate or pleader or authorized representative with a copy of the petition within 24 hours on payment of the charges as specified in Annexure.

105. Advertisement of petition. – Subject to any directions of the Tribunal, the petition shall be advertised within the time and in the manner provided in rule 87. The advertisement shall be in **Form No 29.**

106. Application for leave to withdraw petition. – (1) A petition for winding-up shall not be withdrawn after presentation without the leave of the Tribunal.

(2) An application for leave to withdraw a petition for winding-up which has been advertised in accordance with the provisions of rule 87 shall not be heard at any time before the date fixed in the advertisement for the hearing of the petition.

107. Substitution of creditor or partner for original petitioner. – Where a petitioner-

(a) is not entitled to present a petition, or

(b) fails to advertise his petition within the time specified by these rules or by order of Tribunal or such extended time as the Tribunal may allow with cost, or

(c) consents to withdraw the petition, or to allow it to be dismissed, or the hearing to be adjourned or fails to appear in support of his petition when it is called on in Tribunal on the day originally fixed for the hearing thereof, or any day to which the hearing has been adjourned, or

(d) if appearing, does not apply for an order in terms of the prayer of his petition.

or

where in the opinion of the Tribunal, there is other sufficient cause for an order being made under this rule,

the Tribunal may, by an order, upon such terms as it may think just, substitute as petitioner any creditor or partner who, in the opinion of the Tribunal, would have a right to present a petition, and who is desirous of presenting the petition.

(5) Where a member makes an order substituting a creditor or partner as petitioner in winding up petition, such petitioner shall pay an additional fee equivalent to the half of the amount of the original fee paid in the original petition.

108. Procedure on substitution. – (1) Where the Member makes an order substituting a creditor or partner as petitioner in a winding-up petition, he shall adjourn the hearing of the petition to a date to be fixed by him and direct such amendments of the petition as may be necessary and such creditor or partner shall, within seven days from the making of the order, amend the petition accordingly, and file two clean copies thereof together with an affidavit in duplicate setting out the grounds, on which he supports the petition.

(2) The amended petition shall be treated as the petition for the winding-up of the LLP and shall be deemed to have been presented on the date on which the original petition was presented.

109. Affidavit-in-opposition. – (1) Subject to the rule 28, an affidavit intended to be used in opposition to the petition shall be filed not less than five days before the date fixed for the hearing of the petition, and a copy of the affidavit shall be served on the petitioner or his advocate or pleader or authorized representative forthwith. The Statement of Affairs of the LLP along with the affidavit in opposition in question shall also be filed.

(2) The copies of the affidavit shall also be given to any creditor or partner appearing in support of the petition who may require the same, on payment of the prescribed charges.

110. Affidavit in reply. – Subject to rule 28, an affidavit intended to be used in reply to the affidavit filed in opposition to the petition shall be filed not less than two days before the day fixed for the hearing of the petition, and a copy of the affidavit in reply shall be served on the day of the filing thereof on the person by whom the affidavit in opposition was filed or his advocate or pleader or authorized representative.

Provisional Liquidator

111. Appointment of Provisional Liquidator. – (1) After the admission of a petition for the winding-up of a LLP by the Tribunal, upon the application of a creditor, or a partner, or of the LLP, and upon proof by affidavit of sufficient ground for the appointment of a Provisional Liquidator, subject to rules 27 and 28, the Tribunal, if it thinks fit, and upon such terms as in the opinion of the Tribunal shall be just and necessary, may appoint the Liquidator to be Provisional Liquidator of the LLP pending final orders on the winding-up petition.

(2) Where the LLP is not the applicant, notice of the application for appointment of Provisional Liquidator shall be given to the LLP unless the Tribunal, for special reasons to be recorded (in writing), dispenses with the notice. The order appointing the Provisional Liquidator shall set out the restrictions and limitations, if any, on his powers imposed by the Tribunal. The order shall be in **Form No. 30** with such variations as may be necessary.

112. Rules and procedures applicable to Provisional Liquidator. – The rules and procedures relating to Liquidators shall apply to Provisional Liquidators, so far as applicable, subject to such directions, as the Tribunal may give in each case.

113. Costs, etc. of Provisional Liquidator. – Subject to any order of the Tribunal, all the costs, charges and expenses properly incurred by the Liquidator, as Provisional Liquidator, including such sum as is or would be payable to the Central Government under the scale of fees for the time being in force applicable where the Official Liquidator acts as the Provisional liquidator of the LLP, shall be paid out of the assets of the LLP.

Winding up order

114. Notice to Liquidator of order. – Where an order for the winding-up of a LLP or for the appointment of a Provisional Liquidator has been made, the Registrar of Tribunal shall forthwith send to the Liquidator appointed by the Tribunal notice of the order under the seal of the Tribunal in duplicate in **Form No. 31 or 32**, as the case may be, together with a copy of the petition and the affidavit, if any, filed in support thereof with a copy of Statement of Affairs filed with the petition or at the time of opposition, as the case may be. The concerned Registrar shall also be served with the copy of the order.

115. Contents of winding-up order and order appointing Provisional Liquidator. – An order to wind-up an LLP or for the appointment of a Provisional Liquidator shall contain at the foot thereof a note stating that it will be the duty of such of the persons specified in rule 37 to attend on the Liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

116. Order to be sent to Liquidator and form of order. – (1) The order for winding-up shall be drawn up by the Registrar of Tribunal forthwith, and after it is signed and sealed, two certified copies thereof duly sealed shall be sent to the Liquidator. The order shall be in **Form No 33** with such variations as may be necessary.

(2) Except where the LLP is the petitioner, the Liquidator shall cause a sealed copy of the order to be served upon the LLP by pre-paid registered post or by empanelled courier agency addressed at its registered office (if any), or, if there is no registered office, at its principal or last known principal place of business, or upon such other person or persons or in such manner as the Tribunal may direct.

117. Summons for directions to be taken out by the Liquidator- (1) On receipt of the winding up order, liquidator shall make out a report for direction with regard to the performance by the liquidator of all or any of the duties under rule 41 or any other matter requiring directions of the Tribunal.

(2) The Tribunal after hearing the liquidator may give such directions as it thinks fit in regard to various matters including fixing the time-limits before which the various matters shall be completed by the liquidator subject to time-limits specified under these rules.

118. Directions on making the winding-up order. – At the time of making the winding-up order, or at any time thereafter, the Tribunal shall give directions as to the advertisement of the order and the persons, if any, on whom the order shall be served and the persons, if any, to whom notice shall be given of the further proceedings, in the liquidation, and such further directions as may be necessary.

119. Advertisement of the order. – Save as otherwise ordered by the Tribunal, every order for the winding up of an LLP by the Tribunal, shall within fourteen days of the date of making the order, be advertised by the petitioner in one issue each of a newspaper in the English language and a newspaper in the regional language circulating in the State or the Union territory concerned and shall be served by the petitioner upon such person, if any, and in such manner as the Member may direct. The advertisement shall be in **Form No. 34**.

120. Form of proceedings after winding up order is made. – After a winding up order is made, every subsequent proceeding in the winding up shall bear the original number of the winding up petition, besides its own distinctive number, but against the name of the LLP in the cause-title, the words 'in liquidation' shall appear in brackets.

121. Application for stay of winding up proceedings. – (1) An application for stay of proceedings in the winding up shall be made upon notice to the parties to the winding up

petition and to such other persons as the Tribunal may direct, and where the application is made by any person other than the Liquidator, notice shall be given to the Liquidator.

(2) Where an order is made staying proceedings of winding up, the applicant shall within fifteen days file a certified copy thereof with the Registrar in **Form 10.**

Explanation.- In computing the period of fifteen days from the date of the order, the requisite time for obtaining a certified copy of the order shall be excluded.

122. Application for leave to commence or continue or transfer suits or proceedings.- (1) An application for leave of the Tribunal to commence or continue any suit or proceeding against the LLP shall be made to the Tribunal upon notice to Liquidator and the parties to the suit or proceeding sought to be commenced or continued.

(2) An application for transfer to the Tribunal of any suit or proceeding by or against the LLP pending in any Court (other than in High Court or Supreme Court) or any tribunal shall be made upon the notice to the Liquidator and to the parties to the suit or proceeding sought to be transferred.

123. Notice to submit statement. – A notice by the Liquidator requiring any of the persons mentioned in rule 28 to submit and verify a statement of affairs of the LLP shall be in **Form No. 35** and may be served by the Liquidator forthwith after the order for winding up or the order appointing the Liquidator as Provisional Liquidator is made.

124. Application by Liquidator appointed by Tribunal – (1) The Liquidator may, if required, apply to the Tribunal for an order directing any person, who, in his opinion, is liable to furnish a statement of affairs under rule 28, to prepare and submit such a statement or concur in making the same and notice of the application shall be served on the person against whom the order is sought.

(2) Where the Tribunal makes the order, such order shall be in **Form No. 36** with such variations as may be necessary.

125. Preparation of statement of affairs. – Any person who under rule 28 is required to submit and verify a statement as to the affairs of the LLP shall prepare the statement of affairs on his own cost.

126. Form of the statement. –'(1) The statement as to the affairs of the LLP to be submitted under rule 28 shall be in **Form No.37** and shall be made out in duplicate, one copy of which shall be verified by affidavit.

(2) An affidavit of concurrence in the statement of affairs shall be in **Form No. 38.**

(3) The Liquidator shall cause the verified statement of affairs and the affidavit of concurrence, if any, to be filed in the Tribunal forthwith on submission and completion of the statement of affairs and shall retain the duplicate thereof for his records.

127. Extension of time for submitting statement. – (1) Where any person required to submit a statement of affairs under rule 28 requires an extension of time for submitting the same, he shall apply in the first instance to the Liquidator who may, if he thinks fit, subject to rule 28, give a written certificate extending the time, which certificate shall be filed with the proceedings. The certificate shall be in **Form No. 39**.

128. Partners and Officers of LLP to attend and give information. – The Liquidator may from time to time hold personal interviews with any such person, as is mentioned in rule 28 or rule 37 for the purpose of investigating the LLP's affairs, and it shall be the duty of every such person to attend on the Liquidator at such time and place as the Liquidator may appoint and give the Liquidator all information that he may require and answer all such questions as may be put to him by the Liquidator. The Liquidator shall maintain minutes of the interview held by him or memoranda containing the substance of such interviews.

129. Duty of person making or concurring in statement. – After the statement of affairs of the LLP has been submitted to the Liquidator, it shall be the duty of every person who has made or concurred in making it, if, and when required, to attend on the Liquidator and answer all such questions as may be put to him, and give all such further information as may be required of him by the Liquidator in relation to the statement of affairs.

130. Default in complying with rule 28 – Any default on the part of any person in complying with the requirements of rule 28 shall be reported to the Tribunal by the Liquidator, and the Tribunal may thereupon pass such orders or give such directions as it may think fit.

131. LLP Liquidator in voluntary winding-up to submit statement. – (1) Where before the making of the winding up order the LLP was being wound-up voluntarily, the Liquidator may require any LLP liquidator or liquidators in such winding up to furnish him, not later than fourteen days of his making the requisition, or such other time as he may fix, a statement as to the manner in which the winding up was conducted, how the assets of the LLP were dealt with, and the position of the liquidation on the date of the order for winding up by the Tribunal; and on the requisition being made, it shall be the duty of the LLP liquidator or liquidators so required to furnish the statement within the time limit.

(2) Where the LLP liquidator or liquidators fails to furnish the statement as required under sub-rule (1), the Liquidator may apply to the Tribunal for such directions as may be necessary.

132. Report by Liquidator. – The report to be submitted by the Liquidator under rule 34 shall be in **Form No. 40** with such variations as may be necessary and shall contain the information as specified in rule 34.

133. Inspection of statement and report. – Every creditor or partner, by himself, or by his agent, shall be entitled to inspect the statement of affairs submitted under rule 28 and the report of the Liquidators submitted under rule 34 on payment of a fee as specified in

the Annexure and to obtain copies thereof or extracts therefrom on payment of the specified charges in Annexure.

134. Further report by Liquidator. – (1) Where the Liquidator makes a further report under rule 34(4), such report shall state whether any fraud has been detected subsequent to the submission of report under rule 34(1).

(2) If any such fraud has been detected, the report shall set out the names of the persons by whom the fraud, in his opinion, was committed and the facts on which such opinion is based and the report shall set out in a narrative form the facts and matters which the liquidator desires to bring to the notice of the Tribunal.

135. Consideration of report(s) by the Tribunal. – (1) The consideration of the report (or reports) made by the Liquidator pursuant to rule 34, shall be placed before the Member in Chambers, and the Liquidator shall personally or by counsel attend the consideration thereof and give the Tribunal any further information or explanation with reference to the matters contained therein which the Tribunal may require.

(2) On a consideration of the report (or reports), the Tribunal may pass such orders and give such directions as it may think fit including directions of examination of designated partners, partners, officers and employees past and present of the LLP:

Provided that where the Liquidator makes report(s) under rule 34 containing the fraud committed by the partners or designated partners or officers or employees, of the LLP, the Registrar of Tribunal shall fix a date for the consideration thereof by the Member and notify the date on the notice board of the Tribunal and to the Liquidator.

136. Summons for direction to be taken out by Liquidator- (1) As soon as practicable after the winding up order is made and in any event, not later than seven days after the filing of the report under sub-rule (1) of rule 34, the liquidator shall make a report for direction with regard to the performance by the liquidator of the duties under rule 41, the settlement of list of creditors and settlement of list of partners.

(2) Upon hearing the liquidator, Tribunal may give such directions as it shall think fit in regard to the said matters.

Settlement of list of creditors

137. Fixing a date for proving debts. – Subject to the provisions of the Act and rules made thereunder and in a winding up by the Tribunal, subject to the directions of the Tribunal, the Liquidator in a winding up by the Tribunal shall, and the LLP Liquidator in voluntary winding up may, fix a certain day, which shall be not less than fourteen days from the date of the notice to be given under the rule 138, on or before which the creditors of the LLP are to prove their debts or claims and to establish any title for they may have to priority under preferential payments, or to be excluded from the benefit of any distribution made before such debts or claims are proved, or, as the case may be, from objecting to such distribution.

138. Notice to creditors. – (1) The liquidator shall give not less than fourteen days' notice of the date so fixed by advertisement in one issue of a daily newspaper in the English language and one issue of a daily newspaper in the regional language circulating in the State or Union territory concerned, as he considers suitable.

(2) The advertisements under sub-rule (1) shall be released within thirty days from the date of confirmation of the sale and be in **Form No. 41.**

(3) If the number of creditors do not exceed one hundred, individual notices may be given by letter post under certificate of posting or registered post or any other mode specified in rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 within thirty days from the date of confirmation of the sale or on any earlier date and advertisement in newspapers may be dispensed with.

(4) The Liquidator shall also give not less than fourteen days' notice of the date fixed, in a winding up by the Tribunal, to every person mentioned in the statement of affairs, as a creditor, who has not proved his debt and to every person mentioned in the statement of affairs as a preferential creditor, whose claim to be a preferential creditor has not been established or is not admitted, to the address indicated in the statement of affairs and such notice shall be in **Form No. 42** or **Form No. 43** and shall be sent to each such creditor either by letter post under certificate of posting or registered post or any other mode specified in rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules 2009.

(5) All proceedings and procedures hereinafter set out as to the admission or rejection of proofs shall apply with necessary variations to any claim to priority as a preferential creditor.

139. Proof of debt. – (1) In a winding up by the Tribunal, every creditor shall, subject as hereinafter provided, prove his debt, unless the Member in any particular case directs that any creditors or class of creditors shall be admitted without proof.

140. Mode of proof and verification thereof. – A debt may be proved by delivering or sending by post to the Liquidator, an and if affidavit verifying the debt made by the creditor or by some person authorised by him and if the affidavit is made by a person authorised by the creditor, it shall state the authority and means of knowledge of the deponent. A creditor need not attend upon the investigation unless required to do so by the Liquidator.

141. Contents of proof. – An affidavit proving a debt shall contain or refer to a statement of accounts showing the particulars of the debt, and shall specify the vouchers or bills or contracts or any other material documents, by which the same can be substantiated and shall state whether the creditor is a secured creditor, or a preferential creditor, and if so, shall set out the particulars of the security or of the preferential claims. The affidavit shall be in **Form No. 44**

142. Workmen's wages. – In case where there are numerous claims for wages or accrued holiday remuneration by workmen and others employed by the LLP, it shall be sufficient if one proof in **Form No.45** for all such claims are made by any one of the workman on

behalf of all such workmen. Such proof shall have a schedule annexed thereto setting forth the names of the workmen and others and the amounts severally due to them. Any proof made in compliance with this rule shall have the same effect as if separate proofs had been made by each of the said workmen

143. Value of debts. – The value of all debts and claims against the LLP shall, as far as possible, be estimated according to the value thereof at the date of the order of the winding up of the LLP or at the date of passing of such resolution, where before the presentation of the petition for winding up, a resolution has been passed by the LLP for voluntary winding up.

144. Interest. – On any debt or certain sum payable at a certain time or otherwise, whereon interest is not reserved or agreed for, and which is overdue at the date of the winding up order, or at the date of passing of the resolution, as the case may be, the creditor may prove for interest at a rate not exceeding the prime lending rate fixed by the Reserve Bank of India upto that date from the time when the debt or sum was payable, if the debt or sum is payable by virtue of a written instrument at a certain time, and if payable otherwise, then from the time when a demand in writing has been made by giving notice that interest will be claimed from the date of demand until the time of payment.

145. Periodical payments. – When any rent or other payment falls due at any stated period, and the order or resolution to wind up is made at any time other than one of those periods, the persons entitled to the rent or payment may prove for a proportionate part thereof up to the date of winding up order or resolution as if the rent or payment accrued due from day to day:

Provided that where the Liquidator remains in occupation of the premises demised to a LLP which is being wound up, nothing herein contained shall prejudice or alter the right of the landlord of such premises to claim payment by the LLP, or the liquidator, of rent during the period of the LLP's or liquidator's occupation.

146. Proof of debt payable at a future time. – A creditor may prove for a debt not payable at the date of the winding up order or at the date of passing of resolution, as if it were payable presently, and may receive distributable sums equally with the other creditors, deducting only thereout a rebate of interest at the rate of four per cent per annum computed from the date of declaration of the distributable sum to the time when the debt would have become payable according to the terms on which it was contracted.

147. Examination of proof. – The Liquidator shall examine every proof of debt lodged with him and the grounds of the debt. He may call for the production of the vouchers or bills or contracts or other material document, if any referred to in the affidavit of proof or require further evidence in support of the debt. If he requires further evidence, or requires that the creditor should attend the investigation in person, he shall fix a day and time at which the creditor is required to attend or to produce further evidence and send a notice to such creditor in **Form No. 46** by a registered post or through empanelled courier agency or other mode specified in rule 15 of Limited Liability Partnership Rules, 2009, so as to reach him not later than seven days before the date fixed.

148. Liquidator's right to summon any person in connection with the investigation. (1) The Liquidator in a winding up by the Tribunal may summon any person whom he may deem capable of giving information in respect of the debts to be proved in liquidation and may require such person to produce any documents in his custody or control relating to such debts and shall tender, with the summons such sum as appears to the Liquidator sufficient to defray the traveling and other expenses of the person summoned for one day's attendance.

(2) Where the person summoned under sub-rule (1) fails without lawful excuse to attend or produce any documents in compliance with the summons or avoids or evades service, the Liquidator may apply to the Tribunal for such orders as may be deemed fit for the attendance of such person and the production before him of such documents as may be required, or for other appropriate orders.

149. Oaths. – For the purpose of his duties in relation to the admission of proof of debts, the Liquidator may administer oaths and take affidavits.

150. Costs of proof. – Unless otherwise ordered by the Member, a creditor shall bear the costs of proving his debt.

151. Acceptance or rejection of proof to be communicated. – After such investigation as he may think necessary, the liquidator shall in writing admit or reject the proof in whole or in part and every decision of the Liquidator accepting or rejecting a proof, either wholly or in part, shall be communicated to the creditor concerned by letter post under certificate of posting or registered post where the proof is admitted and by registered post or through empanelled courier agency for acknowledgement where the proof is rejected wholly or in part within forty-five days from the last date fixed for proving the debts, provided that it shall not be necessary to give notice of the admission of a claim to a creditor who has appeared before the Liquidator and the acceptance of whose claim has been communicated to him or his agent in writing at the time of acceptance. Where the Liquidator rejects a proof, wholly or in part, he shall state the grounds of the rejection to the creditor in **Form No. 47**. Notice of admission of proof shall be **Form No.48.**

152. Appeal by creditor. – If a creditor is dissatisfied with the decision of the Liquidator in respect of his proof, the creditor may, not later than twenty-one days from the date of service of the notice upon him of the decision of the Liquidator, appeal to the Tribunal against the decision. The appeal shall be supported by an affidavit which shall set out the grounds of such appeal, and notice of the appeal shall be given to the Liquidator.

153. Procedure where creditor appeals. – (1) The liquidator shall, upon receiving notice of the appeal against a decision rejecting a proof wholly or in part, under rule 151, file with the Registrar of Tribunal such proof with the order containing the grounds of rejection.

(2) It shall be open to any creditor or partner to apply to the Tribunal for leave to intervene in the appeal, and the Tribunal may, if it thinks fit, grant the leave subject to such terms and conditions as may be just and where leave has been granted notice of the hearing of the appeal shall be given to such creditor or partner.

154. Liquidator not to be personally liable for costs. – The Liquidator shall in no case be personally liable for costs in relation to an appeal from his decision rejecting any proof wholly or in part.

155. Proofs and list of creditors to be filed in Tribunal. – (1) In a winding up by the Tribunal, the Liquidator shall, within two months from the last date fixed for proving the debts, file in Tribunal a certificate in **Form No.49** containing a list of the creditors who submitted proofs of their claims in pursuance of the advertisement and the notices referred to in rule 138, the amounts of debt for which they claimed to be creditors, distinguishing in such list the proofs admitted wholly, the proofs admitted or rejected in part and the proofs wholly rejected. The proofs, with the memorandum of admission or rejection of the same in whole or in part, as the case may be, endorsed thereon, shall be filed in Tribunal along with the certificate.

156. List of creditors not to be varied. – The list as certified by the Liquidator and filed in Tribunal shall be the list of the creditors of the LLP, and shall not be added to or varied except in accordance with orders of Tribunal. Where an order is made adding to or varying the list of creditors, the Liquidator shall amend the list in accordance with such order.

157. Notice of filing the list and inspection of the same. – Upon the filing of the certificate containing the list of creditors as settled by the Liquidator, the Registrar of Tribunal shall notify the filing thereof on the notice board of the Tribunal and the certificate and the list of creditors as settled and the proofs relating thereto shall be open to the inspection of every creditor or partner on payment of a fee specified in Annexure.

158. Expunging of proof. – (1) If after the admission of a proof, the Liquidator has reason to think that the proof has been improperly admitted or admitted by a mistake, he may apply to the Tribunal upon notice to the creditor who made the proof, to expunge the proof or reduce its amount, as the case may be.

(2) Any creditor or partner may also apply to the Tribunal to expunge a proof or reduce the amount thereof, if the Liquidator declines to move in the matter, and on such application, the Tribunal may pass such orders as it may think just.

159. Payment of subsequent interest. – In the event of there being a surplus after payment in full of all the claims admitted to proof, creditors whose proofs have been admitted shall be paid interest from the date of the winding up order or of the resolution, as the case may be, up to the date of the declaration of the final distributable sum, at a rate not exceeding the prime lending rate fixed by RBI on the admitted amount of the claim, after adjusting against the said amount the distributable sums as on the date of the declaration of each distributable sum.

160. Provisional list of partners. – (1) Subject to the Act and the rules, in the event of there being a surplus after payment to creditors in full of the claims admitted to proof and the subsequent interest under rule 159, the partners are entitled for return of asset. Unless the Tribunal dispenses with the settlement of a list of partners, the Liquidator shall prepare

and file in the Tribunal not later than fifteen days after the date of the confirmation of the sale, a provisional list of partners of the LLP with their names and addresses, the amount of contribution and such list shall be in **Form No 50.**

161. Notice to be given of date of settlement of list. – (1) Upon the filing of the provisional list under rule 160, the Liquidator shall, fix a date not later than one month from the date of the filing of the provisional list for the settlement of the list before him, and shall give notice thereof to every person included in such list, stating in such notice amount of contribution. Such notice shall be in **Form No.51** and shall be sent by letter post under certificate of posting or registered post or any other mode specified in rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009, to every person included in the list at the address mentioned therein so as to reach him in the ordinary course of post not later than fourteen days before the date fixed for the settlement.

162. Settlement of the list. – On the date fixed for the settlement of the list, the Liquidator shall hear any person who objects to being settled as a partner or to being settled as a partner in such character or for such amount of contribution mentioned in the provisional list, and after such hearing, shall finally settle the list. The list when so settled shall be the list of partners of the LLP.

163. Certificate of final settlement of the list to be filed in Tribunal. – Within seven days after the settlement of the list, the Liquidator shall file in Tribunal a certificate of the list of partners as finally settled by him under rule 162. Such certificate shall be in **Form No. 52.**

164. Notice to partners. – Upon the filing of the certificate of the list of partners, the Liquidator shall forthwith give notice to every person placed on the list of partners as finally settled, stating amount of contribution and in the notice he shall inform such person that any application for the removal of his name from the list or for a variation of the list, must be made to the Tribunal within twenty-one days from the date of service on the partner of such notice. Such notice shall be in **Form No. 53** and shall be sent to each person settled on the list by letter post under certificate of posting or registered post or any other mode specified in rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009, at the address mentioned in the list as settled.

165. Application by Liquidator for rectification of list. – If after the settlement of the list of partners, the Liquidator has reason to think that a partner who had been included in the provisional list has been improperly or by mistake excluded or omitted from the list of partners as finally settled or that the character in which or the amount of contribution or extent of interest for which he has been included in the list as finally settled or any other particular contained therein requires rectification in any respect, he may, upon notice to the partner concerned, apply to the Tribunal for such rectification of the list as may be necessary and the Tribunal may, on such application, rectify or vary the list as it may think fit.

166. Application by partner to vary the list. – Subject to the powers of the Tribunal to extend the time or to allow an application to be made notwithstanding the expiration of the time limit for that purpose, no application to the Tribunal by any person who objects to his

being settled on the list of partners as finally settled by the Liquidator shall be entertained after the expiration of twenty-one days from the date of service on such person of the notice of the settlement of the list of partners. An order varying such a list of partners shall be in **Form No. 54.**

167. Liquidator not to be personally liable for costs. – The Liquidator shall not in any case be personally liable to pay any costs of, or in relation to, an application to set aside or vary his act or decision settling the name of a person on the list of partners of a LLP.

MEETINGS OF CREDITORS OR PARTNERS IN A WINDING UP BY TRIBUNAL AND OF CREDITORS IN A VOLUNTARY WINDING UP

168. 'Tribunal meetings', 'Liquidator's meetings' and 'Voluntary Liquidation meetings'. – (1) In addition to the meeting of creditors or partners which may be directed to be held by the Tribunal under rule 61, hereinafter referred to as 'Tribunal meetings' of creditors or partners, the Liquidator may, in a winding up by the Tribunal, as and when he thinks fit, summon and hold meetings of the creditors or partners, hereinafter referred to as 'Liquidator's meetings' of creditors or partners, for the purpose of ascertaining their wishes in all matters relating to the winding up and such meetings shall be summoned, held and conducted in the manner provided by these rules and subject to the control of the Tribunal.

(2) In a voluntary winding up, the LLP liquidator may himself from time to time summon, hold and conduct meetings of creditors for the purpose of ascertaining their wishes in all matters relating to the winding up. Such meetings and all meetings of creditors which an LLP or an LLP liquidator is by the Act or the rules required to convene in or immediately before such a voluntary winding up and all meetings convened by a creditor in a voluntary winding up under the rules are hereinafter called 'voluntary liquidation meeting'.

169. Application of rules to meetings. – Except where and so far as the nature of the subject matter or the context may otherwise require, the procedures as to meetings as hereinafter set out shall apply to 'Tribunal meetings', 'Liquidator's meetings' of creditors or partners and 'voluntary liquidation meetings', provided that in the case of 'Tribunal meetings', the rules shall apply only subject to any directions given by the Tribunal.

170. Notice of meeting. – (1) Unless otherwise stated elsewhere in the rules, the LLP liquidator or liquidator shall summon all meetings of creditors or partners, as the case may be, by giving not less than fourteen days notice of the time and place appointed for the meeting by advertisement in one daily newspaper in the English language and one daily newspaper in the regional language circulating in the State or Union territory concerned as the LLP liquidator or liquidator may consider suitable, and by sending individually to every creditor of the LLP notice of the meeting of creditors, and to every partner of the LLP notice of the meeting of partners by registered or speed post or other mode specified under rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules 2009 so as to reach such person not less than fourteen days before the date fixed for the meeting. Where the creditors or partners are one hundred or less than one hundred, it shall not be necessary to give notice by advertisement but individual notices shall be issued.

(2) The notice to each creditor shall be sent to the address given in his proof, if any, submitted or, if he has not proved, to the address given in the statement of affairs, or, if there is no statement of affairs, to the address given in the books of the LLP, or to such other address as may be known to the person summoning the meeting. The notice to each partner shall be sent to the address mentioned in the books of the LLP or Statement of Affairs as the address of such partner or to such other address as may be known to the person summoning the meeting.

(3) In the case of meetings to fill vacancy in office of LLP liquidator, the continuing LLP liquidator, or if there is no continuing LLP liquidator, as the case may be, any creditor may summon the meeting.

(4) The notices shall be in such of the **Form Nos. 55, 55A, 55B, 55C and 55D** as may be appropriate.

(5) This rule shall not apply to meeting of partners under rule 5 and of creditors, under rule 8 and final meeting for dissolution.

171. Place and time of meeting. – Every meeting shall be held at such place and time as the person convening the same considers most convenient for the majority of the creditors or partners or both. Different times or places or both may, if thought fit, be appointed for the meetings of creditors and the meetings of partners.

172. Notice of first or other meeting to the officers of LLP. – (1) In a winding up by the Tribunal, the Liquidator shall also give to each of the officers of the LLP, who in his opinion ought to attend the first or any other meeting of creditors, fourteen days' notice of the time and place appointed for such meeting. The notice may either by delivered personally or sent by registered or speed post or other modes as specified in rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules 2009 as may be convenient.

(2) It shall be the duty of every officer who receives notice of such meeting to attend if so required by the Liquidator, and if any such officer fails to attend the Liquidator may report such failure to the Tribunal. Such notice shall be in **Form No.56.**

(3) The Liquidator, if he thinks fit, may, instead of requiring any of the officer of the LLP to attend the meeting under sub-rule (1), require such officer to answer any interrogatories or to furnish in writing any information that he may require for purposes of such meeting, and if such officer fails to answer the interrogatories or furnish such information, he shall report such failure to the Tribunal.

173. Proof of notice. – An affidavit by the Liquidator, or by any person who sent the notices, that such notices have been duly sent, shall be sufficient evidence of the notices having been sent to the persons to whom the same were addressed. In the case of Tribunal meetings, the affidavit shall be filed in Tribunal and in the case of Liquidator's meetings, the affidavit shall be filed with the Liquidator. Such affidavit shall be in **Form No.57.**

174. Costs of calling meetings at the instance of creditor or partner. – (1) Where a creditor or partner requests the LLP liquidator or liquidator to convene a meeting, the LLP

liquidator or liquidator may require such creditor or partner to deposit as a condition precedent thereto a sum sufficient for the costs thereof, to be computed as hereinafter provided; and on any application to the Tribunal by a creditor or partner to direct the LLP Liquidator or liquidator to convene a meeting, the Member may, if he thinks fit, require the applicant to deposit a similar sum for such costs and such sum shall include all disbursements necessary to be made for printing, stationery, postage and hire of room, to be calculated at the rate of Rs.200 for each creditor or partner up to the first 25 creditors or partners, Rs. 150/- for each creditor or partner for the next 75 creditors or partners, Rs. 100/- for each creditor or partner above the first 100 creditors or partners. The sum so deposited shall be repaid to the person depositing the same out of the assets of the LLP, if the Tribunal shall by order, or if the creditors shall by resolution in voluntary winding up, so direct.

(2) This rule shall not apply to meetings to be summoned by the Liquidator under rule 43 or a meeting summoned at the instance of a creditor for filling the vacancy of the LLP liquidator occurs by death, resignation or otherwise.

175. Chairman of meeting. – Where a meeting is summoned by the LLP liquidator or the liquidator, the LLP liquidator or the liquidator or some person nominated by him, shall be the Chairman of the meeting. The nomination shall be in **Form No. 58.** At every other meeting of creditors or partners, not being Tribunal meetings of creditors and partners, the Chairman shall be such person as the meeting by resolution shall appoint. This procedure shall not apply to meetings of partners under rule 5 and of creditors under rule 8.

176. Resolution at creditors' meeting. – At a meeting of creditors, a resolution shall be deemed to be passed, when a majority in value of the creditors present personally or by proxy and voting on the resolution has voted in favour of the resolution. In a winding-up by the Tribunal, the value of a creditor, shall, for the purpose of a first meeting of the creditors, be deemed to be the value as shown in the books of the LLP, or the amount mentioned in his proof, whichever is less, and for the purpose of any other meeting, the value for which the creditor has proved his debt or claim.

177. Resolution of partners' meeting. – At a meeting of partners, a resolution shall be deemed to be passed when a majority in number of the partners present personally or by proxy and voting on the resolution have voted in favour of the resolution.

178. Copies of resolutions to be filed. – In a winding-up by the Tribunal, the Liquidator shall file in Tribunal a copy certified by him of every resolution passed at a meeting of creditors or partners. The Registrar of Tribunal shall keep in each case a file of such resolution.

179. Non-receipt of notice by a creditor or partner. – Where a meeting of creditors or partners is summoned by notice, the proceedings and resolutions at the meeting shall, unless the Tribunal otherwise orders, be valid notwithstanding that some creditors or partners may not have received the notice sent to him.

180. Adjournment. – The Chairman may, with the consent of partners or creditors present in the meeting, adjourn it from time to time, but the adjourned meeting shall be held at the same place as the original meeting unless in the resolution for adjournment another place is specified or unless the Tribunal otherwise orders. No adjournment should be granted unless there are compelling circumstances that are recorded in speaking order to be passed by the chairman.

181. Quorum. – A meeting may not act for any purpose except for adjournment thereof unless there are present or represented thereat in the case of a creditors' meeting at least two creditors entitled to vote if there are more than 2 or in the case of a meeting of partners at least two partners.

182. Procedure in the absence of quorum. – If, within half an hour from the time appointed for the meeting, a quorum of creditors or partners, as the case may be, is not present or represented, the meeting shall be adjourned to the same day in the following week at the same time and place, or to such other day, or time or place as the chairman may appoint, but the day appointed shall be not less than seven or more than fourteen days from the day from which the meeting was adjourned. If at such adjourned meeting, a quorum be not present, two creditors or partners present in person shall form a quorum and may transact the business for which the meeting was convened.

183. When creditor can vote. – In the case of a meeting of creditor or any adjournment thereof a person shall not be entitled to vote as a creditor unless he has duly lodged with the Liquidator not later than the time mentioned for that purpose in the notice convening the meeting, a proof of the debt which he claims to be due to him from the LLP. In the case of other meetings of creditors a person shall not be entitled to vote as a creditor unless he has lodged with the Liquidator a proof of the debt which he claims to be due to him from the LLP and such proof has been admitted wholly or in part before the date on which the meeting is held:

Provided that this rule shall not apply to any creditors or class of creditors who by virtue of these rules or any directions given thereunder are not required to prove their debts, or to any voluntary liquidation meetings.

184. Cases to which creditors may not vote. – A creditor shall not vote in respect of any unliquidated or contingent debt or any debt the value of which is not ascertained, nor shall a creditor vote in respect of any debt on or secured by a current bill of exchange or promissory note held by him unless he is willing to treat liability to him thereon of every person who is liable thereon antecedently to the LLP, and against whom no order of adjudication has been made, as a security in his hands, and to estimate the value thereof, and for the purposes of voting, but not for purposes of distributable sum, to deduct it from his proof.

185. When secured creditor can vote and effect of voting. – (1) For the purposes of voting at a meeting, in a winding-up by the Tribunal, a secured creditor shall, unless he surrenders his security, state in his proof the particulars of his security, the date when it was given and the value at which he assesses it, and shall be entitled to vote only in respect of the balance due to him, if any, after deducting the value of his security.

(2) For the purpose of voting at any voluntary liquidation meeting, a secured creditor shall, unless he surrenders his security, lodge with the LLP liquidator, or where there is no LLP liquidator, at the registered office of the LLP, before the meeting, a statement giving the particulars of his security, the date when it was given and the value at which he assesses it, and shall be entitled to vote only in respect of balance due to him, if any, after deducting the value of his security.

(3) If a secured creditor votes in respect of his whole debt he shall be deemed to have surrendered his security, unless the Tribunal on application is satisfied that the omission to value the security was due to inadvertence.

186. Procedure when secured creditor votes without surrendering security. – The liquidator may within twenty-eight days from the date of the meeting at which a secured creditor voted on the basis of his valuation of the security, require him to give up the security for the benefit of the creditors generally on payment of the value so estimated by him, and may, if necessary, apply to the Tribunal for an order to compel such creditor to give up the security:

Provided that the Tribunal may, for good cause shown, permit a creditor to correct his valuation before being required to give up the security, upon such terms as to costs as the Tribunal may consider just.

187. The procedure for voting by the creditors specified in rules 183 to 186 shall not apply to a Tribunal meeting of creditors.

188. Admission or rejection of proofs for purposes of voting. – The chairman shall have power to admit or reject a proof for the purpose of voting, but his decision shall be subject to appeal to the Tribunal. If he is in doubt whether a proof shall be admitted or rejected, he shall mark it as objected to and allow the creditor to vote subject to the vote being declared invalid in the event of the objection being sustained.

189. Report of Tribunal meetings. – Where a meeting is summoned under the direction of the Tribunal, the Chairman shall, within the time fixed by the Tribunal, or if no time is fixed, within seven days of the conclusion of the meeting, report the result thereof to the Tribunal. Such report shall be in **Form No. 59.**

190. Minutes of proceedings. – (1) The chairman shall cause minutes of the proceedings at the meeting to be drawn up and fairly entered in the book and the minutes shall be signed by him or by the chairman of the next meeting.

(2) A list of creditors and partners present at every meeting shall be made and kept as in **Form No.60**.

PROXIES IN RELATION TO MEETINGS IN WINDING-UP BY TRIBUNAL AND TO MEETINGS OF CREDITORS IN A VOLUNTARY WINDING-UP.

191. Voting by proxies. – A creditor or partner may vote either in person or by proxy. Where a person is authorised to represent a body corporate at any meeting of creditors or partners, such person shall produce to the Liquidator or the LLP liquidator in the case of meetings after the winding up of the LLP or in any other meeting the chairman of the meeting a copy of the resolution so authorizing him. Such copy must be certified to be a true copy by a director, the manager, the secretary or designated partner or other officer of the body corporate duly authorised in that behalf, who shall certify that he is so authorised.

192. Form of proxies. – A creditor or partner may give a general proxy or a special proxy to any person. A general proxy shall be in **Form No.61** and a special proxy in **Form No. 61A.**

193. Proxies to Liquidator or Chairman. – A creditor or partner in a winding up by the Tribunal may appoint the Liquidator, and in a voluntary winding up, the LLP liquidator, or if there is no LLP liquidator, some person under his official control to act as his general or special proxy.

194. Use of proxies by deputy. – Where an Liquidator who holds any proxies cannot attend the meeting for which they are given, he may in writing depute some person under his official control to use the proxies on his behalf and in such manner as he may direct.

195. Forms to be sent with notice. – Forms of proxies shall be sent to the creditors and partners with the notice summoning the meeting. No name shall be inserted or printed in the form before it is sent.

196. Proxies to be lodged. – A proxy shall be lodged not later than forty-eight hours before the meeting at which it is to be used, with the Liquidator in a winding-up by the Tribunal and with the LLP liquidator in voluntary winding up, or if there is no LLP liquidator, with the person named in the notice convening the meeting to receive the same, in a voluntary winding-up.

197. Holder of proxy not to vote on matter in which he is financially interested. – No person acting either under a general or special proxy, shall vote in favour of any resolution which would directly or indirectly place himself, his partner or employer in a position to receive any remuneration out of the assets of the LLP otherwise than as a creditor ratably with the other creditors of the LLP.

198. Minor not to be appointed proxy. – No person shall be appointed as a general or special proxy who is a minor.

199. Filling in proxy where creditor or partner is blind or incapable. – The proxy of a creditor or a partner, who is blind or incapable of writing, may be accepted if such creditor or partner has attached his signature or mark thereto in the presence of a witness who shall add to his signature his description and address:

Provided that all insertions in the proxy are in the handwriting of the witness and such witness shall have certified at the foot of the proxy that all such insertions have been

made by him at the request and in the presence of the creditor or partner before he attached his signature or mark.

200. Proxy of person not acquainted with English. – The proxy of a creditor or partner who does not know English may be accepted if it is executed in the manner specified in rule 199 and the witness certifies that it was explained to the creditor or partner in the language known to him, and gives the creditor's or partner's name in English below the signature.

ATTENDANCE AND APPEARANCE OF CREDITORS AND PARTNERS

201. Attendance proceedings. – (1) Save as otherwise provided or by an order of Tribunal, every person for the time being on the list of partners of the LLP and every creditor whose debt has been admitted by Liquidator wholly or in part shall be at liberty at his own expense to attend the proceedings before the Tribunal or before the Liquidator and shall be entitled upon payment of the costs occasioned thereby to have notice of all such proceedings as he shall, by request in writing addressed to the Liquidator, desire to have notice of; but if the Tribunal is of the opinion that the attendance of any such person has occasioned any additional costs which ought not to be borne by the funds of the LLP, it may direct such costs or a gross sum in lieu thereof to be paid by such person and such person shall not be entitled to attend any further proceedings until he had paid the same.

(2) No partner or creditor shall be entitled to attend any proceedings before the Member, unless and until he or an Advocate or pleader or authorized representative on his behalf has filed an appearance with the Registrar of Tribunal. The Registrar of Tribunal shall keep an "Appearance Book" in which all such appearances shall be entered. Such book shall be open to the inspection of the Liquidator.

202. Representation of creditors and partners before Tribunal. – The Tribunal may, if it thinks fit, appoint from time to time any one or more of the creditors or partners to represent before the Tribunal at the expense of the LLP all or any class of creditors or partners upon any question or in relation to any proceedings before the Tribunal, and may remove any person so appointed, if more than one person is appointed under this rule to represent one class, the persons so appointed, shall employ the same advocate or pleader or same authorized representative to represent them, and where they fail to agree as to the advocate or the authorized representative to be employed, the Member may nominate an advocate or pleader for them.

COLLECTION AND DISTRIBUTION OF ASSETS IN A WINDING-UP BY TRIBUNAL

203. Powers of Liquidator. – The duties imposed on the Tribunal with regard to the collection of the assets of the LLP and the application of the assets in discharge of the LLP's liabilities shall be discharged by the Liquidator as an officer of the Tribunal subject to the control of the Tribunal.

204. Liquidator to be in the position of a receiver. – For the discharge by the Liquidator of the duties under rule 41 and exercise of the powers under rule 203, the

Liquidator shall, for the purpose of acquiring and retaining possession of the property of the LLP, be in the same position as if he were a Receiver of the property appointed by the Tribunal, and the Tribunal may on his application enforce such acquisition or retention accordingly.

205. LLP's property to be surrendered to Liquidator on requisition. –Any partner for the time being on the list of partners, trustee, receiver, banker or agent or officer of a LLP which is being wound-up under order of the Tribunal, shall on notice from the Liquidator and *within such time as he shall by notice require, pay, deliver, convey, surrender or* transfer to or into the hands of the Liquidator any money, property or documents, books or papers which happen to be in his hands for the time being and to which the LLP is *prima facie* entitled. Where the person required to do so fails to comply with the notice, the Liquidator may apply to the Tribunal for appropriate orders. The notice shall be in **Form No 62.**

MONIES DUE FROM PARTNERS IN A WINDING UP BY THE TRIBUNAL INCLUDING OUTSTANDING CONTRIBUTION, ETC.

206. Liquidator to realize unrealized contribution etc. – Notwithstanding any charge or encumbrance on the contribution, the Liquidator shall alone be entitled to recover from any partner, the obligation to contribute but not contributed or to realize the unrealized or outstanding contribution in respect of contracts for services to be performed or agreement to contribute or in any other event. Such recovery shall be deemed to be collection of the assets of the LLP free from charge.

207. Service of notice of demand. –The Liquidator shall serve under registered or speed post or other modes as specified in rule 15 of the Limited Liability Partnership Rules 2009, demand notice of not less than fourteen days in **Form No.63** specifying the amount due from such partner.

208. Order for payment of demand. – In case where the partner fails to make the payment, the Liquidator may apply to the Tribunal for an order against any partner or partners for payment of moneys due on the demands made by him. The application shall be made by summons in **Form No. 64** and shall be supported by an affidavit in **Form No. 65**. Notice of the application together with a copy of the affidavit shall be served on the partner by registered post for acknowledgement or through empanelled courier agency not less than fourteen days before the date fixed for the hearing of the summons. The order for payment shall be in **Form No. 66.**

209. Other moneys due by partners. – When any money is due to the LLP from a partner or from the estate of the person whom he represents, other than moneys due on demands made subsequent to the winding-up on unrealized, unrecovered or outstanding contribution, the Liquidator may make an application to the Tribunal supported by an affidavit for an order against such partner for the payment of such moneys. Notice of the application shall be given to such partner by registered post or through empanelled courier agency not less than fourteen days prior to the date fixed for the hearing of the application.

EXAMINATION OF PERSON SUSPECTED OF HAVING PROPERTY OF LLP ETC AND EXAMINATION OF PARTNERS,DESIGNATED PARTNERS, OFFICERS ETC IN CONNECTION WITH THE FRUAD ETC .

210. Application for examination of persons suspected of having property, etc. – (1) An application for the examination of any officer of the LLP or person known or suspected to have in his possession any property or books or papers of the LLP or known or suspected to be indebted to the LLP or any person whom the Tribunals deem capable of giving information concerning the formation, trade, dealings, property, book or papers or affairs of the LLP may be made *ex parte*, provided that where the application is made by any person other than the Liquidator, notice of the application shall be given to the Liquidator.

(2) The summons shall be in **Form No.67** and, where the application is by the Liquidator, it shall be accompanied by a statement signed by him setting forth the facts on which the application is based. Where the application is made by a person other than the Liquidator, the summons shall be supported by an affidavit of the applicant setting forth the matters in respect of which the examination is sought and the grounds, relied on in support of the summons.

211. Directions at hearing of summons. – Upon the hearing of the summons the Member may, if satisfied that there are grounds for making the order, make an order directing the issue of a summons against the person named in the order for his examination and/or for the production of documents. Unless the Member otherwise directs, the examination of such person shall be held in Chambers. The order shall be in **Form No.68**.

212. Examination on commission or by interrogation. – The Tribunal may, if it thinks fit, instead of issuing a summons to any person for his appearance before the Tribunal for examination, issue a commission to any person or authority authorized by the Tribunal within whose jurisdiction such person resides for the examination or make an order for his examination by interrogatories, as the Tribunal may think fit.

213. Service of the summons. – The summons issued in pursuance of the order shall be in **Form No.69** and shall be served on the person to be examined not less than seven days before the date fixed for the examination. When the summons is served in person there shall be paid or tendered to the person summoned along with the summons a reasonable sum for his expenses to be fixed by the Member or Registrar of Tribunal with due regard to the scale of fees in force in the Tribunal. When the summons is served by registered or speed post, such sum shall be sent to such person by any other manner.

214. Conduct of the examination. – (1) The Liquidator shall conduct an examination. However, the Tribunal may, if for any reasons it thinks fit to do so, entrust the conduct of the examination to any partner or creditors. Where the conduct of the examination is entrusted to any person other than the Liquidator, the Liquidator shall nevertheless be entitled to be present at the examination in person or by advocate or by authorized representative, and may take notice of the examination for his own use and put such questions to the person examined as the Tribunal may allow.

(2) Save as provided in sub-rule (1), no person shall be entitled to take part in an examination except the Liquidator and his advocate, but any person examined shall be entitled to have the assistance of his advocate, who may re-examine the witness:

Provided that the Tribunal may permit, if it thinks fit, any creditor or partner to attend the examination subject to such conditions as it may impose.

(3) Notes of the examination may be permitted to be taken by the witness or any person on his behalf on his giving an undertaking to the Tribunal that such notes shall be used only for the purpose of the re-examination of the witness. On the conclusion of the examination, the notes shall, unless otherwise directed, be handed over to the Tribunal for destruction.

215. Notes of the deposition. – (1) The notice of the deposition of a person examined shall be signed by such person and shall be lodged in the office of the Registrar of Tribunal. But the notes shall not be open to the inspection of any creditor, partner or other person, except the Liquidator, nor shall a copy thereof or extract therefrom be supplied to any person other than the Liquidator, save upon orders of Tribunal.

(2) The Tribunal may from time to time give such general or special directions as it shall think expedient as to the custody any inspection of such notes and the furnishing of copies thereof of extracts therefrom.

216. Order for public examination of partners, designated partners, officers etc in connection with fraud etc- (1) Where an order is made for the examination of any person or persons, the examination shall be held before the Member, the Member may direct that the whole or any part of the examination of any such person or persons, be held before any of the officers as may be mentioned in the order. Where the date of the examination has not been fixed by the order, the Liquidator shall take an appointment from the Member, or officer before whom the examination is to be held as to the date of the examination. The order directing a public examination shall be in **Form No. 70.**

(2) The Member may, if he thinks fit, either in the order for examination or by any subsequent order, give directions as to the specific matters on which such person is to be examined.

217. Notice of public examination. – Not less than seven clear days before the date fixed for the examination, the Liquidator shall give notice thereof to the creditors and partners of the LLP by advertisement in **Form No.71**, in such newspapers as the Member shall direct, and shall within the same period, serve, either personally or by registered or speed post or through empanelled courier agency, on the person or persons to be examined, a notice in **Form No.72**, of the date and hour fixed for the examination and the officer before whom it is to be held, together with a copy of the order directing the examination. Where a public examination is adjourned, it shall not be necessary to advertise the adjournment or serve notice thereof unless otherwise ordered.

218. Adjournment of public examination to Tribunal. – Where on an examination held before an officer appointed by the Member, such officer is of the opinion that the examination is being unduly or unnecessarily protracted or, for any other sufficient cause, he is of the opinion that the examination should be held before the Member, such officer may adjourn the examination of any person, or any part of the examination to be held before the Member and submit his report to the Member. The Member may thereupon hold the examination himself or pass such orders as he may think fit.

219. Procedure for contumacy. – (1) If a person examined before an officer appointed by the Member refuses to answer to the satisfaction of such officer any question which he may put or allow to be put, such officer shall report such refusal to the Member and upon such report being made, the person in default shall be dealt with in the same manner as if he had made default in answering before the Member.

(2) The report shall be in writing and shall set forth the question or questions put and the answer or answers given (if any) by the person examined, and the officer shall notify the person examined of the date when he should attend before the Member. The report shall be in **Form No.73**. Upon receiving the report, the Member may take such action thereon as he shall think fit.

220. Notes of Examination. – The notes of every public examination shall, after being signed, form part of the records of winding up. The Liquidator, the person examined and any creditor or partner of the LLP, shall be entitled to obtain a copy thereof from the Tribunal on payment of the prescribed charges.

221. Shorthand notes of examination under above rules– In respect of any examination, the Tribunal may order that the evidence be taken down in shorthand. Where such order is made, the Member or the officer before whom the evidence is taken shall nominate a person to take down the evidence and the costs, if any, occasioned thereby shall be paid out of the assets of the LLP. The shorthand note of the examination shall be transcribed and the transcript shall be read over to or by the person examined, and signed by him.

222. Application by any person under examination for fraud, etc. to be exculpated. – An application by any person ordered to be exculpated from any charges made or suggested against him, shall be made upon notice to the Liquidator and to such other persons as the Tribunal may direct.

223. Default in attending examination. - (1) If any person who has been directed by the Tribunal to attend for examination fails to attend at the time and place appointed for holding or processing with the same and no good cause is shown by him for such failure, or if before the day appointed for such examination, the Liquidator satisfies the Tribunal that such person has absconded or that there is reason to believe, that he is about to abscond with the view of avoiding the examination, the Tribunal may, if satisfied that notice of the date and hour fixed for the examination was duly served on such person, make such orders as may be deemed fit.

224. Public examination in connection with fraud etc. - Where, in a voluntary winding-up, an order is made for the public examination of any of the persons in connection with fraud, etc., the procedures relating to a public examination in a winding-up by the Tribunal shall apply *mutatis mutandis* in respect of such examination.

APPLICATION AGAINST DELINQUENT PARTNERS, DESIGNATED PARTNERS AND OFFICERS OF THE LLP

225. Applications in connection with Liability for fraudulent conduct of business or to assess damages against delinquent partners, etc. – An application shall be made by a summons returnable in the first instance in chambers. The summons shall state the nature of the declaration or order for which the application is made, and the grounds of the application, and shall be served on every person against whom an order is sought not less than seven days before the day named in the summons for the hearing of the application. It shall not be necessary to file any affidavit or report before the return of the summons. The summons shall be in **Form No. 74 or 74A** with such variations as may be necessary.

226. Directions at preliminary hearing of summons. – On the return of the summons, the Tribunal may give such directions as it shall think fit as to whether points of claim and defense are to be delivered, as to the taking of evidence wholly or in part by affidavit or orally, as to the cross-examination, before the Member on the hearing, either in Tribunal or in Chamber, of any deponents to affidavits in support of or in opposition to the application, as to any report it may require the Liquidator to make, and generally as to the procedure on the summons for the hearing thereof. Points of claim to be delivered shall be in **Form No.75 or 75A**, with such variations as may be necessary.

227. Application for further directions. – Where the Tribunal has directed that points of claim and defense shall be delivered, it shall be open to either party who wishes to apply for any further direction as to any interlocutory matter, to apply, by restoration, of the summons, before the summons has been set down for trial, for such direction, upon giving two clear days' notice in writing to the other party stating the grounds of the application. A copy of the notice shall be filed with the Registrar of Tribunal two clear days before the day fixed for the hearing of the application.

228. Application for disclaimer of onerous property. – (1) An application for leave to disclaim any part of the property of a LLP shall be made by a summons supported by an affidavit setting out the full facts relating to the property, the parties interested and the nature of their interests, and stating whether the LLP is solvent and whether any notice has been served on the liquidator by any party requiring him to elect whether or not he will disclaim.

(2) **Form Nos.76 to 76F** shall be used in respect of the matters to which they relate with such variations as may be necessary.

229. Preliminary hearing of the summons. – The summons shall be posted before the Tribunal *ex parte* in the first instance for directions as to the persons on whom notice of the summons should be served, and the Tribunal shall thereupon fix a date for the hearing

of the summons and give such directions as may be necessary as to the persons on whom notice of the summons should be served.

230. Claimant to furnish statement of his interest. – Where a person claims to be interested in any part of the property of a LLP, which the Liquidator wishes to disclaim, such person shall, if so required by the Liquidator, furnish a statement of the interest claimed by him.

231. Service of notice. – Notice of the date fixed for the hearing of the summons shall be in **Form No.77**, and shall be served not less than seven days before the date fixed for the hearing, together with a copy of the summons and of the affidavit filed in support thereof. The notice shall require that any affidavit-in-opposition to the summons shall be filed in Tribunal and a copy thereof served on the Liquidator of the LLP not later than two days before the date fixed for the hearing.

232. Order granting leave to disclaim. – On the hearing of the summons, the Tribunal may after hearing the Liquidator and such parties as may appear in response to the notices issued, and such other persons appearing and interested as the Tribunal may think fit to hear, grant leave to the Liquidator and to disclaim on such terms and conditions if any, as to the Tribunal may seem just. The order granting leave to disclaim shall be in **Form No.78.**

233. Disclaimer to be filed in Tribunal. – (1) Every disclaimer shall be filed in Tribunal by the Liquidator and shall not be operative until it is so filed. Where the disclaimer is in respect of a leasehold interest, it shall be filed in Tribunal forthwith. Notice of the filing of the disclaimer shall be given to the persons interested in the property. The disclaimer shall contain particulars of the interest disclaimed and a statement of the persons to whom notice of the disclaimer has been given. A disclaimer shall be in **Form No.79**, and a notice of disclaimer in **Form No.80.**

(2) Where a disclaimer has been filed in Tribunal, the Liquidator shall file a copy thereof with the Registrar.

234. Vesting of disclaimed property. – Where the disclaimed property is a leasehold interest and an application is made by any person who either claims any interest in any disclaimed property or is under any liability not discharged by the Act in respect of any disclaimed property, and after hearing any such persons as it thinks fit, make an order for the vesting of the property in, or the delivery of the property to, any person entitled thereto or to whom it may seem just that the property should be delivered by way of compensation for such liability as aforesaid, or a trustee for him, and on such terms as the Tribunal thinks just; and on any such vesting order being made, the property comprised therein shall vest accordingly in the person therein named in that behalf without any conveyance or assignment for the purpose:

Provided that, where property disclaimed is of a lease-hold nature, the Tribunal shall not make a vesting order in favour of any person claiming under the LLP, whether as under-lessee or as mortgagee or holder of a charge by way of demise, except upon the terms of making that person-

(a) subject to the same liabilities and obligations as those to which the LLP was subject under the lease in respect of the property at the commencement of the winding up; or

(b) if the Tribunal thinks fit, subject only to the same liabilities and obligations as if the lease had been assigned to that person at that date;

and in either event (if the case so requires) as if the lease had comprised only the property comprised in the vesting order; and any mortgagee or under-lessee declining to accept a vesting order upon such terms shall be excluded from all interest in and security upon the property, and, if there is no person claiming under the LLP who is willing to accept an order upon such terms, the Tribunal shall have power to vest the estate and interest of the LLP in the property in any person liable, either personally or in a representative character, and either alone or jointly with the LLP, to perform the lessee's covenants in the lease, freed and discharged from all estates, encumbrances and interests created therein by the LLP.

(2) The Tribunal may adjourn the application for such notice to be given and for such under-lessee, mortgagee or holder of charge, to be added as a party to and served with a copy of the application, and to make, if he sees fit, such election and application as is mentioned in the notice. If at the expiration of the time so fixed by the Tribunal, such under-lessee, mortgagee or holder of charge, fails to make such election and application, the Tribunal, may make an order vesting the property in the applicant or other person who, in the opinion of the Tribunal, may be entitled thereto, and excluding such under-lessee, mortgagee or holder of charge, from all interest in or security upon the property.

(3) Any person injured by the operation of a disclaimer under this rule shall be deemed to be a creditor of the LLP to the amount of the compensation or damages payable in respect of the injury, and may accordingly prove the amount as a debt in the winding up.

(4) An order requiring parties interested in a disclaimed lease to apply for a vesting order or to be excluded from all interest in the lease shall be in **Form No.81**, and an order vesting lease and excluding persons who have not elected to apply, shall be in **Form No.81A.**

COMPROMISE OR ABANDONMENT OF CLAIMS

235. No claim to be compromised or abandoned without sanction of Tribunal. – In a winding up, no claim by the LLP against any person shall be compromised or abandoned by the Liquidator without the sanction of the Tribunal upon notice to such person as the Tribunal may direct.

236. Application for sanction of compromise. – Every application for sanction of a compromise or arrangement with any person shall be accompanied by a copy of the proposed compromise or arrangement and shall be supported by an affidavit of the Liquidator stating that for the reasons set out in the affidavit he is satisfied that the proposed compromise or arrangement is beneficial to the LLP. The Tribunal may, if it thinks fit, direct notice of the application to be given to the Committee of Inspection, if there is one, and to such other person as it may think fit.

SALES BY THE LIQUIDATORS

237. Sale to be subject to sanction and to confirmation by Tribunal. – Unless the Tribunal otherwise orders, no property belonging to LLP which is being wound-up by the Tribunal shall be sold by the Liquidator without the previous sanction of the Tribunal, and every sale shall be subject to confirmation by the Tribunal and such order of confirmation or otherwise may be passed within sixty days of the filing of the report by the liquidator or the Provisional Liquidator, as the case may be.

238. Procedure at sale. – (1) Subject to the provisions of the Act and rules, every sale shall be held by the Liquidator by an agent or an auctioneer approved by the Tribunal, and subject to such terms and conditions, if any, as may be approved by the Tribunal.

(2) All sales shall be made by public auction or by inviting sealed tenders or in such manner as the Member may direct.

239. Expenses of sale. – Where property forming part of a LLP's assets is sold by the Liquidator through an auctioneer or other agent, the gross proceeds of the sale shall, unless, the Tribunal otherwise orders, be paid over to the Liquidator by such auctioneer or agent and the charges and expenses connected with the sale shall afterwards be paid to such auctioneer or agent in accordance with the scales, if any, fixed by the Tribunal or as approved by the Tribunal.

DISTRIBUTABLE SUM AND RETURNS OF ASSETS IN A WINDING UP BY TRIBUNAL

240. Declaration of distributable sum or return of assets. – No distributable sum to creditors or return of assets to partners shall be declared by the Liquidator without the sanction of the Tribunal. No payment shall be made to the creditors which would be deemed to be distributable sum without filing list of creditors and sanctioned by the Tribunal as distributable sum and no payment shall be made to the partners without filing final settlement of the list of settlement of partners and sanctioned by the Tribunal.

241. Notice of declaration. – The Liquidator shall give notice of the declaration of distributable sum not less than one month prior to the date fixed for the payment thereof. Unless otherwise directed by the Member, such notice shall be given by advertisement in such newspapers as the Member shall direct and by sending by prepaid letter post under certificate of posting a notice to every person whose name appears in the list of creditors as on such date. The advertisement shall be in **Form No.82** and the notice to creditor in **Form No.83**.

242. Form of authority to pay distributable sum. – A person to whom distributable sum is payable may lodge with the Liquidator an authority in writing to pay such distributable sum to another person named therein. Such authority shall be in **Form No. 84.**

243. Transmission of distributable sums by post. – Distributable sum may, at the request and risks of the persons to whom they are payable, be transmitted to him by registered post or any other mode as approved by the Tribunal, by cheques or Demand Drafts or any other manner as may be appropriate or as approved by the Tribunal within forty five days from the date of filing the list of creditors before the Tribunal.

244. Form of order directing return of Assets. – (1) Every order by which the Liquidator is authorized to make a return to partners of the LLP, shall, unless the Tribunal otherwise directs, contain or have appended thereto a list (which the Liquidator shall prepare) setting out in a tabular form the full names and addresses of the persons to whom the return is to be paid, and the amount of money payable to each person, and particulars of the transfers of economic interest (if any) which have been made or the variations in the list of partners which have arisen since the date of the settlement of the list of partners and such other information as may be necessary to enable the return to be made. The list shall be in **Form No.85**, with such variations as circumstances shall require and the Liquidator shall send a notice of return to each partner by ordinary post under certificate of posting in **Form No.86.**

(2) Payment may be sent either by registered post or any other mode as may be appropriate or as approved by the Tribunal at the risk of the partners.

245. Payment of distributable sum or return of Assets due to a deceased creditor or partner. – Where a claim made in respect of a distributable sum due to a deceased creditor or a return of contribution due to a deceased partner is Rs.500 or less, the Liquidator may, upon satisfying himself as to the claimant's right and title to receive the distributable sum or the return, as the case may be, apply to the Tribunal for sanctioning the payment of such distributable sum or return to the claimant without the production of a succession certificate or like authority. Where the Tribunal sanctions the payment, the Liquidator shall make the payment upon obtaining a personal indemnity from the payee.

TERMINATION OF WINDING UP

246. Liquidator to apply for dissolution. – As soon as the affairs of the LLP have been fully wound up, the Liquidator in a winding-up by the Tribunal shall file his final account with the Tribunal in **Form No.89** and apply for orders as to the dissolution of the LLP. The application shall not be set down for hearing until the completion of the audit of the final accounts and the filing of the auditor's certificate in relation thereto. In the event, affairs of the LLP have not been wound up within one year from the date of the winding up order, the liquidator shall file an application before the Tribunal explaining the reasons and seek appropriate directions.

247. Dissolution of the LLP. – Upon the hearing of the application, the Tribunal may, after hearing the Liquidator and any other person to whom notice may have been ordered by the Tribunal, upon perusing the account as audited, make such orders as it may think fit to the dissolution of the LLP, the application, subject to the provisions of the Act, of the balance in the hands of the Liquidator or the payment thereof into the LLPs Liquidation Account in the public account of India and the disposal of the books and papers of the LLP and of the Liquidator.

248. Liquidator to pay the balance into public account. – Upon an order for dissolution being made, the Liquidator shall forthwith pay into the LLPs Liquidation Account in the public account of India any unclaimed or unpaid distributable sum payable to creditors or undistributed or unpaid assets refundable to partners in his hands on the date of the order of dissolution, and such other balance in his hands as he has been directed by the Tribunal to deposit into the LLPs Liquidation Account. A copy of the order of dissolution shall, within thirty days from the date thereof, be forwarded by the Liquidator to the Registrar in **Form No. 11** who shall make in his books a minute of the dissolution of the LLP. Along with the copy of the order shall be filed with the Registrar, a statement signed by the Liquidator that the directions of the Tribunal regarding the application of the balance as per his final account have been duly complied with.

Explanation:- In computing the period of thirty days from the date of the order, the requisite time for obtaining a certified copy of the order shall be excluded.

249. Conclusion of winding up. – The winding up of a LLP shall be deemed to be concluded, in the case of –

(a) an LLP wound up by order of the Tribunal, at the date on which the order dissolving the LLP has been reported by the Liquidator to the Registrar ;

(b) an LLP wound up voluntarily, at the date of the dissolution of the LLP, unless at such date any fund or assets of the LLP remain unclaimed or undistributed in the hands or under the control of the LLP Liquidator, or any person who has acted as Liquidator, in which case the winding up shall not be deemed to be concluded until such funds or assets have either been distributed or paid into the LLP Liquidation Account.

250. Application to declare dissolution void. – An application shall be made upon notice to the Central Government and the Registrar. Where the Tribunal declares the dissolution to have been void, the applicant shall file a certified copy of the order with the Registrar not later than thirty days from the date of the order.

Explanation:- In computing the period of thirty days from the date of the order, the requisite time for obtaining a certified copy of the order shall be excluded.

REGISTERS AND BOOKS OF ACCOUNT OF THE LIQUIDATOR

251. Registers and Books to be maintained by the Liquidator. – (1) The Liquidator shall maintain the following Registers and Books either in physical or digital format or both physical and digital:-

(a) Register of Liquidations in Form No. 87.
(b) Central Cash Book in Form No. 87A.
(c) LLP's Cash Book in Form No. 87B.
(d) General Ledger in Form No. 87C.
(e) Cashier's Cash Book in Form No. 87D.
(f) Bank Ledger in Form No. 87E.

(g) Register of Assets in Form No. 87F.
(h) Investment Register in Form No. 87G.
(i) Register of Book Debts and Outstanding in Form No. 87H.
(j) Tenants Ledger in Form No. 87I.
(k) Suits Register in Form No. 87J.
(l) Decree Register in Form No. 87K.
(m) Sales Register in Form No. 87L.
(n) Register of Claims and Distributable sums in Form No. 87M.
(o) partners Register/ Ledger in Form No. 87N.
(p) Distributable sums Paid Register in Form No. 87O.
(q) Commission Register in Form No. 87P.
(r) Suspense Register in Form No. 87Q.
(s) Documents Register in Form No. 87R.
(t) Books Register in Form No. 87S.
(u) Register of unclaimed distributable sums and undistributed assets, deposited into the LLPs liquidation account in Form No. 87T;
(v) A Record Book for each LLP in which shall be entered all minutes of proceedings and the resolutions passed at any meeting of the creditors or partners or of the Committee of Inspection, the substance of all orders passed by the Tribunal in the liquidation proceedings, and all such matters other than matters of account as may be necessary to furnish a correct view of the administration of the LLP's affairs; and
(w) any other register as may be prescribed by the Tribunal or the Central Government from time to time.

(2) In maintaining the registers and books mentioned in sub-rule (1), the Liquidator shall follow the instructions contained in the respective forms prescribed for the said books and registers and with such variations as may be necessary for the purpose of maintaining in the computer system or in digital format. The Central Government may review the Registers and modify the same from time to time.

(3) The Liquidator shall, in addition to the Registers and Books under sub-rule (1), maintain such books as may be necessary for the proper and efficient working of his office such as Petty Cash Register, Correspondence Register, Dispatch Register, Daily Register of Money Orders and Cheques received, and so on, and shall also keep the necessary files of correspondence and of proceedings in respect of each LLP under liquidation in his charge.

(4) Where the accounts of the LLP are incomplete, the Liquidator shall, with all convenient speed, as soon as the order for winding up is made, have them completed and brought up-to-date and audited by the partners and officers of the LLP in liquidation.

(5) (i) Where the Liquidator is authorised to carry on the business of the LLP, he shall keep separate books of account in respect of such business and such books shall, as far as possible, be in conformity with the books already kept by the LLP in the course of its business. The Liquidator shall incorporate in the Central Cash Book and in the LLP's Cash Book, the total weekly amounts of the receipts and payments on such trading account.

(ii) The trading account shall from time to time not less than once in every month, be verified by affidavit.

(6) The Liquidator shall also keep a counterfoil Receipt Book in triplicate in **Form No.88,** the leaves of which shall be machine numbered serially, from which shall be issued all receipts for payment made to the Liquidator. The duplicate and the triplicate shall bear the same number as the original.

(7) The Liquidator shall keep proper vouchers for all payments made or expenses incurred by him. The vouchers shall be serially numbered.

Banking Account of the Liquidator

252. All money to be paid into Scheduled Bank. – (1) The Liquidator shall pay into the Public Account of India or the designated Scheduled bank (hereinafter referred to as the Bank) to the credit of an account in his Official name, all moneys received by him as the Liquidator of any LLP, and the realizations of each day shall be paid into the Bank without deduction not later than the next working day of the Bank, provided that the remittance of money into the Bank may be deferred until the realizations exceed rupees one thousand. All payments out of the account by the Liquidator above rupees one thousand shall ordinarily be made by cheques drawn against the said account:

Provided that in the case of liquidator appointed from the panel, the Tribunal may direct maintaining and operating the bank account in any other manner.

(2) The Liquidator shall maintain a bank remittance challan book in counterfoil, the leaves of which shall be serially numbered in which the acknowledgement of the Bank shall be obtained for all moneys (whether in cash or cheques) deposited into the Bank to the credit of the account mentioned in clause (1) above. The Form of the challan book shall be settled by the Liquidator in consultation with the bank.

253. Bills, cheques and securities to be deposited into bank. – All bills, cheques, hundies notes and other securities of a like nature payable to the LLP or to the Liquidator thereof shall, as soon as they come into the hands of the Liquidator, be deposited by him with the Bank for the purpose of being presented for acceptance and payment or for payment only, as the case may be, and the proceeds when realised shall be credited by the Bank to the account of the Liquidator.

254. Payments into Bank– Where the Tribunal makes an order directing any person to pay any money due to the LLP into the Public Account of India in the Reserve Bank of India or the designated Scheduled bank, instead of the Liquidator, the person so directed shall, at the time of making the payment, produce to the Bank a certified copy of the order or a payment in challan endorsed by the Liquidator under his signature. The money so paid shall be credited to the Liquidator's account into the Public Account of India or the designated Scheduled bank. The person making the payment shall give notice thereof to the Liquidator and produce before him the Bank receipt relating thereto.

255. Liquidator's Distributable sum Account. – (1) The Liquidator shall also open a separate distributable sum account for each LLP under liquidation either in the designated bank, or, with the sanction of the Tribunal, in any other Scheduled Bank, as may be convenient, under the name 'the Distributable Sum Account of (name of the LLP) in liquidation by the Liquidator', into which account he shall, upon a declaration of distributable sum being made in the winding up of any LLP, deposit by transfer from his account, with the Reserve Bank of India or designated bank the total amount of the distributable sum payable upon such declaration. There shall be a separate account in respect of each declaration of distributable sum. All payments of distributable sum shall be made from the said Liquidator's distributable sum account and any unpaid balance in the account shall be transferred back to the Liquidator's account in the Reserve Bank of India or designated bank before being paid into the LLPs liquidation account as unclaimed distributable sums.

(2) All payments of distributable sums above Rs.100 shall ordinarily be made by cheques drawn against the said account.

256. Fees to be credited to Central Government. – (1) In every winding up where the Official Liquidator becomes or acts as Liquidator or is appointed as Liquidator in terms of rule 29, there shall be paid into the public account of India in the designated bank to the credit of the Central Government, from out of the assets of the LLP in liquidation (or by the petitioner as provided in clause (a) below) such amount as laid down in clause (b) on or before 30th October the commission due for the preceding period ended 31st March.

(2) In the cases where Liquidator is appointed in terms of rule 29, the remuneration of the Liquidator shall be approved by the Tribunal subject to a maximum remuneration of 5% of the value of the debt recovered and realization by sale of assets. The fees shall be determined in accordance with the following provisions:-

(a) where the Official Liquidator acts as a Provisional Liquidator only, such fee as the Tribunal may consider reasonable, to be paid out of the assets of the LLP or by the petitioner as the Tribunal may direct, in respect of the services of the Liquidator as Provisional Liquidator;

(b) where a winding up order is made and the official Liquidator acts as liquidator of a LLP, -

(i) upon the total assets, including unrealized or unrecovered contribution, interest on investments and rents from properties, realised or brought to credit by the Liquidator, after deducting sums on which fees are chargeable under clause (c) below and the amount spent out of the money received in carrying on the business of the LLP, upon each year's collections.

On the first Rs.10,0000 or fraction thereof	4 per cent.
On the next Rs.40,0000 or fraction thereof	3 per cent.
On the next Rs.50,0000 or fraction thereof	2 per cent.
Above Rs.1,00,0000	1 per cent.

(ii) On the total amount distributed as distributable sum to the creditors or return of contribution or assets to the partners;

(c) where the official Liquidator realises property for secured creditors, on the amount realised for each secured creditor -

On the first Rs.10,0000 or fraction thereof	5 per cent.
On the next Rs.40,0000 or fraction thereof	3½ per cent.
On the next Rs.50,0000 or fraction thereof	3 per cent.
Above Rs.1,00,0000	2 per cent.

(d) when the official Liquidator acts as trustee, under a scheme of arrangement, such fee not exceeding the scale of fees under clause (b) above, as the Tribunal shall allow;

(e) when the official Liquidator performs any special duties not provided for above such fee as the Tribunal may fix on the application of the Liquidator, in addition to any other fee payable;

(f) where the official Liquidator acts as liquidator in a creditor's voluntary winding-up, such fee as the Tribunal may fix, not exceeding the scale under sub-rule(2) below;

(g) where the Tribunal appoints any persons who are already liquidators in a winding-up to be additional liquidators in a winding-up of the LLP by the Tribunal, subject to the control of the official Liquidator, such fee as may be fixed by the Tribunal after taking into consideration the remuneration payable to such additional liquidators;

(h) where the Tribunal has sanctioned the reconstruction of the LLP under liquidation or a scheme of arrangement of its affairs, or where for any reason the Tribunal is of the opinion that the fees prescribed above would be insufficient. Such fee may be made as the Tribunal thinks fit.

(2) In every winding up where Liquidator has been appointed under any other rule, the remuneration of the Liquidator shall be approved by the Tribunal subject to a maximum remuneration of five per cent of the value of the debt recovered and realization by sale of assets.

257. Where the LLP has no available assets. – Where a LLP against which a winding up order has been made has no available assets, the Liquidator may, with the leave of the Tribunal, incur any necessary expenses in connection with the winding up out of any permanent advance or other fund provided by the Central Government or the Tribunal, and the expenses so incurred shall be recouped out of the assets of the LLP in priority to the debts of the LLP:

Provided that where any money has been advanced to the Liquidator by the petitioning or other creditor or partner for meeting any preliminary expenses in connection

with the winding-up, the Liquidator may incur any necessary expenses out of such amount, and the money so advanced shall be paid out of the assets of the LLP in priority to the debts of the LLP.

Investment of Surplus Funds

258. Investment of moneys. – All such money for the time being standing to the credit of the Liquidator at the Bank as is not immediately required for the purposes of winding up, shall be invested in Government securities or in interest bearing deposits in the designated schedule bank, or, with the previous sanction of the Tribunal, in interest bearing deposits in any other Scheduled Bank, in the name of the Liquidator as Liquidator of the LLP to which the funds belong wherever beneficial to the liquidation:

Provided that in the case of liquidator appointed from the panel, the Tribunal may direct investment of surplus fund in any other manner.

259. Liquidator to examine the accounts for purposes of investment. – The Liquidator shall, at the end of every three months, examine the account of each liquidation in his charge to ascertain what moneys are available for investment, and shall make an entry at the end of every three months in the Record Book relating to the LLP of his having examined the account for the purpose and of the decision taken by him regarding the investment, and in case he decides not to invest any surplus funds, the reasons for such decision.

260. Investments to be made by the Bank. – All investments shall be made by the Bank upon the written request of the Liquidator. The securities shall be retained in the Bank in the name and on behalf of the Liquidator, and shall not be sold except by the Bank and under the written instructions of the Liquidator. When the securities are sold the proceeds shall be credited by the Bank to the account of the Liquidator.

261. Distributable sum and interest to be credited. – All distributable sums and interest accruing from securities or investments shall from time to time be received by the Bank and placed to the credit of the account of the Liquidator and intimation thereof shall be given to the Liquidator, who shall thereupon credit such distributable sum or interest in his accounts to the LLP to which the security or the investment relating thereto belongs.

262. Refund of Income-tax. – The Liquidator shall claim such refunds of income-tax as may be due in respect of any distributable sums or interest received on the securities or investments and credit the same when realised to the appropriate account.

FILING, AUDIT AND INSPECTION OF THE LIQUIDATOR'S ACCOUNT

263. Yearly Accounts to be filled.- (1) Unless otherwise ordered by the Tribunal the liquidator shall prepare, every year, a statement of accounts as on 31st March within two months from 31st March and file such accounts with the Registrar not later than 30th September following.

(2) The final accounts of the liquidator shall be filed with the Tribunal and the Registrar as soon as the affairs of the LLP have been fully wound up, irrespective of the period prescribed above.

Explanation;- "Year" in relation to the statement means period from first day of April of the year to the 31st day of March following year.

264. Form of accounts.- The Account shall be in **Form No. 15** and shall be verified by a declaration. The final account shall be in **Form No. 89.**

265. Nil Account- Where the liquidator has not, during the period of account, received or paid any sum of money on account of the assets of the LLP, he shall file an affidavit of no receipt or payment for the period.

266. Audit of the Liquidator's accounts.- (1) The accounts shall be audited by a person qualified to act as auditor of the limited liability partnership and for the purpose of the audit, the liquidator shall furnish the auditor such information as the auditor may require:

Provided that no such audit is required where the transaction during the period is for rupees fifty thousand or less.

(2) Where the audit of the accounts is not required under this rule, the statements of accounts shall contain a declaration by the liquidator that the books and accounts are properly maintained and funds have been utilized only for the purpose of winding up of the affairs of the LLP.

267. Auditors certificate to be filed. - One copy of the statement of accounts along with the auditor's report shall be filed with the Tribunal forthwith. The Tribunal may at any time require the production of, and inspect, any books of accounts kept by the liquidator. Other copy of the statement along with the auditor's report shall be filed with the Registrar in **Form No. 10** not later than 30th September.

268. Audit fees. – Audit fees on the gross amount brought to credit, including the unrealized or unrecovered contribution of the partners on partners interest on investments and rents from properties, but after deducting (a) the amount spent out of the money received in carrying on the business of the LLP and (b) the amounts paid by the Liquidator to secured creditors (other than debenture holders), shall be paid to the auditor and debited to the account of the liquidation to which the audit relates according to the following scale:-

(a)	On the amount brought to credit including the unrealized or unrecovered contribution, interest on investments and rents from properties, but after deducting (a) the amount spent out of the money received in carrying on	 ½ per cent

the business of the LLP, and (b) amounts paid by the Liquidator to secured creditors other than debenture holders

(b) On disbursements, other than payments to secured creditors not being debenture holders ½ per cent;

Provided that the minimum audit fee for the account of the Liquidator shall be not less than Rs. 2500/- in respect of one LLP for a period of one year and the maximum audit fee shall be Rs. 25,000/- for the audit of account of a LLP for one year subject to variation of 25% of the aforesaid fee at the discretion of the Member or Tribunal for reasons to be recorded in writing.

269. Inspection of the account and certificate of audit. – Any creditor or partner shall be entitled to inspect the accounts and the auditor's certificate in the office of the Tribunal on payment of a fee as specified in Annexure, and to obtain a copy thereof on payment of the specified charges.

270. Account and auditor's report to be placed before Member. – Upon the audit of the account, the Registrar of Tribunal shall place the statement of account and the auditor's certificate before the Member for his consideration and orders.

271. Assistance for the Liquidator. – The Liquidator may, appoint one or more practicing Chartered Accountants or practicing Company Secretaries or practicing Cost Accountants or legal practitioners entitled to appear before the Tribunal or such other professionals or experts or valuer or agency as he considers necessary to assist him in the performance of his duties and functions under the Act or the rules, in accordance with the rule 42.

272. Employment of additional or special staff where official Liquidator acts as Liquidator. – Where the Liquidator is of opinion that the employment of any special or additional staff is necessary in any liquidation, he shall apply to the Tribunal for sanction, and the Tribunal may sanction such staff as it thinks fit on such salaries and allowances as to the Tribunal may seem appropriate. The special or additional staff shall be from ex-servicemen and in case of their non-availability , persons retired from Central Government, State Government, autonomous bodies of Central or State Governments and public sector undertakings. They shall be on contractual basis till dissolution of a particular LLP or for five years whichever is earlier. In case his services are availed for more than one LLP, contract shall terminate as aforesaid and fresh contract may be entered into for another LLP.

273. Apportionment of expenses of common staff where official Liquidator acts as Liquidator – Where any staff is employed to attend to the work of more than one liquidation, or any establishment or other charges are incurred for more than one liquidation, the expenses incurred on such staff and the common establishment and other charges, shall be apportioned by the Liquidator between the several liquidations

concerned in such proportions as he may think fit, subject to the directions of the Member, if any.

274. Application for examination– (1) The Central Government may at any time require any liquidator of an LLP which is being wound-up by the Tribunal to answer any inquiry in relation to any winding up in which he is engaged, and may, if the Central Government thinks fit, apply to the Tribunal to examine him or any other person on oath concerning the winding up.

(2) If it appears to the liquidator in the course of a voluntary winding up that any past or present officer, or any member, of the LLP has been guilty of any offence in relation to the LLP, he shall forthwith report the matter to the Registrar and shall furnish to him such information and give to him such access to and facilities for inspecting and taking copies of any books and papers, being information or books and papers in the possession or under the control of the liquidator and relating to the matter in question, as the Registrar may require.

(3) Where any report is made under sub-rule (2) to the Registrar, he may, if he thinks fit, refer the matter to the Central Government for further inquiry.

The Central Government shall thereupon investigate the matter and may, if it thinks it expedient, apply to the Tribunal for an order conferring on any person designated by the Central Government for the purpose, with respect to the LLP concerned, all such powers of investigating the affairs of the LLP as are provided by this Act in the case of a winding up by the Tribunal.

InstaCode

VOLUNTARY WINDING UP AND WINDING UP SUBJECT TO SUPERVISION

275. Applicability of rules. – (1) Where an application is made to the Tribunal in pursuance of the provisions relating to the voluntary winding up of a LLP, whether or not an order shall have been made that the voluntary winding up shall continue, the proceedings contained in these rules, so far as may be, shall be applied to the subject-matter and mode of such application in a voluntary winding up.

(2) Save as aforesaid, Rules which from their nature and subject-matter, or by the headlines above the group in which they are contained or by their terms are made applicable only to proceedings in a winding-up by the Tribunal or only to such proceedings and to proceedings in a creditors' voluntary winding up, shall not apply to proceedings in a voluntary winding up, or, as the case may be, in a members' voluntary winding up, whether any such voluntary winding up is or is not being continued under the supervision of the Tribunal.

276. Declaration of solvency – The declaration of solvency to be made by the partners of a LLP in **Form No.2** with such variations as the circumstances may require.

277. Statement to be laid before meeting of creditors. – The statement of the assets and liabilities of the LLP to be laid before a meeting of creditors by a liquidator in a voluntary winding-up shall be in **Form No.4** with such variations, as may be necessary.

LLP LIQUIDATOR IN VOLUNTARY WINDING-UP

278. Notice of appointment of LLP liquidator – The notice of his appointment which every LLP liquidator is required to be published in the newspaper shall be in **Form No. 90** and the notice of the appointment to be delivered to the Registrar shall be in **Form No 7.**

279. Security by LLP liquidator appointed by Tribunal. – (1) Every LLP Liquidator appointed by the Tribunal shall, before entering upon his duties as a Liquidator of the LLP for which he is appointed, furnish security in such sum and in such manner as the Tribunal may direct. The cost of furnishing the required security shall be borne by the LLP Liquidator and shall not be charged against the assets of the LLP as an expense incurred in the winding up.

(2) If the Tribunal is of the opinion that the security furnished by the LLP Liquidator under sub-rule (1) is inadequate, the Tribunal may require the LLP Liquidator to furnish additional security. Where the security furnished is excessive, the LLP Liquidator may apply to the Tribunal for reducing the amount of security, and the Tribunal may make such order thereon as it thinks fit.

280. Limit of remuneration of LLP liquidator appointed by the Tribunal. – An LLP liquidator shall not, under any circumstances whatever, make any arrangement for, or accept from any advocate, auctioneer or any other person connected with LLP of which he is the liquidator, or employed in or in connection with the winding-up of the LLP, any gift, remuneration, or pecuniary or other benefit whatever beyond the remuneration to which under the Act and the rules he is entitled as liquidator, nor shall he make any arrangement for giving up, or give up any part of such remuneration to any such person.

281. Restriction on purchase of goods by LLP liquidator. – Where the LLP liquidator carries on the business of the LLP, he shall not, without the express sanction of the Tribunal, purchase goods for the carrying on of such business from any person whose connection with him is of such a nature as would result in his obtaining directly or indirectly any benefit out of the transaction. Where the LLP liquidator applies for sanction, he shall disclose in his application the nature of his interest in the transaction, and the cost of obtaining sanction of Tribunal shall be borne by the LLP liquidator personally.

282. Office of LLP liquidator vacated by his insolvency. – An LLP liquidator against whom an order of adjudication is made, shall thereby vacate his office, and for the purpose of the application of the Act and the rules, he shall be deemed to have been removed.

283. Resignation of LLP liquidator. – (1) An LLP liquidator who desires to resign his office shall summon separate meetings of the partners and creditors, if any, of the LLP to decide whether or not his resignation shall be accepted. If the partners and creditors, if

any, agree, by majority, to accept the resignation of the LLP liquidator, the resignation shall take effect. In any other case, the LLP liquidator shall report to the Tribunal the result of the meetings and apply for appropriate orders of the Tribunal and the Tribunal may, upon such application, determine whether or not the resignation of the LLP liquidator shall be accepted, and may give such directions and make such orders as it considers necessary.

(2) The LLP liquidator shall, along with his resignation, submit an account of his acts and dealings as liquidator and a statement as to the position of the liquidation, in a form in all respects similar to the statement specified under rule 56, commencing from the date when the last previous statement, if any, under the said section terminated, or from the date of his appointment as liquidator, whichever is later, and brought down to the date of his resignation.

(3) The expenses of summoning meetings under sub-rule (1), and of the application to be made to the Tribunal, shall be part of the expenses of the liquidation.

284. Duty of LLP liquidator upon resignation. – Upon a LLP liquidator resigning or being released or removed from his office, he shall deliver over to the new LLP liquidator all books kept by him, and all other books, documents, papers and accounts in his possession relating to the LLP or to the office of the liquidator.

285. Books to be kept by the LLP liquidator. – (1) The LLP liquidator shall keep proper books of account in the form and manner specified in this part showing all receipts and payments made by him in the course of the liquidation.

(2) He shall keep such books as the Committee of Inspection, or if there is no such Committee, as the creditors, if any, direct, and submit all the books and accounts and documents and papers in his possession relating to his office as liquidator or to the LLP, to the Committee of Inspection, or if there is none, to the creditors whenever required by the Committee or creditors, as the case may be.

(3) In addition to the books of accounts, the LLP liquidator shall keep a record book in which shall be entered all minutes of proceedings and the resolutions passed at any meeting of the creditors or partners or of the Committee of Inspection, particulars of all his transactions and negotiations in relation to the winding up and all such matters other than matters of account as may be necessary to furnish a correct view of the administration of the LLP's affairs. He shall also keep a book showing the dates at which all notices to creditors and partners were sent out and posted. The person who dispatched the notices shall initial the entries in the book relating thereto.

(4) The accounts of the liquidator shall be open to the inspection of every creditor or partner during office hours upon payment of a fee of Rs.10 for every hour of inspection or part thereof.

286. Banking account of the LLP liquidator. – (1) The liquidator shall open a account of the liquidator called the "Liquidation Account of LLP" in a Scheduled Bank, into which he shall pay all money received by him as liquidator, and the realization

of each day shall be paid into the said account without deduction not later than the next working day of the Bank, provided that the remittance of moneys into the Bank may be deferred until the realization exceeds Rs.1000. The money needed for meeting the expenses of liquidation or for making any payments by the liquidator in cash shall be drawn from the Bank by cheques drawn upon the Bank by the liquidator. All payments by the liquidator above Rs.1000/- shall ordinarily be made by cheque.

(2) Unless the contrary appears, all references in these rules to the Bank in a voluntary winding-up shall mean references to the Bank in which an account has been opened as aforesaid.

287. Bills, cheques and securities to be deposited in Bank. – All bills, cheques, hundies, notes and other securities of a like nature payable to the LLP or to the liquidator thereof shall, as soon as they come into the hands of the liquidator be deposited by him with the Bank for the purpose of being presented for acceptance and payment or for payment only, as the case may be, and the proceeds when realised shall be credited by the Bank to the account of the liquidator.

288. Investment of surplus funds. – (1) All such moneys for the time being standing to the credit of the liquidation account as is not immediately required for the purposes of the winding up, shall be invested by the LLP liquidator in Government securities or in interest bearing deposits in a Scheduled Bank.

(2) Rules 258 to 262 of these rules relating to investment shall apply *mutatis mutandis* to investments made by the LLP liquidator.

289. Liquidator's statements under rule 56. – In a voluntary winding-up or a winding-up under the supervision of the Tribunal, the statements required to be filed under Rule 56 with respect to the proceedings in and position of the liquidation of an LLP the winding up of which is not concluded within a year after its commencement, shall be filed with the Registrar twice in every year as follows:-

(1) The first statement, commencing from the date when a liquidator was first appointed and brought down to the end of twelve months from the commencement of the winding up shall be filed within one month from the expiration of such twelve months, and subsequent statements shall be filed at intervals of half a year, each statement being brought down to the end of the half year for which it is filed. Where the winding up is concluded before the expiration of a half-yearly interval, the final statement of account brought down to the close of the winding-up shall be filed forthwith.

(2) Where the time for filing the statement has expired the Tribunal may on application extend the time, and unless the Tribunal otherwise orders, the costs of such application shall be borne by the liquidator personally.

(3) The statements shall be in **Form No. 15** (with such variations as may be necessary in the case of the final account) and shall be prepared in accordance with the instructions contained in the Form and verified by an affidavit.

(4) Where the liquidator has not, during any period for which the statement has to be filed, received or paid any money on account of the LLP, he shall, at the period when he is required to file his statement, file with the Registrar the prescribed statement in the above Form No. 15, containing the particulars therein required with respect to the proceedings in and the position of the liquidation together with an affidavit of no receipt or payments.

(5) Every statement shall be filed in duplicate with the Registrar, and, in a winding up under the supervision of the Tribunal, a copy of the statement shall also be filed in the Tribunal, within the time prescribed in clause (1) above.

290. Submission of periodical reports to the Tribunal.- (1) The LLP Liquidator shall make periodical reports to the Tribunal and in any case make a report at the end of each quarter with respect to the progress of the winding up of the LLP in **Form No. 8.**

291. Notice convening final meeting and the account to be laid before the meeting. – The notice convening the final meeting of the LLP and the creditors in a voluntary winding-up, shall be in **Form No. 59.** The Accounts of the winding up to be laid by the LLP Liquidator before the said meeting or meetings shall be **Form No. 9.**

292. Returns to Registrar. – The returns to be made to the Registrar after final meeting and dissolution during voluntary winding up shall be in **Forms Nos 10 and 11** respectively.

293. Inspection by creditor or partner of statements filed by liquidator. – Any partner or creditor, if any, of an LLP which is being wound up shall be entitled to inspect any of the statements filed with the liquidator on payment of a fee as prescribed in Annexure and to obtain a copy thereof or extract therefrom on payment of the prescribed charges as prescribed in Annexure.

294. Audit of the liquidators' account. – The partners, in a meeting, and the creditors, if any of an LLP may, if and when they think fit, appoint an auditor to audit the accounts of the liquidator, and shall fix the fees to be paid to such auditor.

295. Applications for stay of proceeding in the winding up – (1) An application shall be made by a summons, and notice of the application shall be given to the LLP liquidator where he is not the applicant, to the respondents, if any, named in the application, and to such other persons and in such manner as the Tribunal may direct.

(2) Where an order is made staying the proceeding in the winding-up, the order shall direct that the applicant at whose instance the order for stay was made shall, within seven days of the making of the order, file a certified copy thereof with the Registrar in **Form No. 11.**

Explanation.- In computing the period of thirty days from the date of the order, the requisite time for obtaining a certified copy of the order shall be excluded.

PAYMENT OF UNCLAIMED DISTRIBUTABLE SUMS AND UNDISTRIBUTED ASSETS INTO THE LLPS LIQUIDATION ACCOUNT IN A WINDING UP

296. Statement of payment. – (1) The Statement to be furnished, under rule 60 to the Registrar by the Liquidator in a winding up by the Tribunal and a LLP Liquidator in a voluntary winding-up, when making any payment of unclaimed distributable sums or undistributed assets into the LLPs Liquidation Account in the Reserve Bank of India or designated Bank under rule 61, shall be in **Form No.91**.

297. Unclaimed distributable sums or undistributed assets under investment. - For purposes of payment of unclaimed distributable sums and undistributed assets into the LLPs Liquidation Account, money invested or deposited at interest by the liquidator shall be deemed to be money in his hand, and when such money forms part of the unclaimed distributable sums or undistributed assets of the LLP, the liquidator shall realize the investment or withdraw the deposit and shall pay the proceeds into the LLPs Liquidation Account.

298. Operation and maintenance of the Account. - LLP Liquidation account shall be operated by the Registrar. The Registrar shall cause to be maintained in his office separate accounts in respect of each LLP whose unpaid distributable sums or undistributed assets are deposited in the said account.

COST INCLUDING EXPENSES, CHARGES OR FEES

299. Cost , expenses, charges or fees payable out of the assets in a winding up by the Tribunal – (1) The assets of a LLP in a winding up by the Tribunal remaining after payment of the fees and expenses properly incurred in preserving, realizing or getting in the assets including, where the LLP has previously commenced to be wound up voluntarily, such remuneration, cost and expenses as the Tribunal may allow to the liquidator in such voluntary winding up, shall, subject to any order of the Tribunal and to the rights of secured creditors if any, be liable to the following payments which shall be made in the following order of priority, namely :-

First – the costs of the petition including the costs of any person appearing on the petition, whose costs are allowed by the Tribunal;

Next – fees to the liquidator appointed from the panel;

Next – the necessary disbursements of the Liquidator other than expenses properly incurred in preserving, realizing or getting in the properties of the LLP;

Next – the cost of any person properly employed by the Liquidators which may in the form of salary, perks etc and cost incurred in engaging the services of professionals, advocates, experts etc;

Next – the fees to be credited to Government;

Next – the actual out of pocket expenses necessarily incurred by the members of the Committee of Inspection, and sanctioned by the Tribunal.

(2) Save as otherwise ordered by the Tribunal no payments in respect of bills of professionals, advocates, experts etc shall be allowed out of the assets of the LLP unless the appointment is made in accordance with the rule and the fees payable is approved by the Tribunal.

(3) Nothing contained in this rule shall apply to or affect costs which in the course of legal proceeding by or against the LLP which is being wound up by the Tribunal, are ordered by the Tribunal in which such proceedings are pending, to be paid by the LLP or the liquidator, or the rights of the person to whom such costs are payable.

MISCELLANEOUS

300. Inspection of file. – (1) Every duly authorized officer of the Central Government and save as otherwise provided by the rules, every person who has been a partner or creditor of a LLP which is being wound up, shall be entitled, on payment of charges specified in Annexure, at all reasonable times to inspect the file of proceeding of the liquidation and to take copies of extracts from any document therein, and, on payment of prescribed charges, to be furnished with such copies or extracts.

(2) Save as otherwise provided in the rules, every partner and every creditor whose claim proof has been admitted, shall be entitled, on payment of the specified charges, at all reasonable time to inspect the file of proceedings and to be furnished with copies and extracts from any document therein.

IndiaCode

301. Appeal from Order of Tribunal to National Company Law Appellate Tribunal

Any aggrieved person may prefer an appeal against the order or decision of the Tribunal to the National Company Law Appellate Tribunal within a period of forty-five days from the date on which the copy of the order is delivered in such manner as may be provided by that Appellate Tribunal.

No. 1
[See rule 5]

1. LLPIN
2. Name of the Limited Liability Partnership

3. Full address of the registered office of the Limited Liability Partnership

Line 1
Line 2
City District
State PIN Code
Country

4. Date of Passing resolution

5. Number of Partners

6. Three-fourths majority of partners consented for voluntary winding up -Yes

List of attachments

(1) Copy of the resolution.
(2) Copy of the Authority
(3) Optional attachment.

Verification

To the best of our knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, and the rules framed there under.

I have been authorized to sign and submit this application.

To be digitally signed by designated partner

DPIN

Dated:

Place:

IndiaCode

Form no. 2
[See rules 7 & 276]

Voluntary Winding-up

Declaration of solvency, embodying a statement of assets and liabilities and valuation report

Name of LLP:.....
LLPIN:.....
Presented by:.....

Declaration of Solvency

We,all the / majority of the designated partners of.....do solemnly affirm and declare that we have made a full enquiry into the affairs of this LLP, and that having done so, we have formed the opinion that this LLP has no debts/ will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets sold in voluntary winding up, within a period of....months from the commencement of the winding-up, and we append a statement of the LLP's assets and liabilities as at....., being the latest practicable date before the making of this declaration. And we make this solemn declaration believing the same to be true.

Solemnly affirmed and declared at.....the.....day of.....20....., before me.

Signatures

Commissioner for Oaths or Notary Public.

Statement as at.....20...., showing assets at book value and as per valuer report and liabilities.

A. Assets	Book value	Value as per valuation report
1. Balance at Bank		
2. Cash in hand		
3. Investments		
4. Debtors/Trade receivable		
5. Loans & Advances		
6. Inventories		
7. Freehold Property		
8. Leasehold Property		
9. Plant & Machinery		
10. Furniture, fittings etc.		
11. Intangible Assets		
12. Other Assets (to specify)		
13. Outstanding contribution of the partners		
Total		

B. Liabilities

1. Secured creditors (secured on specific assets) including workmen dues.	
2. Cost of liquidation	
3. Preferential Creditors	
4. Creditors secured by floating charge on the assets	
5. Unsecured creditors	
6. Contingent liabilities	
Total	

Total value of the assets (as per valuers report) Rs.....

Total liabilities Rs.....

Estimated surplus after paying debts in full Rs.....

C. Remarks

Signature

Dated.....

Designated partners of LLP

IndiaCode

Form No. 3
[See clause (a) of sub-rule (2) of rule 7]

1. LLPIN
2. Name of the Limited Liability Partnership
3. Full address of the registered office of the Limited Liability Partnership

Line 1
Line 2
City District
State PIN Code
Country

4. Date of passing resolution
5. Date of declaration made on

6. Declaration and statement in Form 2 and 4 and valuer report are attached -

Yes

List of attachments

(1) Copy of the declaration , statement& valuation report.
(2) Copy of the Authority
(3) Optional attachment.

IndiaCode

Verification

To the best of our knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules framed there under.

I have been authorized to sign and submit this application.

To be digitally signed by designated partner

DPIN

Dated:_____

Place:_____

Form No 4
(See clause (c) of sub rule (2) of rule 7 & rule 277)

Name of LLP:.....
LLPIN:.....

Statement of Assets and Liabilities as at_____

(In Rupees)

	Particulars	Figures as at the end of_____	Figures as at the end of the last reporting period as on.....
	1	2	3
I.	**CONTRIBUTION AND LIABILITIES**		
(1)	**Partners' funds**		
	(a) Contribution		
	(b) Reserves and Surplus (Surplus being the profit/loss made during the year)		
(2)	**Liabilities**		
	(a) Secured Loans		
	(b) Unsecured Loans		
	(c) Short term borrowings		
	(d) Creditors/Trade Payables		
	- Advance from customers		
	(e) other liabilities (to specify)		
	(f) Provisions		
	(i) for taxation		
	(ii) for contingencies		
	(iii) for insurance		
	(iv) other provisions (if any)		
	TOTAL		
II	**ASSETS**		
	(a) Fixed Assets		
	(b) Investments		
	(c) Loans and Advances		
	(d) Inventories		
	(e) Debtors/Trade Receivables		
	(f) Cash and Cash equivalents		
	(g) other assets (to specify)		
	TOTAL		

Notes: (a) Contingent liabilities not provided for.

Signatures

Dated.....

Designated partners of LLP

IndiaCode

Form No.5
[See sub-rule (4) of rule 8]

1. LLPIN

2. Name of the Limited Liability Partnership

3. Full address of the registered office of the Limited Liability Partnership

Line 1

Line 2

City District

State PIN Code

Country

4. SRN of delivering of the Declaration of solvency by Designated Partner to the Registrar

5. Date of meeting of partners at which resolution for voluntary winding up was passed

6. Date of forwarding copy of the declaration etc to the creditors

7. Date of consent of creditors

8. Two third in value of Creditors of the LLP consented—Yes

List of attachments

(1) Copy of the consent.
(2) Copy of the Authority
(3) Optional attachment.

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, and the rules framed there under.

IndiaCode

Copy of the consent is attached.

I have been authorized to sign and submit this application.

To be digitally signed by designated partner
DPIN

Dated:_____

Place:_____

Form No. 6
[See sub-rule (8) of rule 10 & sub-rule (7) of rule 29]
***[Heading as in form no 16]**
***LLP Petition No..... of 20.....**

1. LLPIN
2. Name of the Limited Liability Partnership
3. Name of LLP Liquidator or Liquidator.
4. Address of LLP Liquidator or Liquidator
5. In pursuance of rule 10(6)/29(7) of the rules I hereby declare that there is no conflict of interest and not lack of independence in respect of my appointment

IndiaCode

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules framed there under.

Signature.....
Name
Capacity.....(LLP Liquidator or Liquidator)

Place_____
Date_____

Note: - *Delete if not applicable.

Form No.7

[See rules 12 and 278]

1. LLPIN

2. Name of the Limited Liability Partnership

3. Address of the Registered Office of the Limited Liability Partnership

Line 1

Line 2

City District

State PIN Code

Country

4. Purpose of form

Appointment of LLP Liquidator

Cessation of LLP Liquidator

Part A – In case of appointment of LLP Liquidator

5. (a) Date of appointment of LLP Liquidator by partners (DD/MM/YYYY)

(b) Name of the LLP Liquidator so appointed

(c) Majority of the partners of LLP consented:- Yes

6. In case the LLP has creditors, creditors consented under clause (b) or (c) of sub-rule (3) of rule 7, Date of approval by two third majority of the creditors in value of LLP (DD/MM/YYYY)

7. (a) In case, creditors do not approve of LLP Liquidator appointed by partners, date of appointment of another LLP Liquidator. (DD/MM/YYYY)

(b) Name of the LLP Liquidator so appointed

8. (a) Date of appointment of LLP Liquidator by the Tribunal (DD/MM/YYYY)

(b) Name of the LLP Liquidator so appointed

IndiaCode

9. Name of LLP Liquidator Appointed as voluntary liquidator

10. Address of the LLP Liquidator

Line 1

Line 2

City District

State PIN Code

Country

Part 'B' In case of change(s) of LLP Liquidator

11. In case of removal

(a) Date of notice of Liquidator stating grounds of removal (DD/MM/YYYY)

(b) Reasons for removal

(c) Date of passing of resolution deciding the removal of Liquidator by three-fourth in value by partners/creditors (DD/MM/YYYY)

(d) Date of removal by the Tribunal. (DD/MM/YYYY)

12. In case of any other change

(a) Date of change (DD/MM/YYYY)

(b) Nature of change

List of attachments

(1) Copy of the resolution of the partners/creditors/ order of the Tribunal.

(2) Copy of the Authority

(3) Optional attachment.

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules framed there under.

To be digitally signed by designated partner

DPIN

Place_____

Date_____

IndiaCode

Form no 8
[See rules 17 and 290]
Voluntary Winding-up

Quarterly progress report

I. Preliminary
(1) Name of LLP_____
(2) LLPIN.
(3) Date of Commencement of winding up_____
(4) Name and address of the LLP Liquidator _____
(5) Period of the Report_____

II. Asset management
(1) Date of taking the custody of property, assets and books of accounts.
(2) Date of valuation of the property.
(3) Value of the property as per the valuation report.
(4) Date of advertisement inviting bids.
(5) Date of sale of property, assets etc.
(6) Sale amount.

III. Settlement of creditors
(1) Date of inviting claims.
(2) Date of adjudication of claims.

IV. Declaration of distributable sum
(1) Date of declaration.
(2) Rate of distributable sum.
(3) Date of distribution

V. Cost of voluntary winding up
(item wise details)

VI. Dues from partners
(1) Amount of outstanding contribution.
(2) Any other dues,
(3) Amount realized.

VII. Settlement of list of partners and distribution
(1) Date of settlement of list.
(2) Rate of return.
(3) Date of distribution.

VIII. Professionals and experts appointment
(1) Name (s) of the professional/expert
(2) Purpose of appointment
(3) Amount of fee

IX. Investigation into the affairs of LLP
Date of submission of report to Tribunal.

IndiaCode

X. Legal proceedings instituted, concluded or pending for and against LLP

XI. Expected date of submission of report for dissolution/ causes for delay

XII. Receipts and payments.

Receipts	*Rupees*	*Payments*	*Rupees*

XIII. Remarks :-

[Sd]
LLP Liquidator

Dated this _____day of 20___

FORM NO. 9

[See rules 19 and 291]

LLP Liquidator's final winding up account in voluntary winding up

1. Name of the LLP
2. LLPIN
3. Date of commencement of the winding-up
4. Name and address of the LLP Liquidator

Statement showing how the winding-up has been conducted and the property of the LLP has been disposed of

From.....(Commencement of winding-up) to.....(close of winding-up)

A. Report of the LLP Liquidator:-

IndiaCode

B. Final winding up account:-

Receipts	*Value as per valuation report Rs.*	*Value realised Rs.*	*Payments*	*Payments*
Assets 1. Balance at Bank 2. Cash in hand 3. Investments 4. Debtors/Trade Receivable 5. Loans & Advances 6. Inventories 7. Freehold Property 8. Leasehold Property 9. Plant & Machinery 10. Furniture, fittings etc. 11. Intangible Assets 12. Other Assets (to specify) 13. Outstanding contribution from the partners realized 14. Receipt per trading account. 15. other receipts Total Less Payments per trading account Net realization			1. Cost of liquidation (i) LLP Liquidator's remuneration:— (ii) Fees/charges to professionals / experts (individual details) (iii) Other Cost of voluntary winding up (expenses/ charges on each item shall be disclosed) 2. Distributable sum (i) Secured creditors including workmen dues (ii) Preferential creditors (iii) Creditors having floating charge (iv) Unsecured creditors (v) Others if any [Distributable sum(s) of...np. in the rupee on Rs.] 3. Returns to partners:— Return of..... np in the rupee on Rs..... Add balance	
TOTAL			TOTAL	

IndiaCode

(1) The following assets estimated to be of the value of Rs.....have proved to be unrealisable:—

[Give details of the assets which have proved to be unrealizable]

2) Amount paid into the LLPs Liquidation Account in respect of:—

(a) Unclaimed distributable sums payable to creditors in the winding-up, Rs.....

(b) Other unclaimed distributions in the winding-up, Rs.....

(c) Moneys held by the LLP in trust in respect of distributable sums or other sums due before the commencement of the winding-up to any person as a partner of the LLP. Rs.....

3. **Explanations:-**

Declare that the above statement is true and contains a full and accurate account of the winding-up from the commencement to the close of the winding-up.

Dated this..... day of.....200....

(Sd.)
LLP Liquidator

IndiaCode

Form No. 10
[See rules 19(3)(a), 56(2)(ii), 121, 267, and 292]

Statement of Account or Final Account

LLPIN

Name of the Limited Liability Partnership

Name and address of the LLP Liquidator or Liquidator

Line 1

Line 2

City District

State PIN Code

Country

Voluntary winding up or winding up by Tribunal

Period of Statement of Account or Final Account

(a) Name of auditor or auditor's firm

(b) Address of Auditor or auditor's firm

List of attachments

(1) Statement of account/final account
(2) Optional Attachment (s)

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in the form along with the attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules framed there under.

To be digitally signed by
Particulars of the Person signing and submitting the Form
Name _____
Capacity _____ (LLP Liquidator or Liquidator)

Form No. 11
[See rules 19(5), 23(4), 64(2), 248, 292 and 295]

1. LLPIN

2. Name of the Limited Liability Partnership

3. Name and address of the LLP Liquidator or Liquidator

Line 1
Line 2
City District
State PIN Code
Country

4. Date of passing of Order (DD/MM/YYYY)

5. Date of issue of certified copy of order (DD/MM/YYYY)

6. Reference of the rule

List of attachments

(1) Copy of the order
(2) Optional attachment (s)

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in the form along with the attachment is correct and complete.

IndiaCode

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, tne rules framed there under.

To be digitally signed by []

Particulars of the person signing and submitting the form
Name
Capacity.....

Form No. 12
[See sub-rule (1) of rule 31]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

To

The Registrar

To

The Liquidator

Order pronounced this day by the Hon'ble Member Mr._____ for winding up the under mentioned LLP under the Act:-

1. Name of the LLP
2. LLPIN
3. Registered office of the LLP
4. Petitioner's authorized representative
5. Date of presentation of petition
6. Name of the Liquidator

Registrar of Tribunal

Dated_____

IndiaCode

Form no 13
[See rule 40]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Winding-up by Tribunal

Quarterly progress report

I. Preliminary
(1) Name of LLP_____
(2) LLPIN _____
(3) Date of winding up order _____
(4) Date of receipt of winding up order _____
(5) Date of Commencement of winding up_____
(6) Name and address of Liquidator _____
(7) Period of the Report_____

II. Asset management
1. Date of taking the custody of property, assets and books of accounts.
2. Date of valuation of the property and assets.
3. Value of the property as per the valuation report.
4. Date of advertisement inviting bids.
5. Date of sale of property, assets etc.
6. Sale value.

III. Realization of debts.
1. Number of debts not barred by limitation and amount.
2. Number of claim applications filed before the Tribunal and amount.
3. Number of debts barred by limitation and amount.

IV. Settlement of creditors
1. Date of inviting claims.
2. Date of adjudication of claims.
3. Date of submission of list to the Tribunal.

V. Declaration of distributable sum
1. Date of declaration.
2. Rate of distributable sum.
3. Date of distribution.

VI. Professionals and experts appointment
1. Name of the professionals/experts
2. Purpose of appointment
3. Amount of fee

VII. Cost of winding up
(item wise details)

VIII. Dues from partners.
1. Amount of outstanding contribution.
2. Any other dues,
3. Amount realized.

IX. Settlement of list of partners and distribution
1. Date of settlement of list.

IndiaCode

2. Rate of return declared.
3. Date of distribution.

X. Investigation into the affairs of LLP

(fraudulent conduct of business, misfeasance etc.)

1. Name and address of the investigator.
2. Date of appointment.
3. Date of submission of report to the Tribunal.

XI. Legal proceedings instituted, concluded or pending for and against LLP

XII. Expected date of submission of report for dissolution/causes for delay.

XIII. Receipts and payments.

Receipts	*Rupees.*	*Payments*	*Rupees*

XIV. Remarks :-

[Sd]
Liquidator

Dated this _____day of 20___

Form No. 14
[See sub-rule (2) of rule 42]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

1. LLPIN

2. Name of the Limited Liability Partnership

3. Name and address of the Liquidator

4. Name of the practising professional , experts etc, appointed by Liquidator to assist him

5. Address of practising professional , experts etc,

6. Date of appointment

7. Purpose of appointment

8. In pursuance to rule 42(2) of the rules. I hereby declare that there is no conflict of interest and not lack of independence in respect of my appointment.

IndiaCode

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules framed there under.

[Sd]

Name
Capacity..... (Professional/expert etc.)

Form no 15
[See rules 56, 264 and 289(3)]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Name of LLP: _____

LLPIN : _____

Voluntary winding up/winding up by Tribunal:_____

Date of winding up order/ resolution:_____

Date of commencement of winding-up:_____

Period of the statement of account._____

Name and address of liquidator/LLP liquidator:_____

I, ..., Liquidator/LLP Liquidator of the above-named LLP solemnly state:—

That the statement of account made overleaf and attachments marked I to V contains a full and true account of receipts and payments in the winding-up of the above-named LLP from the.....day of.....20....., to the.... day of.....20..., inclusive and that I have not nor has any other person by my order or for my use during such period, received or paid any moneys on account of the said LLP other than and except the items mentioned and specified in the said statement of account.

I further say that the particulars in the statement of account and the attachments thereto, are true to the best of my knowledge and belief.

* I declare that the value of total transactions during the period was Rs. Fifty thousand or less and that I acknowledge the responsibility for maintaining the books and records and further declare that the funds were utilized for the purposes of winding up of affairs of the LLP.

Dated this..... day of200.....

[Sd]
LLP Liquidator/Liquidator

Note: (1) * Delete if not applicable.

(2) In case the LLP Liquidator or liquidator has not, during the period of account, received or paid any sum of money on account of the assets of the LLP, he shall file an affidavit of no receipts or payments on the date on which he shall have to file his accounts for the period.

IndiaCode

Statement of Account Pursuant to rule 56

LLP Liquidator's/ Liquidators Statement of Account from.....to.....

Realisations				Disbursements			
Date	Of whom received	Nature of assets realised	Amount Rs. P.	Date	To whom paid	Nature of disburse-ments	Amount Rs. P.
1	2	2	4	1	2	3	4

Brought forward Brought forward

Total carried over Total carried over

Note: No balance should be shown on this account, but only the total realizations and disbursements, which should be carried forward to the next account.

Analysis of Balance

	Rs.	*Rs.*
Total realizations		_____
Total disbursements		_____
Balance		_____
The balance is made up as follows: —		
1. Cash in the hands of the liquidator		_____
2. Total payments into Bank, including balance at date of commencement of winding-up (as per Bank statement)	_____	
Less total withdrawals from Bank	_____	
Balance at Bank		_____
*3. Amounts invested by the Liquidator	_____	
Less		
Amounts received by realisation of investment	_____	
Balance under investment		_____
Total balance as shown above		_____

***Note** : Full details of investments made and realisations thereof should be given in a separate statement.

Dated.....200.....

Signature

IndiaCode

Attachment I

Statement of account as on 31st March

1. Assets:(including cash, bank balance, inventory, debtors, investments etc.)

Rs.

(a) Assets specifically mortgaged, pledged or having fixed charge::-

	Book Value Rs.	*Value realised* Rs.	*Due to secured creditors and workmen* Rs.	*Surplus (+) or Deficiency* Rs.
I. Immovable property (a) Freehold property (b) Leasehold property				
2. Plant and machinery				
3. Furniture, fittings etc. 4. Inventory 5.. Other Assets				

(b) Assets not specifically mortgaged/pledged etc:-

(i) Total amount of the assets at the date of the commencement of the winding-up _____

(ii) Assets realized _____

(iii) Value of assets still to be realized _____

2. Liabilities:

	Total amount due Rs.	*Amount paid* Rs.	*Amount outstanding* Rs.
1. Secured creditors including workmen dues. 2. Cost of liquidation 3. Preferential creditors 4. Creditors having floating charge 5. Unsecured creditors 6. Any other liability			

Rs.

IndiaCode

3.(a) Total amount of partners contribution (with details of nature of contribution):

(b) Outstanding contribution

(c) *Outstanding contribution realized*

4. Legal proceedings (if any), instituted, pending or concluded during the period:

Name of the authority and number of proceeding	*Names of parties*	*Nature of proceeding*	*Stage of pro-ceeding*	*Nature of decree or order made, if any*	*Remarks*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

5. Causes which delay the termination of the winding-up:

6. Period within which the winding-up may probably be concluded:

Dated.....200.....

Signature

Attachment II

LLP liquidators/Liquidator's Trading account

Dr. *Cr.*

Date	*Receipts particulars Total*	*Rs.*	*Date*	*Payments particulars Total*	*Rs.*

Dated.....200.....

Signature

Attachment III

List of Distributable sums (Paid)

Number on list	*Name of creditor*	*Amount of claim (as admitted) Rs.*	*Amount of distributable sum*	
			Paid Rs	*Unclaimed Rs.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Total

Dated.....200.....

Signature

Attachment IV
List of amounts paid or payable to partners

			Amount returned	
Number on list	Name of partner	Amount of contribution	Paid Rs.	Unclaimed Rs.
1	2	3	4	5

Total

Dated.....200.....

Signature

Attachment V

Statement of unclaimed distributable sums and undistributed assets paid into the LLP Liquidation Account

Serial number	Name and address of creditor or partner	Amount of distributable sum or undistributed assets payable or refundable	Date when payable or refundable to creditor or partner	Date of payment into LLP Liquidation Account	Remarks
1	2	3	4	5	6

Dated.....200.....

Signature

Note:- In the case of voluntary winding up heading as in Form no 16 and LLP petition no is not required.

Form No. 16
[See sub-rule (2) of rule 69]

General heading for proceedings

Before the National Company Law Tribunal*_____Bench

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008,

and

In the matter of _____LLP** [Give the name of the Limited Liability Partnership]

LLPIN _____

Notes:

* - Until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the word "Tribunal" shall be substituted with the words "High Court";

** - Where the LLP is being wound up, the words 'in liquidation' should be inserted in brackets after the name of the Limited Liability Partnership.

Form No. 17

[See sub rule (1) of rule 82]

[Heading as in form no 16]

LLP Application No. _____of 20____
*In LLP Petition No._____of 20____
Name and Description

_____Applicant(s)
Versus
_____Respondent(s)

Summons

[under**]

Let all parties concerned attend the NCLT_____Bench on_____ day, the day of ____20____, at _____ o'clock on the hearing of an application by the applicant(s) above-named, for an order that _____(here set out the relief sought)

Dated _____ *day of 20*_____

Authorized Representative for the Applicant (s) *Registrar of Tribunal*

This summon(s) was taken out by Shri _____ Authorized Representative for the applicant(s) and will be supported by the affidavit(s) _____

To
[Respondent]

[or if the summons is not to be served on any one, then write, it is not intended to serve this summon on any person]

* To be included in the case of an interlocutory application

** Here insert the section of the Act or rule reference number or other provision of Law under which application is made

Note:

A summon which is an interlocutory application in a proceeding shall be served not less than 3 clear days before the date of hearing. In order cases, it shall be served not less than 10 days before the date fixed for hearing.

Form No. 18
[See rule 84]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Affidavit verifying petition

I, _____,son/daughter of _____ aged _____ residing at _____ do solemnly affirm and say as follows :

*1. I am partner/designated partner of _____ LLP (LLPIN _____), the petitioner in the above matter and am duly authorized by the said petitioner to make this affidavit on its behalf

2. The statements made in paragraphs _____ of the petition herein now shown to me and marked with the letter 'A' are true to my knowledge, and the statements made in paragraphs _____ are based on information, and I believe them to be true.

Solemnly affirmed, etc.

.....Signature

.....Deponent

* This point is to be included in cases where the petitioner is the LLP.

Form No. 19

[See rule 86]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No of 20.....

.....Petitioner

LLP Application No..... of 20.....

Summons for directions

Let all parties concerned attend the Member in chambers on day, the day of20..... at o'clock, on the hearing of an application by the above named petitioner that a day may be fixed for the hearing of the petition above-mentioned for (purpose) presented on the day of....20... and that directions may be given as to the advertisement of the petition and the persons (if any) on whom the petition is to be served.

Dated this day of....20....

Authorized Representative for petitioner *Registrar of Tribunal*

This summons was taken out by Shri , Authorized Representative for the petitioner, and will be supported by the affidavit of

[Note : it is not intended to serve this summons on any person.]

Form No. 20

Form of Advertisement of Petition

[See rule 88]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of petition

A petition under the Limited Liability Partnership Act, 2008, for was presented by on the day of20.... and the said petition is fixed for hearing before the NCLT _____ Bench on.....20..... Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner or his authorized representative notice of his intention, signed by him or his authorized representative, with his name and address, so as to reach the petitioner or his authorized representative not later than *two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Dated.....(Sd).....(Name).....

(*Authorized representative for petitioner*)

.....

Address

*Where the petition is for winding up, substitute 4 days for 2 days.

IndiaCode

Form No. 21
[See rule 90]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of petition

To

.....

Take notice that a petition under the Limited Liability Partnership Act, 2008 forpresented by.....on the.....day of20..... was admitted on the.... day of....20... and that the said petition is fixed for hearing before the NCLT____ Bench on the day of....20.... If you desire to support or oppose the petition at the hearing, you should give me notice thereof in writing so as to reach me not later than 2 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing in person or by your authorized representative. If you wish to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of your affidavit should be furnished with your notice. A copy of the petition will be furnished to you if you require it on payment of the prescribed charges for the same/ is enclosed herewith*.

IndiaCode

Date..... **

(Signature).....
(Authorised Representative for petitioner)
.....
Address

[This notice should be served on or before the day of.....20.....]

Note

* Where the notice is to a respondent named in the petition, a copy of the petition should be served on him along with the notice.

** The notice should be served not less than 7 days before the date of hearing.

Form No. 22

[See sub-rule (2) of rule 93]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Affidavit of service of petition on LLP

In the matter of a petition, dated....for.....I.... son/daughter of.....aged..... residing at do solemnly affirm and say as follows :

1. [In the case of service of petition on a LLP, by leaving it with an officer or employee of the LLP at the registered office, or, if no registered office, at the principal or last known principal place of business of the LLP]

 That I did on... day, the... day of.... 20... serve the above named LLP with the above mentioned petition by delivering to and leaving with [name and description], an officer or employee of the said LLP, a copy of the above mentioned, duly sealed with the seal of the NCLT_____Bench, at [office or place of business as aforesaid], at....o'clock.

2. [In the case of no officer or employee of the LLP being found at the registered office or place of business]

 That I did on..... day, the... day of....20... having after the due diligence failed to find any officer or employee of the above-named LLP at [here state registered office or place of business] leave there a copy of the above-mentioned petition, duly sealed with the seal of the NCLT_____Bench, ato'clock [add where such sealed copy was left, e.g., affixed to door of office or placed in letter box or otherwise]

3. [In the case of directions by the Member or Registrar of Tribunal for substituted service].

 That I did on... day, the.... day of20....., serve [name or names and description] with a copy of the above-named petition, duly sealed with the seal of the NCLT_____Bench, by delivering the same together with a true copy of the order for substituted service dated..... personally to the said....., at [place] at....o'clock (or as the case may be).

4. [Where the service is by registered post.]

 That I did on.... day, the Day of.....20....., send by pre-paid registered post addressed to the said LLP at [here state registered office or place of business] [or addressed to (name and description) as directed by the Member or Registrar of

Tribunal], a true copy of the above-mentioned petition, and the postal voucher and the acknowledgment received in respect of the same are annexed hereto.

5. The copy served is a copy of the said petition now produced and shown to me marked 'A'.

Solemnly affirmed, etc.

Form No. 23
[see sub-rule (2) of rule 93]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Affidavit of service of petition/application on liquidator

In the matter of a petition/application, dated for.....I.....son/daughterof aged....., residing at do solemnly affirm and say as follows:

That I did, on..... day, the day of.....20....., serve [name and description] the Liquidator of the above named LLP with a copy of the above-mentioned petition/application, duly sealed with the seal of the NCLT_____Bench by delivering the same personally to the said.....at [place], at.....o'clock [or by sending the same by registered post addressed to the said liquidator at..... The postal receipt and acknowledgement are annexed hereto].

The copy served is a copy of the said petition/application now produced and shown to me marked 'A'.

Solemnly affirmed, etc.

Form No. 24
[See rule 97]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of intention to appear

To
..... (Name of Petitioner or his authorized representative)

..... (Address as given in Advertisement)

Take notice that Shri..... intends to appear at the hearing of the petition advertised to be heard on the day of.....20..... and to oppose (or support) such petition.

** Dated

Name
*Sd/-
Address.....

[Note: Grounds of objections or copy of the affidavit, if any, should be served with the notice].

* May be signed by the person or his authorized representative

** It should reach the addressee not later than two days previous to the date of hearing and four days in case of winding up petition.

Form No. 25
[See rule 98]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

List of Persons intending to appear

The following are the names of those who have given notice of their intention to attend at the hearing of the petition herein on the..... day of 20.....

Name	Address	Name of Authorized Representative, if any	Opposing	Supporting

Signature.....
Authorized Representative for the Petitioner

IndiaCode

Form No. 26
[See rule 101]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Petition for winding up
(General Form)

The petition of (here insert full name, description, occupation and address of petitioner)
Showeth:

1. The address of the petitioner above named for the service of all notices, processes etc., is that of his authorized representative Shriat

2. The LLP above named, viz. (hereinafter referred to as 'the LLP') (LLPIN _____) was incorporated in the month of20.....under the LLP Act, 2008.

3. The registered office of the LLP is situate at

4. The business of the LLP is

5. The names of partners and designated partners are as under:

6,7,8 [Here set out in numbered paragraphs, as may be necessary, the facts on which the petitioner relies in support of the petition. Where the petitioner is a LLP/partner/creditor/the Registrar/any person authorized by the Central Government/Central Government, the petition should state whether conditions stated under sub-rule (2) to (5) of rule 26 are satisfied. Where the LLP is being wound-up voluntarily, the facts showing that the voluntary winding-up, cannot be continued with due regard to the interests of the creditors or partners or both, should be set out. After setting out the facts conclude as follows]:

The petitioner, therefore, prays as follows:

1. That theLLP be wound up by the NCLT _____Bench under the provisions of the LLP Act, 2008 and

2. Such other order may be made in the premises as shall be just.

Authorised Representative for the petitioner *Petitioner*

Notes: It is intended to serve this petition on

IndiaCode

Form No. 27
[See rule 101]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Petition by creditor

The petition of [insert full name, description, occupation and address of petitioner] showeth as follows:

1. The address of the petitioner above named for the service of all notices, processes etc., is that of his authorized representative Shriat

2. The LLP above named, viz. (hereinafter referred to as 'the LLP') (LLPIN _____) was incorporated in the month of20.....under the Limited Liability Partnership Act, 2008.

3. The registered office of the LLP is situate at

4. The business of the LLP is

5. The names of partners and designated partners are as under:

6. The LLP is indebted to the petitioner in the sum of Rs..... for {state consideration for the debt, with particulars, showing that the debt claimed is due]*

7. The petitioner applied to the LLP for the payment of his debt by his notice of demand signed and dated.....served on LLP by causing it to be delivered at its registered office, by registered post or otherwise, but the LLP has failed to pay the sum or to provide adequate security or re-structure or compound the debt the reasonable satisfaction of the creditor.

8 The two-third in valueof creditors of the LLP consented that the LLP will not be able to pay for its debts in full from the proceeds of assets to be sold in voluntary winding up and propose that the LLP be wound up under the supervision of the Tribunal as winding up by the Tribunal.
[Where the LLP is being already wound-up voluntarily, set out the facts showing that the voluntary winding up cannot be continued with due regard to the interests of the creditors.]

9. The petitioner, therefore, prays as follows:

1. That theLLP may be wound up by the NCLT_____Bench under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008

IndiaCode

2. Such other order may be made in the premises as shall be just

Authorised Representative for the petitioner *Petitioner*

*Where the petitioner is an assignee of a debt due by the LLP, say so, and set out the particulars of the debt, the date of the assignment, whether notice of the assignment was given to the LLP'and if so, the date of such notice.

Form No. 28
[See rule 101]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Petition by LLP or partner(s) of LLP

The petition of (name of the LLP/Partner(s) of LLP), the petitioner herein, showeth as follows:

1. The address of the petitioner above named for the service of all notices, processes etc. is that of his authorized representative Shriat

2. The LLP above named, viz. (hereinafter referred to as 'the LLP') (LLPIN _____) was incorporated in the month of20.....under the Limited Liability Partnership Act, 2008.

3. The registered office of the LLP is situate at

4. The business of the LLP is

5. The names of partners and designated partners are as under:

6. By a resolution of three fourth majority of partners of the LLP, at a meeting thereof, held on the..... day of.....20..... it was resolved unanimously or by a three fourth majority of votes againstvotes, as follows :

[here set out the resolution]

[Here set out in paragraph the facts relating to the financial position of the LLP and the circumstances that have led to the passing of the resolution for winding up of LLP]

7. The petitioner therefore prays as following
1) that theLLP may be wound up by the NCLT _____Bench under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008

2) Such other order may be made in the premises as shall be just.

Authorised Representative for the Petitioner *Petitioner*

[Note:- Petition shall be accompanied by the statement of affairs and copy of the resolution]

Form No. 29
[See rule 105]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Advertisement of Petition

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above named LLP by the NCLT_____Bench was on the day of..... 20..... presented to the said Tribunal by the said LLP [or where the petition was not presented by the LLP, state the name and address of the petitioner and the capacity in which he presents the petition, e.g, creditor] and that the said petition is directed to the heard before the NCLT _____Bench on the..... dayof.....20.....

Any creditor or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his authorized representative notice of his intention signed by him or his authorized representative with his name and address, so as to reach the petitioner or his authorized representative not later than 2 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his authorized representative. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same. Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in NCLT_____Bench and a copy served on the petitioner or his authorized representative, not less than 2 days before the date fixed for the hearing.

Authorized Representative for Petitioner

Form No. 30
[See rule 111]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No..... of.....20.....

Before the Hon'ble Member Mr.

Dated.....

Order appointing Provisional Liquidator

Upon the application of, and upon hearing Shri....., authorized representative for the applicant, and Shri..... authorized representative for the LLP and upon reading the petition and affidavit filed the day of20.... and the affidavit of the applicant herein filed theday of.....20.....

The NCLT_____Bench doth appoint the (State the name and address) to be Provisional Liquidator of the above named LLP.

And the NCLT_____Bench doth hereby limit and restrict the powers of the said Provisional Liquidator to the following acts, that is to say,

[here describe the acts which the Provisional Liquidator is authorized to do.]

And the NCLT_____Bench doth order that the Provisional Liquidator do forthwith take charge of all the property and effects of the LLP;

And that the costs of this application shall be costs in the petition.

(By the NCLT _____Bench)

Registrar of Tribunal

Note:

It will be the duty of such of the persons named in rule 37 of the rules to attend on the Provisional Liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

Where the NCLT_____Bench directs that the Provisional Liquidator is to take possession of any specific properties, the clause should be suitably modified, and the particulars of such properties should be set out in a schedule to the order.

IndiaCode

Form No. 31
[See rule 114]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notification to Liquidator of winding up order

To

** The Liquidator

Order pronounced this day by the Hon'ble Member Mr.for winding up the under mentioned LLP under the LLP Act, 2008:

1. Name of LLP
2. LLPIN
3. Registered Office of the LLP
4. Petitioner's authorized representative
5. Date of presentation of Petition
6. Name of the Liquidator

A copy of the petition and the affidavit filed in support is herewith enclosed.

Dated:

Registrar of Tribunal

** The Registrar shall also be served with the copy of the order.

Note: (1) It will be the duty of such of the persons named in rule 37 of the rules to attend on the Liquidator at such time and place as he may appoint to give him all information he may require.

(2) Copy of the statement of affairs submitted to the Tribunal in terms of rule 26(4) or 28(1) shall be enclosed.

IndiaCode

Form No. 32
[See rule 114]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. _____of 20_____

Notification to Liquidator of order appointing him Provisional Liquidator

To

** The Liquidator

Order pronounced this day by the Hon'ble Member Mr., for appointment of the Liquidator as Provisional Liquidator of the under-mentioned LLP:

1. Name of LLP
2. LLPIN
3. Registered Office of the LLP
4. Petitioner's authorized representative
5. Date of presentation of Petition
6. Name of the provisional liquidator.

IndiaCode

A copy of the petition and the affidavit filed in support is herewith enclosed.

Dated *Registrar of Tribunal*

Note :- (1) It will be the duty of such of the persons named in rule 37 of the rules to attend on the Liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

(2) Copy of the statement of affairs submitted to the Tribunal in terms of rule 26(4) or 28(1) shall be enclosed.

Form No. 33
[See rule 116]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Before the Hon'ble Member Mr.
Dated.....

Winding up Order

Upon the petition ofpresented on theday of20..... upon hearing Shri _____authorised representative for the petitioner, Shri authorised representative for the creditors supporting the petition, Shri Authorised representative for the creditors opposing the petition, and Shri _____ authorized representative for the LLP or partner(s), upon reading the said petition, the affidavit of Shri _____ filed the day of.....20..... verifying the said petition, the affidavit of Shri..... filed the day of.....20..... And (here enter the newspapers) dated....., containing the advertisement of the said petition, this NCLT ____ Bench doth order :

(1) That the said LLP be wound up by this NCLT____ Bench under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

(2) That the Official Liquidator or(Panel Liquidator) do, as liquidator of the LLP aforesaid, forthwith take charge of all the property and effects of the said LLP;

@) (3) That the Liquidator shall cause a sealed copy of this order to be served on the LLP by pre-paid registered post;

(4) That the petitioner do advertise within 14 days from this date a notice in the prescribed form of the making of this order in one issue (each) of (here enter the newspaper or newspapers in which the order is to be advertised):

(5) That the said petitioner do serve a certified copy of this order on the Registrar not later than one month from this date; and

(6) That the cost of the said petition be taxed and paid out of the assets of the said LLP.

Dated this.... Day..... 20.....

..... *Registrar of Tribunal*

(By the NCLT _____ Bench)

@To be inserted only where the LLP is not the petitioner.

Note : It will be the duty of such of the persons named in rule 37 of the rules to attend on the Liquidator at such time and place as he may appoint and to give him all information he may require.

Form No. 34
[See rule 119]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of winding up order

By an order made by the NCLT_____ Bench in the above matter, dated the day of.....20.....it was ordered that the above named LLP be wound up under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

Dated.....

Authorized Representative for the Petitioner

Form No. 35
[See rule 123]

[letterhead of the liquidator or the provisional liquidator as the case may be]
In the matter of M/s.....LLP (in liquidation)
LLP Petition No..... of20.....

Notice to submit statement of affairs and attend Liquidator

To

.....
.....

Take notice that a winding-up order was made on the day of..... 20.....[or by an order dated the day of.....20...., I was appointed Provisional Liquidator of the above-named LLP] and that in pursuance of the provisions of the LLP Act, 2008, and the rules made thereunder, I as the Liquidator or Provisional Liquidator of the said LLP, require you to submit to me, within 21* days from the date of the said winding-up order (or the said order appointing me as Provisional Liquidator) a statement of affairs in duplicate of the said LLP.

Dated this day of20...

(Sd.)
(Liquidator
or Provisional Liquidator)

*Where the time has been extended, the extended time should be substituted.

Form No. 36
[See rule 124]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No.....of 20....
LLP Application No..... of 20...

....., Liquidator-Applicant
Versus
.....- Respondents

Before the Hon'ble Member, Mr.
Dated.....

Order on application by Liquidator under rule 28(5)

Upon the application of Shri, the Liquidator, by summons dated, and upon hearing the applicant, and the respondent not appearing either in person or by authorized representative, though duly served with the summons, as by affidavit appears (or upon hearing Shri, authorized representative for the respondent), upon reading the order to wind-up the abovementioned LLP (or the order appointing Provisional Liquidator) dated, and the affidavit offiled theday of20....

THIS NCLT____BENCH DOTH ORDER

That the said, the respondent herein formerly (a partner, designated partner, etc.) of the said LLP, do withindays from this date [or from the date of service upon him of this order*] submit and verify (or concur in and verify), a statement of the affairs of the said LLP and/or complete and audit the accounts pursuant to the provisions of rule 28 of the rules.

And that the said....., respondent herein, do attend on the Liquidator at his office, at such times as the Liquidator may appoint and give him all the information he may require as to the affairs of the LLP.

Dated thisday of20...
(By the NCLT____Bench)

Registrar of Tribunal

*To be included where the order is not made in the presence of the respondent.

Form No. 37
[See rule 126]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Statement of affairs under rule 28

Statement of affairs of the above named LLP as on the..... day of.....20...., the date of petition or the winding up order or the order appointing Provisional Liquidator, as the case may be.

I/We of..... do solemnly affirm and say that the statement made overleaf and the several lists hereunto annexed marked 'A' to 'G' are to the best of my/our knowledge and belief a full, true and complete statement as to the affairs of the above LLP, on the..... day of.....20....., the date of the petition or winding-up order or the order appointing Provisional Liquidator and that the said LLP carried/carried on the following business :

(Here set out nature of LLP business)

.....
Signature(s)

Solemnly affirmed at This.....day of.....20.... Before me.

Commissioner of Oaths or Notary public

STATEMENT OF AFFAIRS AND LISTS TO BE ANNEXED

Statement as to the affairs of.....LLP (LLPIN _____), on the.....day of.....20, being the date of the petition or winding up order or order appointing Provisional Liquidator as the case may be showing assets at estimated realizable value and liabilities:-

(A)Assets

I. Assets specifically mortgaged/pledged or having fixed charge (excluding floating charge) (as per list 'A')	Book value	Estimated realizable values	Due to secured creditors and workmen	Deficiency ranking as unsecured	Estimated Surplus

	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Freehold Property Leasehold Property Plant & Machinery Furniture, fittings etc Inventories Other assets					
Rs.					

II. Assets not specifically mortgaged/pledged etc. (as per List 'B')	Book Value (Rs.)	Estimated realisable values (Rs.)
Balance at Bank Cash in hand Investments Debtors/Trade receivables Loans & Advances Inventories Freehold Property Leasehold Property Plant & Machinery Furniture, fittings etc. Intangible Assets Other Assets (to specify) Outstanding contribution of the partners		

Gross Assets

Rs.

Gross realizable value of assets specifically mortgaged/pledged/having fixed charge _____
Other assets _____
Gross Assets _____

B. Liabilities

Gross Liabilities _____
Secured creditors including workmen dues. _____
Preferential creditors _____
Creditors having floating charge _____
Unsecured creditor and contingent liabilities _____
Gross liabilities _____

IndiaCode

		Rs.
	Estimated surplus from assets specifically mortgaged/ pledged/having fixed charge	_____
	Assets which are not specifically Mortgaged/pledged etc.	_____
	Estimated total assets available for preferential creditors, creditors having floating charge and unsecured creditors	_____
	Preferential creditors (as per List 'C')	_____
	Estimated balance of assets available for creditors having floating charge and unsecured creditors	_____
	Creditors having floating charge (as per list 'D')	_____
	Estimated balance of assets available for unsecured creditors and unsecured balance of creditors partly secured on specific assets.	_____
	Unsecured Creditors etc. (as per List 'E')	_____
	Estimated balance available to partners	_____
	Claim of partners (as per List 'F')	_____

Note:- Positive balance is treated as 'Surplus' and negative balance is treated as 'Deficiency'

Signature

Dated.....20.....

LIST "A" TO THE STATEMENT OF AFFAIRS:

Schedule I*

ASSETS SPECIFICALLY MORTGAGED, PLEDGED OR HAVING FIXED CHARGE (EXCLUDING FLOATING CHARGE) AND CREDITORS INCLUDING WORKMEN, FULLY OR PARTLY SECURED

Particulars of assets specifically mortgaged/ pledged etc,	Date when security given	Estimated value of security	Name and address of creditors	Amount of debt of secured creditors	Workmen dues
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Proportion of amount of secured creditors	Proportion of amount of workmen dues	Balance of debt / workmen dues unsecured carried to List 'D'	Estimated surplus from security
7.	8.	9.	10.

Signature Dated.....20.....

Schedule II

Description of Assets Specifically mortgaged /pledged etc

Assets	Location address & description	Area	Holder of the title & the person who is having the custody of the title deeds	Amount
Free hold property Leasehold property Plant and machinery Furniture and fittings Inventories etc.				

Signature Dated.....20.....

LIST 'B' TO THE STATEMENT OF AFFAIRS

Schedule I

ASSETS NOT SPECIFICALLY MORTGAGED/PLEDGED ETC.

II. Assets not specifically mortgaged/pledged etc.	Book Value (Rs.)	Estimated realisable values (Rs.)
Balance at Bank Cash in hand Investments Debtors/Trade receivables Loans & Advances Inventories Freehold Property Leasehold Property Plant & Machinery Furniture, fittings etc. Intangible Assets Other Assets (to specify) Outstanding contribution of the partners		

Signature Dated.....20.....

Schedule II

BALANCE AT BANK

Name and address of the bank	Bank balance Rs.	Nature of the account (FD/SB/CA)	Account No. / F.D No.	Person in whose custody the F.D. is lying	Name and address of the officer of the LLP who operated the account

Signature Dated.....20.....

Schedule III

CASH IN HAND

Amount	Person in whose custody the cash is lying	Person who was handling the cash in the LLP

Signature Dated.....20.....

Schedule IV

INVESTMENTS

Nature of the investment	Name of the body corporate/institutions where invested	Date of investment	Amount of investment	Person in whose custody scrip(s) is/are lying

Signature Dated.....20.....

Schedule V

DEBTORS/TRADE RECEIVABLES

(INCLUDING BILLS OF EXCHANGE PROMISSORY NOTES ETC.)

Name and address and whether related to designated partner	Amount	Good or bad	Within limitation or barred limitation	When contacted and supporting documents	Legal proceeding instituted(full details)	Particulars of any securities held	Cr. Bal.

Signature Dated.....20.....

Schedule VI

LOANS & ADVANCES

Name and address and whether related to	Amount	Good or bad	Within limitation or barred limitation	When contacted and supporting documents	Legal proceeding instituted(full details)	Particulars of any securities held

designated partner						

Signature Dated.....20.....

Schedule VII
INVENTORIES

Description	Amount	Quantity	Location address	Since when lying

Signature Dated.....20.....

Schedule VIII
DESCRIPTION OF OTHER ASSETS

Assets	Location address & description	Area	Holder of the title & person in whose custody the title deeds are lying	Amount
Free hold property Leasehold property Plant and machinery Furniture and fittings etc.				

Signature Dated.....20.....

Schedule IX
OUTSTANDING CONTRIBUTION OF THE PARTNERS

Name and address of the partner	Amount outstanding	Nature of the contribution	Since when outstanding	Any obligation

Signature Dated.....20.....

IndiaCode

LIST 'C' TO THE STATEMENT OF AFFAIRS
PREFERENTIAL CREDITORS

No.	Name of creditor	Address & occupation	Nature of claim	Period during which claim accrued due	Date when due	Amount of claim	Amount payable in full	Balance not preferential carried to List 'D'

Signature Dated.....20.....

LIST 'D'TO THE STATEMENT OF AFFAIRS
CREDITORS HAVING FLOATING CHARGE

No.	Name of Holder	Address	Amount Rs.	Description of assets over which security extends

Signature Dated.....20.....

LIST 'E' TO THE STATEMENT OF AFFAIRS
UNSECURED CREDITORS ETC,

No.	Name	Address	Amount	Date when contacted	Document in support	consideration
	Unsecured creditors ------- ------- ------- ------- Unsecured balance of creditors partly secured brought from List 'A' Balance not preferential creditors brought from List 'D'		_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			

Signature Dated.....20.....

IndiaCode

LIST 'F' TO THE STATEMENT OF AFFAIRS
LIST OF PARTNERS

Name & address	Amount of contribution	Nature of contribution	Since when the partner & whether designated partner	Amount of outstanding contribution

Signature Dated.....20.....

LIST 'G' TO STATEMENT OF AFFAIRS
DEBT DUE FROM PARTNERS

No.	Name	Residential address	Amount of Debts	Details of documents in support	When contracted and whether good or bad	Particulars of any security held for debt

Note:- Contra entry shall be disclosed with full details.

Signature

Dated.....20...

Form No. 38
[See rule 126]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Affidavit of concurrence in statement of affairs

I/We[name(s), description(s) etc. of authorized Partners, in case LLP is Petitioner and name of Partner in case the petitioner is partner/(s)] do solemnly affirm and say as follows: -

That I/We have perused the statement of affairs lodged herein by..... and that to the best of my/our information, knowledge and belief, such statement contains a full and accurate account of the LLP affairs [except as stated below].

[Here state, if necessary, in what respect, if any, the statement of affairs is not concurred in.]

solemnly affirmed etc.

.....
Signature of deponent

Commissioner for Oaths or Notary public

IndiaCode

Form No. 39
[See rule 127]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Certificate extending time for statement of affairs

I,..... the Liquidator, do hereby certify that I have, under the powers given to me by rule 127 extended the time for submitting the statement of affairs of the LLP required of..... (here mention the name and description of person who is to submit the statement), from the day of.....20....., to the day of..... 20.....

Dated this..... day of.....20.....

Sd/-
Liquidator

FORM NO. 40
[See rule 132]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No..... of 20.....

Report of the Liquidator under rule 132 read with rule 34

The Liquidator, in pursuance of rule 132 read with rule 34, hereby submit his report to the NCLT---Bench as follows:-
(A)Assets

I. Assets specifically mortgaged/pledged or having fixed charge (excluding floating charge)	Book value	Estimated realizable values	Due to secured creditors and workmen	Deficiency ranking as unsecured	Estimated Surplus
Freehold Property Leasehold Property Plant & Machinery Furniture, fittings etc Inventories Other assets	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Rs.					

III. Assets not specifically mortgaged/pledged etc.	Book Value (Rs.)	Estimated realisable values (Rs.)
Balance at Bank		
Cash in hand		
Investments		
Debtors/Trade receivables		
Loans & Advances		
Inventories		
Freehold Property		
Leasehold Property		
Plant & Machinery		
Furniture, fittings etc.		
Intangible Assets		
Other Assets (to specify)		
Outstanding contribution of the partners		

Gross Assets

Rs.

Gross realizable value of assets specifically mortgaged/pledged/having fixed charge _____

Other assets _____

Gross Assets _____

(B)Liabilities

Gross Liabilities _____

Secured creditors including workmen dues. _____

Preferential creditors _____

Creditors having floating charge _____

Unsecured creditor and contingent liabilities _____

Gross liabilities

Description of Assets Specifically mortgaged /pledged etc

Assets	Location address & description	Area	Holder of the title & person in whose custody the title deeds are lying	Amount
Free hold property				
Leasehold property				

IndiaCode

Plant and machinery Furniture and fittings Inventories etc.				

DESCRIPTION OF OTHER ASSETS

Assets	Location address & description	Area	Holder of the title & the person in whose custody the title deeds are lying	Amount
Free hold property Leasehold property Plant and machinery Furniture and fittings Inventories etc.				

(C) Information and materials to various items provided in clauses (a) to (m) of sub-rule (1) of rule 34.

(D) Details of fraud, if any, committed by persons provided in sub-rule (2) of rule 34.

(E) Material information provided in sub-rule (3) of rule 34.

(F) Any further report or reports, if the Liquidator thinks so to make, as provided in sub-rule (4) of rule 34.

[Sd]
Liquidator

Dated thisday of20.....

Form No. 41
[See sub-rule (2) rule 138]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

***Advertisement of notice to creditors to prove their claim**

Notice is hereby given to the creditors of the above-named LLP that they are required to submit to the Liquidator (as the case may be) of the NCLT proofs of their respective debts or claims against the above-named LLP by delivering at the office of the Liquidator on or before theday of.....20.....or sending by post to the Liquidator so as to reach him not later than the said date, an affidavit proving the debt or claim in the prescribed form with their respective names, addresses and particulars of debt or claim, and any title

to priority under the Act and the rules. Any creditor who fails to submit his affidavit of proof within the time limited as aforesaid will be excluded from the benefit of any distribution of distributable sum before his debt is proved, or, as the case may be, from objecting to such distribution.

Any creditor who has sent in his proof, if so required by notice in writing from the Liquidator, shall either in person or by his authorized representative, attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specified in such notice and shall produced such further evidence of his debt or claim as may be required.

Dated thisday of.....20.....

.....
Liquidator

* If the number of creditors does not exceed 100 individuals, the advertisement in newspaper may be dispensed with. In such cases, individual notices may be given.

Form No. 42
[See sub-rule (4) of rule 138]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice to creditor to prove his debt

To
.....
.....

You are hereby required to submit proof of your debt or claim against the said LLP by delivering at the office of the Liquidator of the NCLT _____ Bench on or before the..... day of.....20 or sending to the Liquidator by post so as to reach him no later than the said date, your affidavit of proof in the prescribed form with your name, address and particulars of claim and any title to priority you may claim under Limited Liability Partnership Act, 2008. If you fail to submit your affidavit of proof within the time limited as aforesaid, you will be excluded from the benefit of any distribution of distributable sum before your debt is proved, or as the case may be, from objecting to such distribution.

If so required by notice in writing from the Liquidator, you should attend upon the investigation of your debt or claim at such time and place as shall be specified in the notice and produce such evidence of your debt or claim as may be required.

Dated thisday of.....20.....

.....
Liquidator

Form No. 43
Voluntary winding up
[See sub-rule (4) of rule 138]

Name of LLP..... (in Liquidation)
LLPIN
Name of the LLP Liquidator.....
Address of the LLP Liquidator.....
Date of commencement of winding up.....

Notice to creditor to prove his debt

I....., the Liquidator of the said LLP, do hereby require you to submit proof of your debt or claim against the said LLP by delivering to me at my office at the above address on or before the.....day of.....20.... or by sending to me at the above address by post so as to reach me not later than the said date, your affidavit of proof in the prescribed form with your name, address and particulars of claim and any title to priority you may claim under LLP Act, 2008. If you fail to submit your affidavit of proof within the time limited as aforesaid, you will be excluded from the benefit of any distribution of distributable sum before your debt is admitted, or as the case may be, from objecting to such distribution.

If so required by notice in writing from me, you should attend upon the investigation of your debt or claim at such time and place as shall be specified in the notice and produce such evidence of your debt or claim as may be required.

Dated thisday of.....20.....

.....
LLP Liquidator

Form No. 44
[See rule 141]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Affidavit of proof of debt

I,.....of etc. (full name, address and occupation of deponent to be given) do solemnly affirm and state as follows :-

1. The above-named LLP was at the date of the order winding-up the same, viz. theday of....20.... and still is, justly and truly, indebted to me/us the sum of Rs..... for (here state consideration), as shown in the schedule below.

2. In respect of the said sum or any part thereof, I say I have not, nor have my partners or any of them, nor has any person, by my/our knowledge or belief, for my/our use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following :

[here state the particulars of all securities held, and where the securities are on the property of the LLP, assess the value of the same, and if any bills or other negotiable securities be held specify them in the schedule.]

[If the claim is made as a preferential claim, say so and set out the grounds on which the preference is claimed.]

Schedule

Date	Nature of the account	Description (e.g. invoice number, cheques or DD Number and name and address of the Bank)	Amount	Due Date	Remarks

Credit should be given for contra accounts.
Details of contra accounts.

Solemnly affirmed at.....on.....day.....the.....day of.....20.....

Before me

.....
Deponents' Signature

Notes :

1. Where the affidavit is not by the creditor, but by some person authorized by him, the deponent should state in a separate paragraph his authority for making the affidavit and the means of his knowledge, and suitable alternations should be made.

Form No. 45
[See rule 142]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Proof of debt of workmen

I,..... of etc. (fill in full name, address and occupation of deponent), on behalf of the workmen and others employed by the above-named LLP, solemnly affirm and say :

That the above-named LLP was, on theday of 20..... and still is justly and truly indebted to the several persons whose names, addresses and descriptions appear in the schedule below in sums severally set against their names in the seventh column of such schedule for wages due to them respectively as workmen or others in the employment of the LLP, in respect of services rendered by them respectively to the LLP during such periods as are set out against their respective names in the fifth column of such schedule, and for the accrued holiday remuneration so due to them in respect of such periods as are so set out in the sixth column of such schedule, for which said sums or any part thereof, I say that they have not nor has any of them, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever.

.....
Deponent

Schedule

Full name of workmen/other employees and proof of employment and designation	Address of workman/ employee	Whether workman or employee	Date of birth & date of entry to into the service of LLP	Scale of pay	Components of wages/salary				
1	2	3	4	5	6				

Period over which wages due	Period over which accrued holiday remuneration due	Total Dues	Remarks
7	8	9	10

Solemnly affirmed etc.

.....
Deponent's signature

Form No. 46
[See rule 147]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No.....: of 20.....

Notice to a creditor to attend the investigation or produce further evidence

To

.....
.....

Take notice that pursuant to rule 147 you are hereby required to attend before the Liquidator of the NCLT _____Bench at his office in person or by authorized representative on.....day, theday of.....20..... at o'clock for the investigation of your debt or claim against the above named LLP and furnish further evidence in support of your proof against the above-named LLP.

The further evidence required is as follows ___

.....

And take further notice that unless the above evidence is produced to the Liquidator on or before the said date, your said proof is liable to the rejected.

*Dated this.....day of.....20.....

.....
Liquidator

* The notice should reach not later than 7 days before the date fixed for the creditor to attend/produce evidence of the debt.

Form No. 47
[See rule 151]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of rejection of proof of debt

To
.....
.....

Take notice that as the Liquidator of the above-named LLP, I have this day rejected your full claim against the LLP or rejected to the extent of Rs....., on the following grounds :

.....

IndiaCode

And take further notice that, subject to the power of the NCLT_____ Bench to extend the time, no application to reverse or vary my decision in rejecting your proof will be entertained after the expiration of 21 days from the date of the service of this notice.

Dated this.....day of.....20.....

.....
Liquidator

Note: In case of workmen/other employees it may be drawn in the form of a suitable statement and communicated to the person who has lodged the claim on behalf of those workmen/other employees.

Form No. 48
[See rule 151]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice to admission of proof

IndiaCode

To
.....
.....

You are hereby informed that your claim against the above-named LLP has been allowed at the sum of Rs.....

Sd/-

Dated this.....day of.....20.....

.....

Liquidator

Note: In case of workmen/other employees it may be drawn in the form of a suitable statement and communicated to the person who has lodged the claim on behalf of those workmen/other employees.

Form No. 49
[See rule 155]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Certified list of proofs tendered to, and admitted or rejected by, the Liquidator

I,..... Liquidator of the above-named LLP, hereby certify that the following is a correct list of all creditors who submitted their proofs of debts or claims against the said LLP pursuant to advertisement, dated theday of.....20..... and the notices issued individually to the creditors. I further certify that in the first part of the said list are set out debts and claims admitted by me in full or in part, and the amounts admitted altogether amount to Rs..... In the second part are set out the claims which have been wholly rejected by me.

First Part
Debts and Claims admitted wholly or in Part

Serial No.	Name, address and description of *creditor*	Amount Claimed	Amount Admitted	Whether admitted as secured including workmen or preferential or floating charge or unsecured.

Second Part
Claims which have been wholly rejected

Serial No.	Name, address and description of creditor	Amount of claim

Dated this.....day of.....20.....

Sd/-
.....
Liquidator

Form No. 50
[See rule 160]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Provisional List of Partners

Serial No.	Name and Address	Form/ Nature of contribution	Amount of contribution	Contribution		
1	2	3	4	5		
				Amount of contribution upto the date of commencement of winding up	Amount contributed after the date of commencement of winding up	Total

Outstanding contribution		
6		
Amount of contribution outstanding upto the date of commencement of winding up	Amount of contribution outstanding after the date of commencement of winding up	Total

IndiaCode

Sd/-
Liquidator

Date: _____

Form No. 51

[See rule 161]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No. of 20....

Notice to Partners of date fixed to settle list of Partners

To

.....

.....

Take notice that I,.....the Liquidator of the above LLP, have fixed the.....day of..... 20.....at....o'clock at my office to settle the list of Partners of the above name LLP which has been made out by me, pursuant to the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules thereunder, and that you are included in such list. If no sufficient cause is shown by you to the contrary at the time and place aforesaid, the list will be settled including you therein as set forth in the said list.

Serial No in the list.	Name and Address	Form/ Nature of contribution	Amount of contribution	Contribution		
1	2	3	4	Outstanding contribution		
				Amount of contribution upto the date of commencement of winding up	Amount contributed after the date of commencement of winding up	Total

Outstanding contribution		
6		
Amount of contribution outstanding upto the date of commencement of winding up	Amount of contribution outstanding after the date of commencement of winding up	Total

Date: _____

Dated this.....day of....20.....

Sd/-
Liquidator

Notes:

1. Partners are under no obligation to attend before the Liquidator if they are satisfied that the particulars contained in the notice are correct.

2. A change of address may be notified by giving notice by post before the date fixed for the settlement of the list.

Form No. 52
[See rule 163]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Certificate of final settlement of the list of Partners

Pursuant to the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules made thereunder, I..... the undersigned, being the Liquidator of the above-named LLP hereby certify that the result of the settlement of the list of partners of the above-named LLP so far as the said list has been settled up to the date of this certificate is as follows :

Serial No in the list.	Name and Address	Form/ Nature of contribution	Amount of contribution	Contribution		
				Amount of contribution upto the date of commencement of winding up	Amount contributed after the date of commencement of winding up	Total
1	2	3	4	5		

Outstanding contribution		
6		
Amount of contribution outstanding upto the date of commencement of winding up	Amount of contribution outstanding after the date of commencement of winding up	Total

Dated this..... Day of....20....

Sd/-
Liquidator

Form No. 53
[See rule 164]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice to partner of final settlement of list of partners and that his name is included

To
.....
.....

Take notice that I..... the Liquidator of the above-named LLP, have, by certificate dated the..... day of.....20.... under my hand, finally settled the list of contributories of the said LLP, and that you are included in such list.

Any application by you to vary the said list of partners, or that your name may be excluded therefrom, must be made by you to the NCLT____ Bench within 21 days from the date of service on you of this notice. Any application made after the expiry of the said period will not be entertained.

Serial No in the list	Name and Address	Form/ Nature of contribution	Amount of contribution	Contribution		
1	2	3	4	5		
				Amount of contribution upto the date of commencement of winding up	Amount contributed after the date of commencement of winding up	Total

Outstanding contribution		
6		
Amount of contribution outstanding upto the date of commencement of winding up	Amount of contribution outstanding after the date of commencement of winding up	Total

Sd/-
Liquidator.

Dated:this day of.....200____

Form No. 54
[See rule 166]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Order varying list of partners

Upon the application of Sh..... by summons dated the day of....20.... for an order that the list of partners of the LLP and the liquidator's (or NCLT___Bench) certificate finally settling the same be varied by excluding the name of the applicant therefrom, and upon hearing etc. and upon reading, etc., IT IS ORDERED :

That the list of partners of the LLP and the Liquidators (or NCLT___ Bench) certificate finally settling that same be varied by excluding the name of the said Sh.....from the said list of partners or by including the name of the said Sh..... as a partner in the said list for..... amount of contribution and for _____ amount of outstanding contribution.

Dated this.....day of.....20.....

(by NCLT _____ Bench)

Registrar of Tribunal

Form No. 55
Form of advertisement
[See sub-rule (4) of rule 170]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of meetings of creditors and partners under rule 170

Notice is hereby given that

1. A meeting of the creditors of the above-named LLP will be held at(place) on.....day, theday of....20..... ato'clock to determine whether or not a Committee of Inspection shall be appointed to act with the Liquidator and who are to be the members of the Committee if one is appointed.

Note: To entitle a creditor to vote at the meeting of creditors aforesaid, his proof must be lodged with the Liquidator not later than....o'clock on the day of.....20.....

(2) A meeting of the partners of the above named LLP will be held at(Place) on... day the.....day of20..... at o'clock to consider the decision of the said meeting of creditors and to express the views of the partners whether or not a Committee of Inspection shall be appointed and who are to be the members of the Committee if one is appointed.

IndiaCode

Form of proof and of general and special proxies can be had at the office of the Liquidator. Proxies should be lodged with the Liquidator not later than...o'clock on the day of....20.....

Dated this day of ...20.....

.....
Liquidator

Note: The LLP's statement of affairs has not been lodged (or has been lodged and may be inspected at the office of Liquidator during office hours on payment of the prescribed fee.)

Form No. 55A

Form of individual notice to creditors

[See sub-rule (4) of rule 170]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No..... of 20.....

Notice of creditors' meeting under rule 170

To

.....

Take notice that a meeting of the creditors of the above-named LLP will be held at(place) on..... day the day of 20 at o'clock for the purpose mentioned below :

Agenda

To determine whether or not a Committee of Inspection shall be appointed to act with the liquidator, and who are to be the members of the Committee if one is appointed.

To entitle you to vote thereat your proof must be lodged with the Liquidator not later than o'clock on the day of ...20.....

The LLP's statement of affairs has not been lodged or has been lodged and may be inspected at the office of the Liquidator during office hours on payment of the prescribed fee.

Forms of proof and of general and special proxies are enclosed herewith. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Liquidator not later than ...o'clock on the day of ...20.....

Dated this ... day of ...20.....

.....
Liquidator

IndiaCode

Form No. 55B

Individual notice to partners

[See sub-rule (4) of rule 170]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No..... of 20.....

Notice of partners' meeting under rule 170

To

.....

.....

.....

Take notice that a meeting of the partners of the above-named LLP will be held at(place) on..... day the..... day..... of 20..... at o'clock for the purpose mentioned below :

Agenda

To consider the decision to be taken at a meeting of the creditors of the said LLP to be held on the day..... of20.... for determining whether or not a Committee of Inspection shall be appointed to act with the liquidator, and who are to be the members of the Committee if one is appointed, and to express the views of the partners on the said matters.

The LLP's statement of affairs has not been lodged or has been lodged and may be inspected at the office of the Liquidator during office hours on payment of the prescribed fee.

Forms of proof and of general and special proxies are enclosed herewith. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Liquidator at his office not later than.....o'clock on the day of....20.....

Dated this day of ...20....

Form No. 55C

Form of Individual notice

[See sub-rule (4) of rule 170]

.....

***[Heading as in form no 16]**

***LLP Petition No..... of 20.....**

Notice of Meeting (General Form)

To

..... Creditor or partner

..... of the said LLP

Take notice that a meeting of creditors or *partners will be held at(place) on..... day the..... day..... of 20..... at o'clock

Agenda

[1][Here insert the purpose for which the meeting is called]

Forms of general and special proxies are enclosed herewith. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Liquidator not later than.....o'clock on the day of...20.....

Dated this day of ...20....

.....
Liquidator

Note : * Delete if not applicable.

Form No. 55D

Form of advertisement

[See sub-rule (4) of rule 170]

*** [Heading as in form no 16]**

*** LLP Petition No..... of 20.....**

Notice of Meeting (General Form)

Notice is hereby given that a meeting of creditors or *partners in the above matter will be held at(place) on the..... day of 20..... at o'clock

Agenda

[Here insert the purpose for which the meeting is called]

Forms of general and special proxies can be had at the office of the Liquidator. Proxies to be used at the meeting must be lodged with the Liquidator not later than.....o'clock on the day of...20.....

Dated this day of ...20....

.....
Liquidator

Note : * Delete if not applicable.

Form No. 56
[See sub-rule (2) of rule 172]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice to Officers of LLP to attend meeting of creditors or partners

To

.....
.....

Take notice that a meeting of the creditors or partners will be held on the.....day of.....20..... at o'clockat (here insert the place where the meeting is to be held] and that you are required to attend thereat and give such information as the meeting may require.

Dated this day of..... 20.....

.....
Liquidator

Form No. 57
[See rule 173]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Affidavit as to the posting of notices of meeting

I..... (name and description) of etc., solemnly affirm and say as follows:

1. That I did on the day of....20..... send to each creditor or partner mentioned in the LLP's statement of affairs a notice of the time and place of the (respective) meeting(s) of creditors or partners.

2. That the notices for creditors were addressed to the said creditors respectively according to their respective names and addresses appearing either in their proofs or in the statement of affairs or to the last known addresses of such creditors and that the notices for partners were addresses of the partners respectively according to their respective names and addresses appearing in the statement of affairs or to the last known addresses of such partners.

3. That I further sent to each of the officers of the LLP as mentioned in the statement attached, at his respective address a notice of the time and place of the (respective) meeting(s) of creditors or partners.

4. That I sent the notices by putting the same pre-paid into the post office aton

5. That the notice was also advertised in (here set out the newspapers) dated.....

.....
Deponent

Solemnly affirmed

IndiaCode

Form No. 58

[See rule 175]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No..... of 20.....

Nomination of Chairman of Liquidator

I,..... the Liquidator of the above-named LLP, do hereby nominate..... (name and description) of.....to be chairman of the meeting of creditors (or partners) in the above matter appointed to be held aton theday20..... and I depute him to attend such meeting and use on my behalf any proxy or proxies held by him in this matter.

Dated this day of 20.....

.....

Liquidator

Form No. 59

[See rules 189 & 291]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No..... of 20.....

Report of result of meeting(s) of creditor or partners held under order of NCLT _____ Bench dated20.....

I,..... Name, Liquidator of the NCLT _____ Bench and/or Chairman of the meeting(s) of the creditors/partners held in pursuance of the order of the NCLT _____ Bench dated20..... do hereby report the result of the said meetings.

1. In pursuance of the order of this NCLT _____ Bench dated.....20..... a meeting of the creditors or partners of the above LLP was summoned by advertisement in (here enter the newspaper or newspapers) of the date (s)....20..... and was held on the..... day of.....20.....at.....o'clock. at I was the chairman of the said meeting.

2. The said meeting was attended either personally or by proxy by....creditors of the said LLP whose proofs of debts against the LLP were admitted or admitted for voting purposes amounting in the whole (as admitted) to the value of Rs.....or bypartners of the said LLP and entitled tovotes.

1. The question(s) submitted to the said meeting was (were):

[Here set out the question(s) submitted to the meeting]

.....

Chairman

4. At the said meeting it was resolved unanimously or as a result of the voting as set out below as follows:

[Here set out the resolution(s) passed at the meeting]

RESULT OF VOTING

Resolutions	Voting on resolutions					
	For			Against		
	No.	Amount		No.	Amount	
State the substance of any resolution passed.....						
.....						
Creditors.....						
Partners.....	No.	Amount	Votes	No.	Amount	Votes

.....
Liquidator

Dated this day of..... 20.....

Note:

The report of the result of meetings is required to be sent to Registrar of Tribunal within seven days of conclusion of the meeting by the Chairman.

Form No. 60
[See sub-rule (2) of rule 190]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

List of Creditors or Partners present at a meeting

Meeting held at....thisday of.....20.....

Consecutive Number	Name of creditor or Partner present or represented	Amount of proof or amount of contribution by each partner	
		In person	By proxies
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
7	Total number of creditors or partners present or represented		

.....
Liquidator

Form No. 61
[See rule 192]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Form of general proxy

I/Weof..... a creditor [or partner] of the above-named LLP, hereby appointof..... as my/our general proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of creditors [or partner] of the said LLP summoned to be held in the above matter on the.....day of.....20....., and at any adjournment thereof.

Dated this.....day of.....20.....

Signature:
Name

Notes :

1. It is open to a creditor or partner to appoint the Liquidator as his proxy

2. If the proxy is given by a firm, sign the firm's trading name and add 'by Shri..... a partner in the said firm'. If the proxy is given by a body corporate, the form of proxy must be under its common seal or under the hand of some officer duly authorized in that behalf and the fact that the officer is so authorized must be stated.

3. The proxy form when signed must be lodged with the Liquidator within the time mentioned in the notice convening the meeting at which it is to be used.

Form No. 61A
[See rule 192]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Form of special proxy

I/We.....of.....a creditor [or partner] hereby appoint as my/our proxy at the meeting of creditors [or partner] to be held on theday of.....20..... or at any adjournment thereof, to vote. [Here insert the word 'for' or the word 'against' as the case may require, and specify the particulars resolution] the resolution numbered in the notice convening the meeting.

Dated this.....day of.....20....

Signature:.....
Name

Notes:

1. It is open to a creditor or partner to appoint the Liquidator as his proxy
2. If the proxy is given by a firm, sign the firm's trading name and add 'by Shri....., a partner in the said firm'. If the proxy is given by a body corporate, then the form of proxy must be under its common seal or under the hand of some officer duly authorized in that behalf and the fact that he is so authorized must be stated.
3. The proxy form when signed must be lodged with the Liquidator within the time mentioned in the notice convening the meeting at which it is to be used.
4. Where the person giving proxy wishes to give instructions regarding voting on any amendments that may be moved or as the case may be, such instructions may be noted in the proxy if so desired.

Form No. 62

[See rule 205]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No..... of 20.....

Notice by Liquidator requiring payment of money or delivery of property books, etc. to the Liquidator

I, the undersigned, the Liquidator of the above-named LLP, hereby require you, the under-mentioned.....(name of person to whom notice is addressed) to pay to me (or deliver, convey, surrender, transfer to or into my hands) at my office the sum of Rs..... being the amount appearing to be due from you on your account with the said LLP [or any money, property*, books or papers] now in your hands and to which the said LLP is entitled [or otherwise, as the case may be].

Dated this..... day of.....20.....

Sd/-

Liquidator

(name and address of the person to whom the notice is addressed)

*Property to be specifically described

Form No. 63

[See rule 207]

[Heading as in form no 16]

LLP Petition No..... of 20.....

Document making a demand

To

.....

.....

I, Shri the Liquidator of the above-named LLP, in pursuance of rule 207 hereby call upon you to make payment of Rs..... the amount due to the LLP by you in respect of which sum is to be paid at the office of the Liquidator of the NCLTBench through bank draft drawn in favour of Liquidator payable at on or before the day of20.....

Dated this..... day of.....20.....

Liquidator

Form No. 64
[See rule 208]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Liquidator ---- Applicant

Summons to enforce the demand

Let all parties concerned attend the Member in NCLT..... Bench on the day of.....20.....ato'clock on the hearing of an application made by the Liquidator of the above named LLP for an order that the persons named in the second column of the schedule to this summons, being respectively partners of the above LLP be ordered to pay to the said Liquidator at his office, the sums set opposite their respective names in the fifth column of the schedule hereto, such sums being the amounts due from the said persons respectively, made by the applicant, with interest thereon at.....per cent per annum from the date of the order, and that the said several persons may be ordered to pay to the applicant the costs of and incidental to this application.

SCHEDULE

No.	Name and description	Address	Outstanding Amount of contribution	Total Amount due
1	2	3	4	5

Dated this Day of 20

Liquidator *Registrar of Tribunal*

Form No. 65
[See rule 208]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Liquidator ---- Applicant

Affidavit in support of application for payment

(To be included where there are two or more partners)

I, Shri..... Liquidator of the above-named LLP, solemnly affirm and say as follows:

1	2	3	4	5
1.	The partners	of the said LLP whose	names are set forth in the schedule to the summons herein marked 'A' have not	paid the sums set opposite their respective names in the said schedule, which sums are the amounts due from them.

2. A notice in the prescribed form specifying the amount due from each of the said partners were duly served by registered post or(or as the case may be) on such partners respectively.

3. The respective amounts set opposite the names of such partners respectively in the fifth column of the said schedule are the true amounts due and owing by them respectively in respect of

Solemnly affirmed etc.

Liquidator

Form No. 66
[See rule 208]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....
Liquidator ---- Applicant
Before the Hon'ble Member Mr.....

Dated.....

Order for payment of amount due from Partner

Upon the application of the Liquidator of the above-named LLP and, the affidavit offiled the..... day of....20..... and the affidavit of the Liquidator filed the Day of.....20....., it is ordered:

That Shriof etc., (or Shri, the legal representative of Shri, late of..... etc. deceased), one of the partners of the said LLP or, if against several partners, that the several persons named in the second column of the schedule to this order, being respectively partners of the said LLP do on or before the day of.....20..... pay to the Liquidator of the said LLP at his office, the sum of Rs..... (If against the legal representative add, out of the assets of the said Shrideceased in his hands as such legal representative as aforesaid), or if against several partners, the several sums of money set opposite to their respective names in the fifth column of the said schedule hereto, being the amount(s) due from the said Shri....., or Shri, or the said several persons respectively in respect of

And it is further ordered that the said Shri, or Shri or the said several persons do also pay interest at the rate of per cent per annum on the said amount(s) specified in the fifth column of the said schedule from this date to the date of payment.

SCHEDULE
(to be included where there are two or more partners)

No.	*Name and description*	*Address*	*Outstanding Amount of contribution*	*Total Amount due*
1	2	3	4	5

Dated this day of....20.....
(By the NCLT.....Bench)

Registrar of Tribunal

Note:

The copy for service of the above order must bear the following endorsement:-

"If you, Shrineglect to obey this order by the time mentioned therein you will be liable to process of execution for the purpose of compelling you to obey the same".

Form No. 67
[See sub-rule (2) of rule 210]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Liquidator (or as the case may be) ---- Applicant

Summons for leave to examine person(s)

Let all parties concerned attend the Member in Chambers on....day the..... day of.....20, on the hearing of an application of the Liquidator of the above LLP (or as the case may be) for an order[Here insert the name(s) of the person(s) to be examined] be examined by the NCLT..... Bench respecting [the property (or books and papers) of the LLP in his (their) possession or his (their) indebtedness to the LLP or the promotion, formation, trade dealings, property, books or papers or affairs of the LLP] [and/or for the production of all books, papers, writings and documents in his (their) custody or to extend corporation in discovery and delivery of property, assets, books etc or power relating to the said LLP] and that a date be fixed for such examination and summons be issued to the said person(s) for his (their) appearance on the date fixed and that all necessary directions may be given in the said matter. (Omit what is not required).

Dated this..... day of....20.....

Liquidator

Registrar of Tribunal

Form No. 68
[See rule 211]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Liquidator (or as the case may be) ---- *Applicant*

Before the Hon'ble Member Mr.

Dated.....

Order for private examination

Upon the application by summons dated.....20..... of the Liquidator or of....., a partner of the above-named LLP and upon hearing, etc., and upon reading the order to wind-up the said LLP or the order appointing a Provisional Liquidator dated.....20..... and the statement of the Liquidator or the affidavit of the said Mr., filed on20..... , it is ordered :

1. That(name and description)* be summoned to attend the NCLT.....Bench on.....day theday of.....20....., ato'clock, for the purpose of being examined concerning the property or books or papers of the LLP in his possession or his indebtedness to the LLP or the promotion, formation, trade, dealings, property, books or papers, or affairs of the LLP** or to extend co-operation in discovery and delivery of property, assets, books etc and the said.....be required to bring with him and produce at the said time and place the documents mentioned in the schedule hereto, and all other books, papers, deeds, writings and other documents in his custody or power in any way relating to the above-named LLP**:

2. That the Liquidator do have the conduct of the examination of the said person(s);

3. That the examination shall be in Chambers or in NCLT_____ Bench;

4. *That(name) being a creditor or Partner of the said LLP be at liberty to attend or take part in the said examination.

SCHEDULE***

(Of persons to be examined and/or of documents to be produced, as the case may be)

Dated this.....day of20.....
(By NCLT _____ Bench)

Registrar of Tribunal

*Where more than one person is to be examined, say, 'That the persons mentioned in the schedule hereto be summoned, and give the names and addresses in a schedule to the order'.

** Omit what is not required.

***To be included where necessary.

Form No. 69
[See rule 213]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Liquidator ---- Applicant

Summons to witness for examination

To
.....
.....

Whereas by an order of the NCLT _____ Bench dated theday of20...made herein, it was ordered that you..... (name and description) be examined touching the affairs of the above-named LLP (or as the case may be), you are hereby required to attend the NCLT _____ Bench before the Member in Chambers on..... day the..... day of.....20.....at....o'clock to be examined as aforesaid; And you, the said are hereby required to bring with you and produce at the time and place aforesaid the (here give the description of the property or document etc.) and other documents in your custody or information or power in any way relating or belonging to the LLP.

If you fail to attend at the said place and time, having no lawful impediment to be then made known to the Member and allowed by him, the Member may by warrant cause you to be apprehended and brought up for examination.

A sum of Rs..... is herewith tendered or sent separately by Demand Draft for your expenses in connection with the aforesaid examination.

Dated this day of 20....

Liquidator *Registrar of Tribunal*

IndiaCode

Form No. 70
[See sub-rule (1) of rule 216]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Before the Hon'ble Member Mr.....

Order directing public examination

Upon reading the report of the Liquidator in the above matter dated the..... day of..... 20....., IT IS ORDERED :

1. That the several persons whose names and addresses are set forth in the schedule hereto do attend before the NCLT.....Bench on the day and hour to be appointed for the purpose, and be publicly examined as to the promotion or formation or the conduct of the business of the LLP, or as to their conduct and dealings as officers of the LLP.

2. That notice of the date fixed for the examination be advertised in one issue (each) of (here set out the newspaper or newspapers in which the advertisement is to be inserted) and such notice be served on the persons to be examined not less than 7 days before the date of the examination.

3. That the examination shall be held before (here name the officer and follow up with any further directions that may be given relating to the conduct of the examination or the matter on which the persons are to be examined).

The Schedule Referred to

Serial No.	Name	Address	Connection with the LLP

Dated this.....day of.....20....
(By the NCLT_____Bench)

Registrar of Tribunal

Form No. 71
[See rule 217]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of public examination

Notice is hereby given that a public examination will be held in NCLT Bench on theday of.....20.....at o'clock..... before....., of..... a partner (or other officer) of the above-named LLP.

Liquidator

Form No. 72
[See rule 217]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice to attend public examination

Whereas by an order of this NCLT_____ Bench made on the..... day of.....20....., it was ordered that you, the under-mentioned Mr....., should attend before the NCLT_____ Bench and by publicly examined as to the promotion or formation of the LLP and/or as to the conduct of the business of the LLP, and/or as to your conduct, dealings as (here insert, partners, designated partners or officer, as the case may be);

And Whereas it has been directed that the said examination be held before the Member [or the NCLT_____ Bench has directed that the said examination be held before (here mention the officer) before whom the examination has been directed to be held] and whereas..... day the..... day of.....20....., ato'clock has been fixed as the time for holding the said examination before the Member (or officer as the case may be).

Notice is hereby given that you are required to attend at the said time and place and at any adjournments of the examination which may be ordered, and to bring with you and produce all books, papers, and writings and other documents in your custody or power in any way relating to the above-named LLP.

And take further notice that if you fail, without reasonable excuse, to attend at the said time and place and at any adjournments of the said public examination, a warrant for your arrest will issue, and you will be liable to be committed to prison without further notice.

IndiaCode

Note: A copy of the report of the Liquidator on which the order for public examination was made will be furnished to you on payment of the prescribed charges for the same.

Dated this..... day of.....20.....

Liquidator

To

Mr.....(Name)
..... (Description and address)

Form No. 73
[See rule 219]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Report to the NCLT _____ Bench where person examined refuses to answer to satisfaction of the officer of NCLT_____ Bench

IndiaCode

At the public examination of(name and description of the person examined) held before me this.....day of.....20....., the following question(s) was/were put by me or allowed to be put by me to the said person (hereinafter referred to as 'the witness').

Q. [Here state the question(s).]

The witness refused to answer the said question(s) or the witness answered the said question(s) as follows :-

[Here insert the answer(s), if any.]

I thereupon intimated the witness that I was reporting his refusal to answer or his answer(s) to the Member, NCLT_____ Bench and that he should attend the Member on theday of.....20.....at.....o'clock when the report will be considered by the Member.

Officer holding the examination

Form No. 74
[See rule 225]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Liquidator of the LLP ... Applicant
Versus
_____ Respondent

Summons under rule 225

Let all parties attend the sitting Member in Chambers on daythe day..... of 20.....at....o'clock on the hearing of an application under rule 225 on the part of the Liquidator of the LLP aforesaid or, Sh.....,of a creditor/partner of the said LLP for the following declarations and order:-

1. A declaration that business of the said LLP was carried on from the..... 20..... to the20..... (the date of the commencement of the winding-up of the LLP), with intent to defraud creditors and for other fraudulent purposes by reason of the fact that (Here set out the facts showing the fraudulent purposes, e.g., that the LLP continued to trade and to obtain goods on credit and to incur other liabilities without any means or prospect of being able to pay or provide for payment thereof,) and that the respondents as the.....of the LLP were knowingly parties to the carrying on of the business of the said LLP in the manner aforesaid.

2. A declaration that the respondents..... (Names)..... shall be personally responsible, without any limitation of liability, for all the debts or other liabilities of the LLP.

3. A declaration that the said respondents are jointly and severally liable to pay to the Liquidator sums amounting to Rs..... being the amount of debts owing by the LLP in respect of goods supplied to or services rendered to or other liabilities incurred by the said LLP during the period aforesaid or such part of the said sums as to the NCLTBench shall seem fit after due inquiry.

4. An order for payment to the Liquidator by the said respondents of the said sum of Rs..... or such other sum as to the NCLT____ Bench shall seem fit.

5. An order that for the purpose of giving effect to the foregoing declaration, the liability of the respondent..... (name) shall constitute a first charge on (Here set out the debt, mortgage or interest of the respondent on which the charge is created), and that the liability of the respondent Sh....., thereunder shall be and constitute a first charge on the Sh..... issued by the said LLP to him and the money secured thereby.

6. An order that the respondents do pay to the applicant costs of and incidental to this application.

7. Such other order in the premises as the NCLT Bench shall think fit to make.

Dated this..... day of.....20.....

Registrar of Tribunal

This summons was taken out by Shri..... authorized representative for the applicant

To
.....(respondents)
.....

Note: If you do not attend, either in person or by your authorized representative, at the time and place above mentioned, such order will be made and proceedings taken as the Member may think just and expedient.

Form No. 74A
[See rule 225]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

Liquidator of..... LLPApplicant
Versus

_____ Respondents

Summons under rule 225

Let all parties attend the Member in Chambers on..... day the..... day of.....20....., ato'clock on the hearing of an application under rule 225 on the part of the Liquidator of the LLP aforesaid or Sh., a creditor or partner of the above LLP for –

1. A declaration that the respondents, the(designated partners, partners, officers, etc. as the case may be) of the above LLP had misapplied, retained or become liable or accountable for the money or property of the LLP, or were guilty of misfeasance and breach of trust in relation to the said LLP in (here set out briefly the ground on which the declaration is sought, e.g. lending without consideration and without taking any security Rs..... of the said LLP to..... on20..... whereby the same became wholly lost to the said LLP on the adjudication of the saidas insolvent on20.....20..... or as the case may be).

2. An order that all necessary inquiries be made and accounts taken for ascertaining what sums the respondents are liable to contribute to the assets of the said LLP by way of compensation for such misfeasance and breach of the trust as aforesaid.

3. An order that the respondents do jointly and severally contribute to the assets of the said LLP and do pay to the Liquidator or the said LLP all such sums as they may be found liable to contribute to such assets together with interest on such sums at the rate of per cent per annum as from the several dates when the said sums were respectively wrongfully paid away until the date of replacement

4. An order that the said respondents do pay the costs of and incidental to the application.

5. Such other order as in the premises, the NCLT_____ Bench shall think fit to make.

Dated this.....day of.....20....

Registrar of Tribunal

Authorized representative for applicant

[This summons was taken out by Shri.....authorised representative for the applicant]

To

.....
..... (Respondent)

Note : If you do not attend, either in person or by your authorized representative, at the time and place above-mentioned, such order will be made and proceedings taken as the Registrar may think just and expedient.

Form No. 75
[See rule 226]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

_____Applicant(s)
Versus
_____Respondent(s)

Points of claim under rule 226

1. The above–named LLP [hereinafter called 'the LLP'] was incorporated on the.....20..... with a contribution of Rs.....

2. By an order made on the20....., the LLP was ordered to be wound up by the NCLT.....Bench.

IndiaCode

3. The respondent was a designated partner/partner/officer etc. of the said LLP (state the position occupied by the respondent in the LLP and the period during which he occupied such position and the salary paid to him).

4. Etc. [set out in separate paragraphs, as may be necessary, the nature of the business of the LLP, the way in which it was carried on and the facts showing that the business was conducted fraudulently and that the respondent was knowingly a party to the same.]

The Liquidator/Sh....., the applicant claims:

1. A declaration that the respondent is liable without any limitation of liability for all the debts of the LLP amounting to the sum of Rs.....

2. If necessary, an amount of debts of the LLP.

3. Payment by the respondent of the said sum of Rs..... or other sum for which he may be found responsible on the taking of accounts.

4. Costs

5. Further or other relief

Delivered the day of.....20..... by.....

Applicant

Authorized Representative for the Applicant

IndiaCode

Form No. 75A
[See rule 226]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No. of 20.....

.....Applicant(s)
Versus
.....Respondent(s)

Points of claim under rule 226

1. The above named LLP (hereinafter called 'the LLP') was incorporated on the20.... with a contribution of Rs.....

2. By an order dated the..... 20..... the LLP was ordered to be wound –up by the NCLT.....Bench [or as the case may be].

3. The respondents were at all material times [state the position occupied by each of them .e.g. designated partner, partner or officer of the LLP]

4. Etc. [set out in separate paragraphs as may be necessary the main facts showing the misfeasance or breach of trust committed by each of the respondents and the amounts which they are jointly and severally liable to make good to the LLP in consequence of such misfeasance or breach of trust].

And the Liquidator/Sh....., the applicant claims :-

(1) A declaration that the respondents and each of them as past or present partners or, as the case may be, as aforesaid have been guilty of misfeasance and breach of trust in relation to the LLP as aforesaid.

(2) An order that the respondents and each of them do repay to the Liquidator of the said LLP the said sum, together with interest at the rate of..... per cent per annum from20..... down to the date of payment.

(3) Costs

(4) Further or other relief

Applicant

Delivered the day of..... 20..... by.....

Form No. 76
[See sub-rule (2) of rule 228]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice to Liquidator or LLP Liquidator to elect whether he will disclaim

I, the undersigned give you notice that the above-named LLP was, at the time of the making of the winding - up order herein [or at the time of the passing of the resolution for winding - up], the lessee of the property described in the schedule hereto [or as the case may be], and I, as lessor of the said property [or as the case may be], hereby require you pursuant to the provisions of rule 228 within 28 days after the receipt of this notice to decide whether you will disclaim the said lease [or as the case may be], and if you decide to disclaim as aforesaid, to give me notice within the said 28 days of your intention to apply to the NCLT.....Bench for leave to disclaim accordingly.**

Dated this..... day of20.....

(Signature)
Address:
(Lessor or authorized representative for the lessor, as the case may be)

To
The Liquidator/LLP Liquidator of
..... LLP (in Liquidation)

IndiaCode

SCHEDULE

Here set out particulars of the property, lease, contract, etc.

*Title to be suitably modified in the case of voluntary winding-up

**In the case of a contract, add at the end "and also disclaim the contract within the said period".

Form No. 76A
[See sub – rule (2) of rule 228]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice by Liquidator or LLP Liquidator of intention to apply to Tribunal for leave to disclaim

Take notice that I intend to apply to the NCLT.....Bench for leave to disclaim [here specify the property, lease, contract etc., with short particulars and the interest of the LLP therein sought to be disclaimed] referred to in the notice given by you to me as the Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP.

(Signature)
Liquidator or LLP Liquidator

To

.....
.....

Form No. 76B
[See sub – rule (2) of rule 228]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No..... of 20.....

Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP — Applicant

Summons for extension of time for giving notice of intention to apply for leave to disclaim

Let all parties concerned attend the Member in Chambers on the day of 20.... on the hearing of an application by the applicant herein for an order that the applicant as the Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP may be at liberty within.....days of the order to be made herein to given notice to.....of.....of his intention to apply to the Tribunal for leave to disclaim [here specify the property, lease or

IndiaCode

contract etc., and the interest of the LLP therein to be disclaimed, with short particulars thereof].

Dated this.....day of.....20.....,

Liquidator or LLP Liquidator *Registrar of Tribunal*

This summons as taken out by the Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP.

To

(Insert names of persons to be served, if any)

Form No. 76C
[See sub – rule (2) of rule 228]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Before the Hon'ble Member Mr.....
(or as the case may be)

Order extending time for disclaimer

Upon the application of etc.

IT IS ORDERED that the applicant, as such Liquidator or LLP Liquidator, be and is hereby allowed a further period of.....days from the20....., within which he may give notice to.....of his intention to apply to the Tribunal for leave to disclaim the [here specify the property, lease, contract etc., with short particulars and the interest of the LLP therein which is to be disclaimed].

Dated this.....day of.....20.....

(By the Tribunal)

Registrar

IndiaCode

Form No. 76D
[See sub – rule (2) of rule 228]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of interest in property sought to be disclaimed

To
The Liquidator or LLP Liquidator etc.,

Take notice that I, the undersigned, claim to be interested in [specify the property, lease, contract etc., with short particulars] which is sought to be disclaimed by you, and that the nature of my interest therein is as follows:

.....

(Signature)
(Address)

IndiaCode

Form No. 76E
[See sub – rule (2) of rule 228]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No..... of 20.....

Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP — Applicant

Summons for leave to disclaim

Let all parties concerned attend the sitting Member in Chambers on the day of....20..... at.....o'clock, on the hearing of an application of the Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP for an order pursuant to rule 228 that the said Liquidator or LLP Liquidator may be at liberty to disclaim (here specify property, lease, contract, etc. with short particulars and the interest of the LLP therein sought to be disclaimed) and that the costs of the application may be provided for.

Dated this day of.....20.....

Registrar

Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP

Note: On the hearing, the summons will be adjourned for notice to interested parties.

Form No. 76F
[See sub – rule (2) of rule 228]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No.....of 20.....

Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP — Applicant

Affidavit in support of summons for leave to disclaim a lease

I, the Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP, do solemnly affirm and say as follows:—

1. The above-named LLP [hereinafter referred to as the LLP) was ordered to be wound up by this NCLT.....Bench by order dated 20...., or the above-named LLP resolved by a resolution passed on _____ that it should be wound-up voluntarily, and I was appointed Liquidator or LLP Liquidator for the purpose of the winding-up.
2. By a lease dated theday of20 ..., made betweenof the one part and the LLP of the other part, the saiddemised unto the LLP all that (specify shortly the premises leased and the rent, mentioning any special covenants). The said lease* is now produced and shown to me marked 'A'.
3. The premises so demised to the LLP were used by them for the purposes of (specify what) but have not been occupied or used by the LLP since the month of20.....; (etc., as the case may be) nor are there any goods and chattels of the LLP thereon.
4. I have/have not endeavored to sell the said lease. Having regard to the rent payable and the terms thereof, the lease is not a profitable one. I have/have not entered into possession of the premises thereby demised or exercised any act of ownership in relation thereto (or as the case may be).
5. The said lease is of no benefit to the LLP, its creditors or partners, and to the best of my knowledge, information and belief there are no persons interested in the said lease except the LLP and the lessors as aforesaid (or, as the case may be, and state any advantages sought to be attained by the disclaimer, how it would affect other people, etc.).
6. (If the 'disclaimer' is out of time, facts in explanation on which the Tribunal may be properly asked to extend the time should be stated).
7. [On the 20....., I received a notice fromofrequiring me to say whether or not it was my intention to disclaim the said contract. The notice is hereto annexed, markedon the day of20....., within 28 days of the receipt of the said notice (or if the Tribunal has extended the time, add, by leave of the Tribunal notwithstanding that 28 days had elapsed since the receipt by me of the said notice) I gave notice to the said.....of my intention to make this application to the Tribunal. A copy of the said notice is hereto annexed and marked.....).
8. The assets of the LLP are insufficient to meet the claims of the creditors (or as the case may be).

9. In these circumstances, I ask for leave to disclaim the said lease, and the said..... should be allowed to prove for the loss suffered by reason of the said disclaimer along with the other creditors.

Solemnly affirmed etc. *Liquidator/ LLP Liquidator*

*Note : The original or a certified copy of the lease to be produced.

Form No. 77
[See rule 231]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice to parties interested in the property in respect of which the application to disclaim is made

Notice is herby given that on an application to the Tribunal by me as Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP for leave to disclaim a lease to the above-named LLP dated.....20....., etc., (or as the case may be), the Tribunal adjourned the matter until the day of..... 20..... for notice to be given to you.

If you desired to be heard on the said application, you should attend the adjourned hearing before the NCLT.....Bench on.....day, the.....day of.....20.....at.....o'clock either in person or by authorized representative.

Any affidavit that you intent to use in opposition should be filed in NCLT..... Bench and a copy thereof served on me not later than 2 days before the date of the adjourned hearing.

A copy of the summons and a copy of my affidavit filed in support thereof are sent herewith.

(Signature)
.....
Liquidator/ LLP Liquidator

To
.....
.....

Form No. 78
[See rule 232]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No.....of 20.....

Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP — Applicant

Before the Hon'ble Member Shri.....

Order giving leave to disclaim

Upon the application by summons dated.....20..... of the Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP and upon hearing the applicant in person (or Shri authorized representative for the applicant and the authorized representative for(party interested) or no one appearing for or on behalf ofa party interested although he has been duly served with notice of the said application pursuant to the directions of the Tribunal as appears by the affidavit of filed on.....20....., and upon reading the order to wind-up the said LLP dated the.....20.....,or on pursuing the resolution of the LLP for voluntary winding-up dated....20..... the affidavit of..... filed the20....., and the affidavit of..... filed the.....20....., and the exhibits in the said affidavits respectively referred to (Exhibit..... to the first mentioned affidavit being the contract or lease or as the case may be)*

IT IS ORDERED that the Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP, the applicant, be at liberty, on or before20....., to disclaim the contract (or the lease, or other property as the case may be) dated.....20..... made between.....of the one part and the said LLP of the other part, whereby (set out in brief the nature of the contract or the lease or other property as the case may be) particulars of which are set out in the schedule hereto, upon the following terms, namely,

[Here set out the terms and conditions, if any subject to which leave to disclaim has been granted].

Schedule above referred to

[Here set out the particulars of the property disclaimed e.g. contract or lease dated.....20..... made between etc. (or as the case may be)].

Dated this..... day of.....20.....

(By NCLT.....Bench)

Registrar of Tribunal

*Note : Where the NCLT..... Bench had made an order extending the time, that order should also be mentioned in the preamble to this order.

Form No. 79
[See rule 233]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Disclaimer of Lease*

Pursuant to an order of the NCLT..... Bench dated the day of..... 20.....

I, the undersigned, the Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP, hereby disclaim all interest in the lease dated.....20....., whereby the premises (here insert description of the property disclaimed) were demised to..... at a rent of Rs..... per annum (or per mensem) for a term of years.

Notice of this disclaimer has been given to.....

Dated this..... day of..... 20.....

Liquidator/ LLP Liquidator

*The form to be suitably altered in the case of property other than lease.

Form No. 80
[See rule 233]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of disclaimer of lease*

Take notice that pursuant to an order of the NCLT.....Bench , dated the day of.....20....., I, the undersigned , the Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP, by writing under my hand bearing date the day of.....20....., disclaimed all interest in the lease dated the..... day of.....20....., whereby the premises (here insert description of property disclaimed) were demised to..... at a rent of Rs..... per annum (or per mensem) for a term ofyears.

The above-mentioned disclaimer was filed in NCLT.....Bench on the day of.....20.....

Liquidator/ LLP Liquidator

*Form to be suitably altered in the case of property other than lease.

IndiaCode

Form No. 81
[See rule 234]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No.....of 20.....

Sh.....--------Applicant
Sh..... -------Respondent

Order requiring parties interested in disclaimed lease to apply for vesting order or to be excluded from all interest in the leasehold premises

1. Whereas it appears by the affidavit of..... and the affidavit of..... filed respectively in the above matter on:....20....., and20....., that :-

 (a) By a lease dated the20....., and made between Sh....., the applicant herein of the one part and the above-named LLP (hereinafter called 'the LLP') of the other part, the premises comprising.....(give particulars) were demised unto the LLP for a term of..... years from.....20..... at a rental of Rs..... per annum (or per mensem);

 (b) By a sub-lease dated the20....., made between the LLP of the one part and Sh.....,the respondent of the other part, in consideration of the payment therein made and the covenants and conditions therein named, the LLP demised (part* of) the said premises to the said Sh....., the respondent [or by a mortgage or charge dated.....20....., and the LLP charged the said premises to secure the repayment of a sum of Rs..... together with interest at..... per cent per annum in favour of the said Sh.....the respondent].

2. And whereas on the20....., an order was made for the winding-up of the LLP by NCLTBench or the LLP resolved to be wound - up voluntarily and Shriwas appointed liquidator for purposes of winding-up;

3. And whereas the Liquidator or LLP Liquidator of the said LLP was by order dated.....20..... given leave to disclaim the said lease;

4. And whereas the said Liquidator or LLP Liquidator of the above-named LLP on the20..... gave notice of his intention to disclaim the said lease, and by writing under his hand dated.....20....., disclaimed the said lease, and filed such disclaimer in these proceedings on the20..... and served notice thereof on or about the20.... on the said Sh....., the applicant;

Now upon the application by summons dated....20....., of the said Sh....., the applicant, of... for an order that the respondent, Sh....., do elect whether he will or

will not take a vesting order of the disclaimer property comprised in the said lease, being.....(give particulars of the property);

This NCLT Bench doth order that unless the said respondent Sh.....within 14 days after the service of this order on him applies for a vesting order of the said lease subject to the same liabilities and obligations as those to which the LLP was subject under the lease in respect of the property on.....20....., the date of the commencement of the winding-up (or subject to the same liabilities and obligations as if the said lease had been assigned to him on....20..... the date of the commencement of the winding-up of the said LLP), the said Sh....., the respondent be excluded from all interest in and security upon the said premises.

That this summons do stand adjourned for further orders to.....20...., for service of this order on the said Sh....., the respondent.

Dated this.....day of.....20.....

(By the NCLT.....Bench)

Registrar of Tribunal

*If different parts have been sub-leased to different persons, repeat the provision to cover all such sub-leases.

IndiaCode

Form No. 81A
[See rule 234]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....
LLP Application No.....of 20.....

Sh.....--------Applicant
Sh..... -------Respondent

Before the Hon'ble Member Mr.

Dated.....

Order vesting lease and excluding persons who have not elected (1) to (4) as in Form No. 81

5. And whereas upon the hearing of this application by summons of the said Sh....., the applicant, for an order that the respondent Sh....., do elect whether or not he will take a vesting order of the disclaimed property comprised in the said lease, the NCLT.....Bench on20....., ordered that unless the said respondent Sh..... within 14 days after the service of the said order on him applied for a vesting order of the said lease subject to the conditions mentioned in the said order, the said respondent, Sh....., be excluded from all interest in and security upon said premises.

6. And whereas the said order was duly served on the said respondent Sh....., as appears from the affidavit of..... filed.....20.....

7. And whereas the said respondent Sh....., has not applied or intimated his intention to apply for a vesting order within the time limited by the said order [*or the said respondent Sh....., has applied for a vesting order of the said lease.]

Upon hearing, etc., and upon reading etc., this NCLT.....Bench doth order:

1. That the said respondent Sh....., be and is hereby excluded from all interest in and security upon the premises aforesaid [and that the property do vest in.....].

[or That the LLP's interest in the premises..... more particularly described in the lease deed dated.....20..... do vest in Sh....., in respondent herein; for the residue of the term of..... years demised by the said lease, subject to the same liabilities and obligations as those to which the LLP was subject under the lease in respect of the property at the commencement of the winding-up (or subject only to the same liabilities and obligations as if the lease had been assigned to that person on.....20....., the date of the commencement of the winding-up].

Dated this..... day of.....20.....

(By NCLT _____ Bench)

Registrar of Tribunal

IndiaCode

*Where such an application for a vesting order is made, the application should be included in the cause-title.

Form No. 82
[See rule 241]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Advertisement as to declaration of distributable sum

Notice is hereby given that a *..... distributable sum of..... (in rupees) has been declared and that the same will be payable on the day of.....20..... and on the subsequent working days upto the day of.....20..... at the office of the Liquidator.

Every person entitled to participate in this distributable sum will receive a notice to that effect and no payment will be made except upon production of such notice.

Liquidator

*Insert here 'first' or 'second' or 'final' as the case may be.
Note: This notice of declaration of distributable sum by way of advertisement should be given atleast one month prior to the date fixed for the payment thereof.

Form No. 83
[See rule 241]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of distributable sum
(Please bring this distributable sum notice with you)
Distributable sum of (in rupees)

To
..... (Name)
..... (Address)

Take notice that a *.....distributable sum of..... (in rupees) has been declared. The amount payable to you is Rs..... and the same will be payable at my office on the day of.....20....., and on the subsequent working days up to the day of20.... between the hours of

If you desire the distributable sum to be paid to some other person, you may sign and lodge with the Liquidator an authority in the prescribed form (Form No. 84). If you do not attend personally you must fill up and sign the enclosed form of Receipt and Authority.

Dated at..... this.... day of....20.....

Liquidator

* Insert here 'first' or 'second' or 'final' as the case may be.

Enclosures:

Receipt
[Heading as in form no 16]

Address:
Date:

Received from the Liquidator of the above LLP the sum of Rs..... being the amount payable to me/us in respect of the distributable sum of..... (in the rupee).

Rs..... *Payee's signature*

***Authority for delivery**
[Heading as in form no 16]

Address:
Date:

Sir,
Please deliver to the bearer (name of bearer)[or send to me by cheques or Demand Draft by post, at my expense and risk] the **..... distributable sum of Rs..... payable to me.

Rs...../ *Payee's signature*

To

The Liquidator of..... (LLP),
.....

Note: This is an authority only to deliver the distributable sum (the cheque or the Demand Draft amount as the case may be), and *not* to make it payable to another person, for which Form No. 84 should be used.

** Insert here 'first' or 'second' or 'final' as the case may be.

Form No. 84
[See rule 242]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Authority to Liquidator to pay distributable sum to another person

Address:
Date:

Sir,

I hereby authorize and request you to pay the distributable sum referred to in the enclosed notice to..... of..... (a specimen of whose signature is given below) whose receipt shall be a sufficient discharge.

Signature

Witnesses to the signature of.....

..... (Signature)
..... (Occupation)
..... (Address)

Specimen signature of person appointed as above

.....
(Specimen signature)

Witness to specimen signature:

..... (Signature)
..... (Occupation)
..... (Address)

Dated the day of.....20.....

Form No. 85
[See rule 244]
[Heading as in form no 16]

Schedule of partners to whom return is to be paid

Number as in settled list	Name of partner as in settled list	Address	Amount of contribution by each person as per the settled list	Amount of Money payable to each person as per settled list	Amount of outstanding contribution not yet realized from each	Amount of debt due not yet recovered from each	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Form No. 86
[See rule 244]
[Heading as in form no 16]
LLP Petition No..... of 20.....

Notice of return to partners

To
.....
.....

Notice is hereby given that a return of Rs..... per Rupees of contribution by partner has been declared. The amount payable to you is Rs..... and the same will be payable at my office on the..... day of..... 20..... and the subsequent working days upto the day of20... between the hours of.....

If you do not attend personally you must forward this notice and fill up and sign the enclosed forms of receipt and authority for delivery.

Dated..... *Liquidator*

Note: The receipt should be signed by the partner personally, and in the case of a body corporate by an officer of LLP so described.

Enclosures:

(1)

RECEIPT
[Heading as in form no 16]

RECEIVED from the Liquidator of the above LLP the sum of Rs. being the amount payable to me/us in respect of the return of Rs. per rupees of contributions by partners in the above LLP.

Rs.....

Dated (Signature/Signatures)
.....
Address

(2) AUTHORITY FOR DELIVERY
[Heading as in form no 16]

Address.....
Date.....

Sir,

Please deliver to the bearer.....(name of bearer) or send to me/us by cheques or Demand Draft by post, at my/our expense and risk the return of Rs..... payable to me/us.

Rs..... Payee's Signature

To
The Liquidator of(LLP)

Note : This is an authority only to deliver, and not to make the return payable to another person.

IndiaCode

Form No. 87
[See sub-rule (1) of rule 251]

Register of LLP Liquidations

LLP Petition No..... of 20.....
Name of the LLP (in Liquidation)
LLPIN

Date of presentation of petition for winding up	Date of order, if any, appointing provisional liquidator	Date of winding up order	Date of receipt of communication by Liquidator/provisional Liquidator of the order	Date of sending notice to the LLP, secured creditors, partners etc	Date(s) of taking possession of the assets, books and papers of the LLP	Date when notice, if any, was issued to partners/ officers of the LLP for submission of statement of affairs	Date of submission of statement of affairs.
1	2	3	4	5	6	7	8

Date of filing of report by Liquidator under rule 34	Date of order under rule 34	Date of valuation of the property/assets	Date of report to the Tribunal for permission for sale	Dates of advertisement, receipt of bid and submission of report to the Tribunal	Date of confirmation of sale and sales value	Date of inviting claims and date fixed for filing proofs of claims
9	10	11	12	13	14	15

Date of filing of list of creditors before the Tribunal	Date of distribution of distributable sum	Date of settlement of final list of partners	Date of distribution of return to partners	Date of appointment of investigator, if any, for reporting misfeasance etc,	Date of submission of report relating to misfeasance etc to the Tribunal	Date of order on misfeasance etc.
16	17	18	19	20	21	22

Dates of deposits of unclaimed distributable sums or undistributed assets into LLP Liquidation Account	Date of submission of report for dissolution and Date of order	Date of filing the order of dissolution with the Registrar	Date of deposit into the general revenue account of central government of unclaimed distributable sums or undistributed assets	Remarks
23	24	25	26	27

Form No. 87A
[See sub-rule (1) of rule 251]

Central Cash Book
(Cash book of the Liquidator)

Receipts					
Date	Name of the LLP	Particulars	Number of Receipts	Amount	
				Cash	Bank
1	2	3	4	5	6

Payments						
Date	Name of the LLP	Particulars	Number of voucher or challan	Amount		Number of cheque
				Cash	Bank	
7	8	9	10	11	12	13

Instructions

1. This register is common to all the liquidations administered by the Liquidator, and the day to day transactions of the Liquidator should be entered in this Register chronologically. Sufficient details should be entered under the column 'particulars' to show clearly the nature of the transaction, the person by whom or to whom the payment was made, and on what account it was made.

2. The Cash Book should be balanced at the end of each day and Cash and Bank Balance carried over to the following day. A certificate of verification of Cash by actual count should b recorded in the Cash book by the Officer verifying the Cash. The Cash Book should be closed monthly under the personal attestation of the Liquidator. The Bank balances should be reconciled with the Bank Statement at the end of each month, after taking into account factors arising out of cheques drawn but not cashed, or remittances made but adjusted in the Bank's Books in the accounts of a different month.

Form No. 87B
[See sub-rule (1) of rule 251]

LLP's Cash Book

LLP Petition No.....of 20.....
Name of LLP (In Liquidation)
LLPIN

Date	Particulars	Ledger Folio	Receipts			
			Receipt Number	Cash	Bank	Total
1	2	3	4	5	6	7

Payments				Balance		
Voucher Number	Cash	Bank	Total	Cash	Bank	Total
8	9	10	11	12	13	14

Instructions

There should be a separate Cash Book for each LLP.

Form No. 87C
[See sub-rule (1) of rule 251]

General Ledger

LLP Petition No.....of 20.....

Name of the LLP (in Liquidation)
LLPIN
..... (Head of account)

Date	Particulars	Dr.	Cr.	Balance
1	2	3	4	5

Instructions:

A General Ledger should be maintained for each LLP with such heads of account as the Liquidator may think necessary and appropriate, like property account, investment account, books debts, debtors etc.

Form No. 87D
[See sub-rule (1) of rule 251]

Cashier's Cash Book

Date	Particulars	Amount received	Amount paid	Balance
1	2	3	4	5
	Opening Balance Closing Balance			

Instructions

1. The opening and closing balances should be struck for each day.
2. Under 'Particulars' it should be shown by whom or to whom and on what account the payment is made.

Form No. 87E
[See sub-rule (1) of rule 251]

Bank Ledger

Liquidator's account with Bank

Date	Particulars	Deposits		Withdrawals		Balance
		Cheque/DD/ cash	Rs.	Cheque Number	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7

Form No. 87F
[See sub-rule (1) of rule 251]

Register of assets

IndiaCode

LLP Petition No..... of 20.....
Name of LLP(in Liquidation)
LLPIN

Serial Number	*Description of Assets*	*Date of taking possession*	*Serial number of Sales Register*	*Date of sale*	*Details of realisation*	*Amount*	*Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8

Instructions:

All the property of the LLP except the Liquidator's investments and outstandings to be realized should be entered in this Register.

Form No. 87G
[See sub-rule (1) of rule 251]

Investment Register

Serial Number	Name of the LLP	Date of Investment	Nature and particulars of security in which investment is made	Amount invested	Rate of interest etc.	Date of realization of investment	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Form No. 87H
[See sub-rule (1) of rule 251]

Register of book-debts and outstandings
(Not barred by limitation)

LLP Petition No..... of 20.....
Name of LLP(in Liquidation)
LLPIN

Serial Number	Name and address of debtor	Particulars of debt (Trade/ Bills/ Loans/ Advance etc.)	Amount due
1	2	3	4

Action taken	Amount realized	Date of realization	Reference to Suits Register	Remarks
5	6	7	8	9

Instructions:

Time barred debts may be considered for the purpose of realization in accordance with the Law.

Form No. 87I
[See sub-rule (1) of rule 251]

Tenants Ledger

LLP Petition No..... of 20.....
Name of LLP..... (in Liquidation)
LLPIN

1. Description of property :
2. Name and address of tenant :
3. Date of tenancy :
4. Period of tenancy:
5. Rent (monthly or annual) :
6. Special terms, if any :
7. Arrears on date of taking charge of property :
8. Advance received, if any :

20.... Month	Demand	Realization		Balance	Remarks
	Amount Rs. P	Date	Amount Rs. P	Amount Rs. P	
1	2	3	4	5	6
January February Etc.					

Form No. 87J
[See sub-rule (1) of rule 251]

Suits Register

LLP Petition No..... of 20.....
Name of LLP..... (in Liquidation)
LLPIN

Serial Number	Name and address of party	Amount of Claim	Date of filing
1	2	3	4

Date of decree or final order	Nature of reiief granted	Amount decreed	Remarks
5	6	7	8

Instructions:

1. A single register may be maintained for all the LLPs in Liquidation, but the register should be maintained LLP-wise, sufficient number of pages being allotted to each LLP.

2. Applications made by or against the LLP which are in the nature of suits should also be entered in this Register.

IndiaCode

Form No. 87K
[See sub-rule (1) of rule 251]

Decree Register

Name of LLP	Name and address of judgment debtor	Amount decreed	Date of decree	Action taken	Amount realized	Date of realizati on	Remarks
1	3	4	5	6	7	8	9

Instructions

This Register is common to all the liquidations, the purpose of the Register being to enable the Liquidator to keep watch on the progress of the realization of decrees in favour of the LLP in his charge.

Form No. 87L
[See sub-rule (1) of rule 251]

Sales Register

Sl. No.	Name of LLP	Description of Property	Date of Sale	Method of sale	Name and address of purchaser	Date of confirmation and sale value
1	2	3	4	5	6	7

Amount of E.M.D./ Advance received with date	Balance realized		Remarks
	Date	Rs.	
7	8		9

Instructions:

1. This Register is common to all the liquidations administered by the Liquidator, and entries in this Register should be made as and when sales of property are held.

2. The any amount either by way of E.M.D or advance or consideration shall be received only by way of demand draft or cash.

IndiaCode

Form No. 87T
[See sub-rule (1) rule 251]

Register of Unpaid Liquidation Distributable sum & Undistributed Assets Deposited into the LLP Liquidation Account

LLP Petition No.....of ...20.....

Name of LLP..... (in liquidation)
LLPIN

Serial Number	Name of person entitled to the distributable sum or return	Whether Creditor or Partner	Serial Number in the list of Creditors or Partners	Date of declaration of distributable sum or return	Total Amount payable	Date of payment into the LLP liquidation account
1	2	3	4	5	6	7

FORM NO. 88
[See sub-rule (6) of 251]

Form of Receipt

Receipt No. *Dated.....20.....*
Office of the Liquidator, NCLT..... Bench
In the matter of.....LLP. (in liquidation)
LLP Petition No of 20.....

RECEIVED from ofthe sum of rupees.....on account of/being.....

Liquidator

FORM NO. 89

[See rules 246 and 264]

[Heading as in form no 16]

Liquidator's Final Account

1. Name of LLP:
2. LLPIN:
3. Date of winding-up order :
4. Date of commencement of winding-up :
5. Period of the account:

A: Report

B: Final Account

(i) Statement of Realisations and Disbursements

Realisations				Disbursements			
Date	From whom received	Nature of Assets or form of receipt etc.	Amount Rs.	Date	To whom paid	Nature of disbursement	Amount Rs.
1	2	3	4	1	2	3	4
Total			_____	Total			_____

Analysis of Balance

	Rs.	P.
Total realizations		
Total disbursements		
Balance		

The balance is made up as follows:-

1. Cash in hand of the Liquidator _____
2. Total payments into Bank (including balance at date of commencement of winding-up) _____

Less

IndiaCode

Form No. 87M
[See sub-rule (1) of rule 251]

Register of Claims and Distributable sums

LLP Petition No.....of ...20

Name of LLP..... (in liquidation)
LLPIN

Claims				
Serial Number	Name and address of Creditor	Amount claimed	Amount admitted	Whether secured (including workmen) or preferential or floating charge or unsecured creditors
1	2	3	4	5

Distributable sum declared and paid				
Rate	Amount	Date of payment	Mode of payment	Remarks
6	7	8	9	10

IndiaCode

Instructions:

1. Only claims admitted either wholly or in part should be entered in this Register.

2. The table on top should be reserved for claims and the page on the bottom for Distributable sums.

Form No. 87N
[See sub-rule (1) of rule 251]

Partners' Ledger/ Return of assets to partner

LLP Petition No.....of ...20..... Name of LLP..... (in liquidation)
LLPIN

Serial Number	Name of partner	Amount of contribution	Amount of outstanding contribution
1	2	3	4

Returns of asset				
Rate of return	Date of Payment	Amount paid	Mode of payment of amount	Remarks
5	6	7	8	9

Instructions:

Only partners settled on the list should be entered in this Register and they should be entered in the same order as in the list.

Form No. 87O
[See sub-rule (1) of rule 251]

Distributable sums paid register

Name of the LLP	*Date of payment of distributable sum*	*Amount of distributable sum*	*Remarks*
1	2	3	4

Instructions: This Register is common to all the liquidations.

Form No. 87P
[See sub-rule (1) rule 251]

Commission Register

REGISTER OF FEES CREDITED TO GOVERNMENT

Name of the LLP	For the year ending 31st March , Payable before 30th October			
	Commission due for the period ended 31st March of	Amount of Commission	Date of deposit into Central Government Account	Remarks
2	3	4	5	6

Instructions: An entry should be made in this Register of every LLP that is wound-up, in which the Liquidator becomes or acts as Liquidator.

IndiaCode

Form No. 87Q
[See sub-rule (1) rule 251]

Suspense Register

LLP Petition No.....of ...20.....
Name of LLP..... (in liquidation)
LLPIN

Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
1	2	3	4	5

Instructions:

1. This Register should be kept LLP- wise

2. Advances made by the Liquidator to any person or made to the Liquidator by any person should be entered in this Register.

Form No. 87R
[See sub-rule (1) rule 251]

Documents Register

LLP Petition No.....of ...20.....
Name of LLP..... (in liquidation)
LLPIN

Serial Number	Description of document	Date of receipt	From whom received	How disposed of	Remarks
1	2	3	4	5	6

Instruction: All documents of title like title-deeds etc. should be entered in this Register.

Form No. 87S
[See sub-rule (1) rule 251]

Books Register

LLP Petition No.....of ...20.....
Name of LLP..... (in liquidation)
LLPIN

Date	From whom received	Description of books including files	How disposed of	Remarks
1	2	3	4	5

Instruction: In this Register there should be entered all books and files of the LLP which come into the hands of the Liquidator. In case a detail inventory of the books and records is prepared, no such entries are required in the register. However, an endorsement to the effect should be made in the register.

Total withdrawals from Bank _____

Balance at Bank _____

(Trading account for the period, if any, to be attached)

Subject to the directions of the Tribunal, it is proposed to pay the balance shown as above into the LLPs' Liquidation Account.

(ii) Assets Realized

Assets on the date of winding up order	*Estimated Amount to be realized*	*Amount realized*	*Remarks*
Balance at Bank *Cash in hand* *Investments* *Debtors/Trade receivables* *Loans & Advances* *Inventories* *Freehold Property* *Leasehold Property* *Plant & Machinery* *Furniture, fittings etc.* *Intangible Assets* *Other Assets (to specify)* *Outstanding contribution of the partners*			

IndiaCode

(iii) Assets which are unrealizable and should be written off: (Give particulars and state reasons why they could not be realised)

Assets at the commencement of winding-up	*Estimated value*	*Reasons why they could not be realised and should be written off*
Balance at Bank *Cash in hand* *Investments* *Debtors/Trade receivables* *Loans & Advances* *Inventories* *Freehold Property* *Leasehold Property* *Plant & Machinery* *Furniture, fittings etc.* *Intangible Assets*		

Other Assets (to specify) Outstanding contribution of the partners		

(iv) Liabilities

	Amount due *Rs.*	*Total amount paid by way of distributable sum or otherwise* *Rs.*
1. Secured creditors including workmen dues 2. Preferential creditors 3. Creditors having floating charge 4. Unsecured creditors 5. Return to partners		

(v) Expenses of winding-up *Rs*.....

(vi) Amount of unclaimed distributable sums or undistributed assets etc. paid into the LLP Liquidation amount

(a) Amount of unclaimed money/profit of partners at the beginning transferred to LLP Liquidation Account Rs.....

(b)Amount of unclaimed distributable sum and undistributed assets paid into the LLP Liquidation amount Rs.....

TOTAL of (a) and (b).....

(vii) Particulars of unclaimed distributable sums and undistributed assets paid into the LLP Liquidation account:

Date of deposit	Whether distributable sum or return	Amount	Remarks

(viii) Particulars of unclaimed distributable sums or undistributed assets pending payment

IndiaCode

into the said account.

Whether distributable sum or return	Amount	Remarks

(viii) Any proceeding including misfeasance proceedings pending.

C: Explanations.

Dated Liquidator

FORM NO. 90
[See rule 278]

Limited Liability Partnership Act, 2008

Voluntary Winding-up

Notice of appointment of LLP liquidator

IndiaCode

Name of LLP:
LLPIN:
Nature of business:
Address of Registered Office:
Date of passing of resolution of partners:
Date of consent of creditors:
Name and address of LLP Liquidator:
Date of appointment:
By whom appointed:

[Sd/-]
Name
LLP Liquidator

FORM NO. 91
[See rule 296]

Name of the LLP
LLPIN
Nature of the proceeding
Date of commencement of winding-up
Date of payment into the LLPs Liquidation Account

I. Particulars of the unclaimed distributable sums paid into the LLPs Liquidation Account.

Number on list of creditors	*Name of the creditor to whom the distributable sum is due*	*Last known address of creditor*	*Date of declaration and rate of distributable sum*		*Total amount of distributable sum payable*	*Last date when payable*	*Amount paid into LLPs Liquidation Account*	*Remarks*
			Date	*Rate*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Total _____

II. Particulars of undistributed assets paid into the LLPs Liquidation Account.

Number on list of partners	*Name of the partner*	*Last known address of partner*	*Date of declaration and rate of return*		*Total amount of return payable*	*Last date when payable*	*Amount paid into LLPs Liquidation Account*	*Remarks*
			Date	*Rate*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Total _____

Total amount of unclaimed distributable sums paid into the LLPs Liquidation Account Rs. _____

Total amount of undistributed assets paid into the LLPs Liquidation Account Rs. _____

Total amount paid under both heads _____

Dated this..... day of...20....

(Sd.)
Liquidator or
LLP
Liquidator

ANNEXURE

FEES AND CHARGES

SN	NATURE OF ACTIVITY	FEES PAYABLE
I	Fees for filing documents, forms etc., with Registrar	- As per Limited Liability Partnership Rules 2009
II	Inspection	- Rs.100/-
III	Copy or certified copy	- Rs.5/- per page or fractional part thereof
IV	Fees for filing application or petition :-	
	(i) Under sections 60 to 62 of the Act	- Rs. 5,000/-
	(ii) For winding up of an LLP	- Rs. 2,500/-
	(iii) For declaration of liability for fraudulent conduct of business	- Rs. 2,500/-
	(iv) For accessing damages against delinquent partners etc.	- Rs. 2,500/-
	(v) For declaring the dissolution of an LLP void.	- Rs. 2,500/-
	(vi) Other than above	- Rs. 2,500/-

Provided that no fee shall be payable on application or petition made by the Registrar or Central Government or State Government or Liquidator.

[F. No. 2/10/2008-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.